



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIN: U17232WB1980GOI032768



४२ वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
२०२१-२२

42nd ANNUAL REPORT
2021-22

BLANK



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन: U17232WB1980GOI032768

42वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	वार्षिक साधारण सभा की सूचना	1
2.	बोर्ड के निदेशक मंडल एवं अन्य विवरण	2
3.	निदेशकों का रिपोर्ट	4
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण		
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	22
5.	हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का शुद्धिपत्र	23
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	24
7.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	33
8.	तुलन पत्र	43
9.	लाभ और हानि का विवरण	44
10.	नकद प्रवाह विवरण	45
11.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	47
समेकित आर्थिक विवरण		
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	84
13.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	85
14.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	96
15.	तुलन पत्र	103
16.	लाभ और हानि का विवरण	104
17.	नकद प्रवाह विवरण	105
18.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	107

BLANK



सन्दर्भ संख्या: एनजेएमसी/ 42वी वा.सा.स./5197ए

42वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य को संपादित करने के लिये शनिवार, 31 दिसंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

साधारण व्यवसाय:

- 1) 31 मार्च, 2022 तक लेखापरीक्षित तुलनपत्र एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभहानि खाता के साथ साथ लेखापरीक्षकों और निदेशकों के रिपोर्ट एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों पर विचार करना और उसे पारित करना।
- 2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना और वर्ष 2022-23 के लिए पारिश्रमिक तय करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी सनशोधन के उसे पारित करना:

“संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स आर.के. पाटोदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वर्ष 2022-23 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार नियुक्त किया गया है जिनका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 प्रावधानों के साथ उससे संबंधित नियमों के अनुसार ₹1,37,000/- (जेब खर्च और जीएसटी को छोड़कर) है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

चार्टर्ड बैंक भवन, दूसरी मंजिल,
4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700 001

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30.12.2022

टिप्पणी :

- 1) जो बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य हैं वे अपने स्थान पर प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने और मतदान के लिये नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

निदेशक मंडल 01.04.2021 से 31.03.2022 तक

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	: श्री मलय चंदन चक्रवर्ती (29.11.2019 से)
निदेशक	: श्री शशांक प्रिया (16.12.2020 से 01.07.2021 तक) श्री शशि रंजन कुमार (01.07.2021 से) श्री संजय शरण (14.02.2019 से 02.03.2022 तक) श्रीमती माधवी अग्रवाल (09.03.2020 से) श्री बिमल चंद्र दास (12.11.2021 से)
कंपनी सचिव	: सुश्री मोहिनी वर्मा (01.02.2022 से) सुश्री मालिनी महापात्र (28.08.2019 से 30.09.2021 तक)

लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना

श्रीमती माधवी अग्रवाल	: अध्यक्ष (11.02.2022 से)
श्री शशांक प्रिया	: अध्यक्ष (01.07.2021 तक)
श्री शशि रंजन कुमार	: सदस्य (01.07.2021 से 11.02.2022 तक अध्यक्ष)
श्री संजय शरण	: सदस्य (02.03.2022 तक)
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती	: सदस्य
श्री बिमल चंद्र दास	: सदस्य

सांविधिक लेखापरीक्षकगण	: आर.के. पटोदी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 2, चर्च लेन, चौथी मंजिल, सुइट संख्या - 404ए, कोलकाता - 700 001
------------------------	--

बैंकर्स	: इलाहाबाद बैंक यूको बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक यूनियन बैंक भारतीय स्टेट बैंक
---------	---



पंजीकृत कार्यालय

: चार्टर्ड बैंक भवन, दूसरी मंजिल,
4, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700001.

मिल यूनिट

: एलेक्जेंड्रा, पी.ओ. जगतदल,
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-743125, पश्चिम बंगाल

: खरदाह, पी.ओ. टीटागढ
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-700019, पश्चिम बंगाल

: किन्निसन, पी.ओ. टीटागढ
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-700019, पश्चिम बंगाल

: नेशनल
गांव: राजगंज, संकरैल,
पी.ओ. बानीपुर, जिला - हावड़ा,
पिन-711304, पश्चिम बंगाल

: यूनिअन
कॉन्वेंट लेन,
कोलकाता-700015

: आरबीएचएम
कटिहार, पी.ओ. और जिला - कटिहार,
पिन-854105, बिहार

सहायक कंपनी

: बडर्स जूट एंड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग,
पहली मंजिल, 4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

: मिल यूनिट
200, दक्षिणदारी रोड, (वी.आई.पी. रोड के पास)
कोलकाता-700048
(1986 से)



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकगण,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

महानुभावो,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनजेएमसी लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट और समेकित लेखापरीक्षित रिपोर्ट, उस पर वैधानिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ के प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय कार्यनिशपादन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन का संछिप्त विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	समेकित		स्टैंडअलोन	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
I	उत्पादन (एम. टन में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
II.	संचालन से राजस्व	-	-	-	-
III.	अन्य आय	3.99	3.99	3.44	3.57
IV.	शुद्ध लाभ/(हानि) के लिए वर्ष	(8.13)	(7.03)	(3.53)	(2.39)
V.	नकद लाभ/(हानि)	-	-	-	-
VI.	संचित लाभ/(हानि)	(386.53)	(378.39)	(288.74)	(285.21)
VII.	सातवीं: नेट वर्थ	(325.58)	(317.44)	(228.51)	(224.98)

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹(7.03) करोड़ के शुद्ध हानि की तुलना में ₹(8.13) करोड़ का शुद्ध हानि अर्जित किया है। अपनी सहायक कंपनी के साथ समेकन के बाद वित्तीय वर्ष में ₹(3.53) करोड़ का नुकसान कमाया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में एनजेएमसी लिमिटेड ने अकेले ₹(2.39) करोड़ की शुद्ध हानि हुई थी।

कंपनी की वर्तमान स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 में निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है और इस संदर्भ में एक पत्र फाइल संख्या 11/18/2014 जूट (वॉल्यूम III) दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया के अनुपालन का भी उल्लेख किया गया था।

निर्देशों के अनुसार संगठन की सभी चल और अचल संपत्ति के सत्यापन, मूल्यांकन और आकलन हेतु पूर्व एलएमए गतिविधियों को करने के लिये मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को लगाया गया है। एनबीसीसी (आई) लिमिटेड ने पुनः सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन एनजेएमसी लिमिटेड ने उसमें विसंगतियों को देखा और इसकी सूचना दी।

निर्देशों के अनुसार मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और एमओयू पर 25.03.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन प्रक्रिया को शुरू पूर्व एलएमए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद किया जाएगा।

एनजेएमसी लिमिटेड के तहत भूमि पार्सल, जो पूर्व मालिक के नाम पर मौजूद हैं, उसे अपने नाम में करने के संबंध में एनजेएमसी लिमिटेड ने इस मामले को पश्चिम बंगाल के सरकार के समक्ष उठाया है और उन्हें पत्र लिखे गये ताकि उसे एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर अद्यतन करें।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के जमीनों रूच दिखाई है और प्रमुख सचिव स्तरीय बैठकें को एनजेएमसी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

निफ्ट, कोलकाता ने एनजेएमसी लिमिटेड से अपने नए परिसर की स्थापना के लिए सियालदह में भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पत्र द्वारा एनजेएमसी लिमिटेड की भूमि जो की पश्चिम बंगाल राज्य में है उसपर स्वामित्व का दावा किया है और कहा कि कपड़ा मंत्रालय के लिए ऐसे बेचने, पट्टे पर देने या किसी भी रूप में भूमि की पार्सल को आवंटित करने का प्रयास करना राज्य सरकार की सहमति के बिना उचित नहीं होगा। दोनों संगठन इस मामले में कानून और न्याय मंत्रालय और एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म से कानूनी राय लेना प्रक्रिया में हैं।

निगम उसी के अनुसार दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है और निगम को बंद करने कि गतिविधियों की स्थिति रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को नियमित रूप दिया जा रहा है।

1. लाभ और हानि विश्लेषण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹(7.03) करोड़ कि हानि की तुलना में ₹(8.13) करोड़ की हानि अर्जित की है, जबकि समेकित खातों के अनुसार, जब कि पिछले वर्ष एनजेएमसी लिमिटेड ने अकेले ₹(2.39) करोड़ के नुकसान की तुलना में ₹(3.53) करोड़ की हानिअर्जित की है।

2. सहायक कंपनी - बीजेईएल

कंपनी की एक सहायक कंपनी है, जिसका नाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को संगठन को बंद करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के पहले परंतुक उपधारा (3) के तहत एओसी-1 के रूप में संलग्न है, सहायक कंपनी के वार्षिक खाते मांग पर शेरधारकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

एनजेएमसी लिमिटेड की चल संपत्ति के निपटान के लिए, एमएसटीसी लिमिटेड (ई-नीलामी एजेंसी) के साथ दिनांक 25.03.2022 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य संचालन के सभी पहलुओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का अनुपालन प्राप्त किया है, सर्वोत्तम मानकों के लिए अग्रणी कॉर्पोरेट प्रशासन की।

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार कॉर्पोरेट के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए शासन, 2010 की दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

31.03.2022 तक निदेशक मंडल और वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों का विवरण

संगठन के अंतर्नियमों के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना और वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकें इस प्रकार हैं:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण (1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022)					एजीएम में भाग लिया
		8 अप्रैल, 2021	22 जुलाई, 2021	8 सितंबर, 2021	9 नवंबर, 2021	11 फरवरी, 2022	
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	हां	हां	हां	हां	हां	हां
श्री शशांक प्रिया, एएस एंड एफए (01.07.2021 को समाप्त)	सरकार नामांकित निदेशक	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए (01.07.2021 से नियुक्ति)	सरकार नामांकित निदेशक	लागू नहीं	हां	हां	हां	एलओए	हां
श्री संजय शरण, जेएस (02.03.2022 को समाप्त)	सरकार नामांकित निदेशक	हां	हां	हां	एलओए	एलओए	हां
श्रीमती माधवी अग्रवाल	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	हां	हां	हां	हां	हां	हां
श्री बिमल चंद्र दास (12.11.2021 से नियुक्ति)	गैर सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:

- श्री शशांक प्रिया का स्थान पर श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए को, पत्र संख्या. 11/25/2014 जूट दिनांक 01.07.2021 के अनुसार सरकार नामांकित निदेशक के रूप में 01.07.2021 से नियुक्त किया गया।
- श्री बिमल चंद्र दास को पत्र संख्या: फा.सं. 15/3/2021 जूट भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, जूट अनुभाग दिनांक 12.11.2021, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में 12.11.2021 से नियुक्त किया गया।
- श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, सरकार नामांकित निदेशक को पत्र संख्या ए.19012/1/2018 स्था. 02.03.2022 के तहत इस मंत्रालय में उनके कर्तव्य से दिनांक 02.03.2022 को मुक्त किया गया था।

लेखा परीक्षा समिति

आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के साथ पठित नियम 5 कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के अनुसार और नियमों के प्रासंगिक/सहायक नियमों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कॉर्पोरेट अभ्यास का पालन करना इसकी मूलभूत आवश्यकता है। लेखापरीक्षा समिति में कुल पांच (5) सदस्य हैं और लेखापरीक्षा समिति की गणपूर्ति दो सदस्यों से होती है। लेखापरीक्षा समिति के वर्तमान सदस्यों में शामिल हैं:



क्र.सं.	निदेशकों के नाम
1	श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष (11.02.2022 से प्रभावी)
2	श्री शशि रंजन कुमार, सरकार नामांकित निदेशक-अध्यक्ष (11.02.2022 तक)
3	श्री संजय शरण, सरकार नामांकित निदेशक-सदस्य (02.03.2022 तक)
4	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक-सदस्य
5	श्री बिमल चंद्र दास गैर-सरकारी निदेशक-सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना और वर्ष के दौरान हुई बैठकें इस प्रकार हैं:

निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण (1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022)			
		8 अप्रैल, 2021	22 जुलाई, 2021	8 सितंबर, 2021	11 फरवरी, 2022
श्री शशांक प्रिया, एएस एंड एफए (01.07.2021 तक)	अध्यक्ष (01.02.2021 तक)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए (01.07.2021 को नियुक्ति)	अध्यक्ष (11.02.2022 तक)	लागू नहीं	हां	हां	हां
श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (11.02.2022 से प्रभावी)	हां	हां	हां	हां
श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव (02.03.2022 तक)	सदस्य	हां	हां	हां	एलओए
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त भार)	सदस्य	हां	हां	हां	हां
श्री बिमल चंद्र दास गैर-सरकारी निदेशक (12.11.2021 से नियुक्त)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां

- ❖ श्री शशांक प्रिया के स्थान पर श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए को अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के लिये और श्री बिमल चंद्र को समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिये समिति का पुनर्गठन किया। बाद में श्रीमती माधवी अग्रवाल को लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
- ❖ कंपनी सचिव को समिति के सचिव के रूप में कार्यरत होंगे।

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों का एक संक्षिप्त विवरण है:

- क) वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
- ख) कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए संस्तुति।
- ग) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- घ) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।
- ङ) अंतरकॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।
- च) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो।
- छ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- ज) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों, यदि कोई हो, के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करना



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

सामान्य निकाय बैठकें:

		2018-19 (39वीं एजीएम)	2019-20 (40वीं एजीएम)	2020-21 (41वीं एजीएम)
01	दिनांक	18.12.2019	31.12.2020	09.11.2021
02	दिन	बुधवार	गुरुवार	मंगलवार
03	समय	पूर्वाह्न 11:30 बजे	अपराह्न 03:45 बजे	अपराह्न 03:30 बजे
04	स्थान	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, न्यू दिल्ली-110011.	जूट आयुक्त का कार्यालय, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, चौथी मंजिल, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700064	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, न्यू दिल्ली-110011.

प्रकटीकरण:

- कंपनी अधिनियम, लेखा मानक अभ्यास और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।
- कर्मचारी अपने पर्यवेक्षकों/सीवीओ/सीएमडी को नियमों/विनियमों के उल्लंघन की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- जहां तक संभव हो, लागू दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है/उस पर लागू होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- लेखा बहियों में एसा कोई व्यय दर्ज नहीं है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।
- एसा कोई व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

क. अन्य सूचना

- बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठक और प्रक्रिया: बोर्ड के समक्ष आमतौर पर रखी गयी जानकारी में शामिल हैं:
 - कार्यवृत्त की पुष्टि।
 - बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कारवाई।
 - विभिन्न मुद्दों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को अद्यतन करना।
 - कानूनी मामले।
 - वार्षिक खाता।
 - समवर्ती लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची: बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियाँ के निर्धारण पर, कार्यसूची के कागजात तैयार किए जाते हैं और एक निर्धारित समय के भीतर निदेशकों/सदस्यों को परिचालित किया जाता है। इसी प्रकार बैठक का मसौदा कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों को उनके विचार और अनुमोदन के लिए परिचालित किया जाता है।
- बैठक के बाद अनुवर्ती तंत्र: पिछली बैठकों के मसौदा कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती रिपोर्ट पर बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में चर्चा की जाती है।
- बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग: प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त कंपनी सचिव द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। बाद में बोर्ड/समिति की अगली बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है और तदनुसार कार्यवृत्त बुक में दर्ज किया गया।

व्यापार आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यवसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने तथा सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करे के लिए प्रतिबद्ध है।



5. लाभांश

चूँकि निगम को लगातार हानि हो रही है और संसद के एक निर्णय के तहत निगम को बंद करने की प्रक्रिया भी चल रही है अतः आपके निदेशक वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश के रूप में किसी राशि की अनुशंसा नहीं करते हैं।

6. आरक्षित निधि में स्थानांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने की अनुशंसा नहीं करते हैं।

7. सतर्कता

दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए शपथ (भौतिक एवं ई-शपथ) ली गई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री इमान अली मंडल, सीओओ और डीजीएम, एनजेएमसी लिमिटेड को दिनांक 05.10.2018 अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का प्रभार सौंपा गया था और वह तब से जारी है।

8. राजभाषा का प्रचार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के निर्देशों को लागू करने के लिए निगम निरंतर प्रयास कर रहा है।

9. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) द्वारा अपेक्षित है, आपके निदेशकों का कहना है कि:

- (i) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में मटेरियल डिपारचर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्या लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाया है जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2022 तक कंपनी के कार्य तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की स्थितिका सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (iii) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- (iv) निदेशकों ने वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे।
- (v) कंपनी के असूचीबद्ध होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के उप खंड (ई) लागू नहीं होते हैं।
- (vi) सभी लागू कानून प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।



10. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

• निदेशक मंडल

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए	सरकार नामांकित निदेशक
3.	श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव	सरकार नामांकित निदेशक
4.	श्रीमती माधवी अग्रवाल	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री बिमल चंद्र दास	गैर-सरकारी निदेशक

टिप्पणी:

• निदेशक

- श्री शशांक प्रिया का स्थान पर श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए को, पत्र संख्या. 11/25/2014 जूट दिनांक 01.07.2021 के अनुसार सरकार नामांकित निदेशक के रूप में 01.07.2021 से नियुक्त किया गया।
- श्री बिमल चंद्र दास को पत्र संख्या: फा.सं. 15/3/2021 जूट भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, जूट अनुभाग दिनांक 12.11.2021, गैर सरकारी निदेशक से रूप में 12.11.2021 से नियुक्त किया गया।
- श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, सरकार नामांकित निदेशक को पत्र संख्या ए-19012/1/2018 स्था.02.03.2022 के तहत इस मंत्रालय में उनके कर्तव्य से दिनांक 02.03.2022 को मुक्त किया गया था।

• प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

सुश्री मोहिनी वर्मा को निगम के कंपनी सचिव के रूप में 1 फरवरी, 2022 से नियुक्त किया गया है।

11. संबंधित पार्टी लेनदेन

सहायक कंपनियों के साथ किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन को लेनदेन होने से छूट दी गई थी दो सरकारी कंपनियों के बीच और एक होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनी के बीच लेनदेन कंपनी जिसके खाते होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं अनुमोदन के लिए आम बैठक में। इसलिए फॉर्म एओसी-2 तैयार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है जो हो सकता है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उल्लंघन में संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

12. आरटीआई अधिनियम, 2005

आपके निगम ने पंजीकृत कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती है।

13. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और पिछले वित्तीय वर्षों में निगम को लगातार हानि हुई है और कैबिनेट ने 10.10.2018 को निगम को बंद करने की भी मंजूरी दे दी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रावधान और संबंधित नियम आपके निगम पर लागू नहीं होते हैं।

14. जमा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके निगम ने न तो कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।



- 15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण**
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।
- 16. नियामकों/अदालतों/अधिकरणों द्वारा पारित आदेश**
क. मैसर्स रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के मध्यस्थता मामले के संदर्भ में पारित आदेश, जहां मध्यस्थ पैनल के द्वारा रजत इंजीनियरिंग वर्क्स और एनजेएमसी लिमिटेड के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही में एनजेएमसी लिमिटेड के खिलाफ 28.12.2021 को ₹11,06,76,409/- की राशि के लिए एक अवॉर्ड पारित किया गया।
ख. श्री बालाजी निगम के मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आदेश पारित किया गया, श्री बालाजी निगम के मालिक नेकलकत्ता के उच्च न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया है जो की 2022 के एपी नंबर 354 है, जिसमें एलडी कोर्ट ने अपने आदेश के तहत दिनांक 27.07.2022 को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।
- 17. भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ**
भारत सरकार ने निगम को दिनांक 10.10.2018 को निगम तक बंद करने की स्वीकृति प्रदान की है, यह निगम को उस हद तक प्रभावित करता है।
- 18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा उर्पाजन और व्यय**
जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है की ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा का आय और व्यय से संबंधित विवरण इसके साथ संलग्न अनुबंध I में दिए गए हैं और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।
- 19. वार्षिक विवरणी का उद्धरण**
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम, 2014 के नियम को 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के तहत अपेक्षित वार्षिक विवरणी सार का विवरण फॉर्म एमजीटी-9 अनुबंध II के रूप में इसके साथ संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।
- 20. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए आरक्षण**
भारत सरकार ने 10.10.2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कंपनी की भूमिका में कोई स्थाई कर्मचारी विद्यमान नहीं है, इस प्रकार उपरोक्त लागू नहीं है।
- 21. मानव संसाधन नीति और औद्योगिक संबंध**
निगम के बंद होने को देखते हुए एनजेएमसी लिमिटेड को संविदात्मक जनशक्ति के साथ व्यवसाय संचालित करने का सुझाव दिया गया था, तदनुसार संविदागत के आधार पर जनशक्ति कार्यरत हैं। भर्ती किए गए जनशक्ति का चयन एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाता है और जन शक्तिका सर्वोत्तम समूह प्राप्त करने के लिए खुले विज्ञापन की पीएसयू चयन प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है।
- 22. सांविधिक लेखापरीक्षक**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों और समय-समय पर यथा संशोधित लागू नियमों के अनुसार मेसर्स आर के पटोदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
निगम के चल रहे बंद के मद्देनजर आपके निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत को लागत लेखापरीक्षा के संचालन की आवश्यकता नहीं है और कंपनी ने अपने सभी उत्पादन बंद कर दिए हैं।



23. लेखापरीक्षा अवलोकन और टिप्पणियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियां स्वयं व्याख्यात्मक हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के तहत आगे की टिप्पणियों की मांग नहीं करती।

24. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रबंधन ने आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की है जो लेखापरीक्षकों की एक टीम द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित की जाती है।

25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आपकी कंपनी के लेखों की समीक्षा की है और उनकी टिप्पणियों को अनुबंध III में दर्शाया गया है।

26. अभिस्वीकृति:

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर को दिये गए उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। वे पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार से मिले सहयोग के लिए भी आभारी हैं। निदेशक कंपनी के बैंकरों, सी एंड ए जी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और अपने कर्मचारियों से प्राप्त निरंतर सहयोग और समर्थनको को भी दर्ज किया है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से
(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 31.12.2022



फॉर्म एओसी-1

(कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के धारा 129 के उपधारा (3)के साथ पठित नियम 5 के पहले परंतुक के अनुसार)

सहायक कंपनियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण कंपनियां/संयुक्त उद्यम

भाग "ए": सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी रुपये के राशि में साथ प्रस्तुत की जाए।)

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	बडुर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
2.	वह तारीख जब से सहायक का अधिग्रहण किया गया था	29.09.1986
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि भिन्न हो	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक के मामले में रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	3948000
6.	रिजर्व और अधिशेष	(1477546000)
7.	कुल संपत्ति	51542000
8.	कुल देनदारियों	1525140000
9.	निवेश	शून्य
10.	कारोबार	शून्य
11.	कराधान से पहले लाभ	(53746000)
12.	कराधान के लिए प्रावधान	शून्य
13.	कराधान के बाद लाभ	53959000
14.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15.	लाभांश शेयरधारिता का %	58.92

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
एसीएस: 52405



अनुबंध - I

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण।

क. ऊर्जा का संरक्षण:

चूकि निगम को 10 अक्टूबर, 2018 को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, सभी मिलों के संचालन और बंद होने के साथ ऊर्जा संरक्षण खंड ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण:

चूकि निगम को 10 अक्टूबर, 2018 को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है सभी मिलों के संचालन और बंद होने के साथ प्रौद्योगिकी अवशोषण खंड ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.12.2022



अनुबंध - II

फॉर्म नंबर: एमजीटी-9

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का अंश
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनियों के (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन	यू 17232 डब्ल्यू बी 1980 जी.ओ.आई 032768
ii)	पंजीकरण की तिथि	03.06.1980
iii)	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर्स द्वारा कंपनी लिमिटेड/संघ सरकार कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4, एन.एस. रोड, 2रा तल, कोलकाता- 700 001, दूरभाष : 033 22306434
vi)	क्या सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

टर्नओवर में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा।

कंपनी की सभी छह (6) मिलें परिचालन में नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 दौरान शून्य उत्पादन हुआ है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

III . होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/संबद्ध	उपयुक्त शेयरों का %	लागू धारा
1.	बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी1904 जीओआई001579	सहायक कंपनी	59%	2(87)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

IV. शेयर होल्डिंगा पेटन
(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)
i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

ए. शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिभैट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	डिभैट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	
प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रॉ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
(2) विदेशी									
ए) एनआरआईज-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % पट्टिवर्तन	
	डिमेंट	प्रत्यक्ष शेयर	कुल शेयरों का %	डिमेंट	प्रत्यक्ष शेयर	कुल शेयरों का %	डिमेंट	प्रत्यक्ष शेयर		कुल शेयरों का %
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग										
1. संस्थानों										
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रॉ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्याय (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर संस्थानों										
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % पटुरिवर्तन
	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	
3. व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. अन्यान्य (अल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
सी.									



(ii) प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर की सं.			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य
	कुल	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य

❖ कंपनी पूर्णतः सरकार स्वामित्व वाली कंपनी है, कुल शेयरहोल्डिंग में से 557972 इक्विटी शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति द्वारा रखा गया है और शेष 2 शेयरों को वस्त्र मंत्रालय, सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा रखा गया है।

(iii) प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

(यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)- कोई परिवर्तन नहीं।

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	557974	100	557974	100



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र.सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	557974	100	557974	100

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

(रु. करोड़ में)

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	218.52	-	
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	12.72	-	
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	
कुल (i + ii + iii)	-	231.24	-	231.24
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
बढ़ोतरी	-	0.36	-	
कटौती	-	-	-	
शुद्ध परिवर्तन	-	0.36	-	0.36
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	218.52	-	
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	13.09	-	
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	
कुल (i + ii + iii)	-	231.61	-	231.61

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

आपका निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार दी जाती है। वर्ष के दौरान गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक को पारिश्रमिक बैठने की फीस रु. 10000 तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) को रु. 3.10 लाख भुगतान किया गया।

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अपने निदेशकों या अन्य अधिकारियों के कसूरवार के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना/दंड/अपराधों की कंपाउंडिंग नहीं थी।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 31.12.2022



31 मार्च 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहतभारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्यप्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्ति सम्विधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखें जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 23 सितंबर 2022 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिये राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूँ। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्विधिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक पृष्ठताछ तक सीमित है लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गतसम्विधिक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक देना पड़े।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.12.2022

(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (खान) कोलकाता



**राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का शुद्धिपत्र
दिनांक 23 सितंबर, 2022 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए**

हमारी पूर्वोक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से, हमने ये पाया कि हमारी चूक के कारण तालिका में दिखाए गए “सहायक के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)” के क्लॉज सी. 5(बी) के तहत अनुषंगी को दिए गए ऋण पर उपार्जित ब्याज की राशि सहायक कंपनी, बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में 3804.77 के बजाय गलती से 3804.96 के रूप में दिखाया गया है। उक्त राशि हमारी लेखापरीक्षित रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है, इसलिए उसे 3804.96 के स्थान पर 3804.77 के रूप में पढ़ा जाए।

कृते आर. के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या: 059144

यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवि5356

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23.09.2022



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के उपर्युक्त राय के आधार के अनुभाग में वर्णित विवरण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इसका नुकसान और नकदी प्रवाह के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

सशर्त राय के लिये आधार

ए) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय की धारणा:

लेखा को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय की धारणा के आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित कारणों से इस परिस्थितियों में उपर्युक्त नहीं है:

क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बंद करने की मंजूरी दे दी है। सभी संपत्तियों का निपटान डीपीई की दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और देनदारियों को पूरा करने के बाद संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा। एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी 177वीं बैठक में मेसर्स एमएसटीसी को नीलामी एजेंसी के रूप में, सभी चल संपत्तियों और भवन के निपटान के लिए नामांकित किया लेकिन उस संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट विकास नहीं प्राप्त किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति के निपटान करने से पहले एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को पूर्व भूमि प्रबंधन एजेंसी (प्रीएलएमए) के रूप में सभी चल और अचल संपत्ति के सत्यापन, मूल्यांकन और आकलन हेतु नियुक्त किया गया था, जिसे बिना एलडी लगाये छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है लेकिन उनका रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है।

ख) बन्द करने की अधि सूचना के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार को ₹200 करोड़ ब्याजमुक्त ऋण वापस कर दिए हैं। पिछले वर्षों में मुख्य रूप से कंपनी की आय सावधि जमा ब्याज आय से थी जो उक्त वापसी के बाद काफी कम हो गयी है।

ग) वित्तीय विवरण इंगित करते हैं कि कंपनी की वर्तमान और गैर-चालू देनदारियां, इसकी कुल संपत्ति से ₹22,851.57 लाख (पिछले वर्ष ₹22,498.34 लाख) अधिक हैं और कंपनी की मीलों भी पिछले कई सालों से काम नहीं थीं।

ये कारक कंपनी को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने और कारोबार के सामान्य कार्यप्रणाली में अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थता की पुष्टि करते हैं।

बी) लेखा मानकों का पालन न करना:

बी.1 लेखा मानक 2 - वस्तुसूची का मूल्यांकन

जैसा कि लेखांकन नीति 1.4 में कहा गया है कि वस्तुसूची का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य/बाजार मूल्य पर किया जाता है। अधिकांश वस्तुसूची को लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और कई वर्षों से वस्तुसूची में कोई बदलाव



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

नहीं है। प्रासंगिक लागत विवरण और निवल वसूली योग्य मूल्य/बाज़ार मूल्य के निर्धारण का आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था और इसलिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि क्या एएस-2 का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा वस्तुसूची के आयुवार विश्लेषण के साथ-साथ अप्रचलित और गैर-विपणन योग्य वस्तुसूची की पहचान का पता नहीं लगाया गया है। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि इन्वेंट्री का वहन मूल्य इसके उचित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

बी.2 लेखा मानक-9 - राजस्व मान्यता:

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को दिए गए ऋण से ₹88.34 लाख की ब्याज आय को मान्यता दी है और साथ ही इसने इस खाते में संदिग्ध ब्याज प्राप्त करने योग्य शुद्ध टीडीएस के लिये प्रावधान किया है। दिनांक 31 मई 2022 की 193वें बोर्ड की बैठक में अपनाए गए संकल्प से हटकर जहां एसबीआई बैंचमार्क दर प्राइम लेंडिंग पर ब्याज लगाया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए सहायक को ऋण पर ब्याज आय का विवरण ₹36.44 लाख था और पिछले वर्षों के लिए ₹67.41 लाख इसी राशि के तहत समान प्रावधान के साथ थे। सहायक कंपनी मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज का भुगतान तथा शेष राशि 31 मार्च, 2022 तक के खाते का भुगतान नहीं कर रही है क्योंकि वे समाधान के अधीन है।

बी.3 लेखा मानक-21 - समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। कंपनी ने (एएस)-21 समेकित वित्तीय विवरण की आवश्यकतानुसार पहले के वर्षों में न तो समेकित वित्तीय विवरण तैयार और नहीं हमारी रिपोर्टिंग की तारीख तक प्रस्तुत किया है।

बी.4 लेखा मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन:

कंपनी ने आय पर कर के लिए एएस-22 लेखांकन का अनुपालन नहीं किया है। आस्थगित संपत्ति और देयता का पता लगाना उक्त मानक के अनुरूप नहीं किया गया है।

बी.5 लेखा मानक 29 - 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति':

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी विविध मामलों में विभिन्न दलों के साथ मुकदमों में है, जिनमें से कई कई मामलों वर्षों से लंबित हैं। हालांकि, कई मामलों में कंपनी ने एएस-29 प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति के तहत विवादों के संबन्ध में संभावित वित्तीय निहितार्थ की राशि का अनुमान और खुलासा नहीं किया है।

सी) आय/व्यय और संपत्ति/देयताओं के कम/अधिक विवरण

सी.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और मूल्यहास:

- क) जैसा कि नोट 9(2) में कहा गया है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में कंपनी की ₹637/- की रिटेन डाउन वैल्यू (डब्लूडीवी) वाली कुछ मशीनें शामिल हैं जो राष्ट्रीयकरण के बाद से तीसरे पक्ष के पास पड़ी हैं। लेकिन कंपनी ने बैलेंसशीट तिथि तक उन मशीनरी के वास्तविक अस्तित्व का पता नहीं लगाया है।
- ख) जैसा कि नोट 9(6) में खुलासा किया गया है, भूमि और भवन में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता की संपत्ति शामिल है, जो कंपनी के कब्जे में नहीं है, हालांकि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत में निहित कंपनी है। संपत्ति मुकदमेबाजी के अधीन है और संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार के संबंध में कानूनी विशेषज्ञ के अलग-अलग विचार हैं। हालांकि स्वामित्व विवादित है, लेकिन कंपनी कोलकाता नगर निगम को देय नगरपालिका करों के संबंध में देयता प्रदान कर रहा है, जो वित्तीय कि वर्ष 2021-22 के लिए ₹4.45 लाख की राशि (पिछले वर्ष: ₹4.45 लाख) थी। संचयी देयता 31.03.2022 तक ₹112.02 लाख (31.03.2021 तक: ₹107.57 लाख) प्रदान की गई है।
- ग) कंपनी की नेशनल मिल यूनिट संयंत्र और मशीनरी की कुछ मर्दें में पड़े हैं, जिनका प्रबंधन द्वारा निर्धारित कुल मिलाकर बही मूल्य 31.03.2022 तक ₹2.12 लाख हैं, जिसमें आगे के वर्षों के (₹0.28 लाख) के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2021-22



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(₹1.84 लाख) में चोरी हुई संयंत्र और मशीनरी भी है, जिसके लिए कंपनी द्वारा प्राथमिकी (एफ आई आर) दर्ज की गई है। इन खाते में नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन मिल में संबंधित बीमा कंपनी और/या उक्त सुरक्षा सेवा प्रदाता से उसकी वसूली करना चाहता है। हमें सूचित किया गया है इस संबंध में आवश्यक समायोजन के साथ संबंधित पक्षों से मामले का निपटारा किया जाएगा। अद्यतित अचल संपत्ति रजिस्टर के अभाव में हम प्रबंधन द्वारा गणना में उपरोक्त मूल्य की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सके।

घ) विभिन्न स्थानों पर भूमि के शीर्षक विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए थे लेकिन उन्हें ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सका और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड से जोड़ा जा सका। हालांकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तीन मिलों की जमीनजायदाद अर्थात खरदाह, किन्सिन और एलेक्जेंड्रा का कुछ हिस्सा अभी भी पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर जारी है। हमें आगे सूचित किया गया है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी उत्तर 24 परगना, बारासात के साथ-साथ सचिव भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को अद्यतन करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया है। उक्त संपत्तियों के संबंध में भूमि रिकॉर्ड लेकिन, मामला अभी भी 31 मार्च, 2022 तक लंबित है।

सी.2 निवेश:

कंपनी अपने निवेशों का उचित रजिस्टर नहीं रख रही है। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियों में कुल ₹0.74 लाख निवेश और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड की शेयर करों के संबंध में किए गए निवेश के संबंध में कोई दस्तावेज न तो हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध काराया गया और उनके पता न लगाने की सूचना दी हैं। ये निवेश बहुत पुराने हैं और यह हमें समझाया गया था कि मूल प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों/विभागों को सुरक्षा के रूप में प्रदान किए गए होंगे। यह भी देखा गया कि निवेश में कंपनियों के ₹0.02 लाख शेयर शामिल हैं, जिनके नाम पहले ही काट दिए गए हैं। हालांकि इन सभी निवेशों के लिये पूरा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा, निवेश में चेविओट कंपनी लिमिटेड और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर शामिल हैं जिसके लिये इनशेयरों के लाभांश प्राप्त करने के बावजूद भी इसके लिये पूरा प्रावधान किया गया है।

सी.3 सूची:

प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में मालसूची का मूल्यांकन, जो बहुत पुराना है, समय बीतने और मिलों के गैर-संचालन के कारण क्षति/अप्रचलन पर विचार किए बिना किया गया है। कच्चे माल की सूची के मूल्य का अवलेखन और कार्य प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा किया गया है, कंपनी द्वारा आयोजित माल की विभिन्न प्रकार के मालसूची के मूल्य में वास्तविक कमी बिना किसी भी तकनीकी मूल्यांकन के किया गया है।

सी.4 नकद और बैंक शेष:

यूको बैंक, टीटागढ़ शाखा में पड़ी यूनिट किन्सिन के बैंक खाते में ₹91,303.04 शामिल हैं। जो तुलनपत्र की तारीख को निष्क्रिय खाता है।

सी.5 अल्पावधि ऋण और अग्रिम:

क) आयकर के लिए ₹408.77 लाख के कुल प्रावधान के विरुद्ध, जैसा कि तुलनपत्र में दर्शाया गया है, स्रोत पर काटे गए आयकर के रूप में कंपनी द्वारा किया गया कर भुगतान ₹1172.65 लाख है। पिछले वर्षों के लिए निर्धारित आयकर धन वापसी, उस पर अनुमत ब्याज सहित, निर्धारण वर्ष 1990-91 की बकाया मांग के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा समायोजित किया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना में प्रदर्शित कंपनी का बकाया मांग सारांश अभी भी कंपनी द्वारा ब्याज की ओर देय ₹243.15 लाख की राशि दर्शायी जा रही है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए उठाई गई मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और इस के संबंध में आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने के बाद समायोजन/आगे की व्यवस्था की जाएगी।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

ख) बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सहायक कंपनी से प्राप्त हुए समाप्त होनेवाले वर्ष 31.03.2022 के लिए शेष राशि की पुष्टि और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के बाद, हमने अवलोकन किया की विभिन्न खातों के शेष राशि सहायक के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:

खाता	एनजेएमसी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	सहायक कंपनी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियां
अनुषंगियों को दिए गए आवश्यकता ऋणों पर उपार्जित ब्याज	3814.96	3804.96	सहायक से आवश्यक विवरण और जानकारी प्राप्त करने के बाद मतभेदों को सुलझाने और आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है।
पेशगी दी गई	605.64	631.05	
माल के लिए लेनदार	शून्य	94.91	
किराए के लेनदार	शून्य	0.15	
अन्य सेवाओं के लिए लेनदार	0.10	शून्य	
ब्रोकरेज के लिए लेनदार	0.28	शून्य	
व्यापार प्राप्य खाते सामान	23.56	258.21	
व्यापार प्राप्य खाते व्यय	शून्य	7.40	
सेवाओं के लिए दिया गया अग्रिम	3.33	शून्य	

सी.6 अन्य चालू परिसंपत्तियां:

चूँकि सुरक्षा के संबंध में कुल जमा ₹56.31 लाख, जिसमें से ₹11.47 लाख को संदिग्ध मानकर और प्रदान के लिए, दल के आधार पर विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके, अतह यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि कितनी अच्छी मानी जाने वाली जमा राशि वास्तव में वसूली योग्य है।

सी.7 दीर्घावधि ऋण:

क) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण लिया है। ऐसे ऋण के नियम और शर्तों को दर्शाने वाला ऋण समझौता या कोई अन्य दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गये। ब्याजदर और अन्य शर्तें दर्शानेवाले किसी दस्तावेज के अभाव में, कंपनी द्वारा 31-03-2022 तक प्रदान किए गए ₹1308.61 लाख कुल ब्याज की शुद्धता की पुष्टि नहीं कर सके, जिसमें समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए प्रदान किए गए ₹36.36 लाख शामिल हैं। जैसा कि खातों के नोट 4 अतिरिक्त जानकारी (सी) में कहा गया है, इस ऋण की अदायगी में कंपनी ने चूक की है और ब्याज सहित मूलधन की संचित शेष राशि 31 मार्च, 2022 के अनुसार कंपनी की खाता बही में ₹1590.09 लाख है (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ₹1553.73 लाख)।

ख) कंपनी द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों से 31-03-2022 को ऋण की बकाया राशि के लिए कोई शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

सी.8 व्यापार देय राशि:

कंपनी द्वारा तैयार किए गए व्यापार देय का आयुवार विश्लेषण के अनुसार व्यापार देय की कुल राशि ₹2055.99 लाख (31.03.2021 को ₹2093.96 लाख) है जो कि तीन साल से अधिक के लिए शेष पुराना बकाया राशि कुल ₹1974.14 लाख शामिल है। दल अनुसार और चालान वार विवरण या दलों से प्राप्त विवरण खातों के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं। एमएसएमईडी अधिनियम के तहत दलों की स्थिति और सूक्ष्म और लघु उद्यमों



के बकाया का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, एमएसएमडी अधिनियम के तहत देय ब्याज की कोई देयता नहीं की है पिछले कई वर्षों से खातों में जानकारी दी जा रही है। नतीजतन, उक्त अधिनियम के तहत देय ब्याज, व्यापार देय के तहत दिखाए गए ब्याज देयता की राशि से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, किन्सिन यूनिट के मामले में सेवाओं के लिए विविध लेनदारों और स्टोर के लिए विविध लेनदारों को निवल खर्च की शेष राशि ₹25.32 लाख में शामिल किया जा रहा है इनमें से कुछ लेनदारों के खातों में पड़े हैं। नतीजतन, व्यापार देय की देयता उस हद तक तुलन पत्र में कम बताया गया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा किए गए संदिग्ध अग्रिमों के प्रति दिए गए प्रावधान भी उस हद तक कम है, जिसका प्रभाव इस खाते पर ₹25.32 लाख की सीमा तक हानि को कम करके दिखाने का है।

सी.9 अन्य वर्तमान देयताएँ:

क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने बकाया ईएसआई अंशदान के लिए ₹152.99 लाख और इसके अतिरिक्त ईएसआई की मांग पर ईएसआई बकाया पर ब्याज के आधार पर तदर्थ आधार पर और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार राशि ₹50 लाख का भुगतान किया। इन भुगतानों को कंपनी द्वारा 01-04-2021 को खाते की पुस्तकों में पड़ी ₹3727.18 लाख की अवैतनिक देनदारी के विरुद्ध ईएसआई क्षति के लिए बिना किसी आधार के प्रावधान के रूप में समायोजित किया गया है और इस खाते का कुछ भी लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित नहीं किया गया है। इसके अलावा, बाद के वर्ष में कंपनी द्वारा शेष राशि ₹284.36 लाख के भुगतान के लिए, माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के उक्त आदेश के आधार पर ईएसआई योगदान के पिछले बकायों के संबंध में और उस पर ब्याज के लिये कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।

हमारी राय में, लाभ और हानि के विवरण के लिए पूर्वोक्त भुगतानों की ऐसी गैरप्रभारी और बाद के वर्ष में किए गए शेष भुगतान के लिए प्रावधान न करना वर्ष के लिए हानि की कमी को प्रभावित किया है और ये भुगतान वर्ष के अंत में देय वैधानिक देनदारियों की सीमा तक है।

ख) वैधानिक देनदारियों में फ्रिज बेनिफिट टैक्स ₹8.93 लाख की देयता, व्यावसायिक कर पर ₹68.69 लाख का ब्याज, बहुत लंबे समय से आगे बढ़ाए जा रहे पीएफ पर नुकसान देय और उसपर ब्याज ₹903.05 लाख की देनदारी भी शामिल है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

ग) दलवार विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचना के अभाव में, भुगतान आयुक्त के असंवितरित दावे के संबंध में: ₹40.29 लाख; प्रदर्शन गारंटी: ₹57.47 लाख, पार्टियों से अग्रिम: ₹98.83 लाख और सुरक्षा जमा/ईएमडी में शामिल पुरानी बकाया राशि प्राप्त: विवरण की कमी के कारण इसकी राशि का पता नहीं लगाया जा सका। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या इनमें से अधिकांश वस्तुओं के लिए जो बहुत पुरानी बताई गई हैं, पर्याप्त रूप से इसे प्रदान किया गया है।

घ) ₹320.60 लाख की अवैतनिक मजदूरी के लेनदारों में कुल ₹226.55 लाख की पुरानी बकाया देयता वीआरएस देय, ग्रेच्युटी देय और बकाया वेतन देय के कारण शामिल है। कंपनी कर्मचारियों से संबंधित भुगतानों के प्रति देयता के रूप में पुराने शेष को बनाए रख रही है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, श्रम मामलों में कुल वित्तीय आकस्मिक देयता, अब तक प्रबंधन द्वारा कई मामलों में पता लगाने पर ₹6866.00 लाख आता है।

ङ) अवैतनिक दरें, कर और उपकर, शुल्क आदि ₹0.99 लाख, व्यावसायिक कर ₹0.12 लाख, सेवाकर ₹1.69 लाख, टीडीएस ₹0.99 लाख, अन्य दरें और कर ₹109.97 लाख जिन्हें लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, हम कंपनी के मामलों के विवरण पर इन मामलों के प्रभाव और लाभ और हानि के विवरण पर संबंधित प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।



प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों को समग्र रूप से संबोधित किया गया, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग एसए 701 के अनुसार, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा उसपर अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध में शामिल जानकारी है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और, ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और उन पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिये शासन का प्रभार है

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनियों अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में हैं एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन और कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चल रही संस्था से संबंधित मामले आकलन करने के लिए जिम्मेदार है और जब तक निदेशक मंडल का या तो परिसमापन करने का इरादा नहीं है, तब तक लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना कंपनी या संचालन बंद करने के लिए, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र स्तर से भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयानी के मौजूद होने का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत स्तर से या कुल मिलाकर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोग कर्ताओं की आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी योग्य राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हम अन्य मामलों के साथसाथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुबंधण में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं जो आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट है।



2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
- (ख) बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसकि बहियों की जाँच से प्रतीत होता है।
- (ग) इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नगदी प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
- (घ) बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नगदी प्रवाह का विवरण अधिनियम की धारा 133 कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ) हमारी राय में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामले, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- (च) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अधिसूचना की संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।
- (छ) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार में बताई गई है।
- (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक बी में देखें।
- (झ) चूंकि कंपनी निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दे रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- पूर्ण विवरण के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के पूर्ण प्रभाव का खुलासा किया है या नहीं।
 - कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान हुआ था।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई कोष नहीं है (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल में भौतिक हैं) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में अग्रिम या ऋण या निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी अन्य स्रोत या कोष के प्रकार से), इस समझ के साथ, फिर चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उनकी ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करेगा।
- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी कोष प्राप्त नहीं किया गया है (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग दलों") शामिल है समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।

(ग) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन उपरोक्त (क) और (ख) के तहत दिए गए, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

v. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 में निहित प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के जवाब में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी के पास अपनी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। लेखांकन सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के खातों का रखरखाव किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के खातों का समेकन एक अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से किया जाता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली डेटा अखंडता के अभाव की गुंजाइश छोड़ती है और लेखा परीक्षा जोखिम बढ़ती है।

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

(iii) (क) कंपनी के पास ब्याज मुक्त ऋण है जो कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) और वीआईएफआर द्वारा अनुमोदित दीर्घावधि उधार के रूप में स्वीकृत ले रही है।

(ख) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण प्राप्त किया है, जिस पर से 31 मार्च 1994 से ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान में चूक हुई है। 31.03.2022 को ऋण और अवैतनिक ब्याज की संचित शेष राशि ₹1590.09 लाख है। ऋण दस्तावेजों के अभाव में, नियम शर्तें, किए गए ब्याज प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 3 में बताया गया है, कंपनी को 1988-89 में बिहार सरकार और आईजेआईआरए से अनुदान और 198283 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से सब्सिडी प्राप्त हुई थी। ऐसे अनुदान/सब्सिडी के विस्तृत कागजात के साथसाथ ऐसे अनुदान से अर्जित संपत्ति हमें उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

सझेदार

सदस्यता संख्या: 059144

यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवि5356

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23.09.2022



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-ए

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) (क) (ए) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में पर्याप्त जानकारी की कमी होती है, जैसे पहचान को संभव बनाने के लिए संपत्ति का विवरण, उसकी स्थान/स्थिति, खरीद का वर्ष, पुनर्मूल्यांकन या हानि के कारण किए गए समायोजन, यदि कोई हो, उसका उपयोगी जीवन और, कंपनी की कुछ इकाइयों में भूमि के मामले में, उसका भूखंडवार विवरण और विनिर्देश चाहे फ्री होल्ड, लीज होल्ड या स्थयी पट्टा हो। इसके अलावा, कंपनी ने पिछले कई सालों से इन रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं किया है।

(बी) कंपनी की किताबों में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

- (ख) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कर सका। किसी भौतिक सत्यापन के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगति मौजूद है।

इसके अलावा, हमें सूचित किया गया है कि कंपनी की चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन और मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक मूल्यांकक नियुक्त किया गया था। उक्त मूल्यांकक ने 12-02-2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों में उनके द्वारा भौतिक स्तर से पाए गए चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं का अनुमानित बाजार मूल्य और वसूली योग्य मूल्य दिखाया गया है, लेकिन विसंगतियों, यदि कोई हो तो कंपनी द्वारा 31 मार्च 2022 तक की विसंगतियों की पहचान नहीं की गई और उसे हिसाब में नहीं लिया गया।

हमें आगे सूचित किया गया है कि संपत्ति (संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और भूमि) का सत्यापन भी एक बाहरी एजेंसी यानी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, केंद्र सरकार के पीएसयू के माध्यम से प्रीएलाएमए गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अंतिम चरण में है।

- (ग) हालांकि हमारे सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा भूमि के विभिन्न भूखंडों के संबंध में कई शीर्षक विलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्हें कंपनी द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर रखी गई अचल संपत्तियों के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रिकॉर्ड में पर्याप्त विवरण के अभाव में, रखे गए अभिलेखों से ठीक से जोड़ा नहीं जा सका। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से किए गए अधिकारों के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, कंपनी की निम्नलिखित अचल संपत्तियों के शीर्षक उसके नाम पर नहीं हैं:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

अचल संपत्ति का विवरण कंपनी के नाम पर नहीं है						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (राशि ₹ में)	के नाम पर प्रदर्शित होने वाले अधिकारों के रिकॉर्ड में संपत्ति पर शीर्षक	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक के संबंधी या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है।	दिनांक से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	इस इकाई की कुल भूमि की सकल अग्रणीत राशि ₹ 134752/ का प्लॉटवार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं होने के कारण पता नहीं लगाया जा सका	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	हालांकि, जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार, सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में निहित थीं, एनजेएमसी के नाम पर इसका हस्तांतरण अभी भी लंबित है। अलीपुर रोड पर भूमि और भवन के मामले में, स्वामित्व मुकदमेबाजी के अधीन है। कालिम्पोंग में भूमि के संबंध में, जिसे लीज होल्ड बताया गया था, कंपनी के पास लीज समझौते की प्रति उपलब्ध नहीं थी।
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 3,183.01	मयारानी देवी	लागु नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 240384.99 में शामिल अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागु नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट किन्निसन	एफएआर में उल्लिखित ₹ 7911000/ में शामिल अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	किन्निसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट किन्निसन		द केबल चुट कंपनी लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - खरदाह इकाई	₹ 515136.00	खरदाह कंपनी लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	
	कालिम्पोंग में भूमि - यूनिट आरबीएचएम	₹ 2700000.00	ब्रिटिश भारत निगम	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	
	जमीन - अलीपुर रोड	₹ 486,332.00	मैकिनॉन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भवन - अलीपुर रोड	₹ 2,00,000.00	मैकिनॉन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	लागु नहीं	21 दिसंबर 1980	



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

जैसा कि हमें सूचित और समझाया गया है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18 ए की उपधारा (1) के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट निर्माण कंपनियों के प्रबंधन का अधिग्रहण किया गया था और उसके बाद इन कंपनियों की सभी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व सक्षम विधानों के माध्यम से केंद्र सरकार में निहित कर दिया गया। नेशनल जूट मिल को नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीयकृत किया गया और शेष पांच कंपनियों को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीयकृत किया गया था। इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों का स्वामित्व एनजेएमसी लिमिटेड को निहित किया गया था, जो 3 जून 1980 को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कंपनी थी (10 जून, 1980 से राष्ट्रीय जूट मिल और 21 दिसंबर, 1980 से शेष पांच मिलें)। हमें यह सूचित किया गया था कि इन इकाइयों से संबंधित कुछ भूमि के संबंध में शीर्षक विलेख, लगभग 20 एकड़ का कुल क्षेत्रफल, हालांकि अधिकारों के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है, पर कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

- (घ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ इमारतों का एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया था। पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य भवनों के बुक वैल्यू से अधिक थे। हालांकि, खाते की किताबों में इस तरह के मूल्यांकन का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है। इस संबंध में, हमें सूचित किया गया है कि इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव की जानकारी नहीं दी गई क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही 10.10.2018 को कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी है और समापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूर्व एलएमए कार्य (सत्यापन, मूल्यांकन और सभी चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन) एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एक केंद्रीय सरकार, पीएसयू के माध्यम से चल रहा है। हमें आगे सूचित किया गया कि एनबीसीसी (आई) लिमिटेड की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
- (ङ) जैसा कि कंपनी द्वारा हमें सूचित और समझाया गया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या न ही लंबित है।
- (ii) (क) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, प्रबंधन द्वारा किसी भी नियमित अंतराल पर मालसूची मालसूची का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत के बाद आरबीएचएम कटिहार, खरदाह जूट मिल और किन्सिन जूट मिल में पड़ी कंपनी की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त की गई थी। उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, भौतिक मात्राओं को सत्यापित करने या मिलान करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए कोई रजिस्टर या रिकॉर्ड नहीं मिला। किसी भी स्टॉक रजिस्टर या रिकॉर्ड के अभाव में, भौतिक मात्राओं को उनके द्वारा अंतिम स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 15.09.2021 में दर्शाई गई मात्राओं के संदर्भ में सत्यापित किया गया था, और इस तरह के सत्यापन पर इन्वेंट्री की मात्रा में कोई विसंगति नहीं बताई गई है। 15.09.2021 की अंतिम स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कच्चे जूट और तैयार माल के शुरुआती स्टॉक के बही मूल्य और उनके द्वारा विचार किए गए मूल्य के बीच के अंतर को कंपनी द्वारा मूल्य के राइट डाउन के माध्यम से वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है। माल की सूची, लाभ के विवरण में प्रभरित किय गया है। हालांकि, खराब भंडारण की स्थिति, समय बीतने और कंपनी की मिलों के गैरसंचालन के कारण इन्वेंट्री के मूल्य में गिरावट, जो सभी बहुत पुरानी हैं, जैसा कि उक्त स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 में बताया गया है, न तो निर्धारित किया गया है और न ही समायोजित किया गया है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और कंपनी की बही खातों के अनुसार, वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी ऋण नहीं है।
- (iii) (क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कोई अन्य पार्टियां को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- (ए) हालांकि वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया था, कंपनी ने पिछले वर्षों में अपनी सहायक कंपनी को असुरक्षित ऋण और अग्रिम प्रदान किया है। 31.03.2022 तक ऐसे ऋण और अग्रिमों की शेष राशि कुल ₹ 3814.96 लाख, ब्याज सहित तुलन पत्र तिथि के अनुसार ₹ 4898.10 लाख थी।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- (बी) पहले के वर्षों में, कंपनी ने एक अन्य पार्टी को गैर-ब्याज वाला ऋण भी दिया है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। तुलन पत्र तिथि के अनुसार उक्त ऋण की शेष राशि ₹1078.21 लाख है।
- (ख) जिन नियमों और शर्तों पर सहायक कंपनी को पहले के वर्षों में ऋण और अग्रिम दिए गए थे, वे हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे और इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या वे कंपनी के हित के प्रतिकूल थे। पूर्वोक्त अन्य पार्टी को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण के संबंध में, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, हमें प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के अनुसार दिया गया था और इसलिए, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए।
- (ग) जिन नियमों और शर्तों पर सहायक कंपनी को पहले के वर्षों में ऋण और अग्रिम दिए गए थे, वे हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे और इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या नियत तारीखों के संबंध में ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए कोई स्पष्ट शर्त है या नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है और परिणामस्वरूप उक्त ऋण को संदिग्ध माना जा रहा है लेकिन कंपनी अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण पर सहमत दरों पर ब्याज ले रही है और इसके लिए टीडीएस का शुद्ध प्रावधान भी किया है चूंकि राशि की वसूली संदिग्ध मानी जा रही है। पूर्वोक्त अन्य पक्ष को पिछले वर्ष में दिए गए ब्याज मुक्त ऋण के संबंध में, उक्त ऋण पार्टी द्वारा अपनी संपत्ति की बिक्री आय से ऋण के संवितरण की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जाना था। उक्त पार्टी ने अपने ई-मेल दिनांक 28.01.2021 के माध्यम से, कंपनी से अनुरोध किया है कि चुकौती के लिए निर्धारित समय को दो साल की एक और अवधि तक या एमओटी के अगले निर्देश तक बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टी समापन की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है। बोर्ड की 189वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि कपड़ा मंत्रालय को एक पत्र भेजा जा सकता है जिसमें ऋण चुकौती के लिए समय अवधि के अनुरोधित विस्तार और आवश्यक सलाह प्राप्त करने के बारे में तथ्य शामिल हों।
- (घ) पिछले वर्षों में सहायक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिमों के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में, हम अंतिम शेष में शामिल 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि निर्दिष्ट करने में असमर्थ हैं। तुलन पत्र तिथि के अनुसार ₹4898.10 लाख के समापन शेष में शामिल 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि को निर्दिष्ट करने के लिए, जिसमें उस तिथि तक कुल ₹3814.96 लाख का ब्याज शामिल है। हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने सहायक कंपनी को बंद करने की घोषणा की है और वसूली, यदि कोई हो, सहायक कंपनी द्वारा अपनी संपत्तियों के निपटान के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली निधियों से की जाएगी। एक अन्य पार्टी को दिए गए गैरब्याज वाले ऋण के संबंध में, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, मूल रूप से निर्धारित शर्तों के आधार पर ₹1078.21 लाख की शेष राशि 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय है। जैसा कि पूर्वोक्त है, उक्त पार्टी ने अपने ईमेल दिनांक 28.01.2021 के माध्यम से कंपनी से अनुरोध किया है कि चुकौती के लिए निर्धारित समय को दो साल की और अवधि तक या एमओटी के अगले निर्देश तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यह पार्टी बंद होने की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है। बोर्ड की 189वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वस्त्र मंत्रालय को एक पत्र भेजा जा सकता है जिसमें ऋण चुकौती के लिए समय अवधि के अनुरोधित विस्तार के संबंध में तथ्य बताते हुए आवश्यक सलाह प्राप्त करने के लिए यह बताया गया हो।
- (ङ) पहले के खंड में जो कहा गया है, उसे छोड़कर, कंपनी ने समान पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋणों का नवीनीकरण या विस्तार या अनुदान नहीं दिया है। इसके नवीनीकरण के निर्णय की प्रतीक्षा में पूर्वोक्त ऋण की राशि ₹1078.21 लाख है। वर्ष के दौरान ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।
- (च) कंपनी ने, वर्ष के दौरान, ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, जो या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना या तो मांग पर चुकाया जा सकता है। अनुषंगियों को पहले के वर्षों में दिए गए ऋणों या



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

अग्रिमों के संबंध में, जिन शर्तों पर उन्हें प्रदान किया गया था, वे हमें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं और इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या वे चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य थे।

- iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण, निवेश, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करती है।
- v) हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी कानून बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अदालत या कोई अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- vi) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थी जो अधिनियम की धारा 148 के तहत लागत रिकॉर्ड के खरखाव को आकर्षित करती हो।
- vii)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर अपने मौजूदा निर्विवाद वैधानिक देय राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित थी सिवाय:

संपत्ति कर खरदाह: ₹4.64 लाख

भू-किराया कटिहार के देरी से भुगतान के लिए जुर्माना: ₹2.81 लाख

हालांकि, कई पुराने बकाया वैधानिक बकाया लंबे समय से अवैतनिक पड़े हुए हैं, जिनके भुगतान न करने के लिए कोई उचित विवरण और अन्य स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- क) भविष्य निधि के लिए नुकसान (ब्याज सहित): ₹903.05 लाख
- ख) कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नुकसान (ब्याज सहित): ₹3524.37 लाख
- ग) व्यवसाय कर (ब्याज सहित): ₹69.55 लाख
- घ) अनुषंगी लाभ कर: ₹8.92 लाख
- ङ) वैट/सीएसटी: ₹18.74 लाख
- च) उपकर और शुल्क (कच्चे जूट कर सहित): ₹0.99 लाख
- छ) सेवा कर: ₹1.72 लाख
- ज) टीडीएस: ₹0.99 लाख
- झ) अन्य दरें और कर: ₹109.96 लाख
- ञ) आयकर: ₹0.09 लाख

इसके अलावा उचित स्पष्टीकरण के लिए किसी सहायक दस्तावेज के अभाव में हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि उपरोक्त वैधानिक देय राशि का भुगतान न करने के लिए कोई विवाद मौजूद है या नहीं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है:

कानून की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	मंच जहां विवाद लंबित	देय राशि (₹ लाख में)	किस अवधि तक देय
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	उप-आयुक्त, सेवा कर	0.10	बहुत पुराना
पश्चिम बंगाल मूल्य जोड़ा कर, 2003	सीएसटी	डिप्टी के आयुक्त वाणिज्यिक कर	223.08	2010-11 से 2017-18



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में प्रकट वर्ष के दौरान कोई अघोषित आय नहीं है।

ix)(क) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी की पुस्तकों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31.03.2022 तक पश्चिम बंगाल सरकार से लिए गए ऋण की राशि ₹1590.09 लाख (ब्याज सहित ₹1308.61 लाख) के पुनर्भुगतान में का भुगतान करने में चूक की है। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्राप्य मुआवजे के खिलाफ मूल राशि के समायोजन के लिए अनुरोध किया है और देय ब्याज में से ₹922 लाख को सॉफ्ट लोन में परिवर्तित किया है जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4 की अतिरिक्त जानकारी में बताया गया है। हालांकि, इस संबंध में कोई दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका। चूंकि ऋण के नियम और शर्तें हमें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं, इसलिए हम विलंबित दिनों की संख्या और देय तिथि के भीतर भुगतान नहीं की गई राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर राशि का भुगतान नहीं किया गया	मूलधन/ब्याज	विलंब के दिनों की संख्या	टिप्पणियां
असुरक्षित ऋण	पश्चिम बंगाल सरकार	₹281.48 लाख	मूलधन	1994 से	हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने भूमि अधिग्रहण पर प्राप्त होने वाले मुआवजे के खिलाफ मूल राशि को समायोजित करने और देय कुल ब्याज में से ₹922 लाख को सॉफ्ट लोन में बदलने का अनुरोध किया है। अभी तक कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है।
वही	वही	₹1308.61 लाख	ब्याज	1994 और उसके बाद के वर्ष	

- (ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलंबित डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है;
- (ग) कंपनी ने बीते वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया है। हालांकि, जिन नियमों और शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है, जिसमें वह उद्देश्य भी शामिल है जिसके लिए ऐसे ऋण स्वीकृत किए गए थे, हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अल्पावधि के आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और तदनुसार आदेश के पैरा 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें समझाया गया है और सूचित किया गया है।
- (च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।
- x) (क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। कंपनी ने बीते वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया है। हालांकि, जिन नियमों और शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है, जिसमें वह उद्देश्य भी शामिल है जिसके लिए ऐसे ऋण स्वीकृत किए गए थे, हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक स्ख से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है।
- xviii)(क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किए गए कंपनी के खातों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के दौरान, हमें वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला देखने को मिला है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की सूचना दी गई है।
- (ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।
- xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और इस तरह के लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक के रूप में प्रकट किया गया है।
- xiv)(क) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पूरे वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली वार्षिक रिपोर्ट की प्रकृति की है। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवधिकता कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
- (ख) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।
- xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।
- xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi) लागू नहीं होता है।
- xvii) वित्तीय वर्ष 2021-22 में नकद घाटा ₹318.93 लाख है जो ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में ₹98.99 लाख था।
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- xix) वित्तीय अनुपातों के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक का ज्ञान, और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारी राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार पूरा करने में सक्षम है बैलेंस शीट से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब वे देय हों। हालांकि हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी के पास तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैर तात्कालिक



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

परिसंपत्ति है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा, जब वे देय हों।

- xx) चूंकि कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xxi) चूंकि हमारी रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों पर नहीं है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या: 059144

यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवि5356

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23.09.2022



अनुलग्नक-बी

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों आधार के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शन नोट”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिये लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निदेश जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रख रखाव किया गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना कि क्या एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और करना शामिल है। जो चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किये जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरण पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, परिस्थितियों में परिवर्तन का कारण या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंड पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे नियंत्रण पर्यावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियों, सूचना प्रणाली और संचार और निगरानी आईसीएआई द्वारा जारी किये गये हैं। उनके आधार पर बोर्ड की रिपोर्ट में जोखिम के तत्वों की पहचान सहित कंपनी के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति भी शामिल नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 31.03.2022 को कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर अपर्याप्त है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय में लागू किये गये लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उन्नर दी गई योग्य राय पर विचार किया है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या: 059144

यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवि5356

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23.09.2022



31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
(ए) इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधि:					
(क) शेयर पूंजी	2	5,579.74		5,579.74	
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	3	(28,431.31)	(22,851.57)	(28,078.08)	(22,498.34)
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधार	4	21,852.89		21,852.89	
(ख) दीर्घावधि प्रावधान	5	10.08	21,862.97	11.52	21,864.41
(3) चालू देयताएं					
(क) व्यापारिक देय	6				
(i) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं का बकाया राशि		112.58		112.58	
(ii) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं के अलावा बकाया राशि		1,943.41		1,981.38	
(ग) अन्य चालू देयताएं	7	6,736.13		6,880.47	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	8	189.08	8,981.19	189.08	9,163.51
कुल			7,992.59		8,529.58
(बी) परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9				
(i) प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां		885.92		918.02	
(ii) पूंजी कार्य प्रगति पर		-		-	
(ख) गैर चालू निवेश	10	-		-	
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	1,781.61	2,667.53	-	918.02
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) वस्तुसूची	12	585.32		627.31	
(ख) व्यापारिक प्राप्य	13	-		-	
(ग) नकद एवं बैंक में जमा राशि	14	2,527.93		4,755.58	
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	2,097.39		1,978.30	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	114.42	5,325.06	250.37	7,611.56
कुल			7,992.59		8,529.58

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार 1
 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 25
 अतिरिक्त नियामक जानकारी 26
 नोट 1-26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.
 सनदी लेखाकार
 पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
 साझेदार
 सदस्यता सं. 059144
 यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवी5356

स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 23.09.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
 कंपनी सचिव
 सदस्यता सं. 52405



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
1 परिचालन से राजस्व	17	-	-
2 अन्य आय	18	344.00	357.90
3 कुल आय (1 + 2)		344.00	357.90
व्यय			
(क) खपत किये गये कच्चे माल की लागत	19	-	-
(ख) निर्मित वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर	20	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	21	86.53	67.74
(घ) वित्त लागत	22	36.36	35.53
(ङ) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	9	34.20	39.96
(च) अन्य व्यय	23	498.05	453.60
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)		655.14	596.83
5 आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (3-4)		(311.14)	(238.94)
6 आपवादिक मदें		41.99	-
7 असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (5+6)		(353.13)	(238.94)
8 आपवादिक मदें		-	-
9 कर से पहले लाभ/(हानि) (7-8)		(353.13)	(238.94)
10 कर खर्च			
(क) वर्तमान कर		-	-
(ख) आस्थगित कर		-	-
11 वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		(353.13)	(238.94)
12 प्रति इक्वीटी शेयर उपार्जन	24		
(रु. में प्रति इक्वीटी शेयर रु. 1,000/-)			
मूल		(63.29)	(42.82)
मिश्रित		(63.29)	(42.82)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

1

अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

25

अतिरिक्त नियामक जानकारी

26

नोट 1-26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता सं. 059144

यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवी5356

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23.09.2022

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 52405



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए. परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह				
असाधारण मद एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		(353.13)		(238.94)
समायोजन हेतु :				
उधार पर ब्याज	36.36		40.14	
मूल्यहास	34.20		39.96	
पूर्व अवधि का मूल्यहास	0.39		-	
लाभांश आय	(0.11)		-	
इन्वेंट्री के मूल्य को लिखें	41.99		-	
बैंक जमा पर ब्याज आय	(234.63)		(267.55)	
सरकारी अनुदान (आरक्षित) हेतु समायोजन	(0.10)	(121.91)	(0.10)	(187.54)
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(475.04)		(426.48)
अल्प ऋण एवं अग्रिम में बढ़ोत्तरी	(119.09)		(27.94)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	132.59		(55.93)	
व्यापारिक देय में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(37.98)		23.67	
अन्य वर्तमान देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(180.70)		(18.94)	
दीर्घावधि प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(1.44)		-	
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से शुद्ध नकद प्रवाह		(206.61)		(79.14)
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (ए)		(681.65)		(505.61)
बी. निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह				
सावधि जमा राशि में बढ़ोत्तरी/(कमी)	533.53		(831.91)	
निश्चित परिसंपत्तियों की खरीद	(2.49)		(0.71)	
लाभांश आय	0.11		-	
सावधि जमा राशि पर ब्याज	237.99	769.14	267.55	(565.07)
निवेश क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (बी)		769.14		(565.07)
सी. वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		-		-
निवेश क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (सी)		-		-
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी) (ए+बी+सी)		87.49		(1,070.68)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		131.38		1,202.06
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		218.87		131.38



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह (जारी)

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए)	नकद और नकद उपकरण का घटक				
	(i) बैंक खाते में		40.17		130.94
	(ii) नकद हाथ में		0.09		0.44
	(iii) अल्पावधि सावधि जमा		178.61		-
			218.87		131.38

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार 1
अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 25
अतिरिक्त नियामक जानकारी 26
नोट 1-26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवी5356

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 23.09.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कंपनी (लेखा) नियम 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के अन्तर्गत और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान, लागू सीमा तक निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए। कंपनी लेखांकन की मर्केटाइल प्रणाली का अनुसरण करती है तथा आय एवं व्यय को वास्तविक आकड़ों के आधार पर मान्यता देती है।

1.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं के मामले में लागत/पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताया गया है, जिनका वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया था। राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को राष्ट्रीयकरण की तिथि पर उनके बही मूल्य पर बताया जा रहा है।

1.2.2 मूल्यहास:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

1.3 निवेश

कंपनी द्वारा धारित निवेश गैर-चालू निवेश की प्रकृति के हैं और राष्ट्रीयकरण की तिथि के अनुसार बही मूल्य पर या बाद में किए गए निवेश के संबंध में अधिग्रहण/खरीद की लागत पर किए जा रहे हैं। गैर-वर्तमान निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान तब किया जाता है जब इसे स्थायी प्रकृति का माना जाता है। वर्तमान निवेश, यदि कोई हो, लागत से कम और उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.4 इन्वेंटरी

1.4.1 कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जिसे एफआईएफओ के आधार पर निर्धारित किया जाता है, या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इसमें से जो भी कम हो।

1.4.2 निर्मित वस्तुओं का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत और लागू निर्माण करने में आनेवाले बंधे खर्च शामिल हैं।

1.4.3 कार्यप्रक्रिया का मूल्यांकन प्रसंस्करण के विशिष्ट चरण के प्रतिशत के आधार पर अनुमानित लागत पर किया जाता है, या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इसमें से जो भी कम हो।

1.4.4 भंडार और अतिरिक्त समानों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

1.5 राजस्व अभिज्ञान

राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है जब यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है। माल की बिक्री, यदि कोई हो, को तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल खरीदार को हस्तांतरित किए जाते हैं। सेवाओं की बिक्री से राजस्व, यदि कोई हो, ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने पर पहचाना जाता है।

1.6 सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

कंपनी के पेंशन पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। वर्ष के दौरान सभी कर्मचारी संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत थे। इसलिए किसी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।



टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां: (जारी)

लघु अवधि के कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की थी।
ग्रेच्युटी: तुलनपत्र की तिथि के अनुसार पंजी में दर्ज कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर की जाती है।

छुट्टी भुनाने का लाभ: तुलनपत्र की तिथि के अनुसार छुट्टी भुनाने का लाभ हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

1.7 कराधान के लिए लेखांकन

वर्तमान कर को कर योग्य आय पर देय कर की राशि के रूप में वर्ष के लिये निर्धारित किया जाता है। बही और कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतर के लिए आस्थगित कर, वर्ष के लिए कर दरों और कानूनों का उपयोग करने के लिए हिसाब लगाया जाता है जो बैलेंस शीट तिथि के अनुसार अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं। समय के अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता दी जाती है और केवल इस हद तक आगे बढ़ाया जाता है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में संपत्ति का एहसास होगा।

1.8 प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

1.9 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

आकस्मिकताएं जो भौतिक हैं और भविष्य के परिणाम जिनके बारे में उचित निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी में नोट के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

1.10 नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकद समकक्षों में चालू और अल्पावधि सावधि जमा खातों में नकदी और बैंक शेष शामिल हैं, यदि कोई हो।

1.11 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन, यदि कोई हो, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक संपत्ति और विदेशी मुद्रा में निहित देनदारियों को तुलनपत्र की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.12 संपत्तियों की क्षति

यदि संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की अग्रणीत राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो वहन राशि वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य द्वारा निर्धारित उपयोग में मूल्य के रूप में मापा जाता है।

1.13 उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार उधार लागतों को ऐसी संपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। क्वालीफाइंग एसेट एक ऐसी एसेट है जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।



टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां: (जारी)

अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी, जिसके लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

1.15 पट्टे

पट्टों पर लेखांकन मानक 19 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई वित्तीय पट्टा समझौता लागू नहीं है।

1.16 अमूर्त संपत्ति

कंपनी के पास रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्राधिकृत		
1,000 रु का प्रत्येक शेयर की 600000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 तक: 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता		
1,000 रु का प्रत्येक शेयर की 557974 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 तक: 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	5579.74	5579.74

अतिरिक्त सूचना

- क) कुल 557974 शेयर में से रु.1000/- का प्रत्येक शेयर की 366000 इक्विटी शेयर का आवंटन पूर्णरूपेण चुकता शेयर के रूप में राष्ट्रीयकरण समायोजन लेखा के विरुद्ध किया गया है जो नकद में प्राप्त किए गए का भुगतान किये बिना है।
- ख) वर्ष के प्रारंभ एवं समाप्ति तक बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/प्रचलन नहीं हुआ है।
- ग) कंपनी के पास रु.1000/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का सिर्फ एक ही वर्ग है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश हेतु समान अधिकार है।
- घ) तुलनपत्र तैयार करने की तारीख से ठीक पहले पांच साल की अवधि के लिए:
- कंपनी ने नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना किसी भी अनुबंध के अनुसार पूर्ण भुगतान के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने बोनस शेयरों के रूप में पूर्ण प्रदत्त कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।
- ङ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के शेयरधारकगण:

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
माननीय भारत के राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98



टिप्पणी-2 शेयर पूंजी (जारी)

च) प्रमोटरों की शेयरधारिता

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
माननीय भारत के राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार	1	0.01	1	0.01
आर्थिक सलाहकार	1	0.01	1	0.01
वर्ष के दौरान परिवर्तनों का प्रतिशत	शून्य	शून्य		

टिप्पणी-3 रिजर्व एवं अधिशेष

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
सरकारी अनुदान के विरुद्ध पूंजी रिजर्व		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	0.89	0.99
योग: वर्ष के दौरान योग/हस्तांतरित	-	-
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	0.10	0.10
अंतिम जमा शेष राशि	0.79	0.89
पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	441.81	441.81
योग: वर्ष के दौरान योग	-	-
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	-	-
अंतिम जमा शेष राशि	441.81	441.81
लाभ-हानि के विवरण में (कमी)		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	(28,520.78)	(28,281.84)
लाभ-हानि के विवरण में जमा शेष राशि	(353.13)	(238.94)
अंतिम जमा शेष राशि	(28,873.91)	(28,520.78)
कुल	(28,431.31)	(28,078.08)

अतिरिक्त सूचना

पूंजी रिजर्व

- क) आरबीएचएम के संबंध में बिहार सरकार से वर्ष 1988-89 में निश्चित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु.150 लाख के विरुद्ध जो उक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है एवं यूनिट किन्सिन के संबंध में आईजेआईआरए से वर्ष 1988-89 में यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु.5.44 लाख के विरुद्ध जो उपरोक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है।
- 0.67 0.77
- ख) यूनिट किन्सिन के संबंध में प. बं. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वर्ष 1982-83 में कैपिटल डीजल पावर जनरेशन सेट की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान राशि रु.6.97 राशि में से आर्थिक सहायता के रूप में जमा शेष राशि रु.0.01 लाख जो अधिग्रहण की तारीख से मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है (विगत वर्ष रु.0.01 लाख)।
- 0.01 0.01



टिप्पणी-3 रिजर्व एवं अधिशेष (जारी)

ग) यूनिट आरबीएचएम के संबंध में राष्ट्रीयकरण की तारीख तक निवेश का बाजार मूल्य एवं बही मूल्य के बीच अंतर।	0.11	0.11
	<u>0.79</u>	<u>0.89</u>

पूनर्मूल्यांकन रिजर्व

31.03.1993 तक के पूनर्मूल्यांकित राशि (वर्ष 1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) एवं बही मूल्य के बीच अंतर जो यूनिट आरबीएचएम से संबंधित कटिहार में स्थित भूमि तथा कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज में स्थित भूमि एवं भवन के संबंध में है (संदर्भ: निश्चित परिसंपत्तियों से संबंधित टिप्पणी सं.10 में अतिरिक्त सूचना सं.5 एवं 6)।	441.81	441.81
	<u>441.81</u>	<u>441.81</u>

टिप्पणी-4 दीर्घावधि उधार

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) अन्य ऋण और अग्रिम (असुरक्षित)		
i) भारत सरकार से	21,571.41	21,571.41
ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
कुल	21,852.89	21,852.89

अतिरिक्त सूचना

- क) भारत सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त ऋण आर्थिक मामले से संबंधित कैबिनेट समिति (सीसीईए) एवं बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्संरचना/पूनर्जीविता योजना के अनुसार ब्याज रहित है। 2018-19 के दौरान कंपनी ने बंद से संबंधित अधिसूचना के शर्तानुसार 20000 लाख रु. वापस कर दिया है।
- ख) कंपनी ने भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त उपरोक्त ऋण के लिए कोई प्रतिभूति अथवा गारंटी नहीं दी है।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित के लिए ऋण एवं ब्याज को वापस करने में चूक की है।

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण :				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	<u>1,308.61</u>	31.03.1994 से	<u>1,272.25</u>
कुल		<u>1,590.09</u>		<u>1,553.73</u>

घ) कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित के लिए औपचारिक सहमति अभी भी प्राप्त करना शेष है:

उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु प्राप्ति योग्य प्रतिपूर्ति के विरुद्ध उपरोक्त मूलधन राशि ₹281.48 लाख का समायोजन जैसा कि निश्चित परिसंपत्तियों पर टिप्पणी संख्या 9 में अतिरिक्त सूचना 3 में दर्शाया गया है एवं बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सॉफ्ट ऋण ग्रहण के उपरोक्त ब्याज की राशि ₹1308.61 लाख (31-03-2021 को: ₹1272.25 लाख) में शामिल उपार्जित ब्याज ₹922 लाख का रूपांतरण।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-5 दीर्घावधि प्रावधान

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान	-	-
ii) ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	10.08	11.52
कुल	10.08	11.52

अतिरिक्त सूचना

- ग्रेच्युटी : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारीगण संविदात्मक आधार पर हैं।
- छुट्टी भुनाना : उपरोक्त में दर्शाये गये आधार पर छुट्टी भुनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मगर जब कभी भुगतान होता है तो वास्तविक भुगतान के प्रभार को राजस्व खाता में दर्शाया जाता है।

टिप्पणी - 6 व्यापारिक देय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
i) सामान, व्यय एवं सेवा हेतु ऋणदाता	1,929.38	1,967.35
ii) व्यापारिक देय पर अर्जित ब्याज	126.61	126.61
कुल	2,055.99	2,093.96

देय व्यापार का ब्रेक-अप और एजिंग शेड्यूल

31.03.2022 तक							
विवरण	बकाया व्यापार देय	व्यापार देय भुगतान देय नहीं है	नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के देनदारियां देय भुगतान				कुल
			1 साल से कम	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	27.83	-	76.60	5.08	0.16	1,861.56	1,971.24
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	27.83	-	76.60	5.08	0.16	1,974.14	2,055.99

31.03.2021 तक							
विवरण	बकाया व्यापार देय	व्यापार देय भुगतान देय नहीं है	नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के देनदारियां देय भुगतान				कुल
			1 साल से कम	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	51.17	-	115.65	0.16	7.03	1,858.54	2,032.55
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	51.17	-	115.65	0.16	7.03	1,971.12	2,093.96



टिप्पणी-6 व्यापारिक देय (जारी)

(रु. लाख में)

iii) एमएसएमई देय राशि का ब्रेक-अप ऊपर दिखाया गया है

- क) वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि
ख) पिछले वर्ष के अंत तक बकाया एवं देय ब्याज
कुल

31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
55.06	55.06
57.52	57.52
112.58	112.58

टिप्पणी-7 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

- i) सांविधिक बकाया राशि (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, कर रोकना, उत्पादन शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ और ईएसआई योगदान पर ब्याज/क्षति आदि में अंशदान)
ii) उपाजित और देय ब्याज
iii) भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावे
iv) कार्य-निष्पादन गारंटी
v) प्रतिभुति जमा/ईएमडी
vi) आईएसडीएस निधि पर ब्याज
vii) पार्टियों से अग्रिम
viii) अवैतनिक दरें और कर संपत्ति कर/नगरपालिका कर सहित
ix) कर्मचारी लाभ के लिए देयताएं
x) देय लेखापरीक्षा शुल्क
कुल

31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
4536.35	4738.42
1,308.61	1,272.25
40.29	40.29
57.47	57.47
92.68	85.07
19.02	19.02
98.83	98.83
242.79	227.97
338.15	339.40
1.92	1.73
6,736.13	6,880.47

अतिरिक्त सूचना

- क) ईएसआई निगम द्वारा दावा किए गए ₹3550.11 लाख (पिछले वर्ष ₹3550.11 लाख) और ₹592.24 लाख (पिछले वर्ष ₹592.24 लाख) की क्षति के संबंध में वीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारियों से कंपनी द्वारा मांगी गई छूट और पीएफ आयुक्त क्रमशः अभी भी लंबित हैं।
ख) वर्ष के दौरान एनजेएमसी लिमिटेड ने संघ और राष्ट्रीय मिल के लिए योगदान के लिए ₹152.99 लाख का भुगतान किया है और ईएसआई की मांग और माननीय के बाद के आदेश के खिलाफ ईएसआई बकाया पर ब्याज के आधार पर तदर्थ आधार पर ₹50 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। कोलकाता का उच्च न्यायालय। इस भुगतान को कंपनी द्वारा ईएसआई नुकसान के प्रावधान के रूप में 01.04.2021 को खातों की किताबों में पड़ी ₹3727.18 लाख की बकाया देनदारी के खिलाफ समायोजित किया गया है।
ग) अवैतनिक संपत्ति कर में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता में परिसर के संबंध में प्रदान की गई देयता शामिल है, जो मुकदमेबाजी के अधीन है। प्रदान की गई देयता का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)
मूलधन	66.23	61.78
दंड	7.21	7.21
ब्याज	38.58	38.58
कुल	112.02	107.57

हालांकि न तो एनजेएमसी कोई भुगतान कर रहा है और न ही केएमसी ने कंपनी से कोई मांग की है, उपरोक्त प्रावधान एहतियाती उपाय के रूप में किया जा रहा है क्योंकि उक्त संपत्ति का स्वामित्व विवाद में है।

- घ) कर्मचारी लाभ के लिए देनदारियों में वीआरएस, ग्रेच्युटी, एलटीए, बकाया वेतन आदि के लिए देय कुल ₹243.61 लाख (31.03.2021 तक: ₹243.61 लाख) का पुराना बकाया शामिल है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-8 अल्पकालिक प्रावधान

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
आकस्मिकता हेतु प्रावधान (समाधान होने के उपरांत कामगारों को देय ग्रेच्युटी के खाते में)	189.08	189.08
कुल	189.08	189.08



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

मूर्त परिसंपत्तियां	कुल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	31 मार्च, 2021 तक	योग (+)	कटौती (-)	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष हेतु बकाया मूल्यहास	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	
ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
(क) भूमि - पूर्ण स्वामित्व	605.59	-	-	605.59	-	-	-	605.59	605.59	
(ख) भवन एवं सड़क	1,003.41	-	-	1,003.41	12.76	861.16	142.25	142.25	155.02	
(ग) संयंत्र एवं उपकरण	3,730.16	-	-	3,730.16	19.59	3,600.75	129.41	129.41	149.00	
(घ) फर्निचर एवं फिक्सचर	68.30	-	-	68.30	0.18	65.51	2.79	2.79	2.97	
(ङ) वाहन	47.21	-	-	47.21	0.35	45.29	1.92	1.92	2.27	
(च) कंप्यूटर	67.90	0.71	-	68.61	0.33	66.61	1.99	1.99	1.61	
(छ) रेलवे साइडिंग	1.55	-	-	1.55	-	1.51	0.04	0.04	0.04	
(ज) कार्यालय उपकरण	20.50	1.78	-	22.28	1.00	20.36	1.92	1.92	1.53	
कुल (ए)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	34.20	4,661.19	885.92	885.92	918.02	
विगत वर्ष कुल (ए)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	39.96	4,626.59	918.02	918.02	957.89	
बी) पुंजी कार्य - प्रगति पर	24.86	-	-	24.86	-	-	24.86	24.86	24.86	
बाद : प्रावधान	24.86	-	-	24.86	-	-	24.86	24.86	24.86	
कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
विगत वर्ष कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल निश्चित परिसंपत्तियां (ए+बी)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	34.20	4,661.19	885.92	885.92	918.02	
विगत वर्ष (ए+बी)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	39.96	4,626.59	918.02	918.02	957.89	



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी)

अतिरिक्त सूचना

- 1) भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार, दिनांक 14.06.2018 को कार्यालय ज्ञापन सं.डीपीई/5(1)/2014वित्त(भाग-1) द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से संयंत्र और मशीनरी आदि के निपटान के लिए मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को इनीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई दिनांक 14.06.2018 दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की परिसंपत्तियों के सत्यापन, मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए सौंपा गया है जो पूर्व प्रक्रिया के अधीन है।
- 2) यूनिट एलेक्जेंड्रा से संबंधित संयंत्र और उपकरणों में 8 न. हेराकल मशीनें शामिल हैं जो राष्ट्रीयकरण की तारीख पर तीसरे पक्ष के पास पड़ी हैं।
- 3) भूमि में यूनिट खरदाह से संबंधित लीजहोल्ड भूमि शामिल है, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो सका है।
- 4) भूमि में सरकार द्वारा अधिग्रहित यूनिट खरदाह की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉरपोरेशन लिमिटेड के टीटागढ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए मुआवजा राशि प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 5) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है। पहले के एक वर्ष में कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में कुछ रिकॉर्ड तैयार किए गए थे, जो अधूरे हैं और कई मामलों में विभिन्न प्रासंगिक जानकारी और संपत्ति के उचित विवरण का अभाव है। इसके अलावा, इन अभिलेखों को पिछले कई वर्षों से अद्यतन नहीं किया जा रहा है।
- 6) जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि. में दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को निहित निश्चित परिसंपत्तियों में यूनिट एलेक्जेंड्रा के संबंध में 5, अलीपुर रोड, कोलकत्ता में स्थित भूमि और भवन शामिल है, लेकिन कंपनी के कब्जे में नहीं है। यह संपत्ति उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 [आई(डी एवं आर) अधिनियम, 1951] के तहत एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड के प्रबंधन के अधिग्रहण की तारीख से पहले गिरवी रखी गई थी और इस तरह के अधिग्रहण की तारीख पर "बिक्री के लिए समझौते" के तहत थी। हालांकि, बिक्री समझौते को पूरा नहीं किया गया था और प्रबंधन द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में चुनौती दी गई थी। अंततः 8 सितंबर, 1981 को उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए। इसके उपरांत गिरवीग्राही ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें आइ (डीएन्डआर) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई थी। इसके बाद, एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत 20.12.2019 से राष्ट्रीयकृत किया गया था। परिसंपत्तियां सभी बाधाओं से मुक्त इस निगम को निहित की गई थीं। इसके उपरांत गिरवीग्राही द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर किया गया।

जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और उनकी वैधता को चुनौती दी गई। उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली बंधक द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया और उसके बाद यथास्थिति का एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा पारित किया गया है।

स्थायी वकील मैसर्स फॉक्स एंड मंडल का यह राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर, कोलकाता केंद्र सरकार में निहित है। जिसे पुनः जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1980 की धारा 6 के तहत एनजेएमसी में निहित हो गया है और एनजेएमसी उक्त संपत्ति का मालिक है जो सभी बंधक या ग्रहणाधिकार या भार से मुक्त है। हालांकि, एनजेएमसी ने एमओटी के निर्देश पर उनके पत्र एफ.सं. 17/16/2006 - जेई दिनांक 24/12/2007 जिसमें एमओटी ने एनजेएमसी को कानूनी दृष्टिकोण से



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी)

इस मुद्दे की जांच करने के लिए कहा है। तदनुसार, एनजेएमसी ने इस विषय को विधि न्याय मंत्रालय और कंपनी मामलों के मामले को पत्र संख्या... कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त के माध्यम से संदर्भित किया है और बैरिस्टर श्री अनिंद्य कुमार मित्रा एमओटी को पत्र संख्या एनजेएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के द्वारा अग्रेषित किया गया साथ-ही-साथ उसकी एक प्रति बैरिस्टर श्री अनिंद्य कुमार मित्रा को भी भेजा गया था। एनजेएमसी/सीएमडी/08/239 दिनांक 3 अप्रैल, 2008 की राय हमारे डीलिंग काउंसिल मैसर्स फॉक्स और मंडल की राय के साथ एमओटी ने अपने पत्र संख्या 17/1/2006 - जेई दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के माध्यम से कहा कि श्री अनिंद्य कुमार मित्रा, बैरिस्टर और सीनियर एडवोकेट के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय की बेंच सचिवालय, कोलकाता की राय यह है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर रोड के स्वामित्व को राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार/एनजेएमसी में निहित नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी वकील ने भिन्न राय दी है। एमओटी ने आगे निर्देश दिया कि एनजेएमसी और भारत संघ (एमओटी) की ओर से प्रत्युत्तर स्वरूप उपरोक्त अधिसंख्यक विधिक राय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में उपरोक्त बहुमत कानूनी राय के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जिसमें कानून और न्याय खंडपीठ सचिवालय कोलकाता, से कानूनी राय शामिल है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संपत्ति राष्ट्रीयकरण करने के दौरान एलेक्जेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। हालांकि, हलफनामे जून 2019 को दायर किए गए थे। 2019 में 1981 की रिट याचिका 5292 को बहाल किया गया था, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हुआ और सुनवाई के लिए आया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई और विकास नहीं हुआ है। चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- 7) दिनांक 31.03.1993 की आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मैसर्स एस्जय कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 21.06.2000 को निदेशक मंडल के अनुमोदन से 1999-2000 में 96 बीघे 15 कट्टा, 5 धुर यूनिट आरबीएचएम से संबंधित भूमि का मूल्य ₹373.02 लाख के लिए पूंजीकृत किया गया है।
- 8) आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 31.03.1993 तक के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यूनिट आरबीएचएम की कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज स्थित भूमि का मूल्य जिसमें ₹41.55 लाख का 4.03 एकड़ भूमि शामिल है एवं भवन का मूल्य जिसमें ₹27.24 लाख का भवन शामिल है, का विधिवत अनुमोदन 24 दिसम्बर, 1997 को बोर्ड के निदेशकगण द्वारा किया गया है और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया है।
- 9) वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी द्वारा भूमि का टाइटिल डीड जिसे आईआईबीआई के पास गिरवी रखा गया था, प्राप्त किए गए हैं। कुछ टाइटिल डीड फटी हुई और संदिग्ध स्थिति में हैं। इसलिए भौतिक रूप से इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है।
- 10) खारिज किए गए और/या अप्रचलित के रूप में घोषित संयंत्र और मशीनरी को उनके बही मूल्य पर ₹8.14 लाख (पिछले वर्ष ₹10.01 लाख) की वर्तमान संपत्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने एलेक्जेंड्रा और नेशनल की कुछ अचल संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है, जो सभी बंद इकाइयां हैं।		31.03.2017 को सकल ब्लॉक (₹)	31.03.2017 को डब्ल्यूडीवी (₹)
मिलों का नाम	अचल संपत्तियों का नाम		
एलेक्जेंड्रा	संयंत्र और उपकरण	1,48,276.00	1,483.75
नेशनल	संयंत्र और उपकरण	37,45,379.30	61,424.22
कुल		38,93,655.30	62,907.97



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी)

- 12) कंपनी की राष्ट्रीय मिल इकाई में पड़ी चल अचल संपत्तियों की कुछ वस्तुएँ, जिनका कुल बही मूल्य 31.03.2020 को ₹28422.16 था, वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के समय नहीं पाया गया था। जिसके लिए कंपनी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। सम्मानित सुरक्षा सेवा प्रदाता के साथ मामले के अंतिम समाधान पर इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भी, नेशनल मिल यूनिट के कारखाने के परिसर में चोरी की और घटनाएं हुईं और 31.03.2021 को ₹183559.88 के कुल बुक वैल्यू वाले संयंत्र और मशीनरी की विभिन्न वस्तुओं को सुरक्षा सेवा प्रदान करना द्वारा चोरी के रूप में रिपोर्ट किया गया। कंपनी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में वर्ष के दौरान उक्त चोरी के संबंध में आवश्यक प्राथमिकी दर्ज की है और बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। इस खाते में आवश्यक समायोजन कंपनी द्वारा दायर बीमा दावों के निपटान पर किया जाएगा जो अभी तक बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं।
- 13) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को बंद की घोषणा की। बंद की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रीएलएमए कार्य (सभी चल और अचल संपत्तियों का सत्यापन, मूल्यांकन और मूल्यांकन) एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, केंद्र सरकार के पीएसयू के माध्यम से चल रहा है। यह रिपोर्ट अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने और उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किए जाने के बाद, पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव लेखा पुस्तकों में दिया जाएगा।
- 14) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रोपराइटर द्वारा उनके पक्ष में ₹1106.76 लाख की एवार्ड राशि को सुरक्षित करने के लिए दायर एक आवेदन के अनुसार विशिष्ट दिशा के लिए एक प्रार्थना के साथ एनजेएमसी लिमिटेड को उच्च न्यायालय के रजिस्टर के साथ एवार्ड राशि जमा करने के लिए और एनजेएमसी लिमिटेड की अचल संपत्तियों के निपटान के लिए एनजेएमसी पर निषेधाज्ञा की प्रार्थना के साथ एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्ति की कस्टडी लेने के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए भी दिया गया। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2022 द्वारा उपरोक्त पक्ष के पक्ष में उक्त आवेदन की अनुमति दी है। कंपनी ने एलडी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ पारित एवार्ड की वैधता को चुनौती देकर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन किया है।
- 15) फ्रीहोल्ड भूमि में आरबीएचएम कटिहार यूनिट के संबंध में 15 एकड़ (लगभग) भूमि का भूखंड शामिल है, जिसके स्वामित्व का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के अधीन है।

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड



टिप्पणी-10 गैर चालू निवेश

31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक		(रु. लाख में)	
संख्या	ट्रेड निवेश संख्या			31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(ए) इक्विटी उपकरणों में निवेश-इक्विटी सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत					
14415	14415	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*		-	-
10	10	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*		-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत					
250	250	यूनियन नार्थ जूट मिल्स इंग्लैंडज कॉर्पोरेटिव स्टोर्स लि., (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*		-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
संबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत					
5	5	क्विन्सिन जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)*		-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धत					
180	180	डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लि. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)		0.01	0.01
111	111	बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)		0.01	0.01
63	63	चेविओट कंपनी लि. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*		-	-
				<u>0.02</u>	<u>0.02</u>
अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत					
180	180	हाथीखीरा टी कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*		0.01	0.01
1200	1200	जयपुर उद्योग लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*		0.02	0.02
95	95	बज बज कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*		0.01	0.01
95	95	डेल्टा जूट एवं इंडस्ट्रीज लि., (अंकित मूल्य रु.4/- प्रत्येक)*		-	-
20	20	दि गंगेज मैनुफैक्चरिंग कं. लि., (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)		-	-
2	2	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रु.100/ प्रत्येक)		-	-
26	26	दि एम्पायर जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)		-	-
600	600	विलाड ईंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*		0.01	0.01
3	3	लाउरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपर्टी कं. लि. 3 सं. (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)		0.01	0.01
100	100	वेभरली जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु.50/- प्रत्येक)		0.01	0.01
36972	36972	ब्रितानिया इंजीनियरिंग कं. लि., (परिसमापन में) (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)		-	-
2700	2700	टीटांगढ़ जूट फैक्टरी पी एल सी में 1 पांड का 2700 स्टॉक (अंकित मूल्य रु.1/- प्रत्येक)*		0.11	0.11
				<u>0.18</u>	<u>0.18</u>



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-10 गैर चालू निवेश (जारी)

शेयर/प्रतिभूति/बॉन्ड्स/ यूनिट्स की संख्या			(रु. लाख में)	
(बी) तरजीह वाले शेयरों में निवेश				
i) सहायक कंपनी में				
143	143	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., 7% संचित तरजीह वाले शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
700	700	जे.एफ.लॉ एंड कं. लि. (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)*	-	-
			0.01	0.01
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.700/- परिपक्व)	0.01	0.01
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.5,300/-)	0.04	0.04
		7 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट :		
		पुराना सिरीज	0.05	0.05
		नया सिरीज	0.15	0.15
		पश्चिम बंगाल इस्टेट एक्ज्यूजिशन कॉम्पेंसेशन बॉन्ड्स	0.01	0.01
		12 वर्षों का नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट	0.01	0.01
		भारत सरकार 5.5% ऋण 1999 (अंकित मूल्य रु. 42,500/-)	0.42	0.42
		12 वर्षों का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट	0.01	0.01
		12 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट	0.04	0.04
			0.74	0.74
(डी) डिबेंचर में निवेश-अनुद्धृत				
		ईस्ट इंडियन क्लिनिक लि., 5% गैर प्रतिदेय डिबेंचर	0.36	0.36
			0.36	0.36
		कुल	1.31	1.31
		बाद: प्रावधान	1.31	1.31
		कुल	-	-
		*बही मूल्य दर्शाया गया है जिसका रु.1,000/- से कम है		
		उद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य	-	-
		अनुद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य		
		बाद: प्रावधान	-	-
		कुल उद्धृत एवं अनुद्धृत गैर-चालू निवेश	-	-
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

अतिरिक्त सूचना

- (i) कुल निवेश में से, विभिन्न सरकार प्राधिकरण, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में दस्तावेज। राष्ट्रीयकरण के बाद से पता लगाने योग्य नहीं हैं। इस मामले को बोर्ड के साथ उठाया गया है और इसे फॉरेंसिक ऑडिट में शामिल करने की सलाह दी गई है जो प्रक्रियाधीन है। हालांकि लेखा पुस्तकों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- (ii) शेयरों में कुल निवेश में दो (2) स्ट्रक ऑफ कंपनियों नामतः डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड में निवेश शामिल है, जिसका कुल बही मूल्य 0.02 लाख है, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।



**टिप्पणी-11 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति
बैंक के साथ गैर-चालू सावधि जमा**

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
31.03.2023 के बाद परिपक्व होने वाली बैंक के साथ सावधि जमा		1781.61	-
एफडी नं	परिपक्वता तिथि	31/03/22 तक राशि	
एफडी 301603030131379	02.06.2023	126.89	
एफडी 301603030131380	03.06.2023	206.95	
एफडी 301603030131381	04.06.2023	206.92	
एफडी 301603030131383	05.06.2023	206.90	
एफडी 301603030131384	07.06.2023	206.84	
एफडी 301603030131386	08.06.2023	206.82	
एफडी 301603030131387	09.06.2023	206.79	
एफडी 301603030131388	10.06.2023	206.76	
एफडी 301603030131392	11.06.2023	206.74	
कुल		1781.61	

टिप्पणी-12 वस्तुसूचियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
क) कच्चा माल (कम लागत और शुद्ध वसुली योग्य मूल्य पर) जोड़: ट्रांजिट में	133.58	-	138.57	-
		133.58		138.57
ख) कार्य प्रगति पर (आकलित लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर)		63.38		63.38
ग) निर्मित वस्तुएं (कम लागत या बाजार मूल्य पर)		162.48		199.48
घ) भंडारण एवं स्पेयर्स (लागत पर)	380.81		380.81	
बाद: मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	154.93	225.88	154.93	225.88
कुल		585.32		627.31

अतिरिक्त सूचना

कंपनी ने 2015-16 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। उस वर्ष से मालसूची का कोई उत्पादन/विक्री नहीं हुई है। यद्यपि मालसूची कंपनी की सुरक्षित अभिरक्षा में पड़ी है, स्टॉक के खराब होने के कारण मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन्वेंट्री के मूल्य को तदनुसार समायोजित किया गया है और मूल्य में परिणामी कमी को वर्ष के दौरान लिखा गया है और असाधारण मद के रूप में लाभ और हानि के विवरण में लगाया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-13 ट्रेड प्राप्तियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	
छ: महीने से अधिक के लिए बकाया			
क) असुरक्षित - खारा समझा गया	-	-	
- संदेहास्पद समझा गया	283.36	283.36	
	283.36	283.36	
बाद: संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्य हेतु प्रावधान	283.36	283.36	-
ख) अन्य प्राप्य- खारा समझा गया	-	-	
कुल	-	-	

(रु. लाख में)

31.03.2022 तक प्राप्त व्यापार का आयुवार विश्लेषण								
विवरण	बिल रहित बकाया	देय नहीं	प्राप्त की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
कम: संदिग्ध प्राप्त के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36

31.03.2021 तक प्राप्त व्यापार का आयुवार विश्लेषण								
विवरण	बिल रहित बकाया	देय नहीं	प्राप्त की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
कम: संदिग्ध प्राप्त के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36



टिप्पणी-14 नकद एवं बैंक में जमा शेष राशि

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) नकद एवं नकद समतुल्य		
(i) बैंक खाते में जमा शेष राशि	40.17	130.94
(ii) हाथ में नकदी	0.09	0.44
(iii) अल्पावधि सावधि जमा	178.61	-
	<u>218.87</u>	<u>131.38</u>
ख) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) बैंकों में सावधि जमा खातों में	-	-
(ए) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि होना	2,309.06	223.90
(बी) अन्य सावधि जमा	-	4,400.29
(ii) मार्जिन राशि	3.10	3.10
	<u>2,312.16</u>	<u>4,627.29</u>
बाद: मार्जिन राशि के विरुद्ध प्रावधान	3.10	3.10
कुल	<u>2,527.93</u>	<u>4,755.58</u>

अतिरिक्त सूचना

- क) प्रमाणपत्र अधिकारी, इएसआईसी द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली हेतु ₹18.10 लाख (विगत वर्ष ₹18.10 लाख) जब्त कर ली गई है जो बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाता में शामिल है।
- ख) ₹3.10 लाख का मार्जिन राशि बहुत पुराना जमा शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे अग्रेसित किया गया है। तदनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	
ए) ऋण एवं अग्रिम			
असुरक्षित - खारा समझा गया (संबंधित पार्टी के अलावा)	1,078.21	1,078.21	
असुरक्षित-संदेहास्पद समझा गया (संबंधित पार्टी के)	4,898.10	4,818.59	
	5,976.30	5,896.80	
बाद: प्रावधान	4,898.10	4,818.59	
	1,078.21	1,078.21	
बी) स्रोत के रूप में आय कर की कटौती की गई			
- खारा समझा गया	780.53	734.43	
- संदेहास्पद समझा गया	408.77	408.77	
	1,189.30	1,143.20	
बाद: प्रावधान	(408.77)	(408.77)	734.43
सी) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि			
असुरक्षित - खारा समझा गया	-	-	
- संदेहास्पद समझा गया	12.10	12.10	
	12.10	12.10	
बाद: प्रावधान	(12.10)	12.10	
	-	-	
डी) जीएसटी इनपुट क्रेडिट	279.14	205.26	
बाद: प्रावधान	(40.70)	(40.70)	164.56
ई) जीएसटी टीडीएस अतिरिक्त भुगतान	-	-	0.11
एफ) टीडीएस अतिरिक्त भुगतान	-	-	0.13
जी) अन्यान्य			
असुरक्षित - खारा समझा गया	0.21	0.67	
- संदेहास्पद समझा गया	457.52	457.42	
	457.73	458.09	
बाद: प्रावधान	(457.52)	(457.23)	
	0.21	0.86	
कुल	2,097.39	1,978.30	



टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)

अतिरिक्त सूचना

क) कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुसार 31.03.2022 (पिछले वर्ष ₹4818.59 लाख) की स्थिति के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिम की कुल राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित ₹4898.10 लाख है। हालांकि, सहायक कंपनी से प्राप्त खातों के विवरण के अनुसार, ऐसी राशि कुल मिलाकर ₹4913.30 लाख (पिछले वर्ष ₹4833.77 लाख) थी। उस पर ऋण और ब्याज के अंतर को एनजेएमसी की ओर से सुलझा लिया गया है और अनुषंगी पक्ष से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। दिए गए अग्रिमों में अंतर का मिलान अभी किया जाना है।

ख) "नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनजेएमसी लिमिटेड) ने बडर्स जूट एंड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड (बीजेईएल) को वर्ष 1990-91 तक ₹216.07 लाख का ऋण वितरित किया है। जिसमें से वर्ष 1991-92 में ₹40 लाख की वसूली की गई और वर्ष 2010-11 में ₹251.42 लाख और वर्ष 2013-14 में फिर से ₹50 लाख का वितरण किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 से बकाया ऋण राशि ₹477.49 लाख है। जैसा कि 23 दिसंबर 1991 को आयोजित एनजेएमसी लिमिटेड की बोर्ड बैठक में तय किया गया था, उक्त ऋण पर ब्याज को मौजूदा और भविष्य ऋण पर संबंधित लेखा वर्ष की अंतिम तारीख को प्रचलित बैंक दर पर शुल्क लगाया जाएगा। यह देखा गया है कि वर्ष 2014-15 तक संवितरण की अवधि के दौरान ₹477.49 लाख की कुल ऋण राशि और उस पर लगाए गए ब्याज की राशि ₹3292.88 लाख है, विभिन्न वर्षों में ₹398.63 लाख के समायोजन के बाद बीजेईएल द्वारा वर्ष 2014-15 के उनके वार्षिक खातों में पुष्टि की गई है। चूंकि, चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज लगाया जा रहा था, साल दर साल ब्याज का बोझ बढ़ता गया और सहायक कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वसूली अनिश्चित हो गई थी, जिसने लंबे समय से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया गया था कि भविष्य के वर्षों में चक्रवृद्धि दर पर आगे ब्याज की गणना के लिए ₹3292.88 लाख की ब्याज की राशि को स्थिर रखा जा सकता है जो केवल सहायक कंपनी के साथ-साथ होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों पर बोझ डालेगा। ₹477.49 लाख के मूलधन पर ब्याज की पुनर्गणना के मद्देनजर, यह देखा गया है कि कंपनी ने वर्ष 2020-21 तक ₹67.41 लाख का अंडरचार्ज किया है, जिसे वर्ष 2021-22 के लिए ₹124.77 लाख के साथ सहायक कंपनी को लगाया जाना है। जिसके एवज में सहायक कंपनी को होल्डिंग कंपनी को ₹202.49 लाख जमा करने का जवाब देना चाहिए, जिसमें ₹10.31 लाख कम शुल्क (पहले के वर्षों के लिए ₹77.72 लाख और चालू वर्ष के लिए ₹124.77 लाख) शामिल हैं। बोर्ड ने 31 मई 2022 को आयोजित 193वीं बोर्ड बैठक में एनजेएमसी लिमिटेड की पुस्तकों के साथ-साथ बीजेईएल की पुस्तकों में एक समान ब्याज राशि ₹536.92 लाख रखने को मंजूरी दी। इसने 2021-22 से ब्याज की गणना के लिए एसबीआई बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पर विचार करने को भी मंजूरी दी। इसका प्रभाव अनुषंगी द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद दिया जाएगा।"

ग) सुरक्षा जमा में ₹1.87 लाख की राशि शामिल है, जिसे भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में नुकसान की माफी के प्रावधान के साथ-साथ कोलकाता के उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.सं. 471(डब्ल्यू)/2016 के खिलाफ निषेधाज्ञा के अस्तित्व के बावजूद वसूल किया गया है। पूरे ₹1.87 लाख के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।

घ) अन्य शामिल हैं

- यूनिट खरदाह के संबंध में ₹11.33 लाख (पिछले वर्ष ₹11.33 लाख) की राशि जो 1982-83 में रेलवे माल के जमा/भुगतान के मामले में धन का दुरुपयोग दर्शाता है। मामला न्यायाधीन है। हालांकि, खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- यूनिट नेशनल के संबंध में नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल वर्क्स की प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टियों को प्रदत्त ₹24.00 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹24.00 लाख) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में गैर रसीद के कारण ब्याज की हानि को कवर करने के लिए भुगतान की गई दलालों से प्रतिभूतियों की इस शर्त पर कि दलालों से प्राप्त की जाने वाली उक्त प्रतिभूतियों से आय को उक्त ऋण की वापसी के लिए विनियोजित किया जाएगा। चूंकि आय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया है और खातों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।



टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)

- iii) यूनिट नेशनल से संबंधित दिनांक 31 अगस्त, 1986 को आग लगने के कारण नष्ट हुए निर्मित वस्तुओं के स्टॉक के मूल्य के लिए दावे की शेष राशि एवं निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्य हेतु दावे की शेष राशि क्रमशः ₹32.76 लाख (विगत वर्ष ₹32.76 लाख) एवं ₹2.24 लाख (विगत वर्ष ₹2.24 लाख) है। उपरोक्त शेष राशि को अस्वीकार करते हुए बीमा दावे का अंततः निपटारा नेशनल बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। कंपनी ने इस मामले को आर्बिट्रेटर के पास फिर भेजने के लिए इसके संबंधित मंत्रालय, नई दिल्ली के पास प्रेषित किया है जैसाकि दो लोक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों का निपटारा करने के मार्गदर्शनाधीन अपेक्षित है। इस मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है एवं इसके विरुद्ध लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।
- iv) कंपनी के अधिकारियों को वीआरएस पैकेज के लिए ₹10.39 लाख की राशि अग्रिम का प्रतिनिधित्व करती है, खातों में कुल ₹10.39 लाख के लिए प्रावधान किया गया है।
- v) ₹238.45 लाख (पिछले वर्ष ₹164.56 लाख) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे भविष्य की जीएसटी देनदारियों के विरुद्ध समायोजित किए जाने की उम्मीद है।
- vi) पिछले वर्ष में किए गए लेनदेन के कारण बीजेईएल से ₹4898.10 लाख की राशि प्राप्य है और खातों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- vii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूमस एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को ₹1200.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आधार पर दिया गया है, इस संबंध में उनका पत्र सं.एफ.सं.21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 का अवलोकन करें। 31.03.2022 तक बकाया राशि ₹1078.21 लाख था। समझौता ज्ञापन के शर्तानुसार ऋण के संवितरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर कंपनी के परिसंपत्तियों की बिक्री कर ऋण चुकाया जाएगा।

ड) स्रोत (टीडीएस) पर काटे गए आयकर की राशि ₹1172.65 लाख है। उपरोक्त आकलन वर्ष का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस राशि (₹ लाख में)
पुराना जमा शेष राशि		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
कुल		1172.65

पिछले निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर रिफंड, उस पर स्वीकार्य ब्याज के साथ, विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में बकाया मांगों के खिलाफ समायोजित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा ऐसी मांग के संबंध में विवरण/दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका। तदनुसार, कंपनी ने इस मामले को क्षेत्राधिकार वाले आयकर प्राधिकरण के साथ उठाया, जिसने संबंधित आदेशों की प्रतियां प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष की मांग उठाई गई और कंपनी को सीपीसी बेंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी गई।

सीपीसी-बेंगलोर से भी आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत संपर्क किया गया था, जिनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होना बाकी है।

कंपनी इस मामले से उचित तरीके से निपटने का इरादा रखती है और इस संबंध में आवश्यक समायोजन आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/विवरण प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।



टिप्पणी-16 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
ए) जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	4.81		8.17	
बाद: प्रावधान	1.80	3.01	1.80	6.37
बी) सुरक्षा जमा राशि				
असुरक्षित - खारा समझा गया	44.84		179.24	
- संदेहास्पद समझा गया	11.47		11.47	
	56.31		190.71	
बाद: प्रावधान	(11.47)		(11.47)	
		44.84		179.24
सी) अन्यान्य	227.48		225.66	
बाद: प्रावधान	(160.91)		(160.91)	
		66.57		64.75
कुल		114.42		250.37

टिप्पणी-17 परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जूट उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-18 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए) ब्याज आय				
जमा राशि पर बैंकों से ब्याज	234.63		267.55	
सहायक कं. को दी गई ऋण पर ब्याज आय	88.34	322.97	88.34	355.89
बी) अन्य गैर परिचालन आय		21.03		2.01
कुल		344.00		357.90

अतिरिक्त सूचना

क) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए ₹48,362 लाख की राशि का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। इसमें से ₹41,571.41 लाख की राशि 31.03.18 तक जारी की जा चुकी है। उसमें से अव्ययित राशि को फिलहाल बैंक में सावधि जमा में निवेश किया गया है। उस पर अर्जित ब्याज को 2011-12 से लगातार कंपनी की आय माना जा रहा है। 31 मार्च, 2016 को जारी ₹144.00 लाख की आईएसडीएस निधि का भी सावधि जमा में निवेश किया गया है। यह ब्याज ऊपर दर्शाई गई बैंक जमाओं से होने वाली ब्याज आय में भी शामिल है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-18 अन्य आय (जारी)

बी) अन्य गैर परिचालन आय में निम्नलिखित समाविष्ट है :

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
i) सरकारी अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास का समायोजन	0.10	0.10
ii) सीईएससी से ब्याज	0.85	-
iii) प्रावधान लिखित वापसी	2.15	1.11
iv) आई टैक्स रिफंड पर ब्याज	14.63	-
v) अन्यान्य	1.81	0.80
vi) लाभांश प्राप्त	0.11	-
vii) बीमा दावा प्राप्त	1.37	2.01
कुल	21.03	2.01

टिप्पणी-19 उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक स्टॉक	138.57	138.57
बाद: वस्तुसूचियों के मूल्य को लिखें	4.99	-
जोड़: खरीद	-	-
	133.58	138.57
बाद: अंतिम स्टॉक	133.58	138.57
उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत (प्रक्रिया में क्षति सहित)	-	-
अतिरिक्त सूचना		
i) उपयोग की गई कच्चे सामग्री में समाविष्ट :- कच्चा जूट		
ii) देशज	-	100%

तीन पुनरुद्धार मिलें अर्थात् किन्नीसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम (कटिहार) 2016 के मध्य से अपरिचालित रहा। भूतपूर्व बीआईएफआर के अनुरूप भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन एवं एलेकजेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए कच्चे सामग्री का कुछ भी खपत नहीं हुआ है।



टिप्पणी-20 निर्मित वस्तुओं के वस्तुसूचियों में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूचियां		
निर्मित वस्तुएं	199.48	199.48
कार्य प्रगति पर	63.38	63.38
	<u>262.86</u>	<u>262.86</u>
बाद: तैयार माल की सूची के मूल्य को लिखना	37.00	-
	<u>225.86</u>	<u>262.86</u>
वर्ष की समाप्ति पर वस्तुसूचियां		
निर्मित वस्तुएं	162.48	199.48
कार्य प्रगति पर	63.38	63.38
	<u>225.86</u>	<u>262.86</u>
शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-21 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन	83.32	66.40
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	2.46	1.32
ग्रेच्युटी	-	-
स्टॉफ कल्याण व्यय	0.75	0.02
कुल	86.53	67.74

टिप्पणी-22 वित्त लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर ब्याज	36.36	35.53
कुल	36.36	35.53



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-23 अन्य व्यय

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
		(रु. लाख में)
किराया	16.78	16.78
महसूल एवं कर	9.92	4.74
पेशेवर प्रभार	2.18	1.85
कार भाड़ा प्रभार	6.93	3.49
यात्रा एवं वाहन	7.17	2.84
संचार	0.42	0.52
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	1.84	1.10
कंप्यूटर व्यय	0.60	0.25
बीमा - कॉर्पोरेट और शाखा	21.88	8.89
नगरपालिका और संपत्ति कर - शाखा	27.43	22.00
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	13.22	1.32
मरम्मत और कार्यालय रखरखाव - शाखा	1.70	3.79
सुरक्षा खर्च - कॉर्पोरेट	1.24	1.20
सुरक्षा खर्च - शाखा	270.09	251.81
बिजली शुल्क - कॉर्पोरेट	3.84	3.82
बिजली शुल्क - शाखा	12.25	13.04
सामान्य व्यय - शाखा	2.71	1.07
उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि का भुगतान मांग - शाखा	4.92	4.12
अन्य सामान्य व्यय - शाखा	1.14	0.90
पीएफ प्रशासनिक खर्च - शाखा	0.54	-
विविध कानुनी खर्च - शाखा	-	0.46
कानुनी शुल्क	2.61	5.37
बैंक शुल्क	0.12	0.13
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्त के लिए प्रावधान	79.50	79.50
पूर्वावधि आइटम (नेट)	0.51	6.51
विविध व्यय	5.14	11.89
विलंबित भूगतान पर ब्याज और दंड	1.06	2.80
विज्ञापन	0.07	1.68
	495.83	451.87



टिप्पणी-23 अन्य व्यय (जारी)

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक:		
ए) सांविधिक लेखापरीक्षा		
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.37	1.37
बी) अन्यान्य लेखापरीक्षक		
i) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.36	0.36
ii) अन्यान्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.49	-
	2.22	1.73
कुल	498.05	453.60

अतिरिक्त सूचना

i) पूर्व अवधि के मदों में शामिल

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्व अवधि के खर्च	0.12	6.51
मूल्यहास	0.39	-
कुल	0.51	6.51

टिप्पणी-24 प्रति शेयर उपार्जित

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ-हानि विवरण के अनुसार कर के उपरांत लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(353.13)	(238.94)
इक्विटी शेयर की वेटेड औसत संख्या	557974	557974
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मूल	(63.29)	(42.82)
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मिश्रित	(63.29)	(42.82)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक सूचना

- 1) 10.10.2018 को भारत सरकार ने एनजेएमसी को बंद करने की मंजूरी दी है। सक्षम प्राधिकारी के दिशानिदेशानुसार डीपीई के द्वारा जारी मार्गदर्शानुसार बंद की जानी है, इस संदर्भ में का.ज्ञा.सं.डीपीई/5(1)/2014 - वित्त (भाग-I) दिनांक 14.06.2018 का अवलोकन करें।

दिशा-निदेश के अनुरूप ब्याज मुक्त ऋण को चुकाने के लिए भारत सरकार को ₹20,000 लाख वापस की गई है और एनबीसीसी (इंडिया) लि. को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एनजेएमसी लि. के बोर्ड के निदेशकगण के अनुमोदन से संयंत्र व मशीनरी आदि का निपटान करने के लिए मेसर्स एमएसटीसी लि. को ई-नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई मार्गदर्शन दिनांक 14.06.2018 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्तियों के सत्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए सौंपा गया है जो प्रक्रियाधीन है। एनबीसीसी इंडिया ने असाइनमेंट शुरू कर दिया है और 21 सितंबर, 2020 को अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुछ विसंगतियां देखी हैं जिन्हें एनबीसीसी इंडिया को अवगत कराया गया था। संपत्तियों का पुनः सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

- 2) इन वित्तीय विवरणियों में कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के यूनिट एवं 6 मिलों अर्थात् किन्सिन, आरबीएचएम, खारदाह, नेशनल, यूनियन और अलेक्जेंड्रा से संबंधित लेखा समाविष्ट हैं।
- 3) संबंधित पार्टी लेनदेन
- i) पार्टियों का विवरण:

रिश्ते का विवरण	संबंधित पार्टियों का नाम
नियंत्रित करने वाली पार्टी	भारत के माननीय अध्यक्ष
सहायक कंपनी	बडुस जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधन कर्मी	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती (सीएमडी)
	सुश्री मोहिनी वर्मा (सीएस)

टिप्पणी: संबंधित पार्टियों की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है

- ii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया और 31 मार्च 2021 को बकाया शेष राशि:
- क) सहायक कंपनी के साथ:

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
सहायक कंपनी के साथ:		
दी गई ऋणों पर ब्याज	88.34	88.34
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ:		
पारिश्रमिक का भुगतान	3.10	4.39
संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि:		
ऋण और अग्रिम दिए गए	4898.10 Dr.	4818.59 Dr.
सेवाओं के लिए लेनदार	0.10 Cr.	0.10 Cr.
व्यापार प्राप्य	23.56 Dr.	23.56 Dr.
ब्रोकरेज के लिए लेनदार	0.28 Cr.	0.28 Cr.
सेवाओं के लिए लेनदारों को अग्रिम	3.33 Dr.	3.33 Dr.

उपरोक्त जमा राशि के विरुद्ध प्रावधान को टिप्पणी सं.15(ए) में दर्शाया गया है।



टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

ख)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : कंपनी सचिव के रूप में भुगतान की गई पारिश्रमिक	3.10	4.39
----	--	------	------

4) निदेशक के पारिश्रमिक सहित कर्मचारी के लाभ खर्च निम्न प्रकार है:

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
भविष्य निधि में अंशदान	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी	शून्य	शून्य

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 तक समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष हेतु
क)	विदेशी मूद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
ख)	विदेशी मूद्रा में आय	शून्य	शून्य

- 6) कंपनी का परिचालन केवल घरेलू बाजार में विक्रय करने के लिए एकल जूट उत्पाद का निर्माण और बिक्री करने से संबंधित है। इस प्रकार से लेखाकरण मानक-17 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं है।
- 7) कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से निरंतर वहन की जा रही हानि को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यथोचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त आयकर योग्य आय होगा जिसके विरुद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन किया जा सके।
- 8) लेखाकरण मानक-28 के अनुसार कंपनी ने अपनी निश्चित परिसंपत्तियों पर क्षीणता हानि का आकलन नहीं किया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

9) विवादित आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं को नहीं दर्शाया है।

क्र. स.	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क)	i) कंपनी ने यूनिट किन्सिन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु ऋण के रूप में दावे को स्वीकार नहीं किया है।	16.43	21.35
	ii) कंपनी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकारी एवं बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकारी द्वारा 'सी' फार्म को जमा नहीं करने से संबंधित दावा किया गया है जिसे कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है और तदनुसार अपील को तरजीह दिया है। (वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्सिन ₹0.002 लाख, खारदाह ₹2.88 लाख, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्सिन ₹43.96 लाख, खारदाह ₹38.04 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्सिन ₹67.02 लाख, खारदाह ₹40.18 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्सिन ₹27.47 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्सिन ₹3.18 लाख एवं ₹0.01 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 खारदाह ₹0.11 लाख एवं किन्सिन ₹0.22 लाख)।	223.09	223.09
	iii) सेवा कर की मांग	0.10	0.10
	iv) मूल्यांकन वर्ष 1990-91, 2007-08 और 2009-10 के मूल्यांकन में आयकर पोर्टल पर ब्याज की मांग, जो कंपनी के अनुसार सही नहीं है और जिसके लिए कंपनी ने इस मामले को न्यायिक आयकर प्राधिकरण के साथ लिया है। जिन्होंने सूचित किया कि उन्हें मांग के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है और इसे सीपीसी-बंगलौर के साथ मामले को लेने की सलाह दी है। तदनुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्पष्टीकरण की मांग की। एनजेएमसी लिमिटेड को अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।	676.17	676.17
	v) टीडीएस डिफॉल्ट्स और ब्याज के कारण आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली मांगें।	1.59	3.21
ख)	प्रतिबद्धयता	-	-
	कुल	917.38	920.71



टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

10) आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के लिए प्रदान नहीं किया गया

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
i)	इस निगम के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को दी गई गारंटियां	0.97	0.97
ii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा बिक्री कर प्राधिकरण को जारी की गई गारंटी	0.50	0.50
iii)	कंपनी के पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए गए दावे	राशि का पता नहीं चला	राशि का पता नहीं चला
iv)	विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित कंपनी के लेनदारों द्वारा मांगे गए ब्याज के लिए दावे	राशि का पता नहीं चला	राशि का पता नहीं चला

11) पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 300680
यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवी5356

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 23.09.2022



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26: अतिरिक्त नियामक सूचना

(i) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18ए की उपधारा (1) के खंड (ए) के तहत छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट निर्माण कंपनियों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा ले लिया गया था और उसके बाद इन कंपनियों की सभी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व सक्षम कानूनों के माध्यम को केंद्र सरकार में निहित किया गया था। राष्ट्रीय जूट मिल को राष्ट्रीय कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीयकृत किया गया था और शेष पांच कंपनियों को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीयकृत किया गया था। इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों का स्वामित्व एनजेएमसी लिमिटेड के पास निहित था, 3 जून 1980 को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से एक कंपनी बनाई गई। (10 जून, 1980 से राष्ट्रीय जूट मिल और 21 दिसंबर, 1980 से शेष पांच मिलें)। एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर अचल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

अचल संपत्ति का विवरण कंपनी के नाम पर नहीं है						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम पर आयोजित	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या कर्मचारी है	दिनांक से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	एफएआर में उल्लिखित ₹ 134752/- में शामिल अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	हालांकि, जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार, सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में निहित थीं, एनजेएमसी के नाम पर इसका हस्तांतरण अभी भी लंबित है।
	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 4,86,332.00	मैकिनॉन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 3,183.01	मयारानी देवी	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	एफएआर में उल्लिखित ₹ 240384.99/- में शामिल अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन	एफएआर में उल्लिखित ₹ 7911000/- में शामिल अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	द किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन		द केबल चुट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट खरदाह	₹ 515136.00	खरदाह कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट आरबीएचएम	₹ 2700000.00	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (लीज)	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	इमारत - अलीपुर रोड	₹ 200000.00	मैकिनॉन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड.*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	

* अलीपुर रोड, कोलकाता में संपत्ति पर शीर्षक मुकदमेबाजी के अधीन है



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26: अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

- ii) कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- iii) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- iv) बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिए गए ऋण/अग्रिम*	मांग पर प्रतिदेय	चुकोती की शर्तें/अवधि निर्दिष्ट है	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
				तुलनपत्र की तारीख को बकाया राशि (ब्याज सहित)	% का कुल	बकाया राशि (ब्याज सहित)	% का कुल
प्रमोटर							
निदेशक							
केएमपी							
संबंधित पार्टी	सहायक को	हाँ	लागू नहीं	4898.10	81.96%	4818.59	81.72%

v) **कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी)**

(ए) कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस के लिए, निम्नलिखित एजिंग शेड्यूल दिया जाएगा:

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

ए) एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2022 तक				कुल
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चल रही परियोजनाओं को निलंबित कर दिया गया है				24.86	24.86
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
कुल					24.86

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2021 तक				Total
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चल रही परियोजनाओं को निलंबित कर दिया गया है				24.86	24.86
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
कुल					24.86

कैबिनेट द्वारा घोषित बंद के कारण पूरे सीडब्ल्यूआईपी को निलंबित माना गया है और बहियों में 100% प्रावधान किया गया है।

- vi) कंपनी के पास विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- vii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरूया लंबित नहीं है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26: अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

viii) कंपनी के पास वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।

ix) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

x) स्ट्रूक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है	31.03.2022 को बकाया राशि	31.03.2021 को बकाया राशि
डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेश कंपनी	0.01	0.01
लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेश कंपनी	0.01	0.01
लागू नहीं	प्राप्तियों	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	देय	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाना है)	लागू नहीं	0	0



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26: अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

एनजेएमसी लिमिटेड के पास अपने रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 तक कोई सुरक्षित ऋण नहीं है। हालांकि, पहले के वर्षों में चुकाए गए सुरक्षित ऋणों के संबंध में प्रभार की संतुष्टि।

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	वह अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 तक इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	वह अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा 31 मार्च, 2021 तक इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	रजिस्ट्रेशन में देरी की वजह
<p>शुल्कों का संक्षिप्त विवरण, जो एमसीए पोर्टल पर कंपनी के प्रभारी के सूचकांक में खुली स्थिति दिखा रहा है: 1. 10.12.1981 और 16.08.1981 को यूको बैंक के साथ ₹36 लाख और 50 लाख की राशि के प्रभार बताए गए संपत्ति का विवरण जिस पर उक्त प्रभार सृजित किया गया है, "कच्चे जूट में उधारकर्ता का संपूर्ण स्टॉक, कार्यप्रगति और तैयार माल और अन्य सभी लेख, माल स्टॉक और किसी भी प्रकार की चल संपत्ति, जो अब या इसके बाद समय-समय पर इस सुरक्षा को संग्रहीत किया जाएगा या उधारकर्ता के परिसर गोदामों में या उसके आसपास रखा जाएगा, खुले स्थान, कारखाने या जो कुछ भी वे शामिल हो सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे स्टॉक को संग्रहीत किया जाएगा या उधारकर्ता के परिसर या गोदामों में संग्रहीत किया जाएगा। टीटागढ़ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित गोदाम। सभी उधारकर्ताओं के वर्तमान और भविष्य के पुस्तक ऋण, बिल मनी प्राप्तियां कार्रवाई और दावों में चुनती हैं"</p> <p>2. चार्ज को 21/07/1981 बनाया गया था और इसे 11/09/1986 को संशोधित किया गया था। चार्ज द्वारा सुरक्षित राशि ₹540 लाख और संपत्ति का विवरण जिस पर उक्त शुल्क बनाया गया है, "कच्चे जूट, जूट उत्पाद, कोयला आदि सहित सभी प्रकार के कच्चे माल, कार्यप्रगति और तैयार माल और निर्यात के तहत सामान, जूट से मिलकर" का उल्लेख किया गया है। खरदाह, पश्चिम बंगाल, यूनिट: खरदाह में कारखाने के परिसर में संग्रहीत सामान, जूट कालीन, स्टोर, पुर्जे, पैकिंग सामग्री आदि।</p>	<p>निजाम पैलेस, दूसरी एमएसओ बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 234/4, ए.जे.सी.बोस रोड, कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल</p>	<p>मामला पुराना होने के कारण पता नहीं चल सका है।</p>	<p>मामला पुराना होने के कारण पता नहीं चल सका है।</p>	<p>एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर बनाए गए सभी शुल्क आरओसी के साथ पंजीकृत हैं, चूंकि यूको बैंक (चार्ज आईडी 90249588 और 90249585) और सेंट्रल बैंक (चार्ज आईडी 90249585) के साथ बनाए गए दो चार्ज की स्थिति अभी भी एमसीए पोर्टल पर खुली दिखाई दे रही है। इसलिए, संदर्भ के माध्यम से दोनों बैंकों को पत्र भेजा गया है। एनजेएमसी/सीओओ /2022-23/4951 और एनजेएमसी/सीओओ/ 2022-23/4952 अपने रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए शुल्कों की स्थिति साझा करें। प्रबंधन बैंकों के साथ मामले की जांच कर रहा है। स्थिति प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।</p>



टिप्पणी-26: अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

- xii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित निर्धारित परतों की संख्या से अधिक कोई निवेश नहीं किया है।
- xiii) वित्तीय अनुपात: नोट - 26 के अनुबंध ए को देखें।
- xiv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की किसी योजना में प्रवेश नहीं किया है।
- xv) (ए) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) को अग्रिम या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या प्रकार की निधी) नहीं दिया है। इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि मध्यस्थ:
- (i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करना:
- (बी) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्तियों या इकाई(यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- (i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।
- xvi) कंपनी के पास कोई अघोषित आय नहीं है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है (जैसे, खोज, सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान।
- xvii) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xviii) कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभारी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144एयूएचक्यूईवी5356

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 23.09.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



टिप्पणी- अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी) (अनुलग्नक-ए)

अनुपात

अनुपात	सूत्रों	यूरोपटर में शामिल आइटम	भागक में शामिल आइटम	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	% विचरण	अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो
1. वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियां/चालू दायित्व	न्यूनतर में शामिल आइटम सूची, व्यापार प्राप्तियां, नकद और बैंक शेष, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान संपत्तियां	व्यापार देय, अन्य वर्तमान देयताएं, अल्पकालिक प्रावधान	0.59	0.83	-28.62	अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो बैंक के साथ किए गए गैरवर्तमान सावधि जमा के कारण
2. ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण / शेयरधारक निधि	अल्पवधि उधार + दीर्घवधि उधार	शेयर पूंजी, भंडार और अधिशेष	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों के लिए शेयरधारकों का फंड नकारात्मक है।
3. कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकोती के लिए उपलब्ध कमाई / (ब्याज + मूल भुगतान)	ब्याज और कर + गैर-नकद व्यय और परिशोधन से पहले लाभ	प्रतिपालन + ब्याज और लौज भुगतान	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि ऋण चुकोती के लिए उपलब्ध अर्जन दोनों वर्षों के लिए ऋणात्मक है।
4. इक्विटी अनुपात पर वापसी (%)	शुद्ध आय / शेयरधारकों की इक्विटी	कर के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक इक्विटी	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि शेयरधारक की इक्विटी दोनों वर्षों में नकारात्मक है।
5. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस / औसत इन्वेंटरी	सीओजीएस या बिक्री	औसत सूची	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में कोई बिक्री नहीं हुई है।
6. व्यापार प्राय टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट बिक्री / औसत खाता प्राय	नेट क्रेडिट बिक्री	प्राय औसत खाते	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ है।
7. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट खरीदारी / औसत खाता देय	नेट क्रेडिट खरीद	देय औसत खाते	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में सामग्री की कोई खरीद नहीं हुई है।
8. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	बिक्री / औसत कार्यशील पूंजी	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ है।
9. शुद्ध लाभ अनुपात (%)	शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री*100	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में परिव्यय से कोई राजस्व नहीं है।
10. नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ईवीआईटी / सकल पूंजी नियोजित*100	ब्याज और कर से पहले लाभ (%)	मूत नेटवर्थ + कुल दीर्घवधि ऋण + आस्थिति कर देनदारी	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि नियोजित पूंजी दोनों वर्षों में ऋणात्मक है।
11. निवेश पर प्रतिफल अनुपात (%)	निवेश/औसत निवेश से आय*100	निवेश से आय	औसत निवेश	8.58	0.41	1981.67	चालू वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष में लाभांश आय नगण्य थी।

BLANK



समेकित वित्तीय विवरण



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट की कार्यप्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार हो। यह उनके द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य स्तर से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक देना पड़े।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.12.2022

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता



समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (इसके बाद होल्लिंग (धारक) कंपनी के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी (होल्लिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें शामिल हैं 31 मार्च, 2022 तक समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखानीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार के अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, 31 मार्च, 2022 को समूह के मामलों की समेकित स्थिति, और समाप्त वर्ष के लिए समेकित हानि, और उसके समेकित नकद प्रवाह के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

योग्य राय के लिए आधार

- सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय की धारणा:

होल्लिंग कंपनी और सहायक कंपनी की लेखाओं को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित कारणों से इन परिस्थितियों में उचित नहीं है:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सभी संपत्तियों का निपटान डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और परिसंपत्तियों की बिक्री से आय, देनदारियों को पूरा करने के बाद भारत के समेकित कोष में जमा की जाएगी। एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी 177वीं बैठक में भवन और सभी चलसंपत्तियों का निपटान करने के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में मेसर्स एमएसटीसी को नामांकित किया है लेकिन उस संबंध में अभी तक कोई विशेष विकास हासिल नहीं हुआ है। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान करने से पहले संपत्ति के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को प्रीलैंड मैनेजमेंट एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है जिसे एलडी लगाए बिना छ: महीने के लिए बढ़ा दिया गया है लेकिन रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।
- बंद करने की अधि सूचना के अनुसार, होल्लिंग कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार को ₹200 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण वापस कर दिया है। पिछले कई वर्षों से मुख्य रूप से होल्लिंग कंपनी की आय सावधि जमा पर ब्याज से थी, जो उक्त राशि की वापसी के बाद काफी कम हो गई है।
- स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने भी राय व्यक्त की है, जिसमें सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप सहायक कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर रही है।
- सहायक कंपनी ने बकाया नगरपालिका करों और उस पर ब्याज के लिए ₹32.35 लाख (पिछले वर्ष ₹13.34 लाख) का प्रावधान किया है। सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने इस खाते पर देय अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, की राशि पर अनिश्चितता को देखते हुए पर्याप्तता या अन्यथा इस तरह के प्रावधान पर टिप्पणी करने में असमर्थता व्यक्त की है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने यह भी कहा है कि व्यापार प्राप्तियों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अग्रिमों में शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान और बाद के समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।
- सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों की राय में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी भौतिक मामलों में इसके पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे।
- वित्तीय विवरणों से यह संकेत मिलता है कि समूह की वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियां इसकी कुल संपत्ति से ₹32,557.61 लाख (पिछले वर्ष ₹31,744.40 लाख) से अधिक हैं और समूह की विनिर्माण इकाइयां भी पिछले कई वर्षों से परिचालन में नहीं हैं।

ये कारक समूह को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में बने रहने और व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थता की पुष्टि करते हैं।

बी) लेखांकन मानकों का अनुपालन ना करना:

बी.1 लेखांकन मानक-2 - वस्तुसूची का मूल्यांकन

जैसा कि लेखांकन नीति 1.3 में बताया गया है, वस्तुसूची का मूल्यांकन लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य/बाजार मूल्य पर किया जाता है। अधिकांश वस्तुसूची को लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और कई वर्षों से वस्तुसूची में कोई बदलाव नहीं है। प्रासंगिक लागत विवरण और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निर्धारण का आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था और इसलिए, यह पता लगाना संभव नहीं है कि एएस-2 का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसके अलावा, वस्तुसूची के आयुवार विश्लेषण के साथ-साथ अप्रचलित और गैर-विपणन योग्य वस्तुसूची की पहचान सुनिश्चित नहीं की गई है। इसलिए, यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वस्तुसूची का वहन मूल्य उसके उचित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

बी.2 लेखांकन मानक-21 - समेकित वित्तीय विवरण:

समूह ने पूर्व के वर्षों में किसी भी समेकित वित्तीय विवरण को तैयार और प्रस्तुत नहीं किया है, जैसा कि एएस-21, हमारी रिपोर्टिंग की तारीख तक समेकित वित्तीय विवरण द्वारा वांछित है।

बी.3 लेखांकन मानक-22 - आय पर करों के लिए लेखांकन:

आय पर करों के लिए लेखांकन पर एएस-22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयता का निर्धारण नहीं किया गया है।

बी.4 लेखांकन मानक-29 - 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां':

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की दोनों कंपनियों या विविध मामलों पर विभिन्न पार्टियों के साथ मुकदमेबाजी कर रही हैं, जिनमें से कुछ कई वर्षों से लंबित हैं। हालांकि, कई मामलों में, इन कंपनियों ने विवाद के संभावित वित्तीय निहितार्थ की राशि का अनुमान और खुलासा नहीं किया है जैसा कि एएस-29 प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों द्वारा अपेक्षित है।

सी) आय/व्यय और परिसम्पत्तियों/देयताओं का कम/अधिक विवरण

सी.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और मूल्यहास:

क) जैसा कि द्रष्टव्य 11 में कहा गया है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में होल्डिंग कंपनी की कुछ मशीनें शामिल हैं, जिनकी डब्ल्यूडीवी ₹637 राष्ट्रीयकरण के बाद से तीसरी पार्टी के पास पड़ी हुई है। लेकिन होल्डिंग कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख के अनुसार उन मशीनरी के वास्तविक अस्तित्व का पता नहीं लगाया है।

ख) जैसा कि नोट 11 में खुलासा किया गया है, 'भूमि और भवन' में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता की संपत्ति शामिल है, जो होल्डिंग कंपनी के कब्जे में नहीं है, हालांकि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत इसमें निहित है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है और संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार के बारे में कानूनी विशेषज्ञों के अलग-अलग विचार हैं। हालांकि स्वामित्व विवादित है, होल्डिंग कंपनी कोलकाता नगर निगम को देय नगरपालिका करों के संबंध में देयता प्रदान कर रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹4.45 लाख (पिछले वर्ष: ₹4.45 लाख) थी। होल्डिंग कंपनी द्वारा 31.03.2022 तक संचयी देयता ₹112.02 लाख (31.03.2021 तक: ₹107.57 लाख) प्रदान की गई है।

ग) होल्डिंग कंपनी की नेशनल मिल यूनिट में पड़े हुए प्लांट और मशीनरी के कुछ मद, जिनका कुल बही मूल्य 31-03-2022 को ₹2.12 लाख था, जैसा कि प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया गया था, को पूर्व वर्ष (₹0.28 लाख) के साथसाथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (₹1.84 लाख) चोरी बताया गया था, जिसके लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। इन खातों में नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन उक्त मिल में बीमा कंपनी और/या संबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता से इसकी वसूली करना चाहता है। हमें सूचित किया गया है कि संबंधित पार्टियों के साथ मामले के निपटारे पर इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा। अद्यतन अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुपस्थिति में हम प्रबंधन द्वारा परिकल्पित उपरोक्त मूल्य की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सके।

घ) होल्डिंग कंपनी के मामले में विभिन्न स्थानों पर भूमि के टाइटल डीड हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इसे ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सका और अचल परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड से जोड़ा दिया गया। हालांकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसकी तीन मिलों की जमीनजायदाद यानी खरदाह, किन्सिन और एलेक्जेंड्रा के कुछ हिस्से अभी भी पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर जारी हैं। हमें आगे सूचित किया गया है कि उक्त संपत्तियों के सम्बन्ध में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अभ्यावेदन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी उत्तर 24 परगना, बारासात के साथ ही साथ सचिव भूमि और भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है लेकिन मामला 31 मार्च, 2022 के अनुसार अभी भी लंबित है।

सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां सहायक कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के टाइटल डीड का उल्लेख किया है, जो आंशिक रूप से डिजिटल रूप में कंपनी के नाम पर और आंशिक रूप से तत्कालीन कंपनी मेसर्स लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर है। इसके अलावा, सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अचल संपत्तियों का किसी भी तरह से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और वे मात्रात्मक विवरण, अचल संपत्तियों की स्थिति, किसी भी भौतिक विसंगतियों और उसके लेखांकन प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

सी.2 निवेश:

होल्डिंग कंपनी अपने निवेशों का उचित रजिस्टर नहीं रख रही है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में कुल ₹0.74 लाख के निवेश के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में शेयर स्क्रिप्ट हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा सके और पता नहीं चलने की सूचना दी थी। ये निवेश बहुत पुराने हैं और हमें यह समझाया गया था कि मूल प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/विभागों को सुरक्षा के रूप में प्रदान किए गए होंगे। यह भी देखा गया था कि निवेशों में उन कंपनियों के शेयरों में ₹0.02 लाख शामिल हैं, जिनके नाम पहले ही काट दिए गए हैं। हालांकि, इन सभी निवेशों के तहत पूरा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, निवेशों में चेविओट कंपनी लिमिटेड और बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर शामिल हैं, जिसके तहत इन शेयरों पर प्राप्त किये गए लाभांश के बावजूद पूरा प्रावधान किया गया है।

सी3 वस्तुसूची:

वर्ष की समाप्ति पर वस्तुसूची का मूल्यांकन, जो बहुत पुराना है, होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा समय की कमी और मिलों के गैर-परिचालन के कारण क्षति/पुरानेपन पर विचार किए बिना किया गया है। होल्डिंग कंपनी द्वारा रखी गई विभिन्न प्रकार की वस्तुसूची के मूल्य में वास्तविक हास के किसी भी तकनीकी मूल्यांकन के बिना ही प्रबंधन द्वारा कच्चे माल और काम चालू की वस्तुसूची के मूल्य में अवलेखन किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

सी4 नकद और बैंक शेष:

होलिडिंग कंपनी के बैंक शेष में शामिल हैं यूको बैंक, टीटागढ़ शाखा में किन्सिन यूनिट के खाते में पड़े हुए ₹91,303.04, जो तुलन पत्र की तारीख को एक निष्क्रिय खाता है।

बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के निम्नलिखित पुराने बैंक खातों के लिए जिनमें कोई लेनदेन नहीं किया गया है और निष्क्रिय हैं, बैंकों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है:

बैंकों का नाम	31.03.2022 को बही शेष (₹ में)	31.03.2021 को बही शेष (₹ में)
वैश्य बैंक, एन.एस. रोड, कोलकाता	804.15	804.15
सिंडिकेट बैंक, मद्रास	963.00	963.00
सिंडिकेट बैंक, कलकत्ता (पीसीएल)	683.00	683.00

सी.5 अल्पावधि ऋण और अग्रिम:

क) तुलन पत्र में दिखाये गए अनुसार आय कर के लिए होलिडिंग कंपनी के ₹408.77 लाख के कुल प्रावधान के तहत, स्रोत पर आय कर कटौती के रूप में ₹1172.65 लाख की राशि का कर भुगतान होलिडिंग कंपनी द्वारा किया गया है। पहले के वर्षों के लिए निर्धारित आय कर रिफंड, उस पर अनुमत ब्याज सहित, आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1990-91 की बकाया मांग के तहत समायोजित किया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 143(1) के अधीन सूचना में दिखाई देने वाले होलिडिंग कंपनी का बकाया मांग सारांश अभी भी कंपनी द्वारा ब्याज के रूप में देय ₹243.15 लाख की राशि दिखा रहा है। हमें सूचित किया गया है कि होलिडिंग कंपनी निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए उठाई गई मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने के बाद आवश्यक समायोजन/तत्पश्चात प्रावधान किया जाएगा।

ख) विभिन्न खातों में कई असमाधानित अंतर हैं, जैसा कि होलिडिंग कंपनी और सहायक कंपनी के संबंधित लेखा बहियों में दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

खाता	एनजेएमसी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	सहायक कंपनी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियां
सहायक कंपनी को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज	3814.96	3804.77	मतभेदों को आवश्यक विवरण और जानकारी प्राप्त करने के बाद सामंजस्य और आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है।
दिए गए अग्रिम	605.64	631.05	
माल के लिए लेनदार	शून्य	94.91	
किराए के लिए लेनदार	शून्य	0.15	
अन्य सेवाओं के लिए लेनदार	0.10	शून्य	
दलाली के लिए लेनदार	0.28	शून्य	
व्यापार प्राप्य खाते माल	23.56	258.21	
व्यापार प्राप्य खाते व्यय	शून्य	7.40	
सेवाओं के लिए दिया गया अग्रिम	3.33	शून्य	



होलिंडग कंपनी और सहायक कंपनी के बीच शुद्ध अंतर ₹159.24 लाख था, जिसे समेकित तुलन पत्र में “होलिंडग और सहायक कंपनी के बीच मिलान के अधीन शुद्ध अंतर” के रूप में दिखाया गया है।

सी.6 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां:

चूंकि होलिंडग कंपनी की कुल ₹56.31 लाख की प्रतिभूति जमा राशि के संबंध में पार्टीवार विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिनमें से ₹11.47 लाख संदिग्ध माने गए और उपलब्ध कराए गए, यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि कितनी अच्छी मानी जाने वाली जमा राशि वास्तव में वसूली योग्य है।

सी.7 दीर्घावधि उधार:

क) होलिंडग कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण लिया है। ऋण समझौता या उक्त ऋण के नियमों और शर्तों को दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका। ब्याज दर और अन्य शर्तों को दर्शाने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में, हम कंपनी द्वारा 31.03.2022 तक प्रदान किए गए कुल ₹1308.61 लाख के ब्याज की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सके, जिसमें समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रदान किए गए ₹36.36 लाख शामिल हैं। जैसा कि लेखा के द्रष्टव्य 5 में कहा गया है, होलिंडग कंपनी इस ऋण के पुनर्भुगतान में असमर्थ रही है और कंपनी के बही खातों के अनुसार अप्रदत्त ब्याज सहित मूलधन की संचित शेष राशि 31 मार्च, 2022 को ₹1590.09 लाख है (31 मार्च, 2021 को ₹1553.73 लाख)।

सहायक कंपनी ने भारत सरकार से ₹2159.36 लाख (2021-22 में ₹46.96 लाख) का गैरयोजना ऋण लिया है और इस ऋण को चुकाने में असमर्थ रही है और कंपनी के बही खातों के अनुसार अप्रदत्त ब्याज सहित मूलधन की संचित शेष राशि 31 मार्च, 2022 को ₹9237.49 लाख (31 मार्च, 2021 को ₹8801.39 लाख) है।

ख) 31.03.2022 को ऋणों के बकाया शेष राशि के लिए केंद्र/राज्य सरकारों से होलिंडग कंपनी और सहायक कंपनी द्वारा कोई शेष पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

सी.8 व्यापार देय:

होलिंडग कंपनी के ₹2058.94 लाख (31.03.2021 को ₹2096.91 लाख) के कुल व्यापार देय में शामिल है होलिंडग कंपनी द्वारा तैयार किए गए व्यापार देय के आयुवार विश्लेषण के अनुसार कुल ₹1977.09 लाख (31.03.2021 को ₹1974.07 लाख) का तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया पुरानी बकाया शेष राशि। पार्टियों से प्राप्त पार्टीवार और इनवॉइसवार विवरण या खाते के विवरण के अभाव में, यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं। आवश्यक जानकारी के अभाव में, एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन पार्टियों की स्थिति और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के बकाये का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन देय ब्याज के कारण पिछले कई वर्षों से खातों में कोई देयता प्रदान नहीं की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम के अधीन देय ब्याज, व्यापार देय शीर्षक के अधीन दिखाए गए ब्याज देयता की राशि से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, किन्निसन यूनिट के मामले में, सेवाओं के लिए विविध लेनदारों और स्टोर के लिए विविध लेनदारों की राशि को इनमें से कुछ लेनदार खातों में पड़े हुए कुल ₹22 लाख के शुद्ध डेबिट शेष पर व्यापार देय में शामिल किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप, व्यापार देय के खाते में देयता को तुलन पत्र में उस सीमा तक कम बताया गया है। इसके अलावा, दिए गए संदिग्ध अग्रिमों के लिए होलिंडग कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान भी उस सीमा तक कम है, जिसका असर इस खाते पर ₹22 लाख तक के समेकित नुकसान को कम करके दिखाने पर पड़ा है।

सी.9 अन्य वर्तमान देनदारियां:

क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, होलिंडग कंपनी ने बकाया ईएसआई योगदान के लिए ₹152.99 लाख का और ईएसआई की मांग तथा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के बाद के आदेश के तहत ईएसआई बकाया पर ब्याज खाते में तदर्थ



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

आधार पर ₹50 लाख की एक और राशि का भुगतान किया है। इन भुगतानों को होल्लिडिंग कंपनी द्वारा बिना किसी आधार के ईएसआई नुकसान के प्रावधान के रूप में 01.04.2021 को बही खातों में पड़ी हुई ₹3727.18 लाख की अप्रदत्त देयता के तहत समायोजित किया गया है और इस एवज में लाभ और हानि के विवरण में कुछ भी शुल्क नहीं लिया गया है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के कथित आदेश के आधार पर ईएसआई योगदान और उस पर ब्याज के पिछले बकाये के लिए होल्लिडिंग कंपनी द्वारा बाद के वर्ष में किए गए ₹284.36 लाख के शेष भुगतान के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।

हमारी राय में, लाभ और हानि के विवरण के लिए पूर्वकथित भुगतानों की ऐसी गैर-चार्जिंग और बाद के वर्ष में किए गए शेष भुगतान के लिए प्रावधान ना करने का प्रभाव इन भुगतानों की सीमा तक वर्ष के अंत में देय सांविधिक देनदारियों और वर्ष के लिए समेकित हानि को कम करके दिखाने पर पड़ा है।

- ख) होल्लिडिंग कंपनी के सांविधिक बकाये में शामिल हैं फ्रिज बेनिफिट टैक्स के लिए ₹8.93 लाख की देयता, व्यावसायिक कर पर ₹68.69 लाख का ब्याज, पीएफ पर देय नुकसान और उस पर ब्याज ₹903.05 लाख, जो लम्बे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।
- ग) भुगतान आयुक्त के असंवितरित दावे: ₹40.29 लाख; कार्यनिष्पादन गारंटी: ₹57.47 लाख, पार्टियों से अग्रिम: ₹98.83 लाख और प्राप्त प्रतिभूति जमा/बयाना राशि में शामिल पुरानी बकाया राशि: जिसकी राशि का पता विवरण के अभाव में नहीं लगाया जा सका, होल्लिडिंग कंपनी के बही खाते में दिखाई दे रही है, के संबंध में पार्टीवार विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में, हमारे लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है। इनमें से अधिकतर मद काफी पुराने बताए जा रहे हैं।
- घ) होल्लिडिंग कंपनी के ₹320.60 लाख के अप्रदत्त मजदूरी के लेनदारों में वीआरएस देय, ग्रेच्युटी देय और बकाया वेतन देय के खाते में कुल ₹226.55 लाख की पुरानी बकाया देयता शामिल है। होल्लिडिंग कंपनी कर्मचारियों से संबंधित भुगतानों के प्रति देयता के रूप में पुरानी शेष राशि को बनाए रख रही है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, श्रम मामलों में होल्लिडिंग कंपनी की कुल वित्तीय आकस्मिक देनदारी, अब तक प्रबंधन कई मामलों में ₹6866.00 लाख की बात सुनिश्चित कर सका है।
- च) होल्लिडिंग कंपनी की अप्रदत्त दरों और करों में शामिल हैं ₹0.99 लाख के उपकर, शुल्क आदि, ₹0.12 लाख के व्यावसायिक कर, ₹1.69 लाख के सेवा कर, ₹0.99 लाख के टीडीएस, ₹109.97 लाख के अन्य दरें और कर, जिन्हें लम्बे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

सी.10 एजिंग अनुसूचियां:

सिर्फ होल्लिडिंग कंपनी के व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों के संबंध में व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों का ब्योरा और पुरानी अनुसूची दी गई है। हमें सूचित किया गया है कि सहायक कंपनी के व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों को इन अनुसूचियों में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि सहायक कंपनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त अवलोकन के मद्देनजर, हम समूह के मामलों के विवरण पर इन विषयों के प्रभाव और लाभ और हानि के समेकित विवरण पर तदनुसार प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।



प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में शामिल है बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में शामिल जानकारी, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व और अभिशासन से प्रभारित लोग

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष राय देता है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करते हैं और भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वकथित है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल सक्रिय एवं लाभप्रद व्यवसाय के स्तर में जारी रहने में समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल या तो समूह को समाप्त करना चाहता है या परिचालन बंद करना चाहता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक सक्रिय एवं लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामलों को जारी रखना और सक्रिय एवं लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर लेखांकन का उपयोग करना होगा।

समूह में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।



समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, फिर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटना या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं, और उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में बात करना जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले माने जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

अन्य मामले

हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इस सहायक कंपनी



के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वकथित सहायक से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) द्वारा वांछित अनुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3(xxi) में निर्धारित विषयों पर बयान, अनुलग्नक ए में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि “अन्य मामले” अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और उपर्युक्त अनुच्छेद “योग्य राय के लिए आधार” में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं, लागू सीमा तक, कि:
 - (क) हमने योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक अनुसार उचित बही खाते को अब तक रखा गया है, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, वैसा ही उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य हेतु अनुरक्षित खाते की संबंधित बहियों के अनुरूप हैं।
 - (घ) योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरण कम्पनीज (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
 - (च) योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामले, हमारी राय में, समूह में शामिल कंपनियों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
 - (छ) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी होने के नाते होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, और जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त के नाते सहायक कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2022 को अयोग्य नहीं है।
 - (ज) खातों के रखरखाव और यहाँ उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता उपर्युक्त योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर बताई गई है।
 - (झ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - (ट) चूंकि समूह में शामिल कंपनियां निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दे रही हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - (ठ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटरस) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. पूर्ण विवरण के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों ने होल्डिंग कंपनी के संबंध में लंबित मुकदमों के पूर्ण प्रभाव का खुलासा किया है, जैसा कि अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

द्रष्टव्य 28 में पॉइंट संख्या 9 और 10 के तहत दिखाया गया है, अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर। सहायक कंपनी के संबंध में, अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अनुलग्नक सी में किया गया है।

- ii. होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण हानि हो सकती थी।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे होल्डिंग कंपनी और भारत में शामिल उसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

- iv. (क) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन ने हमें और सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अन्य लेखा परीक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई कोष नहीं है (जो या तो व्यक्तिगत रूप से या कुल में सामग्री हैं) जिसे होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में अग्रिम या ऋण या निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी अन्य स्रोत या कोष के प्रकार से), इस समझ के साथ, फिर चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उनकी ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करेगा;

(ख) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने हमें और सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अन्य लेखा परीक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई कोष नहीं है (जो या तो व्यक्तिगत रूप से या कुल में सामग्री हैं) जिसे होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में अग्रिम या ऋण या निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी अन्य स्रोत या कोष के प्रकार से), इस समझ के साथ, फिर चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उनकी ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करेगा;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

- v. चूंकि होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 में निहित प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के जवाब में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) होल्डिंग कंपनी के पास अपनी इकाइयों और निगमित कार्यालय के बीच ईआरपी लेखांकन प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। प्रत्येक इकाई और निगमित कार्यालय के खातों का रखरखाव लेखांकन सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। निगमित कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के खातों का समेकन एक अलग डेटा एंट्री मोड के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली डेटा अखंडता के अभाव की गुंजाइश छोड़ती है और लेखापरीक्षा के जोखिम को बढ़ाती है।



जैसा कि सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है, सहायक कंपनी टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने खातों का रखरखाव कर रही है, लेकिन लेखांकन की प्रक्रिया एक प्रकार की हाइब्रिड प्रणाली है जिसमें मैनुअल और कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शामिल है। सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों को खातों की अखण्डता पर किसी भी वित्तीय निहितार्थ के साथ कोई समस्या नहीं मिली है।

- (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए होल्लिडिंग कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा होल्लिडिंग कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने सूचित किया है कि ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा सहायक कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले से संबंधित निर्देश सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- (iii) (क) होल्लिडिंग कंपनी के पास आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित अनुसार कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण है, जो दीर्घकालिक उधार के रूप में है।

(b) (ख) होल्लिडिंग कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण प्राप्त किया है, 31 मार्च 1994 से ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान की चूक हुई है। 31.03.2022 को ऋण और भुगतान ना किये गए ब्याज की संचित शेष राशि ₹1590.09 लाख है। ऋण दस्तावेजों, नियमों और शर्तों के अभाव में, किए गए ब्याज प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य 3 में बताया गया है कि होल्लिडिंग कंपनी ने 1988-89 में बिहार सरकार और आईजेआईआरए से अनुदान प्राप्त किया था और 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से सब्सिडी प्राप्त की थी। ऐसे अनुदान/सब्सिडी के विस्तृत कागजात के साथसाथ ऐसे अनुदान से अर्जित संपत्तियां हमें उपलब्ध नहीं कराई गयीं।

(घ) सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने भारत सरकार के जूट विशेष विकास कोष से आर एंड डी कार्यक्रम और उत्पाद विविधीकरण की कार्यान्वयन योजना के लिए पिछले वर्षों में सहायक कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान के संबंध में कोई भिन्नता नहीं बताया है।

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 305091ई

स्थान: कोलकाता

तारीख: 06.12.2022

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ए

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक,

सीएआरओ 2020 के अनुच्छेद 3(xxi) की आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों के लेखापरीक्षकों ने होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संबंधित कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी दी है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी के साथ संबंध	संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख	संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट में अनुच्छेद संख्या
1.	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी 1980जीओआई032768	होल्डिंग कंपनी	23.09.2022	(i)(a)(A), (i)(b), (i)(c), (ii)(a), (iii)(d), (iii)(e), (vii)(a), (vii)(b), (ix)(a), (ix)(c), (xiv)(a), (xvii) और (xix)
2.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी 1904जीओआई001579	सहायक कंपनी	03.08.2022	(i) b), (i) c), (vii) (a), (vii) (b), (xvii) और (xix)

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 305091ई

स्थान: कोलकाता
तारीख: 06.12.2022

सिद्धार्थ पटोदी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 59144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358



अनुलग्नक-बी

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड** (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखाजोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होलिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन द्रष्टव्य में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होलिडिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर होलिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन द्रष्टव्य (“गाइडेंस नोट”) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की है। उन मानकों और मार्गदर्शन द्रष्टव्य के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखरखाव किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, फिर चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

व्यय सिर्फ कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (iii) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, होल्डिंग कंपनी के साथसाथ सहायक कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन द्रष्टव्य में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए या मानदंड आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, यानी नियंत्रण पर्यावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियाँ, सूचना प्रणाली और संचार तथा निगरानी स्थापित नहीं किया है। होल्डिंग कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में जोखिम के तत्वों की पहचान सहित कंपनी के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति भी शामिल नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31.03.2022 को होल्डिंग कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर अपर्याप्त हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन द्रष्टव्य में कहा गया है।

जैसा कि सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों की राय है, सहायक कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं है और इस तरह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए सहायक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन द्रष्टव्य में कहा गया है।

अन्य मामले

होल्डिंग कंपनी के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जो कि भारत में निगमित कंपनी है, भारत में निगमित ऐसी सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में लागू लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में ऊपर दी गई योग्य राय पर विचार किया है।

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 305091ई

स्थान: कोलकाता

तारीख: 06.12.2022

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358



अनुलग्नक-सी

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

सहायक कंपनी के लंबित अदालती मामले और मुकदमे:

<p>1.</p>	<p>बारासात में 5वें, कोर्ट, फास्ट ट्रैक और अतिरिक्त जिला जज के समक्ष शीर्षक अपीलसं. 29 ऑफ़ 1996 अनोखी मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड</p>	<p>अंतिम तारीख - 08.04.2022 अगली तारीख - 28.06.2022 मुकदमा संपत्ति से प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए टाइटल सूट नंबर 46 ऑफ़ 1989 का एक मुकदमा बीजेईएल द्वारा दायर किया गया था और यह बीजेईएल द्वारा उचित आवश्यकता के आधार पर एक हुक्मनामा और आदेश दिनांक 19.9.2015 द्वारा डिक्री किया गया था। डिक्री और आदेश दिनांक 19.9.2015 को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी। डिक्री और आदेश दिनांक 19.9.2015 के निष्पादन के लिए टाइटल एक्सेक्यूशन संख्या 01 ऑफ़ 1996 दायर किया गया था, जिसे अपील के निस्तारण तक दिनांक 01.03.1996 के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया है। अपीलकर्ता का दावा है कि वह एलडी. न्यायालय के समक्ष महीने दर महीने का किराया जमा करता रहा है। लेकिन यह अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में मूल चालानों का निरीक्षण करने में विफल रहा है। बीजेईएल की पुनर्वास योजना को रिकॉर्ड पर लाने के लिए बीजेईएल की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है ताकि यह साबित किया जा सके कि बीजेईएल के पुनर्वास के लिए मुकदमा संपत्ति आवश्यक है। अपील अदालत द्वारा अपील पर सुनवाई की जा रही थी लेकिन मूल बॉक्स जिसमें सभी मूल दस्तावेज रखे गए थे, उपलब्ध नहीं हैं। विभाग और रजिस्ट्री को उसका पता लगाने और अपील अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था।</p>
<p>2.</p>	<p>बारासात में द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में टाइटल सूट नं. 42 ऑफ़ 2013 नया नंबर टाइटल सूट नंबर 8191 ऑफ़ 2014 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्रा. लिमिटेड</p>	<p>अंतिम तारीख 28.03.2022 अगली तारीख: 26.08.2022 भूमि के कब्जे की वसूली के लिए डिक्री सहित दाग संख्या 104 के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा हेतु आदेश के लिए बीजेईएल द्वारा वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 ने मुकदमे में अपना लिखित बयान और लिखित आपत्ति दायर की है और उसकी प्रतियां बीजेईएल को भेजी गई हैं। अन्य प्रतिवादियों ने उपस्थिति दर्ज नहीं की है। बीजेईएल की ओर से एक समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था। प्रतिवादियों के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते हुए एक निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। सीएन नंबर 4828 ऑफ़ 2013 सहित एफएमएटी नंबर 583 ऑफ़ 2013 के मना करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।</p>



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

		<p>उक्त अपील की सुनवाई माननीय न्यायधीश सुभ्रो कमल मुखर्जी और माननीय न्यायधीश असीम कुमार मंडल द्वारा 15 मई, 2013 को की गई जब बीजेईएल की ओर से पेश होने वाले वकील की सुनवाई के बाद उनके आधिपत्य ने निर्देश दिया कि उक्त स्थगन याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को दाग संख्या 104 वाले मुकदमें में संपत्ति के हस्तांतरण, अलग करने, ऋणग्रस्त होने से निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त अपील और आवेदन लंबित हैं और नोटिस जारी किए गए हैं।</p>
3.	<p>तृतीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मयूख भवन के न्यायालय में टाइटल सूट नं. 185 ऑफ़ 2004 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम सोवनाथ सिंह</p>	<p>अगली तारीख - 07.05.2022</p> <p>दाग संख्या 104 के संबंध में प्रतिवादियों (स्वर्गीय काशी नाथ @ काशी प्रसाद सिंह के वारिस) के खिलाफ निषेधाज्ञा हेतु आज्ञा के लिए बर्ड जूट द्वारा वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है।</p> <p>14 जुलाई 2004 को लर्नेड न्यायालय द्वारा यथास्थिति का एक अस्थायी आदेश पारित किया गया था और समय-समय पर अंतरिम आदेश को बढ़ाया गया है और यह अभी भी अस्तित्व में है। प्रतिवादियों के हाजिर न होने के कारण कई बार प्रतिवादियों को मुकदमा सम्मन भेजा जा चुका है। तत्पश्चात, बीजेईएल की ओर से मुकदमे की एकपक्षीय सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, जिसे लर्नेड न्यायालय ने अनुमति दी थी और मामला एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया है। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है।</p>
4.	<p>बारासात में एलडी. जिला जज के समक्ष विविध अपील संख्या 155 ऑफ़ 2016 टी. के. वेयर हाउसिंग एंटरप्राइज प्रा. लिमिटेड बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड</p>	<p>अंतिम तारीख : 17.03.2022 अगली तारीख : 06.06.2022</p> <p>यह एलडी. सम्पदा अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के आदेश की अपील है, जिसमें अपीलकर्ता को ₹4,47,20,439 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।</p> <p>अपीलकर्ता प्रतिवादी के अधीन एक किराएदार था। प्रतिवादी ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसाय की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अधीन कार्यवाही शुरू की है।</p> <p>बर्ड जूट की ओर से लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई है। वसूली एवं मुकदमे के निस्तारण हेतु एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>लर्नेड न्यायालय द्वारा 27 मार्च, 2018 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें संपदा अधिकारी को अपनी वसूली की कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।</p> <p>लर्नेड न्यायालय ने 28 जून, 2018 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत से सभी अभिलेख मंगवाए हैं।</p>



<p>5. द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), बारासात के समक्ष टी.एस. संख्या 85 ऑफ़ 2012 नया नंबर टाइल सूट 2651 ऑफ़ 2014 रोटोट्रॉन कंटेनर्स (पी) लिमिटेड बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड</p>	<p>अगली तारीख: 30.05.2022 उक्त परिसरों के विकास में वादी को हस्तक्षेप करने, बाधित करने से रोकने के लिए वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया था। बीजेईएल की ओर से लिखित बयान दर्ज किया गया है। वादी ने एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है जिस पर बीजेईएल की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई है। सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है।</p>
<p>6. द्वितीय न्यायालय, बारासात के समक्ष टाइल सूट नंबर 97 ऑफ़ 2014 नया नंबर टाइल सूट 13252 ऑफ़ 2014 बी.पी. पोद्दार फाउंडेशन फॉर एजुकेशन बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड</p>	<p>अगली तारीख: 20.04.2022 सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 57 के अधीन बीएल एंड एलआरओ, बैरकपुर द्वारा जारी की गई सूचना दिनांक 21/2/2014 को अवैध, अधिकारातीत और बिना अधिकार क्षेत्र के घोषित करने के लिए वादी द्वारा मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा संपत्ति के संबंध में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में विघ्न डालने से उन्हें रोकने के लिए बीजेईएल के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया गया। बीजेईएल की ओर से लिखित बयान दर्ज किया गया। दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के एक आदेश द्वारा, लर्नेड कोर्ट ने वादी को निषेधाज्ञा का आदेश देने से मना कर दिया। वादी ने दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के आदेश को चुनौती देते हुए विविध अपील संख्या 99 ऑफ़ 2014 के रूप में एक अपील दायर की है जिसे खारिज कर दिया गया है।</p>
<p>7. जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी के समक्ष एलआर अपील संख्या 204 ऑफ़ 2019</p>	<p>अंतिम तारीख: 06.04.2022 अगली तारीख: 27.04.2022 याचिकाकर्ता ने बी.एल. एंड एल.आर.ओ. के 4 फरवरी, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बी.एल. एंड एल.आर.ओ. बैरकपुर ने लैंड्सडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर अधिकार के रिकॉर्ड को बदलने का निर्देश दिया है।</p>
<p>8. बारासात में लर्नेड द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के समक्ष टी.एस. नंबर 736 ऑफ़ 2021 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका और अन्य</p>	<p>अगली तारीख: 29.04.2022 बीजेईएल की भूमि के अतिक्रमण के लिए दक्षिण दमदम नगरपालिका के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया है। निषेधाज्ञा प्रदान की गई है जो 29 अप्रैल, 2022 तक है। प्रतिवादियों की अगली तारीख पर उपस्थिति के लिए मामला निर्धारित किया गया है।</p>
<p>9. डब्ल्यू.पी. सं.11297/डब्ल्यू/2012 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका</p>	<p>लंबित यह रिट याचिका बीजेईएल की भूमि पर अतिक्रमण और बीजेईएल की भूमि पर जलाशय के अवैध निर्माण के खिलाफ दायर की गई है।</p>



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

10.	सीएन संख्या ऑफ़ 2019 सीएन संख्या ऑफ़ 2019 एमएटी संख्या ऑफ़ 2019 निम्नसे उत्पन्न डब्ल्यूपी संख्या 9962(डब्ल्यू) ऑफ़ 2019 टी.के. वेयरहाउसिंग इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड बनाम बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य	लंबित। नहीं दिख रहा है। याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जहां ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
11.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार और किरायेदारी न्यायाधिकरण, सॉल्ट लेक के समक्ष ओ.ए. नंबर 434 ऑफ़ 2022 बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य	अगली तारीख: 27.09.2022 यह अपील एडीएम और डीएल एंड एलआरओ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाले एडीएम और डीएल एंड एलआरओ के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।
12.	कलकत्ता उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीए संख्या 21128 ऑफ़ 2021 बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और एएनआर. बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका और अन्य	लंबित। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार के समक्ष सूचीबद्ध होने के लिए।

स्थान: कोलकाता
तारीख: 06.12.2022

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 59144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358



31 मार्च 2022 तक समेकित तुलन पत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 तक (लेखा परीक्षित)		31 मार्च 2021 तक (लेखा परीक्षित)	
(ए)					
1	इक्विटी एवं देयताएं				
	शेयरधारकों की निधि:				
	(क) शेयर पूंजी	2	5,579.74	5,579.74	
	(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	3	(38,137.45)	(37,324.15)	(31,744.41)
2	अल्पसंख्यक ब्याज	4	-	-	-
3	गैर-चालू देयताएं				
	(क) दीर्घावधि उधार	5	24,012.25	23,965.29	
	(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	6.77	6.77	
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	7	10.08	11.52	
	(घ) सुलह के अधीन होल्डिंग और सहायक के बीच शुद्ध अंतर		159.24	159.24	24,142.82
4	चालू देयताएं				
	(क) व्यापार देय:	8			
	(i) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं का बकाया राशि		112.58	112.58	
	(ii) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं के अलावा बकाया राशि		2,137.77	2,134.67	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	9	14,451.07	14,175.07	
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	10	189.08	189.08	16,611.40
	कुल		8,521.12		9,009.81
(बी)	परिसंपत्तियां				
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां				
	(क) (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11	894.24	926.79	
	(ii) पूंजी कार्य प्रगति पर	11	-	-	
	(iii) समेकन पर सद्भावना		131.73	131.73	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	-	-	
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	-	-	
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	1,788.92	7.31	1,065.83
2	चालू परिसंपत्तियां				
	(क) वस्तुसूची	15	585.32	627.31	
	(ख) व्यापार प्राप्तियां	16	48.17	56.06	
	(ग) नकद एवं बैंक में जमा राशि	17	2,834.39	4,996.69	
	(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	18	2,117.85	2,006.18	
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	120.50	257.74	7,943.98
	कुल		8,521.12		9,009.81

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश 1
अन्य व्याख्यात्मक सूचना 28
अतिरिक्त नियामक सूचना 29
नोट 1-29 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06.12.2022



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ-हानि विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
1 परिचालन से राजस्व	20	-	-
2 अन्य आय	21	399.19	399.49
3 कुल आय (1 + 2)		399.19	399.49
व्यय			
(क) खपत किये गये कच्चे माल की लागत	22	-	-
(ख) निर्मित वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर	23	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	24	101.87	82.00
(घ) वित्त लागत	25	425.50	419.57
(ङ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	11	34.65	40.51
(च) अन्य व्यय	26	606.26	559.97
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)		1,168.28	1,102.05
5 आपवादिक और असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3-4)		(769.09)	(702.56)
6 असाधारण मद: बट्टे खाते डाला गया वस्तुसूची का मूल्य		41.99	-
7 आपवादिक मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (5+6)		(811.08)	(702.56)
8 आपवादिक मदें		-	-
9 कर पूर्व लाभ/(हानि) (7-8)		(811.08)	(702.56)
10 कर खर्च			
(क) वर्तमान कर			-
(ख) आस्थगित कर			
(ग) पहले के वर्षों के लिए		2.13	
11 वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		(813.21)	(702.56)
बाद: अल्पसंख्यक हित		-	-
		(813.21)	(702.56)
12 प्रति इक्वीटी शेयर उपार्जन	27		
(रु. में प्रति इक्वीटी शेयर रु. 1,000/-)			
मूल		(145.74)	(125.91)
मिश्रित		(145.74)	(125.91)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश

1

अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

28

अतिरिक्त नियामक जानकारी

29

नोट 1-29 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता सं. 059144

यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 52405

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 06.12.2022



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	असाधारण मद और कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		(811.08)		(702.56)
	समायोजन हेतु :				
	उधार पर ब्याज	425.50		419.57	
	मूल्यहास	34.65		40.51	
	पूर्व अवधि का मूल्यहास	0.39		-	
	लाभांश आय	(0.11)		(0.01)	
	बैंक जमा पर ब्याज आय	(249.39)		(281.36)	
	सरकारी अनुदान (आरक्षित) हेतु समायोजन	(0.10)	210.94	(0.10)	178.61
	कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		(600.14)		(523.95)
	अल्पावधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(72.00)		(163.50)	
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	132.59		52.79	
	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	3.10		21.31	
	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(149.50)		112.20	
	दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1.44)		-	
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	7.89		(29.76)		
वस्तुसूची में कमी/(वृद्धि)	41.99	(37.37)	0.00	(6.95)	
घटाएं: आयकर (शुद्ध)		(637.51)		(530.90)	
		46.8		36.95	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (ए)		(684.31)		(567.85)	
ख.	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	सावधि जमा राशि में (वृद्धि)/कमी	505.92		(820.51)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(2.49)		(0.09)	
	लाभांश आय	0.11		0.01	
	स्वीकृत ऋण में (वृद्धि)/कमी	5.00		(4.71)	
	सावधि जमा राशि पर ब्याज	254.04	762.57	319.34	(505.96)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद (बी)		762.57		(505.96)
ग.	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	भारत सरकार से उधार		46.96		-
	उधार पर ब्याज		-		4.61
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी)		46.96		4.61
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		125.22		(1,069.20)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		136.28		1,205.48
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		261.50		136.28	



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण (जारी)

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए)	नकद और नकद समतुल्य के घटक				
	(i) बैंक खातों में शेष राशि		82.77		135.80
	(ii) नकद हाथ में		0.12		0.48
	(iii) अल्पावधि सावधि जमा		178.61		-
			261.50		136.28

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश 1
अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 28
अतिरिक्त नियामक जानकारी 29
नोट 1-29 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06.12.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का अंश बनना

1.1 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) का सम्बन्ध राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (होलिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ “समूह” कहा जाता है) से है। सीएफएस को “समेकित वित्तीय विवरण” (एस-21) पर लेखांकन मानक-21 के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए जाते हैं:

(क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अवधि के अंत की परिसंपत्तियों जैसे कि वस्तुसूची, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि में अचेतन लाभ/हानि सहित अंतरसमूह शेष राशि और अंतरसमूह लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, परिसंपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय जैसे मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर लाइन-बाय-लाइन आधार पर संयुक्त किया जाता है। शेषों के अधिग्रहण के समय इक्विटी के अपने हिस्से पर सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की लागत के बीच अंतर, समेकित वित्तीय वक्तव्यों में साख या समेकन पर आरक्षित पूंजी, जहाँ जैसा मामला हो, के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध लाभ/हानि में अल्पसंख्यक हित का हिस्सा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए समूह की आय के तहत समायोजित किया गया है। समेकित सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्ति में अल्पसंख्यक हित के हिस्से को देयताओं और कंपनी के शेयरधारकों की इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में अल्पसंख्यक हित की पहचान और मान्यता निम्नलिखित को ध्यान में रखकर की जाती है:

- अल्पसंख्यकों के लिए इक्विटी की राशि जिस तारीख को एक सहायक कंपनी में निवेश की जाती है।
- मूलसहायक कंपनी के संबंध अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी के उतरचढ़ाव में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी।
- अल्पसंख्यकों के कारण होने वाले नुकसान को सहायक कंपनी की इक्विटी में अल्पसंख्यक हित के तहत समायोजित किया जाता है।
- सहायक कंपनी की इक्विटी में अल्पसंख्यक हित पर अल्पसंख्यक के कारण होने वाले नुकसान की अधिकता को बहुसंख्यक हित के तहत समायोजित किया जाता है।

1.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) लेखांकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए गए हैं और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को संचित मूल्यहास और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर बताया गया है। लागत में खरीद मूल्य और अन्य लागतें शामिल हैं जो संपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए उनकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कर अधिकारियों से वसूली योग्य शुल्क और कर शामिल नहीं हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।



टिप्पणी- 1 (जारी)

(ग) निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान तब किया जाता है जब उसे स्थायी प्रकृति का माना जाता है। वर्तमान निवेश, यदि कोई हो, लागत और उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

(घ) वस्तुसूची

- कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जिसे एफआईएफओ के आधार पर, या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्धारित किया जाता है।
- तैयार माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत और लागू विनिर्माण उपरिव्यय (ओवरहेड्स) शामिल हैं।
- व्यापारिक वस्तुओं का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- कार्यप्रक्रिया का मूल्यांकन प्रसंस्करण के निर्धारित चरण के प्रतिशत के पर आधारित अनुमानित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(च) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है जब यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है। माल की बिक्री, यदि कोई हो, को तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और एवार्ड खरीदार को हस्तांतरित किए जाते हैं। सेवाओं की बिक्री से राजस्व, यदि कोई हो, ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने पर पहचाना जाता है।

(छ) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

कंपनी के पास अपने पेंशन (वेतनमान) पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। वर्ष के दौरान सभी कर्मचारी संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे थे। इसलिए किसी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की थी।

ग्रेच्युटी: तुलन पत्र की तारीख के अनुसार रोल पर कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक देयता के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए देयता प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता तुलन पत्र की तारीख के अनुसार वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ज) करायान के लिए लेखांकन

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। बही खाते और वर्ष के लिए कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतर के लिए आस्थगित कर का हिसाब कर दरों और कानूनों का उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हैं। समय के अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और सिर्फ एक उचित निश्चितता के साथ इस सीमा तक आगे लाई जाती है ताकि भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति होगी।

(झ) प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(ट) आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

आकस्मिकताएं जो भौतिक हैं और भविष्य के परिणाम जिनके बारे में उचित निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सकता है,



टिप्पणी- 1 (जारी)

उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी में टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को ना तो पहचान की गई है और ना ही प्रकट किया गया है।

(ठ) नकद और नकद समकक्षों

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं नकद और चालू तथा अल्पावधि सावधि जमा खातों में बैंक शेष, यदि कोई हो।

(ड) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन, यदि कोई हो, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। मौद्रिक परिसंपत्ति और विदेशी मुद्रा में निहित देयताओं को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(ढ) परिसंपत्तियों की हानि

अगर संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की वहन राशि रिपोर्टिंग की तारीख को वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और अनुमानित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य द्वारा निर्धारित उपयोग में मूल्य से अधिक के रूप में मापा जाता है।

(त) उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार उधार लागतों को उक्त परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। योग्य परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(थ) अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी को यह आवश्यकता होती है कि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और धारणा अपनाये। हालांकि वर्तमान घटनाओं और कार्रवाई में प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं ये अनुमान। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में परिसंपत्ति या देयताओं की वहन राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

(द) पट्टे

पट्टों पर लेखांकन मानक 19 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई भी वित्तीय पट्टा समझौता लागू नहीं है।

(ध) अमूर्त परिसंपत्तियां

समेकन पर उत्पन्न साख को छोड़कर कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(न) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि उक्त अनुदान से जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। संबंधित परिसंपत्ति की लागत से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान की कटौती की जाती है।

ऊपर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई लेखांकन नीतियां सुसंगत हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी- 1 (जारी)

1.4 समूह के सीएफएस में शामिल किये गए सहायक कंपनी के संबंध में विवरण और समूह के प्रभावी स्वामित्व हित निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	संबंध	निगमीकरण का देश	समूह के स्वामित्व हित का अनुपात	
			31-03-2022	31-03-2021
बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	भारत	58.93%	58.93%

टिप्पणी - 2 शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹1,000/- के 600000 इक्विटी शेयर (31.03.2021 को : 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से चुकता		
प्रत्येक ₹1,000/- के 557974 इक्विटी शेयर (31.03.2021 को (कोलन) 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	5579.74	5579.74

अतिरिक्त जानकारी

- क) कुल 557974 शेयरों में से प्रत्येक ₹1,000/- के 366000 इक्विटी शेयर को राष्ट्रीयकरण समायोजन खाते के तहत पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित किया गया था, भुगतान नकद में प्राप्त किए बिना।
- ख) वर्ष के आरंभ में और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/प्रचलन नहीं हुआ है।
- ग) कंपनी के पास ₹1,000/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की सिर्फ एक श्रेणी है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का और लाभांश के लिए समान अधिकार का हकदार है।
- घ) तुलन पत्र तैयार करने की तारीख से ठीक पहले के पांच सालों की अवधि के लिए:
- कंपनी ने नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना किसी भी अनुबंध के अनुसार पूरी तरह से भुगतान किया गया कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने बोनस शेयरों के जरिये पूरी तरह से भुगतान किया गया कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदा है।
- च) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकगण:

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
भारत के माननीय राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98



टिप्पणी-2 शेयर पूंजी (जारी)

छ) प्रमोटरों की शेयरधारिता

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
भारत के माननीय राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	1	0.01	1	0.01
आर्थिक सलाहकार	1	0.01	1	0.01
वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत	शून्य		शून्य	

टिप्पणी-3 आरक्षित और अधिशेष

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
संपत्ति कोष				
सरकारी अनुदान के तहत पूंजी आरक्षित				
प्रारंभिक जमा राशि	73.37		73.47	
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरित	-		-	
घटायें: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	0.10	73.27	0.10	73.37
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित				
प्रारंभिक जमा राशि	441.81		441.81	
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन	-		-	
घटायें: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	-	441.81	-	441.81
लाभ और हानि के विवरण में (कमी)				
प्रारंभिक जमा राशि	(37,839.32)		(37,136.76)	
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(813.21)	(38,652.53)	(702.56)	(37,839.32)
कुल	(38,137.45)		(37,324.14)	

अतिरिक्त सूचना

पूंजी रिजर्व

- क) आरबीएचएम के संबंध में बिहार सरकार से वर्ष 1988-89 में निश्चित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि ₹150 लाख के विरुद्ध जो उक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है एवं यूनिट किन्सिन के संबंध में आईजेआईआरए से वर्ष 1988-89 में यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि ₹5.44 लाख के विरुद्ध जो उपरोक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है।
- ख) यूनिट किन्सिन के संबंध में प. बं. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वर्ष 1982-83 में कैप्टिव डीजल पावर जनरेटिंग सेट की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹6.97 राशि में से आर्थिक सहायता के रूप में जमा शेष राशि ₹0.01 लाख जो अधिग्रहण की तारीख से मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है (विगत वर्ष ₹0.01 लाख)।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-3 आरक्षित और अधिशेष (जारी)

ग) यूनिट आरबीएचएम के संबंध में राष्ट्रीयकरण की तारीख तक निवेश का बाजार मूल्य और बही मूल्य के बीच अंतर।	0.11	0.11
घ) आर एंड डी कार्यक्रम और उत्पाद विविधीकरण के कार्यान्वयन योजना के लिए पिछले वर्षों में भारत सरकार से जूट विशेष विकास निधि से अनुषंगी द्वारा प्राप्त अनुदान।	72.48	72.48
	<u>73.27</u>	<u>73.37</u>

पूनमूल्यांकन आरक्षित

यूनिट आरबीएचएम के संबंध में कालिम्पोंग और फॉरबिसगंज में स्थित भूमि और भवन तथा कटिहार में स्थित भूमि के संबंध में 31.03.1993 को पुनर्मूल्यांकित राशि (वर्ष 1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) और बही मूल्य के बीच का अंतर (संदर्भ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर टिप्पणी 11 में अतिरिक्त जानकारी संख्या 7 और 8)	441.81	441.81
	<u>441.81</u>	<u>441.81</u>

टिप्पणी-4 अल्पसंख्यक ब्याज

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्रारंभिक जमा राशि	-	-
जोड़ें: चालू वर्ष के लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-5 दीर्घावधि उधार

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) अन्य ऋण और अग्रिम (असुरक्षित)		
i) भारत सरकार से	23,730.77	23,683.81
ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
कुल	24,012.25	23,965.29

अतिरिक्त जानकारी

- क) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ऋण ब्याज मुक्त है। कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान समापन अधिसूचना के अनुसार ₹20000 लाख का पुनर्भुगतान किया है।
- ख) कंपनी ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त उपरोक्त ऋणों के संबंध में कोई प्रतिभूति या कोई गारंटी प्रदान नहीं की है।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है:



टिप्पणी-5 दीर्घावधि उधार (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त ऋण :				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	1,308.61	31.03.1994 से	1,272.25
कुल		1,590.09		1,553.73
भारत सरकार से गैर-योजना ऋण :				
i) मूलधन		2,159.36		2,112.40
ii) ब्याज				
पिछले साल तक		6,688.99		6,304.95
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए		389.14		384.04
कुल		9,237.49		8,801.39

घ) कंपनी को अभी तक निम्नलिखित के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से औपचारिक सहमति प्राप्त नहीं हुई है:

उनके द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए प्राप्त होने वाले मुआवजे के खिलाफ उपर्युक्त ₹281.48 लाख की मूलधन राशि का समायोजन जैसा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों पर टिप्पणी 11 में अतिरिक्त सूचना 4 में संदर्भित किया गया है और बीआईएफआर स्वीकृत योजना के अनुसार सॉफ्ट लोन में उपरोक्त ₹1308.61 लाख (31-03-2021 तक: ₹1272.25 लाख) की ब्याज राशि में शामिल है ₹922 लाख के अर्जित ब्याज का रूपांतरण।

च) बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा ₹389.14 लाख (पिछले वर्ष ₹384.04 लाख) की राशि भारत सरकार से प्राप्त गैरयोजना ऋण पर वर्ष के लिए उपार्जित और देय ब्याज के लिए प्रदान की गई है, जिसके लिए ऋण की पुष्टि वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त नहीं हो सकी थी।

टिप्पणी-6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
व्यापार जमा*	6.77	6.77
कुल	6.77	6.77

* बीजेईएल द्वारा विभिन्न पार्टियों/किरायेदारों से प्राप्त जमा राशि लंबे समय से बहियों में पड़ी हुई है और समायोजन और समाधान के अधीन है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-7 दीर्घकालीन प्रावधान

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	-	-
ii) ग्रेच्युटी का प्रावधान	10.08	11.52
कुल	10.08	11.52

अतिरिक्त जानकारी

1. ग्रेच्युटी: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारी अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।
2. छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित अनुसार एक ही आधार पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि जब कभी भी भुगतान होता है तो वास्तविक भुगतान के प्रभार को राजस्व खातों में दर्शाया जाता है।

टिप्पणी - 8 व्यापारिक देय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
i) सामान, व्यय और सेवाओं के लेनदार*	2,123.74	2,120.64
ii) व्यापार देय पर दिया जाने वाला ब्याज	126.61	126.61
कुल	2,250.35	2,247.25

*बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माल, व्यय और सेवाओं के लेनदारों की कुल राशि ₹191.41 लाख (31.3.2021 को: ₹150.34 लाख) में शामिल है कच्चे माल की खरीद और अन्य खर्चों के कारण देयता, जो कि लंबे समय से बही खातों में पड़ी हुई है तथा समायोजन के अधीन है।

31.03.2022 तक							
विवरण	बकाया व्यापार देय	व्यापार देय भुगतान देय नहीं है	नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार देनदारियां देय भुगतान				कुल
			1 साल से कम	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	27.83	-	48.77	5.08	0.16	1,864.51	1,946.36
(iv) अन्य बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
कुल	27.83	-	48.77	5.08	0.16	1,977.09	2,058.94



टिप्पणी - 8 व्यापारिक देय (जारी)

(रु. लाख में)

31.03.2021 तक							
विवरण	बकाया व्यापार देय	व्यापार देय भुगतान देय नहीं है	नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार देनदारियां देय भुगतान				कुल
			1 साल से कम	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	51.17	-	64.48	0.16	7.03	1,861.49	1,984.33
(iv) अन्य बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
कुल	51.17	-	64.48	0.16	7.03	1,974.07	2,096.91

**केवल होल्डिंग कंपनी के संबंध में व्यापार देय का ब्रेकअप और पुराना शेड्यूल दिया गया है। सहायक कंपनी के व्यापार देय को उपरोक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि सहायक कंपनी द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(रु. लाख में)

iii) एमएसएमई देय राशि का ब्रेक-अप ऊपर दिखाया गया है

क) वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	55.06	55.06
ख) देय ब्याज और पिछले वर्ष के अंत तक देय	57.52	57.52
कुल	112.58	112.58

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	55.06	55.06
	57.52	57.52
कुल	112.58	112.58

टिप्पणी - 9 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
i) सांविधिक बकाया राशि (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, कर रोकना, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ पर ब्याज/क्षति और ईएसआई योगदान आदि)	5129.88	5300.75
ii) उपार्जित और देय ब्याज	8,386.74	7,961.24
iii) भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावा	40.29	40.29
iv) कार्यनिष्पादन गारंटी	57.47	57.47
v) प्रतिभूति जमा/ईएमडी	92.68	85.07
vi) आईएसडीएस कोष पर ब्याज	19.02	19.02
vii) पार्टियों से अग्रिम	142.11	142.11
viii) संपत्ति कर/नगरपालिका कर सहितभुगतान ना की गई दरें और कर	242.79	227.97
ix) कर्मचारी लाभ के लिए देयताएं	338.15	339.40
x) देय लेखापरीक्षा शुल्क	1.92	1.73
कुल	14,451.07	14,175.07

अतिरिक्त जानकारी

क) ईएसआई निगम द्वारा और पीएफ आयुक्त द्वारा दावा की गई क्रमशः ₹3550.11 लाख (पिछले वर्ष ₹3550.11 लाख) और



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी - 9 अन्य वर्तमान देनदारियां (जारी)

- ₹592.24 लाख (पिछले वर्ष ₹592.24 लाख) की क्षति के संबंध में बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारियों से कंपनी द्वारा मांगी गई छूट अभी भी लंबित हैं।
- ख) वर्ष के दौरान एनजेएमसी लिमिटेड ने यूनियन और नेशनल मिल के लिए योगदान स्वरूप ₹152.99 लाख का भुगतान किया है और ईएसआई की मांग तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के तत्पश्चात आदेश के तहत ईएसआई बकाया राशि पर ब्याज के खाते में तदर्थ आधार पर ₹50 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। इस भुगतान को कंपनी द्वारा ईएसआई नुकसान के प्रावधान के रूप में 01.04.2021 को बही खातों में पड़ी हुई ₹3727.18 लाख की अप्रदत्त देयताओं के तहत समायोजित किया गया है।
- ग) अप्रदत्त संपत्ति कर में शामिल है 5, अलीपुर रोड, कोलकाता स्थित परिसर के संबंध में प्रदान की गई देयता, जो मुकदमेबाजी के अधीन है। प्रदान की गई देयता का विवरण निम्नानुसार है:

	(₹. लाख में)	(₹. लाख में)
मूलधन	66.23	61.78
जुर्माना	7.21	7.21
बाज	38.58	38.58
कुल	112.02	107.57

हालांकि एनजेएमसी ना तो कोई भुगतान कर रहा है और ना ही केएमसी ने कंपनी से कोई मांग की है, उपरोक्त प्रावधान एहतियाती उपाय के रूप में किया जा रहा है क्योंकि उक्त संपत्ति का स्वामित्व विवाद के अधीन है।

- घ) कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं में शामिल है वीआरएस, ग्रेच्युटी, एलटीए, बकाया वेतन आदि के खाते में देय कुल ₹243.61 लाख (31.03.2021 को : ₹243.61 लाख) की पुराना बकाया राशि।

टिप्पणी-10 अलयावधि प्रावधान

(₹. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
आकस्मिकता के लिए प्रावधान (समाधान होने के बाद कामगारों को देय ग्रेच्युटी के खाते में)	189.08	189.08
कुल	189.08	189.08



टिप्पणी - 11 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	31 मार्च, 2021 तक	योग (+)	कटौती (-)	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु	बकाया मूल्यहास	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक
	तक			तक	तक			तक		
ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
(क) भूमि - फ्री होल्ड	608.09	-	-	608.09	-	-	-	-	608.09	608.09
(ख) भवन एवं सडक	1,088.61	-	-	1,088.61	929.00	13.21	-	942.21	146.40	159.61
(ग) संयंत्र और उपकरण	3,906.11	-	-	3,906.11	3,755.49	19.59	-	3,775.08	131.03	150.62
(घ) फर्निचर एवं फिक्सचर	69.87	-	-	69.87	66.90	0.18	-	67.08	2.79	2.97
(ङ) वाहन	47.43	-	-	47.43	45.16	0.35	-	45.51	1.92	2.27
(च) कंप्यूटर	70.12	0.71	-	70.83	68.45	0.33	-	68.78	2.05	1.67
(छ) रेलवे साइडिंग	2.43	-	-	2.43	2.39	-	0.39	2.39	0.04	0.04
(ज) कार्यालय उपकरण	20.50	1.78	-	22.28	18.97	1.00	0.39	20.36	1.92	1.53
कुल (ए)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	4,921.41	894.24	926.79
विगत वर्ष कुल (ए)	5,813.07	0.09	-	5,813.16	4,845.86	40.51	-	4,886.36	926.79	967.21
बी) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
घटायें : प्रावधान	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विगत वर्ष कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	0.39	-	-	-
चाहू वर्ष कुल (ए+बी)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	4,921.41	894.24	926.79
विगत वर्ष कुल (ए+बी)	5,813.07	0.09	-	5,813.16	4,845.86	40.51	-	4,886.35	926.79	967.21



टिप्पणी - 11 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

अतिरिक्त जानकारी

- 1) क) भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्रीधिकारी के निर्देश के अनुसार, दिनांक 14.06.2018 को कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/5(1)/2014 वित्त (भाग) के मार्फत जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है।
ख) निदेशक मंडल के अनुमोदन से संयंत्र और मशीनरी आदि के निपटान के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड कोई नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों दिनांक 14.06.2018 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन करने के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए सौंपा गया है जो प्रक्रियाधीन है।
- 2) संयंत्र और उपकरणों में यूनिट एलेक्जेंड्रा से संबंधित 8 नं हेराक्ल मशीनें शामिल हैं जो राष्ट्रीयकरण की तारीख से तीसरी पार्टी के पास पड़ी हुई हैं।
- 3) भूमि में यूनिट खरदाह से संबंधित लीज होल्ड भूमि शामिल है, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।
- 4) भूमि में कलकत्ता इलेक्ट्रिक स्प्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टीटागढ़ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहित यूनिट खरदाह की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है। मुआवजा राशि प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 5) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है। पूर्व के वर्ष में कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में कुछ रिकॉर्ड तैयार किए गए थे, जो अधूरे हैं और कई मामलों में विभिन्न प्रासंगिक जानकारी और परिसम्पत्तियों के उचित विवरण की भारी कमी है। इसके अलावा, इन अभिलेखों को पिछले कई वर्षों से अद्यतन नहीं किया जा रहा है।
- 6) जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अधीन 20 दिसंबर, 1980 को राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के साथ निहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल हैं यूनिट-एलेक्जेंड्रा से सम्बंधित 5, अलीपुर रोड, कोलकाता स्थित भूमि और भवन। लेकिन यह कंपनी के कब्जे में नहीं। यह संपत्ति औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 [आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951] के अधीन एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड के प्रबंधन के अधिग्रहण की तारीख से पहले गिरवी रखी गई थी और उक्त अधिग्रहण की तारीख "विक्रय करार" के अधीन थी। हालांकि, विक्रय करार को पूरा नहीं किया गया था और औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में प्रबंधन द्वारा चुनौती दी गई थी। अंततः 8 सितंबर, 1981 को उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए। इसके उपरान्त रेहनदार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्य ताको चुनौती दी गई थी। इसके बाद एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिनांक 20.12.1980 से राष्ट्रीय कृत किया गया था और परिसंपत्तियां सभी बाधाओं से मुक्त इस निगम को निहित की गई थीं। रेहनदार ने इसके बाद जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और उनकी वैधता को चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की। रेहनदार द्वारा औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देनेवाली दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया है और उसके बाद यथा स्थिति का एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा पारित किया गया है।
स्थायी वकील मेसर्स, फॉक्स एंड मंडल की राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर, कोलकाता केंद्र सरकार में निहित है जो फिर से जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 6 के अधीन एनजेएमसी में निहित है और एनजेएमसी सभी बंधक या ग्रहणाधिकार या बाधाओं से मुक्त। हालांकि, एनजेएमसी सभी बंधक या ग्रहणाधिकार या बाधाओं से मुक्त उक्त संपत्ति का मालिक है, हालांकि, एनजेएमसी ने वस्त्र मंत्रालय के निर्देश पर उनकी पत्र एफ.सं. 17/16/2006 - जेई दिनांक 24/12/2007



टिप्पणी - 11 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

के मार्फत राय मांगी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय ने एनजेएमसी को कानूनी दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच करने के लिए कहा। तदनुसार एनजेएमसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या ... के माध्यम से इस विषय को विधिन्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय को संदर्भित किया है और बैरिस्टर श्री अनिंद्य कुमार मित्रा से प्राप्त पत्र संख्या एनजेएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय को भेज दिया गया साथ ही साथ उपरोक्त मामले की एकप्रति बैरिस्टर श्री अनिंद्य कुमार मित्रा को भी भेजी गई। हमारे डीलिंग काउंसिल मेसर्स फॉक्स एंड मंडल की राय के साथ एनजेएमसी/सीएमडी/08/239 दिनांक 3 अप्रैल, 2008 की राय। वस्त्र मंत्रालय ने अपनी पत्र संख्या 17/1/2006 - जेई दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के माध्यम से कहा कि श्री अनिंद्य कुमार मित्रा, बैरिस्टर और सीनियर एडवोकेट के साथ ही साथ कानून और न्याय मंत्रालय के बेंच सचिवालय, कोलकाता की राय यह है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर रोड का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार/ एनजेएमसी में निहित नहीं माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी वकील ने भिन्न राय व्यक्त की है। वस्त्र मंत्रालय ने आगे निर्देश दिया कि एनजेएमसी और भारत संघ (वस्त्र मंत्रालय) की ओर से प्रत्युत्तर में हलफनामों को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में उपर्युक्त बहुमत कानूनी राय के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जिसमें कानून और न्याय बेंच सचिवालय कोलकाता से प्राप्त यह कानूनी राय शामिल है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीयकरण के दौरान यह संपत्ति एलेक्जेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। हालांकि, हलफनामा जून 2019 को दायर किया गया था। वर्ष 2019 में रिट याचिका 5292 ऑफ 1981 को बहालकियागया, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हुआ और सुनवाई के लिए लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई और प्रगति नहीं हुई है। चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- 7) आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 31.03.1993 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.06.2000 को निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष 1999-2000 में यूनिट आरबीएचएम से संबंधित 96 बीघा 15 कट्टा, 5 धुर भूमिका मूल्य ₹373.02 लाख पूंजीकृत किया गया है।
- 8) आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 31.03.1993 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यूनिट आरबीएचएम के कालिम्पोंग और फॉरबिसगंज में स्थित भूमिका मूल्य जिसमें ₹41.55 लाख की 4.03 एकड़ भूमि शामिल है और भवन का मूल्य जिसमें ₹27.24 लाख मूल्य का भवन शामिल है, जिसका विधिवत अनुमोदन 24 दिसंबर, 1997 को निदेशक मंडल द्वारा किया गया और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया है।
- 9) वर्ष 2006-07 के दौरान आईआईबीआई के पास गिरवी रखी गई भूमि के टाइटल डीड कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। कुछ टाइटल डीड फटी हुई और संदिग्ध अवस्था में हैं। इसलिए भौतिक रूप से इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है।
- 10) खारिज किए गए और/या अप्रचलित के रूप में घोषित संयंत्र और मशीनरी को उनके बही में ₹8.14 लाख (पिछले वर्ष ₹10.01 लाख) मूल्य को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है, जिसे पूरी तरह से प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने एलेक्जेंड्रा और नेशनल की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक बड़े हिस्से का निपटान किया है, जो सभी बंद इकाइयां हैं।		सकल ब्लॉक 31.03.2017 को (₹)	डब्ल्यूडीवी 31.03.2017 को (₹)
मिलों का नाम	अचल परिसंपत्तियों का नाम		
एलेक्जेंड्रा	संयंत्र और मशीनरी	1,48,276.00	1,483.75
नेशनल	संयंत्र और मशीनरी	37,45,379.30	61,424.22
कुल		38,93,655.30	62,907.97



टिप्पणी - 11 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

- 12) कंपनी की नेशनल मिल यूनिट में पड़ी हुई चल-अचल संपत्तियों की कुछ वस्तुएँ, जिनकी कुल बही खाता राशि 31.03.2020 को ₹28422.16 लाख थी, वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के समय नहीं पाई गई थी, जिसके लिए कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी है। सम्मानित सुरक्षा सेवा प्रदाता के साथ मामले के अंतिम निपटान पर इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भी, नेशनल मिल यूनिट के कारखाना परिसर में चोरी की और घटनाएं हुईं तथा 31.03.2021 को ₹33171 के कुल बही मूल्य वाले संयंत्र और मशीनरी के विभिन्न मदों को सम्मानित सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा चोरी के रूप में रिपोर्ट किया गया। कंपनी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में वर्ष के दौरान उक्त चोरी के संबंध में आवश्यक एफआईआर दर्ज की है और बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है। इस खाते में आवश्यक समायोजन कंपनी द्वारा दायर बीमा दावों के निपटान पर किया जाएगा जो अभी तक बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं।
- 13) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को बंद की घोषणा की। बंद होने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूर्व-एलएमए कार्य (सभी चल और अचल संपत्तियों का सत्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन) केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, एनबीसीसी (आई) लिमिटेड के माध्यम से चल रहा है। यह रिपोर्ट अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने और उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किए जाने के बाद, पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव लेखा बही में दिया जाएगा।
- 14) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रोपराइटर द्वारा दायर एक आवेदन के अनुसार विशिष्ट दिशा के लिए प्रार्थना के साथ उनके पक्ष में धारा 36(2) के अधीन ₹1106.76 लाख की पुरस्कृत राशि सुरक्षित करने के लिए एनजेएमसी लिमिटेड को उच्च न्यायालय के रजिस्टर के साथ सम्मानित राशि जमा करने के लिए और उसकी अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एनजेएमसी पर निषेधाज्ञा की प्रार्थना के साथ एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्ति की कस्टडी लेने के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए दिया गया। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2022 द्वारा उपरोक्त पार्टी के पक्ष में उक्त आवेदन की अनुमित दी है। लर्नेड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए गए फैसले की वैधता को चुनौती दे कर कंपनी ने आर्बिट्रेशन अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन किया है।
- 15) फ्रीहोल्ड भूमि में शामिल है आरबीएचएम कटिहार यूनिट के संबंध में 15 एकड़ (लगभग) भूमिका भूखंड, जिसके स्वामित्व का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के अधीन है।
- 16) बर्डजूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने दक्षिण दमदम नगर पालिका द्वारा 94.37 कड़ भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। चूंकि मामला मुकदमेबाजी के अधीन है, इसलिए आवश्यक समायोजन अगर जरूरी हुआ, मामले का निपटारा होने पर खातों में किया जाएगा।
- 17) बर्डजूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने शोभनाथ सिंह और अन्य द्वारा 0.5412 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए सियालदह कोर्ट के समक्ष एक टाइटल सूट दायर किया है। चूंकि मामला मुकदमेबाजी के अधीन है, इसलिए आवश्यक समायोजन अगर जरूरी हुआ, मामले का निपटारा होने पर खातों में किया जाएगा।

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड



टिप्पणी-12 गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
व्यापार निवेश				
संख्या	संख्या			
सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत				
250	250	यूनियन नॉर्थ जूट मिल्स एंफ्लॉइज को ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*	-	-
संबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत				
5	5	किन्निसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	-	-
अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धत				
180	180	डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
111	111	बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
63	63	चेविओट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	-	-
			0.02	0.02
अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत				
180	180	हाथीखीरा टी कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
1200	1200	जयपुर उद्योग लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	0.02	0.02
95	95	बजबज कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
95	95	डेल्टा जूट एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 4/- प्रत्येक)*	-	-
20	20	दि गंगेज मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*	-	-
2	2	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/ प्रत्येक)*	-	-
26	26	दि एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	-	-
600	600	विलार्ड इंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
3	3	लाउरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपर्टी कंपनी लिमिटेड 3 सं. (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
100	100	वेभरली जूट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 50/- प्रत्येक)	0.01	0.01
36972	36972	ब्रितानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में) (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*	-	-
2700	2700	टीटागढ़ जूट फैक्टरी पी एल सी में 1 पांड का 2700 स्टॉक (अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रत्येक)*	0.11	0.11
47710	47710	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	4.50	4.50
500	500	सोनाकुंडा वेलिंग कंपनी लिमिटेड	0.45	0.45
716	716	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) (पी) लिमिटेड	1.46	1.46
			6.59	6.59



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-12 गैर चालू निवेश (जारी)

(रु. लाख में)

शेयर/प्रतिभूति/बॉन्ड्स/ यूनिट्स
की संख्या

		(बी) प्रेफरेंस शेयरों में निवेश			
700	700	जे.एफ.लॉ एंड कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*	-	-	
305	305	सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड का 5% दूसरा प्रेफरेंस शेयर	0.24	0.24	
			0.24	0.24	
		(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य निवेश			
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹ 700/- परिपक्व)	0.01	0.01	
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹ 5,300/-)	0.04	0.04	
		7 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट :			
		पुराना सिरीज	0.05	0.05	
		नया सिरीज	0.15	0.15	
		वेस्ट बंगाल एस्टेट एक्वीजीशन कंपनसेशन बांड	0.01	0.01	
		12 वर्षों का नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट	0.01	0.01	
		भारत सरकार 5.5% ऋण 1999 (अंकित मूल्य ₹ 42,500/-)	0.42	0.42	
		12 वर्षों का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट	0.01	0.01	
		12 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट	0.04	0.04	
			0.90	0.90	
		(डी) डिबेंचर में निवेश-अनुद्धृत			
		ईस्ट इंडियन क्लिनिक लिमिटेड, 5% गैर प्रतिदेय डिबेंचर	0.36	0.36	
10000		ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% पंजीकृत गैर-प्रतिदेय डिबेंचर स्टॉक	0.10	0.10	
			0.46	0.46	
कुल			8.21	8.21	
घटायें: प्रावधान					
कुल			-	-	
		*उस बही मूल्य को दर्शाता है जिसका ₹ 1,000/ से कम है			
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बही मूल्य	-	-	
		अनुद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बही मूल्य			
		घटायें: प्रावधान	-	-	
		कुल उद्धृत और अनुद्धृत गैर-चालू निवेश	-	-	
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	

अतिरिक्त जानकारी

- (1) यूनिट: नेशनल - किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत) बुक वैल्यू ₹ 1/- के साथ प्रत्येक ₹ 100 के 5 इक्विटी शेयरों का निवेश नेशनल कंपनी लिमिटेड के नाम पर है, जो निगम के नाम पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है।
- (2) यूनिट: यूनियन - कुछ निवेश (पुस्तक मूल्य ₹ 8981/-) तत्कालीन यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत होना जारी है।
 - (i) कुल निवेशों में से, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में किए गए निवेश के सम्बन्ध में दस्तावेज राष्ट्रीयकरण के बाद से पता लगाने योग्य नहीं हैं। इस मामले को



टिप्पणी-12 गैर चालू निवेश (जारी)

बोर्ड के समक्ष उठया गया है और इसे फोरेंसिक ऑडिट में शामिल करने की सलाह दी गई है, जोकि प्रक्रियाधीन है। हालांकि लेखा पुस्तकों में पूरा प्रावधान किया गया है।

- (ii) शेयरों में कुल निवेश में शामिल हैं डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड नामक दो (2) स्ट्रक ऑफ कंपनियों में निवेश, जिनका कुल बहीमूल्य ₹0.02 लाख है, जिसके तहत पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (iii) बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा 500 अदद साधारण शेयरों में निवेश किया गया और सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड बांग्लादेश के 305 अदद 5% द्वितीय प्रेफरेंस शेयरों को लेंस डाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर लिया गया था, जो पूर्व में कंपनी का नाम था। कंपनी ने वर्ष 1978 में एनिमी संपत्ति के अभिरक्षक, भारत सरकार के पास दावे (शेयर प्रमाणपत्र सहित) दर्ज किए थे। भारत सरकार के पास दर्ज किए गए दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश से कोई सूचना न मिलने पर पूरे प्रावधान किए गए हैं।
- (iv) बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड और मेसर्स बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) (प्रा.) लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में पूर्व के वर्षों में पूरा प्रावधान किया गया था।
- (v) ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड से 5% पंजीकृत गैर-प्रतिदेय डिबेंचर स्टॉक (1957) पर ब्याज पिछले कई वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही बही खाते में ब्याज का हिसाब नहीं लगाया गया है। बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा खातों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (vi) ₹0.16 लाख की राशि का नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट बहुत पहले ही परिपक्व हो चुका है लेकिन ये सर्टिफिकेट केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मुक्त नहीं किए गए हैं और ऐसे सर्टिफिकेट पर कोई आय दर्ज नहीं की गई है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास सर्टिफिकेट जमा करने के समर्थन में दस्तावेज नहीं दिखाया गया है। बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा खातों में पूर्ण प्रावधानिकया गया है।

टिप्पणी-13 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(असुरक्षित अच्छा माना गया)		
(i) पूंजी अग्रिम	3.59	3.59
घटाएं: मशीनरी अग्रिम के लिए प्रावधान	3.59	3.59
कुल	-	-

मशीनरी की खरीद के लिए बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा दिए गए पूंजी अग्रिम लंबे समय से खातों में पड़े हुए हैं, जिसके लिए पार्टियों से कोई पुष्टि प्राप्त/ग्रहण नहीं हुई है। पहले के वर्ष में पूर्ण प्रावधान किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-14 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

(i) बैंक के साथ गैर-चालू सावधि जमा

31.03.2023 के बाद परिपक्व होने वाली बैंक में सावधि जमा

(ii) प्रतिभूति जमा

घटाएं: प्रतिभूति जमा के लिए प्रावधान

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(i) बैंक के साथ गैर-चालू सावधि जमा	1781.61	-
(ii) प्रतिभूति जमा	8.67	8.67
	1790.28	8.67
घटाएं: प्रतिभूति जमा के लिए प्रावधान	1.36	1.36
	1788.92	7.31

(i) बैंक में गैर-चालू सावधि जमा का विवरण

(रु. लाख में)

एफडी सं.	परिपक्वता तिथि	31/03/22 तक राशि
एफडी 301603030131379	02.06.2023	126.89
एफडी 301603030131380	03.06.2023	206.95
एफडी 301603030131381	04.06.2023	206.92
एफडी 301603030131383	05.06.2023	206.90
एफडी 301603030131384	07.06.2023	206.84
एफडी 301603030131386	08.06.2023	206.82
एफडी 301603030131387	09.06.2023	206.79
एफडी 301603030131388	10.06.2023	206.76
एफडी 301603030131392	11.06.2023	206.74
कुल		1781.61

(ii) विभिन्न सांविधिक निकायों के साथ बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की प्रतिभूति जमा लंबे समय से बहियों में पड़े हुई हैं, जिसके लिए कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी के पास पड़ी हुई ₹7.31 लाख की जमा राशि के अलावा पार्टियों से कोई पुष्टि प्राप्त/ग्रहण नहीं हुई है। शेष राशि का प्रावधान पूर्व के वर्ष में किया गया है।



टिप्पणी-15 वस्तुसूचियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
क) कच्चा माल (कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)	133.62		138.61	
घटायें: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.04	133.58	0.04	138.57
ख) कार्य प्रक्रियाधीन (अनुमानित लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)		63.38		63.38
ग) तैयार माल (कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)	167.51		204.51	
घटायें: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	5.03	162.48	5.03	199.48
घ) भंडार और पुर्जे (लागत पर)	382.42		382.42	
घटायें: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	156.54	225.88	156.54	225.88
च) व्यापार में स्टॉक	15.45		15.45	
घटायें: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	15.45	-	15.45	-
कुल		585.32		627.31

अतिरिक्त जानकारी

होलिंग कंपनी ने वर्ष 2015-16 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। उस वर्ष से वस्तुसूची का कोई उत्पादन/बिक्री नहीं हुई है। हालांकि वस्तुसूची कंपनी की सुरक्षित अभिरक्षा में पड़ी है, स्टॉक के खराब होने के कारण मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वस्तुसूची के मूल्य को तदनुसार समायोजित किया गया है और मूल्य में परिणामी कमी को वर्ष के दौरान अवलेखित किया गया है और असाधारण मद के रूप में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

अप्रचलित भंडारों और स्टॉक के लिए प्रावधान विभिन्न पिछले लेखांकन वर्षों में किया गया है, जिसे सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में दर्शाना जारी रखा जा रहा है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-16 व्यापार प्राप्त

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया				
क) असुरक्षित - अच्छा माना गया	288.56		267.39	
- संदिग्ध माना गया	259.80		259.80	
	<u>548.36</u>		<u>527.19</u>	
घटाएँ:संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान*	500.19	48.17	471.13	56.06
ख) अन्य प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया		-		-
कुल		<u>48.17</u>		<u>56.06</u>

*बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए वर्ष के दौरान ₹29.06 लाख का प्रावधान किया गया है।

व्यापार प्राप्तियों का विवरण और काल क्रम अनुसूची:**

(रु. लाख में)

31.03.2022 को व्यापार प्राप्तियों का आयु वार विश्लेषण								
विवरण	बिल रहित बकाया	देय नहीं	प्राप्ति की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

31.03.2021 तक प्राप्त व्यापार का आयुवार विश्लेषण								
विवरण	बिल रहित बकाया	देय नहीं	प्राप्ति की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1 - 2 साल	2 - 3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

**सिर्फ होलिंग कंपनी के संबंध में व्यापार प्राप्तियों का विवरण और काल क्रम अनुसूची दी गई है। सहायक कंपनी की व्यापार प्राप्तियों को उपरोक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि सहायक कंपनी द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।



टिप्पणी-17 नकद और बैंक में जमा शेष राशि

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) नकद और नकद समतुल्य		
शेष राशि:		
(i) बैंक खाता में	82.77	135.80
(ii) स्वीप खाता	149.35	109.78
(iii) हाथ में नकद	0.12	0.48
(iv) अल्पावधि सावधि जमा	178.61	-
	<u>410.85</u>	<u>246.06</u>
ख) अन्य बैंक जमा राशि		
(i) बैंकों में सावधि जमा खातों में:		
(ए) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि होना	2,309.06	223.90
(बी) अन्य सावधि जमा	114.48	4,526.73
(ii) मार्जिन राशि	3.10	3.10
	<u>2,426.64</u>	<u>4,753.73</u>
घटायें: मार्जिन राशि के तहत प्रावधान	3.10	3.10
	<u>2,423.54</u>	<u>4,750.63</u>
कुल	<u>2,834.39</u>	<u>4,996.69</u>

अतिरिक्त जानकारी

- क) बैंक खातों में शेष राशि में शामिल हैं बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में पड़े हुए ₹18.10 लाख, जिसे प्रमाणपत्र अधिकारी, ईएसआईसी द्वारा अपने बकाये के संबंध में संलग्न किया गया है (पिछले वर्ष ₹18.10 लाख)।
- ख) ₹3.10 लाख की मार्जिन राशि एक बहुत पुरानी शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे अग्रेसित किया जा रहा है। उसी के अनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।
- ग) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के निम्नलिखित पुराने बैंक खाते जिनमें कोई लेनदेन नहीं किया गया है और निष्क्रिय हैं।

बैंकर का नाम		बही शेष (₹ में) 31.03.2022 को	बही शेष (₹ में) 31.03.2021 को
वैश्य बैंक, एन.एस. रोड, कोलकाता	पुष्टि नहीं	804.15	804.15
सिडिकेट बैंक, मद्रास	पुष्टि नहीं	963.00	963.00
सिडिकेट बैंक, कलकत्ता (पीसीएल)	पुष्टि नहीं	683.00	683.00

संबंधित बैंकों से पुष्टि के लिए कदम उठाए गए हैं। पुष्टि प्राप्त होने पर सहायक कंपनी द्वारा उचित समायोजन किया जाएगा।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-18 अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
क) ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित - अच्छा समझा गया (संबंधित पार्टी के अलावा)	1,083.65		1,088.65	
घटायें: प्रावधान	5.44	1,078.21	5.44	1,083.21
ख) टीडीएस और अन्य आयकर				
- अच्छा समझा गया	780.53		734.43	
- संदिग्ध माना गया	443.52		444.95	
	1,224.05		1,179.38	
घटायें: प्रावधान	424.08	799.97	424.08	755.30
ग) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि				
असुरक्षित - अच्छा समझा गया	-		-	
- संदिग्ध माना गया	12.10		12.10	
	12.10		12.10	
घटायें: प्रावधान	12.10		12.10	-
घ) जीएसटी इनपुट क्रेडिट	279.14		205.26	
घटायें: प्रावधान	40.70	238.44	40.70	164.56
च) भुगतान किया गया अतिरिक्त जीएसटी टीडीएस				0.11
छ) भुगतान किया गया अतिरिक्त टीडीएस				0.13
ज) अन्य*				
असुरक्षित - अच्छा समझा गया	0.21		0.67	
- संदिग्ध माना गया	458.69		459.58	
	458.90		460.25	
घटायें: प्रावधान	457.67	1.23	457.38	2.87
कुल	2,117.85		2,006.18	

अतिरिक्त जानकारी

1. *अन्य में शामिल

- यूनिट खरदाह के संबंध में ₹11.33 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹11.33 लाख) जो वर्ष 1982-83 में रेलवे किराये के जमा/भुगतान के मामले में धन का दुरुपयोग दर्शाती है। मामला न्यायाधीन है। हालांकि, खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- यूनिट नेशनल के संबंध में ₹24.00 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹24.00 लाख) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल कामगारों की भविष्य निधि के ट्रस्टी को भुगतान की गई है, जो दलालों से प्राप्त की जाने वाली उक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त आय को उक्त ऋण की वापसी के लिए विनियोजित किया जाएगा इस शर्त पर दलालों से प्रतिभूतियों की प्राप्ति न होने के कारण होने वाली निधि में ब्याज की हानि को पूरा करने के लिए है। चूंकि आय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया है और खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- यूनिट नेशनल से संबंधित दिनांक 31 अगस्त, 1986 को आग लगने के कारण नष्ट हुये तैयार मालों के स्टॉक मूल्य के लिए दावों की शेष राशि एवं अचल परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए दावों की शेष राशि क्रमशः ₹32.76 लाख (पिछले वर्ष



टिप्पणी-18 अल्पावधि ऋण और अग्रिम (जारी)

₹32.76 लाख) एवं ₹2.24 लाख (पिछले वर्ष ₹2.24 लाख) है। उपरोक्त शेष राशि को अस्वीकार करने के बाद अंततः राष्ट्रीय बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावे का निपटान किया गया। कंपनी ने इस मामले को आर्बिट्रेटर के पास फिर भेजने के लिए इसे संबंधित मंत्रालय, नई दिल्ली के पास प्रेषित किया है, जैसा कि दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों का निपटारा करने के दिशानिर्देशों के अधीन अपेक्षित है। इस मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और उक्त के तहत खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।

- iv) ₹10.39 लाख की राशि कंपनी के अधिकारियों के लिए वीआरएस पैकेज हेतु अग्रिम का प्रतिनिधित्व करती है। खाते में ₹10.39 लाख की सम्पूर्ण राशि के लिए प्रावधान किया गया है।
2. ₹238.45 लाख (पिछले वर्ष ₹164.56 लाख) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट अच्छा माना गया है क्योंकि इसे भविष्य की जीएसटी देनदारियों के तहत समायोजित किए जाने की संभावना है।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को ₹1200.00 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आधार पर उनकी पत्र संख्या एफ.सं.21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 के मार्फत दिया गया था। दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि ₹1078.21 लाख थी। समझौता ज्ञापन की शर्त के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से 2 वर्षों के भीतर कंपनी की परिसंपत्ति की बिक्री से ऋण चुकाया जाएगा।
4. होल्डिंग कंपनी के स्रोत पर आय कर कटौती (टीडीएस) की कुल राशि ₹1172.65 लाख है। उक्त कर निर्धारण का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस राशि (₹लाख में)
पुराना जमा शेष राशि		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
कुल		1172.65

पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर रिफंड और उस पर स्वीकार्य ब्याज को विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में बकाया मांगों के विरुद्ध समायोजित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा ऐसी मांग के संबंध में विवरण/दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका। तदनुसार, कंपनी ने न्यायिक आयकर प्राधिकरण के साथ मामले को उठाया, जिसने प्रासंगिक आदेशों की प्रतियां प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके तहत उक्त निर्धारण वर्ष की मांग उठाई गई और कंपनी को सीपीसी बैंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी गई।

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सीपीसी-बैंगलोर से भी संपर्क किया गया था, जिनसे अभी तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी उचित तरीके से इस मामले से निपटने का इरादा रखती है और आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/विवरण प्राप्त करने के बाद इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-19 अन्य चालू संपत्तियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
क) जमा राशियों पर अर्जित ब्याज	10.89		15.54	
घटायें: प्रावधान	1.80	9.09	1.80	13.74
ख) प्रतिभूति जमा				
असुरक्षित - अच्छ माना गया	44.84		179.24	
- संदिग्ध माना गया	11.47		11.47	
	56.31		190.71	
घटायें: प्रावधान	11.47	44.84	11.47	179.24
ग) अन्य	227.48		225.66	
घटायें: प्रावधान	160.91	66.57	160.91	64.75
कुल		120.50		257.74

टिप्पणी-20 परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जूट उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-21 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) ब्याज आय				
बैंक में जमा राशियों से ब्याज	248.11		281.36	
प्राप्त किराया	128.77	376.88	116.03	397.39
ख) अन्य गैर-परिचालन आय		22.31		2.10
कुल		399.19		399.49

अतिरिक्त जानकारी

क) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए ₹48,362 लाख की राशि का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। इसमें से ₹41,571.41 लाख की राशि 31.03.18 तक जारी की जा चुकी है। उसमें से अव्ययित राशि को फिलहाल बैंक की सावधि जमा में निवेश किया गया है। उस पर अर्जित ब्याज को वर्ष 2011-12 से लगातार कंपनी की आय माना जा रहा है। 31 मार्च, 2016 को जारी ₹144.00 लाख की आईएसडीएस निधि को भी सावधि जमा में निवेश किया गया है। यह ब्याज ऊपर दर्शाई गई बैंक में जमा राशियों से होने वाली ब्याज आय में भी शामिल है।



टिप्पणी-21 अन्य आय (जारी)

ख) अन्य गैर परिचालन आय में शामिल हैं

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i) सरकारी अनुदान से अधिग्रहीत संपत्ति के लिए मूल्यहास समायोजन	0.10	0.10
ii) सीईएससी से ब्याज	0.85	-
iii) प्रावधान वापस लिखा गया	2.15	1.20
iv) आयकर वापसी पर ब्याज	15.91	-
v) अन्य	1.81	0.80
vi) प्राप्त लाभांश	0.11	-
vii) बीमा दावा	1.37	-
कुल	22.31	2.10

टिप्पणी-22 उपयोग की गई कच्चे माल का लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक स्टॉक	138.57	138.57
घटाएं: वस्तुसूची के मूल्य को बढ़े खाते में डालना	4.99	-
जोड़ें: खरीद	-	-
	133.58	138.57
घटाएं: अंतिम स्टॉक (किए गए शुद्ध प्रावधान)	133.58	138.57
उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत (प्रक्रिया हानि सहित)	-	-
अतिरिक्त जानकारी		
i) उपभोग किए गए कच्चे माल में शामिल हैं: कच्चा जूट		
ii) स्वदेशी	-	100%

किन्निसन, खरदाह और आरबीएचएम (कटिहार) नामक तीन पुनरुद्धार मिलें वर्ष 2016 के मध्य से निष्क्रिय रही हैं। पूर्ववर्ती बीआईएफआर के अनुसूच भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए कच्चे माल की खपत नहीं होती है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-23 तैयार माल की वस्तुसूची में परिवर्तन, व्यापार में स्टॉक और प्रक्रियाधीन कार्य

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्ष की शुरुआत में वस्तुसूचियाँ				
तैयार माल	204.51		204.51	
व्यापार में स्टॉक	15.45		15.45	
प्रक्रियाधीन कार्य	63.38		63.38	
	<u>283.34</u>		<u>283.34</u>	
घटाएं: बट्टे खाते लिखेतैयार माल की वस्तुसूची का मूल्य	37.00		-	
घटाएं: तैयार और व्यापारिक माल की वस्तुसूची के तहत प्रावधान	20.48	225.86	20.48	262.86
	<u>167.51</u>		<u>204.51</u>	
वर्ष के अंत में वस्तुसूची				
तैयार माल	167.51		204.51	
व्यापार में स्टॉक	15.45		15.45	
प्रक्रियाधीन कार्य	63.38		63.38	
	<u>246.34</u>		<u>283.34</u>	
घटाएं: तैयार और व्यापारिक माल की वस्तुसूची के तहत प्रावधान	20.48	225.86	20.48	262.86
शुद्ध वृद्धि/(कमी)				
कुल		<u>-</u>		<u>-</u>

टिप्पणी-24 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन	98.66		80.66	
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	2.46		1.32	
ग्रेच्युटी	-		-	
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.75		0.02	
कुल	<u>101.87</u>		<u>82.00</u>	

टिप्पणी-25 वित्त लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
सरकार से उधार पर ब्याज	425.50		419.57	
अन्य उधारों पर ब्याज	-		-	
कुल	<u>425.50</u>		<u>419.57</u>	



टिप्पणी-26 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
		(रु. लाख में)
किराया	19.73	16.78
दरें और कर	23.28	18.08
पेशेवर प्रभार	48.17	3.19
किराया प्रभार (मशीन और कार)	12.69	8.35
यात्रा और वाहन	7.43	3.40
संचार	0.45	0.53
छपाई और स्टेशनरी	2.20	1.21
कंप्यूटर व्यय	0.60	0.25
बीमा - निगमित और शाखा	21.88	8.89
नगरपालिका एवं संपत्ति कर - शाखा	27.43	22.00
मरम्मत और रखरखाव -अन्य	13.95	2.14
मरम्मत और कार्यालय रखरखाव - शाखा	1.70	3.79
सुरक्षा व्यय - निगमित	42.06	38.09
सुरक्षा व्यय - शाखा	270.09	251.81
विद्युत प्रभार - निगमित	7.27	7.10
विद्युत प्रभार - शाखा	12.25	13.04
सामान्य व्यय - शाखा	2.71	1.07
मांगने पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि का भुगतान - शाखा	4.92	4.12
अन्य सामान्य व्यय - शाखा	1.14	0.90
पीएफ प्रशासनिक व्यय - शाखा	0.54	-
विविध कानूनी व्यय - शाखा	-	0.46
कानूनी प्रभार	10.38	8.13
बैंक प्रभार	0.17	0.17
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्तियों के लिए प्रावधान	29.06	4.90
पूर्व अवधि मद (शुद्ध)	16.53	121.27
विविध व्यय	5.82	12.37
विलंबित भुगतानों पर ब्याज और जुर्माना	20.81	4.22
विज्ञापन	0.32	1.68
	603.58	557.94



टिप्पणी-26 अन्य व्यय (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक:		
क) सांविधिक लेखापरीक्षक:		
i) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.67	1.67
ख) अन्य लेखापरीक्षक		
i) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.51	0.36
ii) अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.49	-
	<u>2.67</u>	<u>2.03</u>
कुल	606.26	559.97

अतिरिक्त जानकारी

i) पूर्व अवधि मदों में शामिल हैं:

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पूर्व अवधि व्यय	16.14	121.27
मूल्यहास	0.39	-
	<u>16.53</u>	<u>121.27</u>

टिप्पणी-27 आय प्रति शेयर

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(813.21)	(702.56)
इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या	557974	557974
प्रति शेयर आय (रु.) - मूल	(145.74)	(125.91)
प्रति शेयर आय (रु.) - मिश्रित	(145.74)	(125.91)



टिप्पणी-28: अन्य व्याख्यात्मक सूचना

- 1) भारत सरकार ने दिनांक 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार, ओ.एम. सं. डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग) दिनांक 14.06.2018 के मार्फत जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बंद किया जाना है।

निर्देश के अनुसार, व्याज मुक्त ऋण की अदायगी के लिए भारत सरकार को ₹20,000 लाख वापस कर दिए गए हैं और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से संयंत्र और मशीनरी आदि के निपटान के लिए मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को ई-नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों दिनांक 14.06.2018 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की परिसम्पत्तियों के सत्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है जो प्रक्रिया के अधीन है। एनबीसीसी इंडिया ने असाइनमेंट शुरू कर दिया है और 21 सितंबर, 2020 को अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुछ विसंगतियां देखी हैं जो एनबीसीसी इंडिया को बता दी गई थीं। परिसंपत्तियों का पुनर्सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

- 2) संबंधित पार्टी लेनदेन

i) पार्टियों का विवरण:

संबंध का विवरण	संबंधित पार्टियों के नाम
कंट्रोलिंग पार्टी	भारत के माननीय राष्ट्रपति
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती (सीएमडी)
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	श्री हेमंत नंदा (निदेशक)
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	श्री ईमान अली मंडल (निदेशक)
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	सुश्री मोहिनी वर्मा (सीएस)

- ii) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेनदेन और 31 मार्च 2022 को बकाया राशि का विवरण:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ: कंपनी सचिव के रूप में भुगतान किया गया पारिश्रमिक	3.10	4.39
---	------	------

- 3) कर्मचारी लाभ व्यय में निदेशक का पारिश्रमिक निम्नानुसार शामिल है:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
भविष्य निधि कोष में योगदान	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी	शून्य	शून्य

- 4) प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	2021-22	2020-21
(क) शेयरों की भारत औसत संख्या	5,57,974	5,57,974
(ख) कर पश्चात लाभ/(हानि) (₹)	-813.21	-702.56
(ग) मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (बी/ए) (₹)	(145.74)	(125.91)
(घ) अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹)	1,000	1,000



टिप्पणी-28: अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

5) आय, व्यय, विदेशी मुद्रा में प्रेषण:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) विदेशी मुद्रा में व्यय/प्रेषण	शून्य	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

- 6) कंपनी का परिचालन सिर्फ घरेलू बाजार में बिक्री के लिए एकल जूट उत्पाद के निर्माण और बिक्री से संबंधित है। इसलिए लेखांकन मानक 17 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन सेगमेंट रिपोर्टिंग) के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- 7) कंपनी के पास वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति है। हालांकि, कंपनी द्वारा विगत कई वर्षों में किए गए पर्याप्त नुकसान और विनिर्माण गतिविधियों के निलंबन के मद्देनजर, आस्थगित कर संपत्तियों को विवेकपूर्ण मामले के रूप में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके तहत उक्त आस्थगित कर संपत्तियों को समायोजित किया जा सकता है। अपनी स्थापना के बाद से सहायक कंपनी द्वारा किए गए निरंतर नुकसान के मद्देनजर, आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके तहत ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है।
- 8) कंपनी ने लेखांकन मानक 28 के अनुसार अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर नुकसान का आकलन नहीं किया है। हालांकि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल अधिकांश संपत्तियां बेहद पुरानी हैं और उनका डब्ल्यूडीवी पहले से ही महत्वहीन हो गया है।



टिप्पणी-28: अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

9) होल्लिडिंग कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की गई विवादित देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क)	i) कंपनी ने यूनिट किन्सिन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु ऋण के रूप में दावे को स्वीकार नहीं किया है	16.43	21.35
	ii) कंपनी के खिलाफ पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकरण और बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकरण द्वारा "सी" फॉर्म को जमा नहीं करने के संबंध में दावा किया गया है, जिसे कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार अपील को तरजीह दिया है। (वित्तीय वर्ष 2010-11 ₹0.003, वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्सिन ₹0.002 लाख, खरदाह ₹2.88 लाख, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्सिन ₹43.96 लाख, खरदाह ₹38.04 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्सिन ₹67.02 लाख, खरदाह ₹40.18 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्सिन ₹27.47 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्सिन ₹3.18 लाख एवं ₹0.01 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18, खरदाह ₹0.11 लाख और किन्सिन ₹0.22 लाख)	223.09	223.09
	iii) सेवा कर की मांग	0.10	0.10
	iv) आकलन वर्ष 1990-91, 2007-08 और 2009-10 के संबंध में आयकर पोर्टल पर दिखाई देने वाली ब्याज की मांग, जो कंपनी के अनुसार सही नहीं है और जिसके लिए कंपनी ने न्यायिक आय कर प्राधिकरण के समक्ष मामले को उठाया है जिन्होंने सूचित किया कि उन्हें मांग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मामले को सीपीसी-बेंगलोर के समक्ष उठाने की सलाह दी गई। तदनुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने आरटीआई अधिनियम 2005 के अधीन स्पष्टीकरण की मांग की है। एनजेएमसी लिमिटेड को अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	676.17	676.17
	v) आयकर पोर्टल पर दिखाई देने वाली टीडीएस चूक और उस पर ब्याज के कारण उठाई गई मांगें।	1.59	3.21
ख)	प्रतिबद्धताएं	-	-
	कुल	917.38	920.71



टिप्पणी-28: अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

10) (i) होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की गई आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	इस निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने के लिए एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को निगम द्वारा बढ़ाई गई गारंटियां	0.97	0.97
ii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा बिक्री कर प्राधिकरण को जारी गारंटी	0.50	0.50
iii)	कंपनी के पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए गए दावे	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
iv)	विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित कंपनी के लेनदारों द्वारा मांगे गए ब्याज के दावे	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं

(ii) सहायक कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की गई आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
31 मार्च 1967 से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के 7% संचयी प्रेफरेंस शेयरों पर बकाया लाभांश	57.75	56.7
कुल	57.75	56.7

सहायक कंपनी ने 28.09.93 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में पुराने 7% संचयी प्रेफरेंस शेयरों को भुनाने और देय लाभांश के लिए देयता सहित इसके बदले में 15000 अदद 14% संचयी प्रेफरेंस शेयरों के नए अंक बनाने की मंजूरी दे दी है। सहायक कंपनी मामले को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ले गई है लेकिन चूंकि सहायक कंपनी को बीआईएफआर के पास भेजा गया है, इसलिए आरओसी द्वारा मामले को लंबित रखा गया है।



टिप्पणी-28: अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जारी)

11) समेकित शुद्ध परिसम्पत्तियों और लाभ या हानि का विवरण:

इकाई का नाम		शुद्ध परिसंपत्तियां यानी कुल संपत्ति में से घटाये कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा	
		% समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के रूप में	राशि	% समेकित लाभ या हानि के रूप में	राशि
क.	मूल कंपनी: राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	70.19%	(22851.59)	58.93%	(361.97)
ख.	सहायक कंपनी: बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	29.81%	(9706.22)	41.07%	(451.25)
		100.00%	(32,557.71)	100.00%	(813.21)

12) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06.12.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना

- (i) कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीड।

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18ए की उपधारा (1) के खंड (ए) के अधीन छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट विनिर्माण कंपनियों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा ले लिया गया था और उसके बाद सभी का स्वामित्व सक्षम कानूनों के माध्यम से इन कंपनियों की संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को केंद्र सरकार में निहित किया गया था। नेशनल जूट मिल को नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और रहस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रियकृत किया गया था और शेष पांच कंपनियों को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रियकृत किया गया था। इन राष्ट्रियकृत कंपनियों का स्वामित्व दिनांक 3 जून 1980 को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक नयी कंपनी एनजेएमसी लिमिटेड में निहित कर दिया गया था (नेशनल जूट मिल 10 जून 1980 से और शेष पांच मिलें 21 दिसंबर 1980 से)। एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर नहीं हैं ऐसी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

अचल संपत्ति का विवरण जो कंपनी के नाम पर नहीं है						
तुलनपत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹)	निम्न के नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या कर्मचारी है	जिस दिनांक से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम पर धारित ना होने का कारण
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	अलग से पता लगाने योग्य नहीं एफएआर में उल्लिखित ₹ 134752/- में शामिल	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	हालांकि, जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार, सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में निहित थीं, एनजेएमसी के नाम पर इस का हस्तांतरण अभी भी लंबित है।
	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 4,86,332.00	मैकिनॉन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 3,183.01	मायारानी देवी	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	अलग से पता लगाने योग्य नहीं एफएआर में उल्लिखित ₹ 240384.99/- में शामिल	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन	अलग से पता लगाने योग्य नहीं एफएआर में उल्लिखित ₹ 7911000/- में शामिल	द किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन		द केवल चुट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट खरदाह	₹ 515136.00	खरदाह कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट आरबीएचएम	₹ 2700000.00	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (लीज)	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भवन - अलीपुर रोड	₹ 200000.00	मैकिनॉन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - बीजेईएल	₹ 2,50,142/- में शामिल	लैसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	30 जून 1904	

* अलीपुर रोड, कोलकाता में संपत्ति पर टाइटल मुकदमेबाजी के अधीन है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

- ii) कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- iii) समेकन पर साख को छोड़कर कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं।
- iv) किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्धारित किए बिना संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण:

उधार कर्ता का प्रकार	व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिए गए ऋण/अग्रिम (व्यक्तिगत/संयुक्त रूप से)	मांग पर प्रति देय	चुकौती की शर्तें/अवधि निर्धारित है	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
				तुलनपत्र की तारीख को बकाया राशि (ब्याज सहित)	% कुल का	बकाया राशि (ब्याज सहित)	% कुल का
प्रमोटर							
निदेशक							
केएमपी							
संबंधित पार्टियां	सहायक कंपनी को	हां	नहीं	4898.10	81.96%	4818.59	81.72%

v) पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

(ए) पूंजी कार्य प्रगति में के लिए, निम्नलिखित कालक्रम अनुसूची दी जाएगी:

सीडब्ल्यूआईपी कालक्रम अनुसूची

क) कालक्रम अनुसूची

(रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च, 2022 को				
	निम्नानुसार अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति में परियोजनाएं निलंबित				24.86	24.86
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					-
कुल					24.86

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च, 2021 को				
	निम्नानुसार अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति में परियोजनाएं निलंबित				24.86	24.86
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					-
कुल					24.86

कैबिनेट द्वारा घोषित बंद के कारण पूरे सीडब्ल्यूआईपी को निलंबित माना गया है और बहियों में 100% प्रावधान किया गया है।

- vi) कंपनी के पास विकास के अधीन कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं है।
- vii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- viii) कंपनी के पास वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।



टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

ix) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादत न चूक कर्ता घोषित नहीं किया गया है।

x) **बंद पड़ी कंपनियों के साथ संबंध**

(रु. लाख में)

बंद पड़ी कंपनी का नाम	बंद पड़ी कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बंद पड़ी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा करना होगा	31.03.2022 को बकाया राशि	31.03.2021 को बकाया राशि
डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशी कंपनी	0.01	0.01
लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशी कंपनी	0.01	0.01
सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड, बांग्लादेश	इक्विटी शेयरों में निवेश (लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर धारित, जो सहायक कंपनी का पूर्ववर्ती नाम था)	निवेशी कंपनी	0.45	0.45
सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड, बांग्लादेश	प्रेफरेंस शेयरों में निवेश (लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर धारित, जो सहायक कंपनी का पूर्ववर्ती नाम था।)	निवेशी कंपनी	0.24	0.24
बेकर ग्रे एंड कंपनी	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशी कंपनी	1.46	1.46



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

- xi) एनजेएमसी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी के पास अपने रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को कोई सुरक्षित ऋण नहीं है। हालांकि, सुरक्षित ऋणों के संबंध में प्रभार या संतुष्टि पहले ही पूर्व के वर्षों में चुकायी गई।

प्रभार या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	वह अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 तक इस तरह के प्रभार को पंजीकृत किया जाना था	वह अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा 31 मार्च, 2021 तक इस तरह के प्रभार को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलम्ब की वजह
<p>प्रभारों का संक्षिप्त विवरण, जो एमसीए पोर्टल पर कंपनी के प्रभारों के सूचकांक में खुली स्थिति दिखा रहा है:</p> <p>1. यूको बैंक के साथ 10.12.1981 और 16.08.1981 को ₹ 36 लाख और ₹ 50 लाख की राशि बनाई गई थी। संपत्ति का विवरण जिस पर उक्त प्रभार सृजित किया गया है, जैसा कि उल्लेख किया गया है "उधारकर्ता का कच्चे जूट का पूरा स्टॉक, कार्य प्रगति पर और तैयार माल और अन्य सभी वस्तुएं, माल स्टॉक और किसी भी प्रकार की चल संपत्ति जो अब या इसके बाद समय-समय पर इस सुरक्षा के दौरान स्टॉकों में या उधारकर्ता के परिसर में या उसके आसपास गोदाम, खुली जगह, कारखाने या जो कुछ भी वे हो सकते हैं, में लाया जाएगा, के साथ विशेष श्व से ऐसे स्टॉक जो उधारकर्ता के परिसर या वेयर हाउस/टीटागढ़, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित गोदामों में संग्रहीत या संग्रहीत किए जाने हैं। सभी उधारकर्ताओं के वर्तमान और भावी के बही ऋण, बिल मनी प्राप्य राशि कार्रवाई और दावों में चुनती है।"</p> <p>2. प्रभार 21/07/1981 को बनाया गया था और इसे 11/09/1986 को संशोधित किया गया था। ₹ 540 लाख की राशि के प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि और संपत्ति का विवरण जिस पर उक्त प्रभार बनाया गया है, जैसा कि उल्लेख किया गया है "कच्चे जूट, जूट उत्पाद, कोयला आदि सम्मिलित सभी प्रकार के कच्चे माल, कार्यप्रगति पर और तैयार माल" और निर्यात के अधीन सामान, जिसमें जूट के सामान, जूट कालीन, स्टोर, पुर्जे, पैकिंग सामग्री आदि शामिल हैं, खरदाह, पश्चिम बंगाल, युनिट: खरदाह में कारखाने के परिसर में रखे गए हैं।</p>	<p>निज़ाम पैलेस, दूसरा एमएसओ बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 234/4, ए.जे.सी.बी. रोड, कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल।</p>	<p>मामला बहुत पुराना होने के कारण पता नहीं चल सका है।</p>	<p>मामला बहुत पुराना होने के कारण पता नहीं चल सका है।</p>	<p>एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर बनाए गए सभी प्रभार आरओसी के साथ पंजीकृत हैं, चूंकि यूको बैंक (प्रभार आईडी 90249588 और 90249595) और सेंट्रल बैंक (चार्ज आईडी 90249585) के साथ बनाए गए दो प्रभारों की स्थिति अभी भी एमसीए पोर्टल पर खुली दिखाई दे रही है। इसलिए, उनके रिकॉर्ड के अनुसार उल्लिखित प्रभारों की स्थिति साझा करने के लिए संदर्भ सं. एनजेएमसी/सीओओ/2022-23/4951 और एनजेएमसी/सीओओ/2022-23/4952 के मार्फत दोनों बैंकों को पत्र भेजा गया है। प्रबंधन बैंकों के साथ मामले की जांच कर रहा है। स्थिति प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।</p>



टिप्पणी-29 अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

- xii) कंपनी ने कंपनी (पत्रों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के अधीन निर्धारित परतों की संख्या से परे कोई निवेश नहीं किया है।
- xiii) वित्तीय अनुपात: टिप्पणी 29 का अनुलग्नक-ए देखें।
- xiv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अधीन किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।
- xv) (ए) कंपनी ने इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या निकाय(यों) को अग्रिम या ऋण या निवेशितधन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या कोई भी अन्य स्रोत या कोष का प्रकार) नहीं दिया है, ताकि मध्यस्थ:
- (i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना;
- (बी) कंपनी को इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, कि कंपनी:
- (i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।
- xvi) कंपनी के पास ऐसी कोई अघोषित आय नहीं है जो बही खाते में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष-शून्य) आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है (जैसे कि खोज, सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम 1961 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- xvii) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xviii) कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीईएक्सजीपीआर8358

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06.12.2022

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मलय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी: अतिरिक्त नियामक सूचना (अनुलग्नक-ए)

अनुपात

अनुपात	फार्मूला (सूत्र)	न्यूमेरेटर में शामिल मद	भाजक में शामिल मद	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	% परिवर्तन	अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो
1. वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं	वस्तुसूची, व्यापार प्राप्ति, नकद और बैंक शेष, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य चालू परिसंपत्तियां	व्यापार देय, अन्य चालू देयताएं, अल्पकालिक प्रावधान	0.34	0.48	-29.36	बैंक में की गई गैर-चालू सावधि जमा के चलते
2. ऋण इकिवटी अनुपात	कुल ऋण/शेयर धारक निधि	अल्पावधि उधार + दीर्घावधि उधार	शेयर पूंजी, आरक्षित और अधिशेष	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों के लिए शेयरधारकों का फंड नकारात्मक है।
3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय/(व्याज + मूलधन का पुनर्भुगतान)	व्याज और कर + गैर-नकद व्यय और परिशोधन से पूर्वलाभ	मूलधन + व्याज और पट्टा भुगतान	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय दोनों वर्षों के लिए नकारात्मक है।
4. इकिवटी अनुपात पर वापसी (%)	शुद्ध आय/शेयर धारकों की इकिवटी	कर परचात शुद्ध लाभ - प्रेफरेंस लाभांश	औसत शेयर धारक इकिवटी	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि शेयर धारक की इकिवटी दोनों वर्षों में नकारात्मक है।
5. वस्तुसूची कारोबार अनुपात	सीओजीएस/औसत वस्तुसूची	सीओजीएस या बिक्री	औसत वस्तुसूची	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में माल की बिक्री नहीं हुई है।
6. व्यापार प्राय कारोबार अनुपात	शुद्ध उधार बिक्री/औसत खाला प्राय	शुद्ध उधार बिक्री	प्राय औसत खाते	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ है।
7. व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध उधार खरीदारी/औसत खाला देय	शुद्ध उधार खरीदारी	औसत खाता देय	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में सामग्री की कोई खरीद नहीं हुई है।
8. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	बिक्री/औसत कार्यशील पूंजी	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ है।
9. शुद्ध लाभ अनुपात (%)	शुद्ध लाभ/शुद्ध बिक्री*100	कर परचात शुद्ध लाभ	कुल आय	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि दोनों वर्षों में परिचालन से कोई राजस्व नहीं है।
10. नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	व्याज और कर पूर्व आय/सकल नियोजित पूंजी *100	व्याज और कर पूर्व आय (%)	मूत निवलमूल्य + कुल दीर्घावधि ऋण + आस्थगित कर देयता	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि नियोजित पूंजी दोनों वर्षों में नकारात्मक है।
11. निवेश पर वापसी (%)	निवेश से आय/औसत निवेश *100	निवेश से आय	औसत निवेश	1.37	0.07	1981.67	चालू वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष में लाभांश आय नगण्य थी।



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

CIN: U17232WB1980GOI032768

42nd ANNUAL REPORT 2021-22

C O N T E N T S

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Notice of Annual General Meeting	1
2.	Board of Directors & Other Details	2
3.	Director's Report	4
Standalone Financial Statements		
4.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	22
5.	Corrigendum to our Independent Auditors' Report	23
6.	Independent Auditors' Report	24
7.	Annexure to Auditors' Report	33
8.	Balance Sheet	43
9.	Statement of Profit & Loss	44
10.	Cash Flow Statement	45
11.	Notes to the Financial Statement	47
Consolidated Financial Statements		
12.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	84
13.	Independent Auditors' Report	85
14.	Annexure to Auditors' Report	96
15.	Balance Sheet	103
16.	Statement of Profit & Loss	104
17.	Cash Flow Statement	105
18.	Notes to the Financial Statement	107

BLANK



Ref. No. NJMC/42nd AGM/5197A

NOTICE FOR 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED is rescheduled to be held on Saturday, 31st day of December, 2022 at 12:30 PM through Video Conference mode to transact the following business:

Ordinary Business :

- 1) To consider and adopt the Audited Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022 and Statement of Profit & Loss Account and Cash Flow for the year ended 31st March, 2022 together with the Reports of Auditors and Directors and comments of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.
- 2) To take note of the appointment of Statutory Auditors and to fix their remuneration as appointed by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2022-23.

To consider, and if thought fit to pass, with or without modification the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 (“The Act”) M/s R. K. Patodi & Co., Chartered Accountants has been appointed as the Statutory Auditors of the Corporation for the year 2022-23 as per directives of the Comptroller & Auditor General of India at a remuneration of Rs. 1,37,000/- (excluding out of pocket expenses and GST) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the related rules thereon.

By Order of the Board

**(Mohini Verma)
Company Secretary**

Registered Office :

Chartered Bank Building, 2nd Floor
4, Netaji Subhas Road,
Kolkata -700001

Place : Kolkata

Dated : 30/12/2022

Note:

- 1) A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint an authorized representative to attend and vote instead of himself and he need not be a member.



**BOARD OF DIRECTORS
FROM 01.04.2021 TO 31.03.2022**

Chairman-cum-Managing Director	: Shri Moloy Chandan Chakrabortty (From 29.11.2019)
Directors	: Shri Shashank Priya (From 16.12.2020 - 01.07.2021) Shri Shashi Ranjan Kumar (From 01.07.2021) Shri Sanjay Sharan (From 14.02.2019 - 02.03.2022) Smt. Madhavi Agarwal (From 09.03.2020) Shri Bimal Chandra Das (From 12.11.2021)
Company Secretary	: Ms. Mohini Verma (From 01.02.2022) Ms. Malini Mahapatra (From 28.08.2019 - 30.09.2021)

PRESENT COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE

Smt. Madhavi Agarwal	: Chairperson (From 11.02.2022)
Shri Shashank Priya	: Chairman (Till 01.07.2021)
Shri Shashi Ranjan Kumar	: Member (Chairman from 01.07.2021 - 11.02.2022)
Shri Sanjay Sharan	: Member (Till 02.03.2022)
Shri Moloy Chandan Chakrabortty	: Member
Shri Bimal Chandra Das	: Member

Statutory Auditors	: R. K. Patodi & Co. Chartered Accountants 2, Church Lane, 4 th Floor, Suite No. 404A, Kolkata-700 001
---------------------------	---

Bankers	: Allahabad Bank UCO Bank Central Bank of India IDBI Bank Union Bank State Bank of India
----------------	---

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.



- Registered Office** : Chartered Bank Buildings, 2nd floor,
4, Netaji Subhash Road
Kolkata-700001
- Mill Units** : Alexandra, P.O. Jagatdal,
Dist.: North 24-Parganas,
Pin-743125, West Bengal
- : Khardah, P.O. Titagarh
Dist. North 24-Parganas,
Pin-700019, West Bengal
- : Kinnison, P.O. Titagarh
Dist. North 24-Parganas,
Pin-700019, West Bengal
- : National
Vill. Rajgunj, Sankrail,
P.O. Banipur, Dist. Howrah,
Pin-711304, West Bengal
- : Union
Convent Lane,
Kolkata-700015
- : RBHM
Katihar, P.O. & Dist. Katihar,
Pin-854105, Bihar
- Subsidiary Company** : Birds Jute & Exports Limited
Regd. Office: Chartered Bank Building,
1st Floor, 4, Netaji Subhash Road,
Kolkata-700001
- : Mill Unit
200, Dakshindari Road, (Near V.I.P. Road)
Kolkata-700048
(since 1986)



DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders,
National Jute Manufactures Corporation Limited

Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the 42nd Annual Report of NJMC Ltd. and Consolidated Audited Accounts for the year ended 31st March, 2022 together with the reports of Statutory Auditors and Comptroller and Auditor General of India thereon.

Financial Performance

The summarized performance of the Company for the financial years 2021-22 as compared to the previous year is given below:

Sl. No.	PARTICULARS	Consolidated		Standalone	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
I	Production (in M. Ton)	NIL	NIL	NIL	NIL
		₹ in Cr.	₹ in Cr.	₹ in Cr.	₹ in Cr.
II.	Revenue from Operations	-	-	-	-
III.	Other Income	3.99	3.99	3.44	3.57
IV.	Net Profit / (Loss) for the year	(8.13)	(7.03)	(3.53)	(2.39)
V.	Cash profit / (Loss)	-	-	-	-
VI.	Accumulated Profit/ (Loss)	(386.53)	(378.39)	(288.74)	(285.21)
VII.	Net Worth	(325.58)	(317.44)	(228.51)	(224.98)

The Company has earned a net loss of ₹(8.13) crores in comparison to net loss of ₹(7.03) crores in previous financial year after consolidation with its subsidiary whereas NJMC Ltd. alone earned a loss of ₹(3.53) crores in comparison to net loss of ₹(2.39) crores of previous financial year.

Present Status of the Company

The Union Cabinet has approved the closure of the Corporation on 10th October, 2018 and a letter in this regard was forwarded to us vide letter File No.11/18/2014-Jute (Vol III) dated 31st October, 2018. Further, it was also mentioned to follow the closure procedure as per DPE guidelines dated 14.06.2018.

As per the directives, M/s. NBCC (India) Ltd. has been engaged for Pre-LMA activities for verification, assessment and valuation of all movable and immovable property of the Organization. The NBCC (I) Ltd. submitted the re-verified report but NJMC Ltd. noticed further discrepancies and reported the same.

As per the directives M/s. MSTC Ltd. has been appointed as Auction Agency for disposal of Movable Assets and MOU has been signed on 25.03.2022 but the process will be commenced after finalization of Pre-LMA reports. The formation of Assets Sale Committee is in process to monitor the disposal of movable and immovable property of NJMC Ltd.

Regarding land parcels under NJMC Ltd., which are existing in the name of the erstwhile owner, NJMC Ltd has taken up the matter with Govt. of West Bengal and written letters to them to update the same in the name of NJMC Ltd.



The State Government of West Bengal and Bihar has shown interest in the lands and Principal Secretary Level Meetings conducted by the officials of NJMC Ltd. and their response is awaited.

NIFT Kolkata has requested NJMC Ltd. to transfer of land at Sealdah to set up of their new Campus.

Government of West Bengal vide letter have claimed ownership of land of NJMC Ltd. in the State of West Bengal and said it would not be fair for the Ministry of Textiles to attempt to sell, lease or allot such parcels of land in any manner without consent of the State Government. Both the Organizations are in process of taking legal opinion against the same from the Ministry of Law & Justice and a reputed Law Firm.

In accordance with the same, your corporation is complying with the guidelines and the status report on closure is regularly updated to the Ministry of Textiles.

1. Profit & Loss Analysis

During the financial year under review the company has earned loss of ₹(8.13) crores as against loss of ₹(7.03) crores in the previous year as per consolidated accounts, whereas NJMC Ltd. alone earned loss of ₹(3.53) crores as against loss of ₹(2.39) crores in the previous year.

2. Subsidiary Company – BJEL

The company has one subsidiary, namely Birds Jute and Exports Limited (BJEL). During the financial year 2018-19 the Union Cabinet has approved the closure of the organization on 10th October, 2018.

The statement containing the salient features of the Financial Statements of Company's Subsidiary Company under the first proviso to sub-section (3) of section 129 of Companies Act, 2013 is enclosed as AOC-1, the Annual Accounts of the Subsidiary Company shall be made available to the shareholders on demand.

3. Memorandum of Understanding (MOU)

The Memorandum of Understanding (MOU) has been signed dated 25.03.2022 with MSTC Ltd., an e-Auction agency, for disposal of Movable Assets of NJMC Ltd.

4. Corporate Governance

Company Philosophy

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at the attainment of high level of transparency, accountability and compliance of law in all facets of operations, leading to best standards of Corporate Governance.

The Company complies with the requirement of Corporate Governance as per Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010.

Board of Directors and details of Meetings attended during the year as on 31.03.2022.

Pursuant to the Articles of Association, all the Directors are appointed by the Government of India. The current composition of the Board of Directors and Meetings attended during the year are as follows:



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Name of Director	Designation	Particulars of Board Meetings held during the year (1 st April, 2021-31 st March, 2022)					Whether AGM Attended
		8 th April, 2021	22 nd July, 2021	8 th September, 2021	9 th November, 2021	11 th February, 2022	9 th November 2021
Shri Moly Chandan Chakraborty, Jute Commissioner	Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Shashank Priya, AS & FA (Cessation w.e.f. 01.07.2021)	Govt. Nominee Director	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA (Appointment w.e.f. 01.07.2021)	Govt. Nominee Director	NA	Yes	Yes	Yes	LoA	Yes
Shri Sanjay Sharan, JS, (Cessation w.e.f. 02.03.2022)	Govt. Nominee Director	Yes	Yes	Yes	LoA	LoA	Yes
Smt. Madhavi Agarwal	Non official Independent Director	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Bimal Chandra Das (Appointed w.e.f. 12.11.2021)	Non official Director	NA	NA	NA	NA	Yes	NA

Note:

- i. Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA has been appointed as Govt. Nominee Director w.e.f. 01.07.2021 vide letter no. 11/25/2014-Jute dated 01.07.2021 place of Shri Shashank Priya.
- ii. Shri Bimal Chandra Das, Non Official Director has been appointed w.e.f. 12.11.2021 vide letter no: F. No. 15/3/2021-Jute Government of India, Ministry of Textiles, Jute Section Dated 12.11.2021.
- iii. Shri Sanjay Saran, Joint Secretary, Ministry of Textile appointed as Govt. Nominee Director has relieved of his duty in this Ministry w.e.f. 02.03.2022 vide letter No. A.-19012/1/2018-Estt dated 02.03.2022.

Audit Committee

The Audit Committee of your Corporation was constituted in accordance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and regulations incidental/ancillary thereto to follow a good corporate practice keeping in view its basic requirement. The Audit Committee comprises of five (5) members and the quorum of the Audit Committee is two members. The present members of the Audit Committee comprises of:



Sl. No.	Name of Directors
1	Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director-Chairperson (w.e.f. 11.02.2022)
2	Shri Shashi Ranjan Kumar, Govt. Nominee Director - Chairman (till 11.02.2022)
3	Shri Sanjay Sharan, Govt. Nominee Director - Member (till 02.03.2022)
4	Shri Moloy Chandan Chakraborty, Chairman cum Managing Director-Member.
5	Shri Bimal Chandra Das Non-Official Director-Member

The current composition of the Audit Committee and Meetings attended during the year are as follows:

Name of Director	Designation	Particulars of Audit Committee Meetings held during the year (1 st April, 2021-31 st March, 2022)			
		8 th April, 2021	22 nd July, 2021	8 th September, 2021	11 th February, 2022
Shri Shashank Priya, AS & FA (Cessation w.e.f. 01.07.2021)	Chairman (till 01.02.2021)	Yes	NA	NA	NA
Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA (Appointment w.e.f. 01.07.2021)	Chairman (till 11.02.2022)	NA	Yes	Yes	Yes
Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director	Chairperson (w.e.f. 11.02.2022)	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Sanjay Sharan, JS (Cessation w.e.f. 02.03.2022)	Member	Yes	Yes	Yes	LoA
Shri Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, CMD (Addl. Charge)	Member	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Bimal Chandra Das Non-Official Director (Appointed w.e.f. 12.11.2021)	Member	NA	NA	NA	Yes

❖ The Audit Committee was reconstituted with the inclusion of Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA as the Chairman of the Committee in place of Shri Shashank Priya and inclusion of Shri Bimal Chandra Das as a member of the Committee. Later Smt. Madhavi Agarwal was designated as Chairperson of the Committee.

❖ The Company Secretary shall act as the Secretary to the Committee.

A brief description of the terms of reference of the Audit Committee are:

- Examination of the financial statement and auditor's report thereon.
- The recommendation for remuneration of auditors of the Company.
- Review and monitor the auditors' independence and performance and effectiveness of audit process.
- Approval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties.
- Scrutiny of inter-corporate loans and investments.
- Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.
- Evaluation of internal financial control and risk management system.
- Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters, if any.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

General Body Meetings:

		2018-19 (39th AGM)	2019-20 (40th AGM)	2020-21 (41st AGM)
01	Date	18.12.2019	31.12.2020	09.11.2021
02	Day	Wednesday	Thursday	Tuesday
03	Time	11:30 A.M	03:45 P.M.	03:30 P.M.
04	Venue	Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011.	Office of the Jute Commissioner, (Through Video Conferencing), C.G.O. Complex, 3rd MSO Building, 4th Floor, DF Block, Salt Lake City, Kolkata – 700064	Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011.

Disclosures

- i. Disclosures required under the Companies Act, Accounting Standard practice and other Applicable Acts/Rules.
- ii. Employees are free to report of violation of Rules/Regulations to their Supervisors/CVO/CMD.
- iii. The requirements as specified in the applicable guidelines have been complied with as far as possible/ applicable to it.
- iv. Presidential Directives issued by the Central Government have been complied with.
- v. No expenditure which is not for the purpose of business booked in the Books of Account.
- vi. No expenditure which is personal in nature has been incurred.

a. Other Information

- i) Board / Audit Committee Meeting and procedure: The information usually placed before the Board includes:
 - a. Confirmation of the Minutes.
 - b. Follow up action on decisions taken in the Board Meeting.
 - c. Updated status report on various issues.
 - d. Legal Matters.
 - e. Annual Accounts.
 - f. Auditors report including Concurrent Auditors' report.
- ii) Agenda for Board/Audit Committee Meetings: On fixation of dates of the Board/Audit Committee Meetings, the Agenda papers are prepared and are circulated to the Directors/Members within a stipulated time. Similarly the draft minutes of the meeting are circulated to the Directors/Members for their consideration and approval.
- iii) Post Meeting Follow up Mechanism: Follow up Reports on decisions recorded in the Draft Minutes of the previous meetings are discussed at the immediately succeeding meeting of the Board/Committee.
- iv) Recording of Minutes at Board/Committee Meetings: The Minutes of the proceedings of each Board/Committee Meetings are recorded by the Company Secretary. The Minutes are subsequently confirmed in the following Meeting of the Board/Committee and entered in the Minutes Book accordingly.

Code of Business Conduct

The Company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations.



5. DIVIDEND

Since the Corporation is suffering continuous loss and is under the process of closure in pursuance of a decision of the parliament, therefore, your Directors do not recommend any amount as dividend during the year 2021-22.

6. TRANSFER TO RESERVES

During the year under review, the Board of Directors does not recommend to transfer any amount to the reserves.

7. VIGILANCE

Vigilance Awareness Programme was observed from 26.10.2021 to 01.11.2021. During the said period, pledge (physical as well as e- pledge) was taken by all the employees of the Corporation to bring transparency in all spheres of activities for the eradication of corruption.

During the year under review, Shri Iman Ali Mandal, COO & DGM, NJMC Ltd. was handed over the charge of Part time Chief Vigilance Officer (CVO) w.e.f. 05.10.2018 and continuing since then.

8. PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation has been making continuous efforts to implement the directives of Official Language Policy of Govt. of India during the year under review.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required by Section 134(3) (c) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

- (i) In the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2022, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
- (ii) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March 2022, and of the profit and loss of the Company for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) The Directors had prepared the annual accounts for the year 2021-22 on a going concern basis.
- (v) The Company being unlisted, sub clause (e) of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls are not applicable.
- (vi) They have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all the applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.



10. BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

• Board of Directors

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Moloy Chandan Chakraborty Jute Commissioner and Chairman cum Managing Director (Additional Charge)	Chairman
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA	Govt. Nominee Director
3.	Shri Sanjay Sharan, JS	Govt. Nominee Director
4.	Smt. Madhavi Agarwal	Non-Official Independent Director
5.	Shri Bimal Chandra Das	Non-Official Director

NOTE:

• Directors

- Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA has been appointed as Govt. Nominee Director w.e.f. 01.07.2021 vide letter no. 11/25/2014-Jute dated 01.07.2021 place of Shri Shashank Priya.
- Shri Bimal Chandra Das, Non Official Director has been appointed w.e.f. 12.11.2021 vide letter no: F. No. 15/3/2021-Jute Government of India, Ministry of Textiles, Jute Section Dated 12.11.2021.
- Shri Sanjay Saran, Joint Secretary, Ministry of Textile appointed as Govt. Nominee Director has relieved of his duty in this Ministry w.e.f. 02.03.2022 vide letter No. A.-19012/1/2018-Estt dated 02.03.2022.

• Key Managerial Personnel

Ms. Mohini Verma has been appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 1st February, 2022.

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related Party Transactions made with the Subsidiary companies were exempted being transactions between two government companies and transactions entered between a holding and its Subsidiary Company whose accounts are consolidated with holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. Hence, Form AOC-2 is not prepared.

There are no materially significant related party transactions made by the Company which may have potential conflict with the interest of the Company.

The Company has not entered into any transaction with the Related Parties in contravention of Section 188 of the Companies Act, 2013.

12. RTI ACT, 2005

Your Corporation implemented the Right to Information Act, 2005 with the appointment of a Central Public Information Officer at the Registered Office. The information sought for is provided within stipulated time.

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the year under and in the preceding financial years the Corporation has continuous loss and the Cabinet has also approved the closure of the Corporation on 10.10.2018, hence CSR provisions under section 135 of the Companies Act, 2013 and related rules are not applicable to your Corporation.

14. DEPOSITS

During the period under review, your Corporation has neither accepted nor renewed any deposits.



15. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013.

During the year under review, there were no cases filed pursuant to The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

16. ORDERS PASSED BY REGULATORS/COURTS/TRIBUNALS.

- a. Order passed in reference to the arbitration matter of M/s Rajat Engineering Works, where an Award was passed on 28.12.2021 against NJMC Ltd for an amount of Rs. 11,06,76,409/- by the panel of Arbitrator in Arbitration proceedings between Rajat Engineering Works and NJMC Ltd.
- b. Another order passed in arbitration matter of Shri Balaji Corporation for appointment of Arbitrator, the Proprietor of Shri Balaji Corporation has filed an application u/s- 11 of Arbitration Act before the Hon'ble High court of Calcutta being AP No. 354 of 2022, wherein the Ld Court vide its order dated 27.07.2022 appointed a retired Judge of Calcutta High Court as Arbitrator in the aforesaid matter.

17. MATERIAL CHANGES & COMMITMENTS

Government of India has approved the closure of the Corporation dated 10.10.2018 to that extent it affects the Corporation.

18. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As required to be disclosed under the Companies Act, details relating to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are given in the Annexure I attached hereto and forms part of this Report.

19. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the Extract of Annual Return in form MGT-9 as required under Section 92 of the Companies Act 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as Annexure II and forms part of this report.

20. RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD COMMUNITIES

Government of India has approved the closure of the Corporation on 10.10.2018. At present no permanent employee exists in the roll of the company, thus the above is not applicable.

21. HUMAN RESOURCE POLICY AND INDUSTRIAL RELATIONS

In view of ongoing closure of the Corporation, NJMC Ltd. was suggested to operate the business with Contractual manpower, accordingly manpower are engaged on contractual basis. The recruited manpower is selected through agencies/ service providers and in conformity with the PSU selection process of open advertisement to get the best pool of manpower.

22. STATUTORY AUDITORS

M/s. R. K. Patodi & Co, Chartered Accountants, Kolkata has been appointed as the Statutory Auditors by the Comptroller And Auditor General of India for the financial year 2021-22 pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under as amended from time to time.

Your Corporation is not required to conduct Cost Audit pursuant to Section 148 of the Companies Act, 2013 in view of the ongoing closure of the Corporation and the Company has stopped all its production.



23. AUDIT OBSERVATIONS AND COMMENTS

During the year under review, the observations made by the statutory auditors are self explanatory and do not call for further comments under section 134 (3) (f) of the Companies Act, 2013.

24. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has an internal control system in place which is reviewed periodically. As a measure of internal control, the management has in place Internal Audit which is conducted by a team of Chartered Accountants every year.

25. REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comptroller and Auditor General of India, has reviewed the accounts of your company and their comments has been placed in Annexure III.

26. ACKNOWLEDGEMENT:

Your Directors are grateful to the various Ministries of the Government of India particularly the Ministry of Textiles, Ministry of Finance and the Department of Public Enterprise for their support and guidance to the company from time to time. They are also thankful for the co-operation received from the Government of West Bengal and Bihar. The Directors also place on record the continued association and support received from Company's Bankers, C&AG, Statutory Auditors and all its employees.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Place : Kolkata
Date : 31.12.2022



Form AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part “A”: Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the subsidiary	Birds Jute & Exports Ltd.
2.	The date since when subsidiary was acquired	29.09.1986
3.	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company’s reporting period	NA
4.	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries	NA
5.	Share capital	3948000
6.	Reserves & surplus	(1477546000)
7.	Total assets	51542000
8.	Total Liabilities	1525140000
9.	Investments	NIL
10.	Turnover	NIL
11.	Profit before taxation	(53746000)
12.	Provision for taxation	NIL
13.	Profit after taxation	53959000
14.	Proposed Dividend	NIL
15.	% of shareholding	58.92

(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
ACS: 52405



Annexure - I

Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

A. Conservation of energy:

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the conservation of energy clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

B. Technology Absorption

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the technology absorption clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

C. Foreign exchange Earnings and outgo

There were no foreign exchange earnings or outgo during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Place : Kolkata
Date : 31.12.2022



Annexure - II

Form No: MGT-9

Extract of Annual Return as on financial year ended 31.03.2022

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U17232WB1980GOI032768
ii)	Date of Registration	03/06/1980
iii)	Name of the company	National Jute Manufactures Corporation Limited
iv)	Category/sub. Category of the company	Company Limited by Shares/ Union Government Company
v)	Address of the Registered office and contact details	Chartered Bank Buildings, 4, N. S. Road, 2 nd Floor, Kolkata-700 001. Telephone: 033-22306434
vi)	Whether listed	No
vii)	Name Address and contact Details of Registrar an Transfer Agent, of any	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the Turnover shall be stated

All the six (6) mills of the Company are not in operation which has resulted in nil production during the year 2021-22

Sl No.	Name and Description of the main products/services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the Company
1.	N.A.	N.A.	N.A.

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1.	BIRDS JUTE & EXPORTS LIMITED	U17232WB1904GOI001579	Subsidiary Company	59%	2(87)



IV. SHARE HOLDING PATTERN
(Equity Share Capital Breakup as Percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year			No. of Shares held at the end of the year			% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	
A. Promoters							
(1) Indian							
a) Individual/ HUF	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Central Govt.	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
c) State Govt. (s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Bodies Corp.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Any Other...	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(1):-	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
(2) Foreign							
a) NRIs – Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Other – Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Bodies Corp	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Any Other	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
(A) = (A)(1) + (A)(2)							100
							Nil



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares	
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Central Govt	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) State Govt(s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Venture Capital Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Insurance Companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
g) FIIs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
h) Foreign Venture Capital Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (B)(1)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Overseas	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares	
3. Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Other (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (B)(2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Grand Total (A+B+C)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil



(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			No. of Shares held at the end of the year			% change during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	President of India	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil
	Total	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil

❖ The Company is a wholly owned Govt. Company, out of the total shareholding of 557972 equity shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India and rest 2 no. of shares are held by nominated officials of Ministry of Textiles, Govt. of India.

(iii) Change in Promoters' Shareholding

(Please specify, if there is no change)-No Change

Sl No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	557974	100	557974	100



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl No.	President of India	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year	557974	100	557974	100

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Nil	Nil	Nil	Nil
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year	Nil	Nil	Nil	Nil



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in Crores)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	218.52	-	
ii) Interest due but not paid	-	12.72	-	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i + ii + iii)	-	231.24	-	231.24
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	-	0.36	-	
Reduction	-	-	-	
Net Change	-	0.36	-	0.36
Indebtedness at the end of the financial year:				
i) Principal Amount	-	218.52	-	
ii) Interest due but not paid	-	13.09	-	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i + ii + iii)	-	231.61	-	231.61

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Your Corporation being a Central Public Sector Enterprise (Government Company), the appointment of Directors are made by the Govt. of India. Remuneration to the functional directors are made as per terms of their appointment by Govt. of India. During the year the remuneration paid to Non official Independent Director is ₹10,000/- by way of sitting fees and Key Managerial Personnel (Company Secretary) is ₹3.10 lacs.

VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

There were no penalties / punishments / compounding of offences for breach of any section of the Companies Act, 2013 against the Company, it's Directors or other officers in default, during the financial year ended March 31, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Place : Kolkata
Date : 31.12.2022



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL
STATEMENTS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

The preparation of financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act, based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 September 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 143(6)(b) of the act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 30.12.2022

(Suparna Deb)
Director General Audit (Mines)
Kolkata



Corrigendum to our Independent Auditors' Report to the Members of National Jute Manufactures Corporation Limited dated 23rd September, 2022 on the Standalone Financial Statements for the financial year 2021-22

On going through our aforesaid Audit Report, we find that due to oversight, the amount of interest accrued on loans granted to subsidiary under the column "Balance as per Subsidiary (₹ in Lakhs)" in the table appearing under clause C.5(b) has been erroneously shown as 3804.96 instead of 3804.77 appearing in the audited financial statements of the subsidiary company, Birds Jute & Exports Limited. The said amount appearing in our audit report may, therefore, be read as 3804.77 in place of 3804.96.

Place: Kolkata
Date: 23.09.2022

FOR R.K.PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356



Independent Auditors' Report

TO
THE MEMBERS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED
REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, its loss and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

A) Going Concern Assumption:

The accounts have been drawn up on going concern basis which is not appropriate under the circumstances because of the following reasons:

- a) The Union Cabinet has approved the closure of National Jute Manufactures Corporation Limited (NJMC) and its subsidiary Birds Jute Exports Limited (BJEL) at its meeting held on 10th October, 2018. Disposal of all assets will be in accordance with the guidelines of DPE dated 14.06.2018 and the proceeds from the sale of assets, after meeting the liabilities will be deposited in Consolidated Fund of India. The Board of Directors of NJMC Limited at its 177th meeting nominated M/s. MSTC as Auctioning Agency for disposal of all movable assets and Building but no specific development in that regard has been achieved yet. Further NBCC (India) Ltd has been appointed as Pre Land Management Agency (LMA) for verification, assessment and valuation of assets before undertaking disposal in accordance with the DPE guidelines which has been extended by six months without imposition of LD but the report is still awaited.
- b) In terms with the closure notification, the company has during the year 2018-19 refunded Interest Free Loan to the extent of ₹200 crores to the Government of India. The income of the company for the last several years is primarily from Interest on Fixed Deposits which has reduced significantly after the said refund.
- c) The Financial Statements indicate that the company's current and non-current liabilities exceed its total assets by ₹22,851.57 Lakhs (Previous Year ₹22,498.34 Lakhs) and the manufacturing units of the company are also not in operation for the last several years.

These factors confirm the inability of the company to continue as a going concern and to discharge its liabilities in the normal course of business.

B) Non Compliance with Accounting Standards:

B.1 Accounting Standard-2 - Valuation of Inventories

As stated in accounting Policy 1.4, Inventories are valued at lower of cost and net realizable value/market price. Most of the inventories are being carried forward since long and there is no movement



in inventory for a number of years. The relevant cost details and the basis of determination of net realizable value were not made available to us and, hence, it is not possible to ascertain whether AS-2 has been complied with. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete and non-marketable inventories has not been ascertained. Hence, it is not possible to determine whether the carrying value of inventories represents its proper valuation.

B.2 Accounting Standard-9 - Revenue Recognition:

The Company has recognized interest income of ₹88.34 Lakhs on the loans granted by it to its subsidiary, Birds Jute & Exports Ltd. But at the same time it has also made provision on this account towards doubtful interest receivable net of TDS. Deviating from the resolution adopted in the 193rd Board Meeting dated 31st May 2022 where the interest is to be charged at the SBI benchmark prime lending rate that resulted in under statement of ‘Interest income on Loan to Subsidiary’ for the year ₹36.44 Lakhs and ₹67.41 Lakhs for previous years with corresponding under-provision for the same amount. The subsidiary company is not making repayment of principal and payment of interest and the balance in the books of account as on 31st March, 2022 is also subject to reconciliation.

B.3 Accounting Standard-21 - Consolidated Financial Statements :

The Company has a subsidiary company namely Birds Jute and Exports Ltd. The company has not prepared and presented consolidated financial statements in the earlier years as required by (AS)21, ‘Consolidated Financial Statement’s till the date of our reporting.

B.4 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Company has not complied with AS-22 Accounting for Taxes on Income. Ascertainment of Deferred Tax Asset & Liability in accordance with the said standard has not been done.

B.5 Accounting Standard-29 – ‘Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets’:

According to the information and explanations given to us, the company is in litigation with various parties on diverse matters, a number of which are pending for several years. However, against many cases, the company has not estimated and disclosed the amount of possible financial implication of the dispute, as required under AS 29 ‘Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets’.

C) Under/Over statement of Income/Expenses and Assets/Liabilities

C.1 Property, Plant & Equipment & Depreciation:

- a) As stated in Note 9(2), Property, Plant & Equipment include certain machines of the Company having WDV of ₹637/- lying with a third party since Nationalization. But the company has not ascertained the actual existence of those machineries as on Balance Sheet date.
- b) As disclosed in Note 9(6), ‘Land & Building’ includes property at 5, Alipore Road, Kolkata, which is not in the possession of the Company though vested in the company under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The property is under litigation and the legal experts are having divergent views regarding the ownership right over the property. Though the ownership is disputed, the company is providing liability in respect of municipal taxes payable to Kolkata Municipal Corporation, which amounted to Rs.4.45 Lakhs for the financial year 2021-22 (Previous Year: ₹4.45 Lakhs). The cumulative liability so provided upto 31.03.2022 is ₹112.02 Lakhs (upto 31.03.2021: ₹107.57 Lakhs)
- c) Certain items of Plant & Machinery lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book value of ₹2.12 Lakhs as on 31-03-2022, as determined by the management, were stated to have been theft in the earlier year (₹0.28 Lakhs) as well as during the financial year 2021-22 (₹1.84 Lakhs), for which FIRs have been lodged by the company. No provision has been made towards loss



on these account as the management intends to recover the same from the Insurance Company and/or the concerned Security Service provider at the said Mill. We have been informed that necessary adjustment in this regard will be made on settlement of the matter with the concerned parties. In absence of updated fixed assets register we could not verify the correctness of the aforesaid value calculated by the management.

- d) The Title Deeds of the land at various location were made available for our verification but could not be properly verified and linked with the records of fixed assets. However, according to information and explanation given to us, the landed property of three mills viz. Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra are still continuing in the name of the erstwhile companies. We have been further informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer – North 24 Paraganas, Barasat as well as Secretary Land and Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal for updating the land records in respect of the said properties but, the matter is still pending as on 31st March, 2022.

C.2 Investments:

The company is not maintaining proper Register of its Investments. Further, no documents could be made available in respect of Investments in Govt. securities aggregating to ₹0.74 Lakhs and Share scrips in respect of investments held in Britannia Engineering Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. could not be made available for our verification and were informed to be not traceable. These investments are very old and it was explained to us that the original certificates might have been provided as security to the various Govt. authorities/departments. It was also noticed that investments include ₹0.02 Lakhs in the shares of companies, the names of which have already been struck off. However, full provision have been made against all these investments. Furthermore, investments include shares in Cheviot Company Limited and Birla Corporation Limited against which full provision has been made though dividends have been received against these shares.

C.3 Inventories:

The valuation of inventories at the year-end, which are very old, has been done by the management without considering damage/obsolesce on account of lapse of time and non-operations of the mills. The write-down in the value of inventories of raw-materials and work-in process has been done by the management without any technical evaluation of the actual diminution in the value of different types of inventories held by the company.

C.4 Cash and Bank Balances:

Bank balances include ₹91,303.04 on account of Kinnison unit lying with UCO Bank, Titagarh Branch, which is a dormant account as on Balance Sheet date.

C.5 Short Term Loans & Advances:

- a) Against the aggregate provision of ₹408.77 Lakhs for Income-tax, as appearing in the Balance Sheet, tax payments made by the company in the form of income tax deducted at source amounts to ₹1172.65 Lakhs. The Income-tax refunds determined for earlier years, together with interest allowed thereon, are being adjusted by the Income Tax department against the arrear demand for the assessment year 1990-91. The outstanding demand summary of the company appearing in the Intimation u/s 143(1) for the assessment year 2020-21 is still showing a sum of ₹243.15 Lakhs payable by the company towards interest. We have been informed that the company is trying to obtain necessary information and documents in respect of the demand raised for the assessment year 1990-91 and necessary adjustment /further provision will be made after receiving necessary documents/information.



- b) After going through the balance confirmation and the audited financial statements for the year ending 31.03.2022 received from Birds Jute & Exports Ltd., the subsidiary, we observed the balances lying in various accounts with the subsidiary are not matching, the details of which are as follows:

Account	Balance as per NJMC (₹ in Lakhs)	Balance as per Subsidiary (₹ in Lakhs)	Remarks
Interest Accrued on loans granted to Subsidiary	3814.96	3804.96	Differences need reconciliation and necessary adjustment after obtaining required details and information from the subsidiary.
Advances given	605.64	631.05	
Creditor for Goods	Nil	94.91	
Creditor for Rent	Nil	0.15	
Creditor for other services	0.10	Nil	
Creditor for Brokerage	0.28	Nil	
Trade Receivables A/c Goods	23.56	258.21	
Trade Receivables A/c Expenses	Nil	7.40	
Advances given for Services	3.33	Nil	

C.6 Other Current Assets:

Since party wise details and relevant documents could not be made available to us in respect of Security Deposits aggregating to Rs. 56.31 Lakhs, out of which 11.47 Lakhs considered doubtful and provided for, it is not possible to determine how much of deposits considered good are actually realizable.

C.7 Long Term Borrowings:

- a) The company has taken loans of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years. The loan agreement or any other document showing the terms and conditions of such loan could not be made available to us for our verification. In absence of any document showing the rate of interest and other terms, we could not verify the correctness of interest aggregating to ₹1308.61 Lakhs provided by the company upto 31-03-2022, which includes ₹36.36 Lakhs provided for the year under review. As stated in Note 4 additional information (c) to accounts, the company has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹1590.09 Lakhs as on 31st March, 2022 (as on 31st March, 2021 ₹1553.73 Lakhs).
- b) No balance confirmations have been obtained by the company from the Central/ State Governments for the outstanding balance of loans as on 31-03-2022.

C.8 Trade Payables:

Trade Payables aggregating to ₹2055.99 Lakhs (as at 31.03.2021 ₹2093.96 Lakhs) include old outstanding balances carried over for more than three years aggregating to ₹1974.14 Lakhs as per age-wise analysis of trade payables prepared by the company. In absence of party wise and invoice wise details or statement of account received from parties, it is not possible to ascertain how much of these liabilities are ultimately



payable. In absence of necessary information, the status of parties under MSMED Act and dues to Micro and Small Enterprises could not be ascertained. Further, no liability on account of interest payable under the MSMED Act is being provided in the accounts for the last several years. Consequently, the interest payable under the said Act may be different from the amount of interest liability shown under the head Trade Payables. Furthermore, in case of Kinnison Unit, the amount of Sundry Creditors for Services and Sundry Creditors for Stores are being included in Trade Payables at net of debit balance of ₹25.32 Lakhs lying in some of these creditor accounts. Consequently, the liability on account of Trade payables is understated to that extent in the balance sheet. Furthermore, the provision made by the company towards doubtful advances given is also short to that extent, which has the impact of understatement of loss to the extent of ₹25.32 Lakhs on this account.

C.9 Other Current Liabilities:

- a) During the year under review, the company has made payment of ₹152.99 lakhs towards arrear ESI Contributions and a further sum of ₹50 Lakhs on adhoc basis on account of interest on ESI Dues against the demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court, Kolkata. These payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3727.18 Lakhs lying in the books of account as on 01-04-2021 as Provision for ESI Damages without any basis and nothing has been charged to the Statement of Profit & Loss on this account. Further, no separate provision has been made for the balance payment of ₹284.36 Lakhs made by the company in the subsequent year on the basis of the said order of Hon'ble High Court, Kolkata towards past dues of ESI Contributions and interest thereon.

In our opinion, such non-charging of the aforesaid payments to the Statement of Profit & Loss and not making provision for the balance payment made in the subsequent year has the effect of understatement of loss for the year and statutory liabilities payable at the year-end to the extent of these payments.

- b) Statutory dues also include liability for Fringe Benefit Tax amounting to ₹8.93 Lakhs, Interest on Professional Tax amounting to ₹68.69 Lakhs, Damages due on PF and interest thereon ₹903.05 Lakhs which are being brought forward since long back. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.
- c) In the absence of party-wise details and other necessary information in respect of undisbursed claim of Commissioner of Payment: ₹40.29 Lakhs; Performance Guarantee: ₹57.47 Lakhs, Advance from parties: ₹98.83 Lakhs and old outstanding balances included in Security Deposits/EMD Received: Amount of which could not be ascertained for want of details. It is not possible for us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided for most of these items were stated to be very old.
- d) Creditors for unpaid wages of ₹320.60 Lakhs include old outstanding liability aggregating to ₹226.55 Lakhs on account of VRS payable, Gratuity payable and Arrear Salary Payable. The company is maintaining the old balances as liability towards staff related payments. According to the information given to us, the total financial contingent liability in Labour matters, so far the management could ascertain in a number of cases comes to ₹6866.00 Lakhs.
- e) Unpaid Rates, Taxes & include Cess, Duty etc ₹0.99 Lakhs, Professional Tax ₹0.12 Lakhs, Service Tax ₹1.69 Lakhs, TDS 0.99 lakhs, Other Rates & Taxes ₹109.97 Lakhs, which are being carried forward for long. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.



In view of the aforesaid observations, we are unable to determine the impact of these matters on the statement of affairs of the company and the corresponding impact on the Statement of Profit & Loss.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design & implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.



AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.



2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
- (a) We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of the books;
 - (c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - (d) Except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Standalone Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) The matters described in the basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - (f) We have been informed that the provisions of section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.
 - (g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above.
 - (h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure B.
 - (i) Since the company is not paying any managerial remuneration to the directors, the provision of Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable.
 - (j) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us:
 - i. In the absence of complete details, we are not in position to comment whether the Company has disclosed the full impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. As the company has not declared or paid any dividend during the year, the provisions contained in section 123 of the Companies Act, 2013 are not applicable to it.

3. In response to the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we report that:

(i) The company does not have an ERP Accounting System or fully integrated IT system among its units and corporate office. The accounts of each unit and corporate office are maintained on accounting software. Consolidation of accounts of the corporate office and the various divisions are done through a separate data entry mode.

The present system adopted by the company leaves a scope of absence of data integrity and increases audit risk.

(ii) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there have been no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to company’s inability to repay the loan.

(iii) (a) The Company is carrying Interest Free loan, sanctioned by the Government of India as additional budgetary support for restructuring/revival of the Company as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and BIFR, as Long Term Borrowings.

(b)The Company has obtained a Loan of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years, repayment of Loan and Interest on which have been defaulted in since 31st March 1994. The accumulated balance of Loan and Unpaid Interest is ₹1590.09 Lakhs as on 31.03.2022. In absence of loan documents, terms & conditions, adequacy of the interest provision made cannot be commented upon.

(c) As disclosed in Note 3 of the Financial Statements, the Company had received grants from Bihar Government and IJIRA in 1988-89 and subsidy from West Bengal Industrial Development Corporation in 1982-83. The detailed papers of such grant/subsidy as well as the assets acquired out of such grant were not made available to us.

FOR R.K.PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 23.09.2022

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356



Annexure– A to Independent Auditors’ Report

The Annexure referred to in Independent Auditors’ Report to the members of National Jute Manufactures Corporation Limited (the company) on the Financial Statements for the year ended 31st March 2022,

We report that:

- (i) (a) (A) The Company is not maintaining proper records of its Property, Plant & Equipment. The records kept by the company in respect of Property, Plant & Equipment lack sufficient information, in many cases, like description of asset to make identification possible, its location/situation, year of purchase, adjustments made on account of revaluation or impairment, if any, its useful life and, in case of land at some of the units of the company, the plot-wise details of the same and specification whether free hold, lease hold or perpetual lease. Furthermore, the company has not updated these records for last several years.

(B) There is no intangible asset in the books of the company.

- (b) According to the information given to us, the management could not carry out any physical verification of Property, Plant & Equipment during the year under review. In the absence of any physical verification, we are unable to comment whether there exists any material discrepancy.

Further, we have been informed that a valuer was appointed during the financial year 2019-20 for verifying and valuing movable Property, Plant & Equipment of the company. The said valuer submitted its report on 12-02-2021 showing estimated market value and realizable value of the items of movable Property, Plant & Equipment physically found by them at the various units of the company, but discrepancies, if any, have not been identified and accounted for upto 31st March 2022 by the company.

We have been further informed that verification of the assets (Property, Plant, Equipment and Land) is also being conducted through an external agency i.e, NBCC (India) Ltd., a Central Government PSU as part of Pre-LMA activities, whose report is in the final stage.

- (c) Though a number of title deeds in respect of various plots of land were produced before us by the management for our verification, the same could not be properly linked with the records kept by the company in respect of its immovable properties held at different locations of the country for want of adequate details in the records of Property, Plant and Equipment. We have been informed by the management that on the basis of verification of Records of Rights conducted by them from various sources, the title of the following immovable properties of the company are not in its name:



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value (Amount in ₹)	Title over property in the Records of Rights appearing in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/ director.	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	Could not be ascertained as plot-wise break-up of the gross carrying amount of the total land of this unit amounting to ₹134752/- is not available	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21 st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending. In case of Land and Building at Alipore Road, the ownership is under litigation. In respect of land at Kalimpong, which was stated to be lease hold, the copy of lease agreement was not available with the company.
	Land - Unit National	₹3,183.01	Mayarani Devi	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit National	Included in ₹240384.99 not ascertainable separately	National Jute Co Ltd	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Mills Co Ltd	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹515136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land at Kalimpong - Unit RBHM	₹2700000.00	The British India Corporation	NA	21 st December 1980	
	Land - Alipore Road	₹486,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹2,00,000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.	NA	21 st December 1980	



As informed and explained to us, the management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government. through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). It was informed to us the title deeds in respect some of the land belonging to these units, having approximate total area of 20 acres, though appearing in the Records of Rights, are not available with the company.

- (d) During the year under review, certain buildings were revalued by a registered valuer. The values determined by the registered valuer were higher than the book value of buildings. However, no effect of such valuation has been given in the books of Account. In this connection, we have been informed that the effect of such revaluation was not given as the Union Cabinet has already declared closure of the company on 10.10.2018 and, as part of the closure process, pre-LMA work (verification, assessment and valuation of all movable and immovable assets) is going on through NBCC (I) Ltd, a Central Govt. PSU. We were further informed that the report of NBCC (I) Ltd is in the process of finalization.
- (e) As informed and explained to us by the company, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- (ii) (a) According to the information given to us, the inventories are not being verified by the management at any regular interval. However, an external agency was appointed by the management after the year-end for carrying out physical verification of inventories of the company lying at RBHM Katihar, Khardah Jute Mill and Kinnison Jute Mill. As per their physical verification report, no register or records were found for enabling them to verify or reconcile physical quantities. In the absence of any stock register or records, the physical quantities were verified by them with reference to the quantities shown in the last stock audit report dated 15.09.2021, and on such verification no discrepancy in the quantity of inventories has been pointed out. The difference between the book value of opening stock of raw jute and finished goods and the value considered by them on the basis of last stock audit report dated 15.09.2021 have been adjusted during the year by the company by way of write down of the value of inventories, charged to the Statement of Profit & Loss. However, the deterioration in the value of inventories, which are all very old, on account of poor storage conditions, passage of time and non-operations of the mills of the company, as pointed in the said stock audit report as well as in the physical verification report dated 19.05.2022, has neither been determined nor adjusted.
- (b) As per information given to us and the books of the company, it has no working capital loan from any banks or financial institutions on the basis of security of current assets.
- (iii) (a) During the year under review, the company has not made any investment, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
- (A) Though no loans or advances in the nature of loan were granted during the year, the company has granted unsecured loan and advances to its subsidiary in earlier years. The Balance of such loans and advances, including interest aggregating to ₹3814.96 Lakh accrued thereon till 31.03.2022, amounted to ₹4898.10 Lakhs as at the Balance-Sheet date.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(B) In the earlier years, the company has also granted non-interest bearing loan to one other party, which is a central public sector unit. The balance of the said loan at the Balance-Sheet date is ₹ 1078.21 Lakhs.

- (b) The terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years could not be made available to us and, therefore, we are unable to comment whether same were prejudicial to the interest of the company. As regards the interest free loan granted in an earlier year to the aforesaid other party, which is a central public sector unit, we have been explained by the management that the same was granted as per the decision of the Ministry of Textiles, Government of India and, hence, should not be treated as prejudicial to the interest of the company.
- (c) The terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years could not be made available to us and, hence, we are unable to comment whether there are any express stipulations as regards the due dates for payment of interest and repayment of the principal amount. The Union Cabinet has approved the closure of the said subsidiary company and consequently the said loan is being considered doubtful but the company is charging interest on the loan given to its subsidiary at the agreed rates and also made full provision for the same, net of TDS thereon, since the amount is being considered doubtful of recovery. As regards the interest free loan granted in an earlier year to the aforesaid other party, the said loan was repayable by the party within a maximum period of two years from the date of disbursement of the loan from the sale proceeds of its assets. The said party, vide its email dated 28.01.2021, has requested the company to extend the time stipulated for repayment by a further period of two years or until further direction of MOT, as the party is in advanced stage of the process of closure. As per the minutes of the Board meeting in its 189th Board Meeting, it has been decided that a letter may be initiated to the Ministry of Textiles stating the facts regarding the requested extension of the time period for loan repayment and to get the necessary advice.
- (d) In the absence of any document produced before us specifying the terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years, we are unable to specify the amount overdue for more than 90 days included in the closing balance of ₹ 4898.10 Lakhs as at the Balance-Sheet date, which includes interest aggregating to ₹ 3814.96 Lakhs accrued thereon till that date. We have been informed that the Central Government has declared closure of the subsidiary company and the recovery, if any, will be made out of funds to be generated by the subsidiary through disposal of its assets. As regards the non-interest bearing loan granted to one other party, which is a central public sector unit, the balance of ₹ 1078.21 Lakhs is overdue for more than 90 days on the basis of originally stipulated terms & conditions. As aforesaid, the said party, vide its email dated 28.01.2021, has requested the company to extend the time stipulated for repayment by a further period of two years or until further direction of MOT, as this party is in advanced stage of the process of closure. As per the minutes of the Board meeting in its 189th Board Meeting, it has been decided by the management that a letter may be initiated to the Ministry of Textiles stating the facts regarding the requested extension of the time period for loan repayment and to get the necessary advice.
- (e) Except what has been stated in the earlier clause, the company has not renewed or extended or granted fresh loans to settle the overdues of existing loans given to the same parties. The amount of the aforesaid loan awaiting decision of its renewal is ₹ 1078.21 Lakhs. No loans or advances in the nature of loans were granted during the year.
- (f) The company, during the year, has not granted any loan or advance in the nature of loan, which is



either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. As regards the loans or advances in the nature of loans granted in earlier years to the subsidiary, the terms and conditions on which the same were granted could not be made available to us and, hence we are unable to comment whether the same were repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

- iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company during the year has not granted any loan, made investment, provided any guarantee or security, which attracts the provisions of section 185 and 186 of the Act.
- v) According to information given to us the Company has not accepted any deposit from the public during the year within the meaning of sections 73 to 76 of the Act or any other relevant provisions of the Companies Act and no order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal.
- vi) During the year under review, the company was not engaged in any such activities which attracts the maintenance of cost records under section 148 of the Act.
- vii) (a) According to the information and explanations given to us, the company was generally regular in depositing its current undisputed statutory dues with the appropriate authorities except:
- Property Tax Khardah : ₹4.64 Lakhs
- Penalty for delayed payment of Land Rent Katihar: ₹2.81Lakhs.

However, there are many old outstanding statutory dues lying unpaid since long for which no proper details and other explanations for non-payment could be made available to us, the breakup of which as follows:-

- a) Damages for Provident Fund (including interest): ₹903.05 Lakhs
- b) Damages for Employees State Insurance (including interest): ₹3524.37 Lakhs
- c) Profession tax (including Interest): ₹69.55 Lakhs
- d) Fringe Benefit tax : ₹8.92 Lakhs
- e) VAT/CST : ₹18.74 Lakhs
- f) Cess & Duty (including Raw Jute Tax) : ₹0.99 Lakhs
- g) Service Tax : ₹1.72 Lakhs
- h) TDS : ₹0.99 Lakhs
- i) Other Rates & Taxes : ₹109.96 Lakhs
- j) Income Tax : ₹0.09 Lakhs

Further in absence of any supporting documents for proper explanation we could not ascertain whether there exists any dispute for non-payment of the aforesaid statutory dues.

- (b) According to the information and explanations given to us, the following statutory dues have not been deposited as on 31st March, 2022 on account of dispute:

Nature of the Statute	Nature of Dues	Forum where dispute is pending	Amount Due (₹ in lakhs)	Period to which dues relate
Finance Act 1994	Service Tax	Deputy Commissioner, Service Tax	0.10	Very Old
West Bengal Value Added Tax, 2003	CST	Deputy Commissioner of Commercial Tax	223.08	2010-11 to 2017-18



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

viii) There is no undisclosed income during the year disclosed in Tax assessments under Income Tax Act, 1961.

ix) (a) According to the of the books of the Company examined by us and the information and explanations given to us, the Company has defaulted in repayment of loan taken from Government of West Bengal amounting to ₹ 1590.09 Lakhs (including interest thereon ₹ 1308.61 Lakhs) as on 31.03.2022. The company has made request for adjustment of principal amount against the compensation receivable by the company towards acquisition of land and conversion of ₹922 Lakhs out of interest payable into a soft loan as disclosed in Additional Information to Note 4 of Financial Statements. However, no documents in this regard could be made available for our verification. Since Terms and conditions of Loan could not be made available to us we are unable to comment on no. of days delayed and amount not paid within due date.

Nature of Borrowings	Name of lender	Amount not paid on due date	Principal/ Interest	No of days of delay	Remarks
Unsecured Loan	Govt. of West Bengal	₹281.48 Lakhs	Principal	Since 1994	According to information given to us the company has requested to adjust principal amount against compensation receivable on acquisition of land and to convert ₹922 Lakhs out of the total interest payable into soft loan. No consent has yet been received.
DO	DO	₹1308.61 Lakhs	Interest	1994 and subsequent years	

- (b) The company has not been declared as a wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender;
- (c) The Company has obtained loans from both Government of West Bengal and Government of India in earlier years. However, the terms and conditions subject to which the company has obtained the loans including purpose for which such loans were sanctioned were not made available to us. Therefore, we are unable to comment whether the loans were applied for the purposes for which those were obtained.
- (d) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not raised any funds on short term basis and accordingly reporting requirements under paragraph 3(ix)(d) of the Order are not applicable to the company.
- (e) The company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures as explained and informed to us by the management.
- (f) The company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
- x) (a) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). The Company has obtained loans from both Government of West Bengal and Government of India in earlier years. However, the terms and conditions subject to which the company has obtained the loans including purpose for which such loans were sanctioned were not made available to us. Therefore, we are unable to comment whether the loans were applied for the purposes for which those were obtained.



- (b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.
- xviii) (a) During the course of our examination of the books and records of the company carried out in accordance with the generally accepted auditing standards in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud by the Company or on the Company by its officers or employees noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (b) No report under sub-section 12 of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) No whistle-blower complaints have been received during the year by the company.
- xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and details of such transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv) (a) The company engaged an external agency to conduct its internal audit for the financial year 2021-22. The report submitted by the internal auditor is in the nature of annual report covering the full financial year. In our opinion, the periodicity of internal audit system is not commensurate with the size of the company and nature of its business.
- (b) The observations made in internal audit report have been considered by us.
- xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the Order is not applicable.
- xvii) The cash losses in the financial year 2021-22 is ₹318.93 Lakhs which was ₹198.99 Lakhs in the immediately preceding financial year.
- xviii) There has been no resignation of statutory auditors of the company during the year. Accordingly reporting requirements under paragraph 3(viii) of the Order are not applicable to the company.
- xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, we are of the opinion that there exist material uncertainty as on the date of the audit report that the company is capable of meeting its liabilities as on the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. However we have been informed by the management that the company has sufficient non-current



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

assets to meet its liabilities falling due within the period of one year from the Balance Sheet date. We further state that our reporting is based on the facts upto the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet, will be met by the company as and when they fall due.

- xx) As the company is incurring losses, this clause does not apply to the company.
- xxi) As our report is not on consolidated financial statements, reporting under this clause is not applicable.

Place: Kolkata
Date: 23.09.2022

FOR R.K.PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356



ANNEXURE – B

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 (“THE ACT”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** (“the Company”) as on 31st March, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by ICAI, e.g. control environment, risk assessment, control activities, information system and communication and monitoring. The Board's report also does not include any risk management policy for the company including identification therein of elements of risk.

In view of above observations, Internal Financial Controls in the Company as on 31.03.2022 is inadequate based on the internal control over financial reporting criteria as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

We have considered the qualified opinion reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our opinion on the financial statements of the company.

FOR R.K.PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 23.09.2022

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356



BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	Note no.	As at (Audited) 31st March, 2022		As at (Audited) 31st March, 2021	
(A) EQUITY AND LIABILITIES					
(1) Shareholders' Funds:					
(a) Share Capital	2	5,579.74		5,579.74	
(b) Reserves and Surplus	3	(28,431.31)	(22,851.57)	(28,078.08)	(22,498.34)
(2) Non-Current Liabilities					
(a) Long-Term Borrowings	4	21,852.89		21,852.89	
(b) Long-Term Provisions	5	10.08	21,862.97	11.52	21,864.41
(3) Current Liabilities					
(a) Trade Payables:	6				
i) Dues to micro and small enterprises		112.58		112.58	
ii) Dues to Other than micro and small enterprises		1,943.41		1,981.38	
(b) Other Current Liabilities	7	6,736.13		6,880.47	
(c) Short-Term Provisions	8	189.08	8,981.19	189.08	9,163.51
TOTAL			7,992.59		8,529.58
(B) ASSETS					
(1) Non-Current Assets					
(a) Property, Plant and Equipment & Intangible Assets	9				
(i) Property, Plant and Equipment		885.92		918.02	
(ii) Capital Work-in-Progress		-		-	
(b) Non-Current Investments	10	-		-	
(c) Other Non -Current Assets	11	1,781.61	2,667.53	-	918.02
(2) Current Assets					
(a) Inventories	12	585.32		627.31	
(b) Trade Receivables	13	-		-	
(c) Cash And Bank Balance	14	2,527.93		4,755.58	
(d) Short-Term Loans and advances	15	2,097.39		1,978.30	
(e) Other Current Assets	16	114.42	5,325.06	250.37	7,611.56
TOTAL			7,992.59		8,529.58

Summary of Significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 25
 Additional Regulatory Information 26
 Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 22059144AUHQEV5356

Place : Kolkata
 Dated: 23.09.2022

For and on behalf of the Board

(Moloy Chandan Chakraborty)
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN: 08641793

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	Note no.	For the year ended 31st March 2022 Audited	For the year ended 31st March 2021 Audited
INCOME			
1	17	-	-
2	18	344.00	357.90
3		344.00	357.90
EXPENSES			
4	19	-	-
	20	-	-
	21	86.53	67.74
	22	36.36	35.53
	9	34.20	39.96
	23	498.05	453.60
		655.14	596.83
5		(311.14)	(238.94)
6		41.99	-
7		(353.13)	(238.94)
8		-	-
9		(353.13)	(238.94)
10		-	-
		-	-
11		(353.13)	(238.94)
12	24		
		(63.29)	(42.82)
		(63.29)	(42.82)

Summary of Significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 25
 Additional Regulatory Information 26
 Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 22059144AUHQEV5356

Place : Kolkata
 Dated: 23.09.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakraborty)
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN: 08641793

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
A. Cash Flow from Operating Activities				
Net Profit / (Loss) before extraordinary item and Tax		(353.13)		(238.94)
Adjustments for:				
Interest on Borrowings	36.36		40.14	
Depreciation	34.20		39.96	
Prior Period Depreciation	0.39		-	
Dividend Income	(0.11)		-	
Write Down of Value of Inventories	41.99		-	
Interest Income on Bank Deposits	(234.63)		(267.55)	
Adjustments for Govt. Grant (Reserve)	(0.10)	(121.91)	(0.10)	(187.54)
Operating Profit before Working Capital Change		(475.04)		(426.48)
Increase in Short-term Loans & Advances	(119.09)		(27.94)	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	132.59		(55.93)	
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(37.98)		23.67	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(180.70)		(18.94)	
Increase/(Decrease) in Long term Provisions	(1.44)		-	
Net Cash Flow from working capital changes		(206.61)		(79.14)
Net Cash from Operating Activities (A)		(681.65)		(505.61)
B. Cash Flow from Investing Activities				
(Increase)/ Decrease in Fixed Deposits	533.53		(831.91)	
Purchase of Property, Plant & Equipment	(2.49)		(0.71)	
Dividend Income	0.11		-	
Interest on Fixed Deposits	237.99	769.14	267.55	(565.07)
Net Cash from Investing Activities (B)		769.14		(565.07)
C Cash Flow from Financing Activities				
Net cash from Financing Activities (C)		-		-
Net Inc. / (Dec.) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)		87.49		(1,070.68)
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		131.38		1,202.06
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		218.87		131.38



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (Contd.)

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
a)	Component of Cash and Cash Equivalents				
	(i) Balance in bank accounts		40.17		130.94
	(ii) Cash in hand		0.09		0.44
	(iii) Short Term Fixed Deposits		178.61		-
			218.87		131.38

Summary of Significant Accounting Policies 1
Other Explanatory Information 25
Additional Regulatory Information 26
Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356

Place : Kolkata
Dated: 23.09.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022.

NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :-

1.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements are prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in compliance with the accounting standards specified in under section 133 of The Companies Act, 2013 (the Act') read with Rule 7 of The Companies (Accounts) Rules 2014 (as amended) and other relevant provisions of the Companies Act 2013, to the extent applicable. The Company follows Mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis.

1.2 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

1.2.1 Property, Plant & Equipment are stated at cost/revalued amount in case certain items of Property, Plant & Equipment which were revalued during the financial year 1997-98. Property, Plant & Equipment acquired at the time of nationalisation are being stated at their book value on the date of nationalisation.

1.2.2 Depreciation :

Depreciation on Property, Plant & Equipment is provided on written down value method based on useful life of assets as prescribed in Schedule - II to the Companies Act, 2013.

1.3 INVESTMENTS

Investments held by the company are in the nature of Non-Current investments and are being carried at book value as on the date of nationalisation or at cost of acquisition/procurement in respect of investments made afterwards. Provision for diminution in the value of non-current investment is made when the same is considered to be permanent in nature. Current investments, if any, are carried at the lower of cost and fair value.

1.4 INVENTORIES

1.4.1 Raw Jute is valued at cost, determined on FIFO basis, or net realisable value whichever is lower.

1.4.2 Finished Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower. Cost includes all direct cost and applicable manufacturing overheads.

1.4.3 Work-in-process is valued at estimated cost based on percentage of specific stage of processing or net realisable value whichever is lower.

1.4.4 Stores and spares are valued at cost.

1.5 REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Sale of goods, if any, is recognized when the significant risks and rewards of the ownership in goods are transferred to the buyer as per terms of the contract. Revenue from sale of services, if any, is recognized upon rendering of services to the customer.

1.6 RETIREMENT AND OTHER EMPLOYEE BENEFITS

The company has no permanent employee on its payroll. All the employees during the year were working on contractual/deputation basis. Hence no provision is being made on account of any retirement benefit.

Short term employee benefits are recognised in the period in which the employees rendered the related service.



NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.)

Gratuity: Liability for gratuity is provided on the basis of actual liability in respect of employees on roll as on the Balance Sheet date.

Leave Encashment: Liability for Leave Encashment is provided for on the basis of actual liability as on the Balance Sheet Date.

1.7 ACCOUNTING FOR TAXATION

Current Tax is determined as the amount of tax payable on taxable Income for the year. The Deferred Tax for timing differences between the book and taxable profit, for the year is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from the timing difference are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that the assets will be realized in future.

1.8 PROVISIONS

A provision is recognized when the company has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation, in respect of which a reliable estimate can be made.

1.9 CONTINGENT LIABILITIES/ASSETS

Contingencies which are material and future outcome of which cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as Contingent Liabilities and are disclosed by way of Note in the other explanatory information. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

1.10 CASH & CASH EQUIVALENTS

For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash and bank balances in current and short term fixed deposit accounts, if any.

1.11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency, if any, are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are re-measured at the rate of exchange prevailing on the date of balance sheet and resultant gain or loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

1.12 IMPAIRMENT OF ASSETS

If the carrying amount of property, plant or equipment exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of estimated future cash flow.

1.13 BORROWING COSTS

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss.

1.14 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP which requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions,



NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.)

uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes requiring a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities in future periods.

1.15 LEASES

The Accounting Standard 19 on leases is not applicable as the company does not have any financial lease agreement in force.

1.16 INTANGIBLE ASSETS

The Company does not own any intangible assets required to be reported upon.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL :-

	(₹ In Lakh)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
AUTHORISED		
600000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each (As at 31.03.2021: 600000 Equity Shares)	6000.00	6000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP		
557974 Equity Shares of Rs. 1,000/- each (As at 31.03.2021: 557974 Equity Shares)	5579.74	5579.74
TOTAL	5579.74	5579.74

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Out of total 557974 shares, 366000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each were allotted as fully paid up shares against Nationalization Adjustment Account, without payment having been received in cash.
- b) There has been no change / movement in number of shares outstanding as at the beginning and as at the end of the year.
- c) The Company has only one class of Equity Shares having face value of is ₹ 1,000/- per shares. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share and equal right for dividend.
- d) For the period of five years immediately preceding the date as at which the Balance Sheet is prepared:
 - i) The company has not allotted any shares as fully paid up pursuant to any contract without payment being received in cash.
 - ii) The company has not allotted any shares as fully paid up by way of bonus shares.
 - iii) The company has not bought back any shares.
- e) Shareholders holding more than 5 percent shares in the Company :

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL (Contd.)

f) Shareholding of promoters

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98
Additional Secretary & Financial Advisor	1	0.01	1	0.01
Economic Advisor	1	0.01	1	0.01
Percentage of Changes during the year	Nil		Nil	

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Capital Reserve		
Against Government Grants		
Opening Balance	0.89	0.99
Add :- Addition / Transferred during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	0.10	0.10
Closing Balance	0.79	0.89
Revaluation Reserve		
Opening Balance	441.81	441.81
Add :- Addition during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	-	-
Closing Balance	441.81	441.81
(Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	(28,520.78)	(28,281.84)
Add: Profit/(Loss) for the year	(353.13)	(238.94)
Closing Balance	(28,873.91)	(28,520.78)
TOTAL	(28,431.31)	(28,078.08)

ADDITIONAL INFORMATION

Capital Reserve

- | | | |
|---|------|------|
| a) Against balance of grant received from Bihar Government, amounting to ₹150 Lakhs, in 1988-89 for acquiring Fixed Assets after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of RBHM and against balance of grant received from IJIRA, amounting to ₹5.44 Lakhs, in 1988-89 for installation of Ring Spinning Frame under UND Project after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of Unit Kinnison. | 0.67 | 0.77 |
| b) Subsidy of ₹0.01 Lakh being the balance of grant received from WB Industrial Development Corporation Limited in 1982-83 amounting to ₹6.97 Lakh for installation of captive diesel power generating set in respect of Unit Kinnison after adjustment of depreciation from the date acquisition (P.Y. 0.01 Lakh.) | 0.01 | 0.01 |



NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS (Contd.)

c) The difference between market value and book value of Investments in respect of Unit RBHM as on the date of nationalisation.	0.11	0.11
	0.79	0.89

Revaluation Reserve

The difference between the revalued amount (as per valuation report in 1997-98) and book value as on 31.03.1993 in respect of Land situated at Katihar and Land and Building situated at Kalimpong and Forbesgunj in respect of Unit RBHM (Reference : Additional Information No. 5 and 6 in Note 9 on Property, Plant & Equipment)

441.81	441.81
441.81	441.81

NOTE - 4 LONG TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A) Other loans and advances (Unsecured)		
i) From Government of India	21,571.41	21,571.41
ii) From Government of West Bengal	281.48	281.48
TOTAL	21,852.89	21,852.89

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Loan received from Government of India as additional budgetary support is interest free as per the restructuring/revival scheme of NJMC approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and BIFR. The Company has repaid ₹20000 Lakh in terms with closure notification during 2018-19.
- b) The Company has not provided any security or any guarantee in respect of the above Loans from Government of India and Government of West Bengal.
- c) The Company has defaulted in repayment of loans and interest in respect of the following :

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021		
	Period of default	Amount (₹ In Lakh)	Period of default	Amount (₹ In Lakh)
Loan from Government of West Bengal :				
i) Principal	Since 31.03.1994	281.48	Since 31.03.1994	281.48
ii) Interest	Since 31.03.1994	1,308.61	Since 31.03.1994	1,272.25
TOTAL		1,590.09		1,553.73

- d) The company is yet to receive the formal consent from Government of West Bengal in respect of :
Adjustment of Principal Amount of ₹281.48 Lakhs above against compensation receivable for acquisition of Land by them as referred to in Additional Information 3 in Note 9 on Property, Plant & Equipment and Intangible Assets and Conversion of accrued interest of ₹922 Lakhs included in the above Interest amount of ₹1308.61 Lakhs (As at 31-03-2021: Rs. 1272.25 Lakhs) into a Soft Loan in accordance with BIFR Approved Scheme.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 5 LONG TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for Employee Benefits		
i) Provision for Leave Encashment	-	-
ii) Provision for Gratuity	10.08	11.52
TOTAL	10.08	11.52

ADDITIONAL INFORMATION

- Gratuity : No provision for gratuity has been made during the current financial year since all the employees are on contract/ deputation basis.
- Leave Encashment : No provision for Leave Encashment has been made on the same ground as mentioned above. However, actual payment is charged to revenue accounts as and when payment is made.

NOTE - 6 TRADE PAYABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i) Creditors for Goods, Expenses & Services	1,929.38	1,967.35
ii) Interest provided on Trade Payables	126.61	126.61
TOTAL	2,055.99	2,093.96

Break-up and ageing Schedule of Trade Payables:

As on 31.03.2022							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	27.83	-	76.60	5.08	0.16	1,861.56	1,971.24
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.83	-	76.60	5.08	0.16	1,974.14	2,055.99

As on 31.03.2021							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	51.17	-	115.65	0.16	7.03	1,858.54	2,032.55
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	51.17	-	115.65	0.16	7.03	1,971.12	2,093.96



NOTE - 6 TRADE PAYABLES (Contd.)

(₹ In Lakh)

iii) Break-up of MSME Dues shown above:

	As on 31st March, 2022	As on 31st March, 2021
a) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	55.06	55.06
b) Interest due and payable upto the end of Last Year	57.52	57.52
TOTAL	112.58	112.58

NOTE - 7 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i) Statutory Dues (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, Interest/Damages on PF & ESI Contributions, etc.)	4536.35	4738.42
ii) Interest Accrued & Due	1,308.61	1,272.25
iii) Undisbursed claim of Commissioner of Payments	40.29	40.29
iv) Performance Guarantee	57.47	57.47
v) Security Deposits/EMD	92.68	85.07
vi) Interest on ISDS Fund	19.02	19.02
vii) Advance from Parties	98.83	98.83
viii) Unpaid Rates & Taxes including Property Tax/ Municipal Tax	242.79	227.97
ix) Liabilities for Employee Benefits	338.15	339.40
x) Audit Fees payable	1.92	1.73
TOTAL	6,736.13	6,880.47

ADDITIONAL INFORMATION

- a) The waiver sought by the company from the competent authorities in accordance with BIFR Approved Scheme in respect of damages amounting to ₹3550.11 Lakhs (Previous Year ₹3550.11 Lakhs) and ₹592.24 Lakhs (Previous Year ₹592.24 Lakhs) claimed by ESI Corporation and PF Commissioner respectively are still pending.
- b) During the year NJMC Ltd has made payment of ₹152.99 lacs towards contribution towards Union & National Mill and a further sum of ₹50 Lacs on adhoc basis on account of interest on ESI dues against the demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court of Kolkata. This payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3727.18 Lacs lying in the books of accounts as on 01.04.2021 as provision for ESI Damages.
- c) Unpaid Property Tax includes liability provided in respect of premises at 5, Alipore Road, Kolkata, which is under litigation. The breakup of the liability so provided is as under:

	(Rs. In Lakh)	(Rs. In Lakh)
Principal	66.23	61.78
Penalty	7.21	7.21
Interest	38.58	38.58
Total	112.02	107.57

Though neither NJMC is making any payment nor the KMC has raised any demand upon the company, the above provision is being made as a precautionary measure as the ownership of the said property is under dispute.

- d) Liabilities for Employee Benefits include old outstanding dues aggregating to ₹243.61 Lakhs (As at 31.03.2021: ₹243.61 Lakhs) payable on account of VRS, gratuity, LTA, arrear salary etc.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 8 SHORT TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for Contingency (On account of Gratuity payable to workmen after reconciliation)	189.08	189.08
TOTAL	189.08	189.08



NOTE - 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS

(₹ In Lakh)

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 31st March, 2021	Addition (+)	Deduction (-)	As at 31st March, 2022	Upto 31st March, 2021	For the Year	Arrear Depn	Upto 31st March, 2022	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A) Property, Plant & Equipment										
(a) Land -Freehold	605.59	-	-	605.59	-	-	-	-	605.59	605.59
(b) Buildings & Roads	1,003.41	-	-	1,003.41	848.39	12.76	-	861.16	142.25	155.02
(c) Plant and Equipment	3,730.16	-	-	3,730.16	3,581.16	19.59	-	3,600.75	129.41	149.00
(d) Furniture and Fixtures	68.30	-	-	68.30	65.33	0.18	-	65.51	2.79	2.97
(e) Vehicles	47.21	-	-	47.21	44.94	0.35	-	45.29	1.92	2.27
(f) Computer	67.90	0.71	-	68.61	66.29	0.33	-	66.61	1.99	1.61
(g) Railway Siding	1.55	-	-	1.55	1.51	-	-	1.51	0.04	0.04
(h) Office Equipments	20.50	1.78	-	22.28	18.97	1.00	0.39	20.36	1.92	1.53
Total (A)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.59	34.20	0.39	4,661.19	885.92	918.02
Previous Year Total (A)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	4,586.64	39.96	-	4,626.59	918.02	957.89
B) Capital Work in Progress	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Less: Provision	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Total (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous Year Total (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Year Total (A+B)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.59	34.20	0.39	4,661.19	885.92	918.02
Previous Year Total (A+B)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	4,586.63	39.96	-	4,626.59	918.02	957.89



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M.No.DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018. NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/s. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auction agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC (India) Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which is under process.
- 2) Plant and Equipments include 8 Nos. Herackle Machines pertaining to Unit Alexandra which is lying with a third party on the date of Nationalisation.
- 3) Land includes Leasehold Land, pertaining to Unit Khardah, the value of which could not be ascertained.
- 4) Land includes 4.48 acres of land of Unit Khardah acquired by Govt. of West Bengal, for setting up Titagarh Thermal Power Plant of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Necessary adjustment will be made on receipt of compensation amount.
- 5) The company has not maintained proper records of its Property, Plant & Equipment. In an earlier year certain records were prepared by the company in respect of Property, Plant & Equipment, which are incomplete and lack various relevant information and proper description of assets in many cases. Further, these records are not being updated for the last several years.
- 6) Fixed Assets vested under the provision of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 on 20th December, 1980 with National Jute Manufactures Corporation Ltd., include land and building at 5, Alipore Road, Kolkata, in respect of unit-Alexandra but not in possession of the Company. This property was mortgaged prior to the date of take-over of the Management of the Alexandra Jute Mills Ltd under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951 [I (D&R) Act,1951] and was under an "Agreement to Sale" on the date of such take over. The Sale Agreement was, however, not concluded & was challenged by the Management under the provision of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 at Alipore Court, Calcutta. An Interim order of injunction was ultimately issued by the High Court on 8th September, 1981 directing that all further proceedings at Alipore Court be stayed. Subsequently the mortgagee had filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the applicability of the provisions of I (D&R) Act, 1951. Thereafter, Alexandra Jute Mills Ltd was nationalised under Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 with effect from 20.12.1980 and the Assets were vested to this Corporation free from all encumbrances. The mortgagee thereafter another writ petition in the Calcutta High Court.

Challenging the provisions of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and their validity. The Writ Petition filed by the mortgagee challenging the applicability of provisions of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 has since been dismissed by the Hon`ble High Court, Calcutta and thereafter an interim order of status quo is passed by the Hon`ble High Court, Calcutta.

The opinion of standing counsel M/s. Fox & Mondal that premises No.5, Alipore, Kolkata vested in Central Govt. which has again vested in NJMC under Section 6 of the Jute Companies (Nationalisation) Act. 1980 and NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances. However, NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC has sought for opinion at the instruction of MOT vide their letter F. No. 17/16/2006 - JE dated 24/12/2007 wherein MOT asked NJMC to examine the issue from Legal point of view.



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

Accordingly, NJMC has referred the matter of Ministry of Law Justice & Company affairs vide letter No. ... received from Ministry of Law & Justice and Barrister Sri Anindya Kumar Mitra were forwarded to MOT vide letter No. NJMC/CMD/8 dated 28/01/2008 and also to Barrister Sri Anindya Kumar Mitra on the aforesaid matter. The opinions NJMC/CMD/08/239 dated 3rd April, 2008 along with opinion of our dealing Counsel M/s. Fox & Mondal. The MOT vide their letter No. 17/1/2006 - JE dated 30th April, 2008 stated that the opinion of Sri Anindya Kumar Mitra, Barister and Sr. Advocate as well as of Ministry of Law and Justice Bench Secretariat, Kolkata is that the ownership of the premises No. 5, Alipore Road, cannot be deemed as vesting in Central Govt./NJMC under the Nationalisation Act. On the other hand the standing counsel on behalf of NJMC has opined otherwise. MOT further directed that the affidavits in reply on behalf of NJMC and Union of India (MOT) may be amended in the Hon'ble High Court, Calcutta based on the above majority legal opinion which included legal opinion from Ministry of Law & Justice Bench Secretariat Kolkata, that the Nationalisation Act, should not be applicable on the said property as the property was no longer a property of Alexandra during the time of Nationalisation. However, the affidavits were filed on June 2019. In 2019 writ petition 5292 of 1981 was restored, exchange of affidavits completed and will come up for hearing. No further development has taken place during the financial year 2020-21. Since the matter is subjudice no adjustment has been made in the accounts.

- 7) Value of land pertaining to Unit RBHM, measuring 96 Bighas 15 Kattahs, 5 Dhurs has been capitalised for ₹373.02 Lakhs in 1999-2000 with the approval of Board of Directors on 21.06.2000 as per valuation report as on 31.03.1993 of M/s Esjay consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI.
- 8) Value of Land includes 4.03 acres of land valued at ₹41.55 Lakh and Value of Building includes building valued at ₹27.24 Lakh situated at Kalimpong & Forbesgunj of Unit R.B.H.M as per valuation Report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI duly approved by the Board of Directors on 24th December, 1997 and the same have been capitalised during the year 1997-98.
- 9) The Title deeds of land which were mortgaged to IIBI, has been received by the Company during the year 2006-07. Some of the Title Deeds are torn and in precarious condition. Hence it is not possible to physically verify the same.
- 10) Plant & Machinery declared as discarded and / or obsolete are shown as current assets at their book value amounting to ₹8.14 lakhs (Previous Year ₹10.01 lakhs) which is fully provided for.

11) During the Financial Year 2016-17 the Company has disposed off a substantial portion some of the fixed assets of Alexandra and National, which are all closed units.		Gross Block as on 31.03.2017 (₹)	WDV as on 31.03.2017 (₹)
Name of Mills	Name of the Fixed Assets		
Alexandra	Plant & Machineries	1,48,276.00	1,483.75
National	Plant & Machineries	37,45,379.30	61,424.22
Total		38,93,655.30	62,907.97



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- 12) Certain Items of movable fixed assets lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book value of ₹28422.16 as on 31.03.2020, were not found at the time of physical verification conducted by the management during the year 2020-21 for which FIR has been lodged by the company. Necessary adjustments in this regard will be made on final settlement of the matter with the respected security services provider.

During the financial year 2021-22 also, further incidents of theft took place at the factory premises of National Mill unit and various items of Plant & Machinery having aggregate book value of Rs.183559.88 as on 31.03.2021 were reported as stolen by the security service provide. The company has lodged necessary FIR in respect of the said thefts during the year with the local police station and hopes to recover the loss from the insurance company. Necessary adjustment on this account will be made on settlement of insurance claims lodged by the company which are yet to be admitted by the insurance company.

- 13) Union Cabinet declared closure on 10.10.2018. As part of the closure process Pre-LMA work (verification, assessment & valuation of all movable & immovable assets) is going on through NBCC (I) Ltd., a Central Govt PSU. This report is in advance stage of finalisation. After receiving the final report and duly accepted by appropriate authority, the effect of revaluation will be given in the Books of Account.
- 14) Pursuant to an application filed by the proprietor of Rajat Engineering Works before the Hon'ble High Court in order to secure the Awarded amount of ₹1106.76 Lakhs u/s 36(2) in their favour with a prayer for specific direction to be given to NJMC Ltd to deposit the Awarded amount with the Register of High Court and also for appointment of Receiver to take custody of the property of NJMC Ltd with a prayer for injunction upon NJMC for disposal of its immovable properties. The Hon'ble Calcutta High Court vide its order dated 28.02.2022 has allowed the said application in favour of the aforesaid party. The company has made an application u/s 34 of The Arbitration Act by challenging the legality of the award passed against the company by the Ld. Arbitration Tribunal.
- 15) Freehold Land includes plot of Land measuring 15 acres (approx) in respect of RBHM Katihar Unit , the ownership title of which is under litigation before the Hon'ble Patna High Court.



NOTE - 10 NON CURRENT INVESTMENT

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Trade Investments				
Number	Number			
(A) INVESTMENT IN EQUITY INSTRUMENTS- EQUITY SHARES IN SUBSIDIARY COMPANIES-UNQUOTED				
14415	14415	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
10	10	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES-UNQUOTED				
250	250	Union North Jute Mills Employees' Co-Operative Stores Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN ASSOCIATED COMPANIES-UNQUOTED				
5	5	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-QUOTED				
180	180	Duncans Agro Industries Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
111	111	Birla Corporation Limited (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
63	63	Cheviot Company Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			0.02	0.02
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-UNQUOTED				
180	180	Hathikhira Tea Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
1200	1200	Jaipur Udyog Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.02	0.02
95	95	Budge Budge Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
95	95	Delta Jute & Industries Ltd. (Face value ₹ 4/- each)*	-	-
20	20	The Ganges Manufacturing Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2	2	Anglo India Jute Mills Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
26	26	The Empire Jute Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
600	600	Willard India Ltd. 600 Nos. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
3	3	Lawrence Investment & Property Co. Ltd. 3 Nos. (Face value ₹ 100/- each)	0.01	0.01
100	100	Waverly Jute Co. Ltd. (Face value ₹ 50/- each)	0.01	0.01
36972	36972	Britannia Engineering Co. Ltd. (in liquidation) (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2700	2700	2700 Stock of 1 Pound each in Titagarh Jute Factory PLC (Face value Pund 1/- each)*	0.11	0.11
			0.18	0.18



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 10 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

(₹ In Lakh)

**Number of Share / Security /
Bonds / Units**

(B) INVESTMENT IN PREFERENCE SHARES

i) In Subsidiary Company:

143	143	Birds Jute & Exports Ltd., 7% Cumulative Preference Share (Face value ₹100/- each)	0.01	0.01
700	700	J. F. Low & Co. Ltd. (Face value ₹100/- each)*	-	-
			0.01	0.01

(C) INVESTMENT IN GOVERNMENT SECURITIES

3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹700/- Matured)	0.01	0.01
3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹5,300/-)	0.04	0.04
7 Years National Savings Certificate :-		
Old Series	0.05	0.05
New Series	0.15	0.15
The West Bengal Estate Acquisition Compensation Bonds	0.01	0.01
12 Years National Plan Savings Certificate	0.01	0.01
Government of India 5.5% Loan 1999 (Face value Rs. 42,500/-)	0.42	0.42
12 Years National Defence Certificate	0.01	0.01
12 Years National Savings Certificate	0.04	0.04
	0.74	0.74

(D) INVESTMENT IN DEBENTURES- UNQUOTED

East Indian Clinic Ltd., 5% Non redeemable Debentures	0.36	0.36
	0.36	0.36

TOTAL

Less Provision

TOTAL

	1.31	1.31
	1.31	1.31
	-	-
* Denotes the Book Value of which is below ₹1,000/-.		
Aggregate Book value of Quoted Non-Current Investment	-	-
Aggregate Book value of Unquoted Non-Current Investment		
less Provision	-	-
Total Quoted and Non-quoted Non-current investment	-	-
Aggregate Market value of quoted Non Current Investment	NA	NA

ADDITIONAL INFORMATION

- (i) Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Govt. authorities, Britannia Engineering Co. Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since nationalisation. This matter has been taken up with Board and it has been advised to include the same in the forensic audit which is under process. However full provision has been made in the Books of Accounts.
- (ii) Total Investments in shares include investment in two (2) Struck off Companies namely Duncans Agro Industries Ltd. & Lawrence Investment & Property Co. Ltd. having aggregate Book Value of 0.02 lakhs against which full provision has been made.



NOTE - 11 OTHER NON CURRENT ASSETS

Non-Current Fixed Deposits with Bank

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Term Deposits with Bank maturing after 31.03.2023	1781.61	-
FD NO	Maturity Date	Amount as on 31/03/22
F.D.301603030131379	02.06.2023	126.89
F.D.301603030131380	03.06.2023	206.95
F.D.301603030131381	04.06.2023	206.92
F.D.301603030131383	05.06.2023	206.90
F.D.301603030131384	07.06.2023	206.84
F.D.301603030131386	08.06.2023	206.82
F.D.301603030131387	09.06.2023	206.79
F.D.301603030131388	10.06.2023	206.76
F.D.301603030131392	11.06.2023	206.74
Grand Total		1781.61

NOTE - 12 INVENTORIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
a) Raw Materials (At the Lower of Cost and net realisable value)	133.58	138.57
Add : In Transit	-	-
	<u>133.58</u>	<u>138.57</u>
b) Work in Process (At Lower of estimated cost and net realisable value)	63.38	63.38
c) Finished Goods (At the Lower of Cost and net realisable value)	162.48	199.48
d) Stores & Spares (At Cost)	380.81	380.81
Less - Provision for diminution in value	154.93	154.93
TOTAL	<u>585.32</u>	<u>627.31</u>

ADDITIONAL INFORMATION

The Company has stopped its operations from 2015-16. No Production/ Sale of Inventories have taken place since that year. Though the inventories are lying in the safe custody of the company, there may be change of value due to deterioration of stock. Based on the stock audit report the value of inventory has been accordingly adjusted and the resultant reduction in value has been written down during the year and charged to the Statement of Profit & Loss as Exceptional item.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 13 TRADE RECEIVABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021	
Outstanding for a period exceeding six months			
a) Unsecured - Considered Good	-	-	
- Considered Doubtful	283.36	283.36	
	<hr/>	<hr/>	
	283.36	283.36	
Less : Provision for Doubtful Trade Receivables	283.36	-	-
	<hr/>	<hr/>	
b) Other Receivables-Considered Good	-	-	
TOTAL	<hr/>	<hr/>	-

(₹ In Lakh)

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2022								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed + Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2021								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed + Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36



NOTE - 14 CASH AND BANK BALANCE

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
a) Cash & Cash Equivalents				
(i) Balance in Bank Accounts		40.17		130.94
(ii) Cash on hand		0.09		0.44
(iii) Short Term Fixed Deposits		178.61		-
		<u>218.87</u>		<u>131.38</u>
b) Other Bank Balances				
(i) In Fixed Deposit Accounts with Banks:				-
(a) Having original maturity period of more than 12 months	2,309.06		223.90	
(b) Other Fixed Deposits	-		4,400.29	
(ii) Margin Money	3.10		3.10	
		<u>2,312.16</u>	<u>4,627.29</u>	
Less :- Provision against Margin Money	3.10	2,309.06	3.10	4,624.20
TOTAL		<u>2,527.93</u>	<u>4,755.58</u>	

ADDITIONAL INFORMATION

- Balances in Bank accounts include ₹ 18.10 Lakhs lying in current account with Bank of India, which has been attached by Certificate Officer, ESIC in connection with its dues. (Previous Year ₹ 18.10 Lakhs).
- Margin Money of ₹ 3.10 lakhs is a very old balance being carried forward without any details. Accordingly full provision has been made.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021	
a) Loans and advances			
Unsecured - considered good (othar than related party)	1,078.21	1,078.21	
Unsecured - considered doubtful (to related Party)	4,898.10	4,818.59	
	<u>5,976.30</u>	<u>5,896.80</u>	
Less: Provision	4,898.10	4,818.59	
	1,078.21	1,078.21	
b) Income Tax deducted at Source			
- Considered good	780.53	734.43	
- Considered doubtful	408.77	408.77	
	<u>1,189.30</u>	<u>1,143.20</u>	
Less:- Provision	(408.77)	(408.77)	734.43
c) Balances with Government Authorities			
Unsecured - considered good	-	-	
- considered doubtful	12.10	12.10	
	<u>12.10</u>	<u>12.10</u>	
Less: Provision	(12.10)	12.10	
	-	-	
d) GST Input Credit	279.14	205.26	
Less: Provision	(40.70)	(40.70)	164.56
e) GST TDS Excess Paid	-	-	0.11
f) TDS Excess Paid	-	-	0.13
g) Others			
Unsecured - considered good	0.21	0.67	
- considered doubtful	457.52	457.42	
	<u>457.73</u>	<u>458.09</u>	
Less: Provision	(457.52)	(457.23)	
	0.21	0.86	
TOTAL	<u>2,097.39</u>	<u>1,978.30</u>	



NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- a) The aggregate amount of loans and advances given to the subsidiary of the company, including accrued interest considered there on is ₹4898.10 lakhs as on 31.03.2022 (previous year ₹4818.59 Lakhs) as per books of accounts of the company. However, as per the statement of accounts received from the subsidiary, such amount aggregates to ₹4913.30 lakhs (previous year Rs.4833.77 Lakhs). The difference of loan and interest thereon is reconciled on NJMC's part and awaiting for acceptance from subsidiary's side. The difference in advances given is yet to be reconciled.
- b) "National Jute Manufactures Corporation Ltd. (NJMC Ltd.) has disbursed loan to Birds Jute & Exports Limited (BJEL) upto year 1990-91 amount to ₹216.07 lacs. Out of which Rs. 40 lacs realized in the year 1991-92 and further disbursed ₹251.42 lacs in the year 2010-11 and the again ₹50 lacs in the year 2013-14. Thus, outstanding loan since year 2013-14 amount to ₹477.49 lacs. As resolved in the Board Meeting of NJMC Ltd. held on 23rd of December 1991, interest on the said loan had to be charge at the bank rate prevailing on the last date of the respective accounting years on the existing and future loans. It has been observed that aggregated loan amount of ₹477.49 lacs and interest charged thereon during the period from disbursement up to the year 2014-15 amount to ₹3292.88 lacs, after adjustment of ₹398.63 lacs, in different years, have been confirmed by BJEL in their annual accounts of the year 2014-15. Since, the interest was being charged on compound basis, the interest burden mounted up year after year and recoverability had become uncertain in view of financial condition of the subsidiary which did not repay any of the amounts since long. Considering aforesaid position, it was proposed that the amount of interest of ₹3292.88 lacs may be kept frozen for calculation of further interest at compound rate on the same in future years which will only burden the books of the Subsidiary as well as the Holding Company. In view of recalculation of interest on the principal of ₹477.49 lacs, it has been observed that company has undercharged ₹67.41 lacs till year 2020-21 which has to be levied to the subsidiary along with ₹124.77 lacs for the year 2021-22, against which the subsidiary should respond crediting the holding company by ₹202.49 lacs, including ₹10.31 lakhs less charged (₹77.72 lacs for earlier years and Rs.124.77 lacs for current year). The Board approved in 193rd Board meeting held on 31st May 2022 to keep uniform interest amount of ₹536.92 lacs in the Books of NJMC Ltd as well as in the books of BJEL. It also approved to consider SBI benchmark prime lending rate for calculation interest from 2021-22 onwards. The effect of the same will be given after acceptance of the same by the subsidiary."
- c) Security Deposit includes an amount of ₹1.87 lakhs which has been recovered by Provident Fund authority in spite of provision for waiver of damages in BIFR revival scheme as well as existence of injunction by the High Court of Kolkata against W.P.No.471(W)/2016. The provision for the entire ₹1.87 Lakhs has been made in the Accounts.
- d) Others Include
- An amount of ₹11.33 Lakh in respect of Unit Khardah (Previous Year ₹11.33 Lakhs) which represents money in course of misappropriation of deposit/payment of railway freight in 1982-83. The matter is subjudice. However, full provision has been made in the accounts.
 - An amount of ₹24.00 Lakhs in respect of Unit National (Previous Year ₹24.00 Lakhs) paid to the Trustees of National Company Limited Jute Mill Works Provident Fund as interest free loan to cover the loss of interest to the fund caused by non receipt of Securities from the Brokers on the condition that the proceeds from the said securities to be obtained from the Brokers would be appropriated towards refund of the said loan. Since the proceeds have not yet been realised no adjustment was carried out and full provision has been made in the accounts.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

- iii) An amount of ₹ 32.76 lakhs (Previous Year ₹ 32.76 Lakhs) and an amount of ₹ 2.24 Lakhs (Previous Year ₹ 2.24 lakhs), being the balance of claim towards value of the stock of finished goods and the balance of claim towards the value of the fixed assets destroyed by fire on 31st August, 1986 respectively pertaining to Unit National. The insurance claim was finally settled by the National Insurance Company after disallowing the above balances. The Company referred the matter to the concerned Ministry, New Delhi for further referring the matter to the arbitrator, as required under the guidelines for settlement of disputes between two Public Sector Undertakings. The matter has not yet been resolved and full provision against the same has been made in the accounts.
- iv) An amount of ₹ 10.39 lakhs represents advanced towards VRS Package to officers of the Company provision has been made for the entire amount of 10.39 lakhs in the Accounts.
- v) GST Input credit of ₹ 238.45 lakhs (Previous Year ₹ 164.56 Lakhs) is considered good as the same is expected to be adjusted against future GST liabilities.
- vi) An amount of ₹ 4898.10 lakhs is receivable from BJEL on account of transactions carried out in the preceding year and full provision has been made in the accounts.
- vii) During the financial year 2018-19 the Company has given an Interest free loan amounting to ₹ 1200.00 Lakhs to Hadricrafts & Handlooms Exports Corporation of India Ltd. This loan was given on the basis of directive from Ministry of Textiles, Government of India vide its letter no.F.No.21/2/2018/HHEC/PSU dated 03.07.2018. The outstanding balance as on 31.03.2022 was Rs.1078.21 Lakhs. As per condition of MOU the loan will be repaid by sale of assets of the Company within 2 years from date of disbursement of loan.
- e) The amount of Income Tax deducted at Source (TDS) is Rs.1172.65 Lakh. The details of above assessment year wise as under:

Financial Year	Assessment Year	TDS Amount.(In Lakh)
Old balance		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
Total		1172.65

The Income Tax Refund determined by the Income Tax department in respect of earlier assessment years together with interest allowable thereon are being adjusted by the department against arrear demands in respect of assessment years 1990-91. The details/documents in respect of such demand could not be traced by the company. Accordingly, the company took up the matter with the jurisdictional Income Tax Authority which expressed its inability to provide copies of relevant orders vide which the demand for the said assessment year was raised and advised the company to contact CPC Bangalore.

CPC-Bangalore was also contacted under RTI Act, 2005 from whom clarification is yet to be received. The company intends to deal with the matter in appropriate manner and necessary adjustment in this regard will be made after obtaining necessary information/details from the Income Tax department.



NOTE - 16 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
a) Interest accrued on deposits	4.81		8.17	
Less :- Provision	1.80	3.01	1.80	6.37
b) Security deposits				
Unsecured - considered good	44.84		179.24	
- considered doubtful	11.47		11.47	
	56.31		190.71	
Less: Provision	(11.47)		(11.47)	
		44.84		179.24
c) Others	227.48		225.66	
Less :- Provision	(160.91)		(160.91)	
		66.57		64.75
TOTAL		114.42		250.37

NOTE - 17 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Sale of Jute Products	-	-
Other Operating Revenue	-	-
TOTAL	-	-

NOTE - 18 OTHER INCOME

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2018		For the year ended 31st March, 2017	
a) Interest Income				
Interest from Banks on Fixed Deposit	234.63		267.55	
Interest income on Loan to Subsidiary	88.34	322.97	88.34	355.89
b) Other Non-operating Income		21.03		2.01
TOTAL		344.00		357.90

ADDITIONAL INFORMATION

A) Govt of India has sanctioned interest free loan amounting to ₹48,362 lakhs for revival of NJMC Ltd. Out of that a sum of ₹41,571.41 lakhs has been released till 31.03.18. Unspent amount out of that has been invested in Term Deposits with bank for the time being . The interest earned on the same is being considered as Company's income consistently since 2011-12. ISDS fund of ₹144.00 lakhs, released on 31st March, 2016, has also been invested in Fixed Deposit. This interest is also included in the Interest income from Bank Deposits shown above.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 18 OTHER INCOME (Contd.)

B) Other Non-operating Income comprises of

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
i) Depreciation Adjustment for assets acquired with Govt. Grant	0.10		0.10	
ii) Interest from CESC	0.85		-	
iii) Prov. Written back	2.15		1.11	
iv) Interest on I Tax Refund	14.63		-	
v) Others	1.81		0.80	
vi) Dividends Received	0.11		-	
vii) Insurance Claim received	1.37	21.03		2.01
TOTAL		21.03		2.01

NOTE - 19 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
Opening Stock	138.57		138.57	
Less: Write down of value of inventory	4.99	133.58	-	138.57
Add :- Purchase		-		-
		133.58		138.57
Less :- Closing stock		133.58		138.57
Cost of Raw Materials Consumed (Including Process Loss)		-		-
ADDITIONAL INFORMATION				
i) Raw Materials consumed comprises :- Raw Jute				
ii) Indegenous		-		100%

The three revival mills namely Kinnison, Khardah and RBHM (Katihar) remained inoperative since mid of 2016. In line with the erstwhile BIFR GOI has taken a decision to close National, Union and Alexandra mills. So, there is no consumption of Raw materials.



NOTE - 20 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROCESS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Inventories at the beginning of the year		
Finished Goods	199.48	199.48
Work in Process	63.38	63.38
	<u>262.86</u>	<u>262.86</u>
Less: Write down of the value of inventory of finished goods	37.00	-
	<u>225.86</u>	<u>262.86</u>
Inventories at the end of the year		
Finished Goods	162.48	199.48
Work in Process	63.38	63.38
	<u>225.86</u>	<u>262.86</u>
Net increase / (decrease)	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTE - 21 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Salaries	83.32	66.40
Contribution to Provident Fund & Other Fund	2.46	1.32
Gratuity	-	-
Staff Welfare Expenses	0.75	0.02
TOTAL	<u>86.53</u>	<u>67.74</u>

NOTE - 22 FINANCE COSTS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Interest on Borrowings from Govt. of West Bengal	36.36	35.53
TOTAL	<u>36.36</u>	<u>35.53</u>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 23 OTHER EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Rent	16.78	16.78
Rates and taxes	9.92	4.74
Professional Charges	2.18	1.85
Car Hire Charges	6.93	3.49
Travelling and Conveyance	7.17	2.84
Communication	0.42	0.52
Printing and stationery	1.84	1.10
Computer Expenses	0.60	0.25
Insurance - Corporate & Branch	21.88	8.89
Municipal & Property Tax - Branch	27.43	22.00
Repairs and Maintenance - Others	13.22	1.32
Repairs & Office Maintenance - Branch	1.70	3.79
Security Expenses - Corporate	1.24	1.20
Security Expenses - Branch	270.09	251.81
Electricity Charges - Corporate	3.84	3.82
Electricity Charges - Branch	12.25	13.04
General Expenses - Branch	2.71	1.07
Excise Duty, Sales Tax etc. Paid on demand - Branch	4.92	4.12
Other General Expenses - Branch	1.14	0.90
PF Administrative Expenses _ Branch	0.54	-
Misc. Legal Expenses - Branch	-	0.46
Legal Charges	2.61	5.37
Bank Charges	0.12	0.13
Provision for doubtful trade and other receivables	79.50	79.50
Prior period Items (Net)	0.51	6.51
Miscellaneous expenses	5.14	11.89
Interests & penalties on delayed payments	1.06	2.80
Advertisement	0.07	1.68
	495.83	451.87



NOTE - 23 OTHER EXPENSES (Contd.)

	(₹ In Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Auditors Remuneration :		
a) Statutory Auditors:		
i) Statutory Audit Fees	1.37	1.37
b) Other Auditors		
i) Tax Audit Fees	0.36	0.36
ii) Others Audit Fees	0.49	-
	2.22	1.73
TOTAL	498.05	453.60

ADDITIONAL INFORMATION

i) Prior Period items include:

	(₹ In Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Prior Period Expenses	0.12	6.51
Depreciation	0.39	-
	0.51	6.51

NOTE - 24 EARNING PER SHARE

	(₹ In Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Profit / (Loss) after tax as per Statement of Profit and Loss (₹ In Lakh)	(353.13)	(238.94)
Weighted average Number of equity share	557974	557974
Earnings per share (₹) - Basic	(63.29)	(42.82)
Earnings per share (₹) - Diluted	(63.29)	(42.82)



NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.

In line with the directive, ₹ 20,000 Lakhs has been refunded to Government of India towards the repayment of Interest free loan and NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auctional agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Borad of Directors which is under process. NBCC India has started the assignment and submitted their first draft report on 21st September, 2020. A committee was constituted for verification of report. The committee has observed some discrepancies which were conveyed to NBCC India. Reverification of the assets is under process.

- 2) These Financial Statements incorporate the Accounts pertaining to the Units of Corporate Office and 6 mills of the Company viz Kinnison, RBHM, Khardah, National, Union and Alexandra.
- 3) Related Party Transactions

- i) Details of Parties :

Description of Relationship	Name of related Parties
Controlling Party	Honourable President of India
Subsidiary Company	Birds Jute & Exports Limited
Key Management Personnel	Sri Moloy Chandan Chakrabortty (CMD)
	Ms. Mohini Verma (CS)

Note :- Related parties have been identified by the Management

- ii) Details of related party transaction during the year ended 31st March 2022 and balances outstanding as at 31st March 2021 :

- a) With Subsidiary Company:

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
With Subsidiary Company:		
Interest on loans granted	88.34	88.34
With Key Management Personnel:		
Remuneration paid	3.10	4.39
Balances outstanding at the year-end with related Parties:		
Loans & Advances Granted	4898.10 Dr.	4818.59 Dr
Creditors for Services	0.10 Cr.	0.10 Cr.
Trade Receivable	23.56 Dr.	23.56 Dr.
Creditors for Brokerage	0.28 Cr.	0.28 Cr.
Advance to Creditors for Services	3.33 Dr.	3.33 Dr.

Provision against the above balance is mentioned in note no. 15(a)



NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

b)	With Key Managerial Personnel : Remuneration paid as Company Secretary	3.10	4.39
----	---	------	------

4) Employee Benefits expenses include Director's Remuneration as below :-

Particulars	Current Year	Previous Year
Remuneration	Nil	Nil
Contribution to P.F. Fund	Nil	Nil
Gratuity	Nil	Nil

(₹ In Lakh)

Particulars		For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
a)	Expenditure/Remittance in Foreign Currency	Nil	Nil
b)	Earnings in Foreign Exchange	Nil	Nil

6) The Company's operations pertain to manufacture and selling of single jute product for sale in the Domestic Market only. As such reporting under Accounting Standard 17 (Segment reporting under Section 133 of Companies Act 2013) is not applicable.

7) The company has net deferred tax asset at the year end. However, in view of the substantial losses incurred in a number of past years and suspension of manufacturing activities by the Company, the Deferred Tax Assets have not been recognized as a matter of prudence as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such Deferred Tax Assets can be adjusted.

8) The Company has not assessed the Impairment loss on its fixed assets as per Accounting Standard 28.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

9) Disputed liabilities and commitments not provided for:-

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A)	i) Claims against the Company not acknowledged as debt towards Central Excise for Unit Kinnison	16.43	21.35
	ii) Claim against the Company by the West Bengal Commercial Tax Authority And Bihar Commercial Tax Authority as regards non-submission of "C" forms, not acknowledged by the Company as debt and preferred appeal accordingly. (Financial Year 2010-11 ₹0.003 Financial Year 2011-12 Kinnison ₹ 0.002 Lakh , Khardah- ₹2.88 Lakh, Financial Year 2012-13 Kinnison - ₹43.96 Lacs , Khardah - ₹38.04 lakh, Financial Year 2013-14 Kinnison - ₹67.02 Lakh, Khardah - ₹40.18 Lakh & Financial Year 2014-15 Kinnison - ₹27.47 Lakh, Financial Year 2015-16 Kinnison - ₹3.18 Lakh & 0.01 Lakhs, Financial Year 2017-18 Khardah ₹0.11 Lakh and Kinnison ₹0.22 Lakh)	223.09	223.09
	iii) Service Tax demand	0.10	0.10
	iv) Demands of Interest appearing on the Income-tax Portal in respect of Assessment Years 1990-91, 2007-08 and 2009-10, which according to the company is not correct and for which the company has taken up the matter with Jurisdictional Income Tax Authority who informed that they do not have any knowledge regarding the demand and advised it to take up the matter with CPC-Bangalore. Accordingly NJMC Ltd. sought the clarification under RTI Act, 2005. NJMC Ltd. is yet to receive any reply.	676.17	676.17
	v) Demands raised on account of of TDS defaults and interest thereon appearing on the Income Tax Portal.	1.59	3.21
B)	Commitments	-	-
	Total	917.38	920.71



NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

10) Contingent liabilities and commitments not provided for

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i)	Guarantees extended by the Corporation to SBI Home Finance Ltd for granting House Building Advance to the employees of this Corporation	0.97	0.97
ii)	Guarantee issued to Sales Tax Authority by the Banks on behalf of the Company	0.50	0.50
iii)	Claims made by ex-employees/ officers of the company	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained
iv)	Claims for interest demanded by the creditors of the company pending before various legal forums	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained

11) Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current year figures.

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356

Place : Kolkata
Dated: 23.09.2022

For and on behalf of the Board

(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

(i) Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company

The management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). The details in respect of immovable properties not held in the name of NJMC Ltd. are as follows:-

The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	included in ₹134752/- mentioned in FAR not separately ascertainable	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending.
	Land - Unit Alexandra	₹4,86,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21st December 1980	
	Land - Unit National	₹3,183.01	Mayarani Devi	NA	10th June 1980	
	Land - Unit National	included in ₹240384.99/- mentioned in FAR not separately ascertainable	National Jute Co Ltd	NA	10th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Milss Co Ltd	NA	21st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹515136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21st December 1980	
	Land - Unit RBHM	₹2700000.00	British India Corporation (Lease)	NA	21st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹200000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21st December 1980	

* The title over Property at Alipore Road, Kolkata is under litigation.



NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- ii) The Company has not revalued its property, plant & equipment during the year 2021-22.
- iii) The company has no intangible assets.
- iv) Details of Loans & Advances granted to related parties without specifying any terms or period of repayment:

				31 March 2022		31 March 2021	
Type of Borrower	Loans/Advances granted Individually or Jointly with other. (Individually / Jointly)*	Repayable on demand	Terms/ Period of repayment is specified	Amount outstanding as at the balance sheet date (including Interest)	% of Total	Amount outstanding (including interest)	% of Total
Promoter							
Directors							
KMPs							
Related Parties	to subsidiary	Yes	No	4898.10	81.96%	4818.59	81.72%

v) Capital-Work-in Progress (CWIP)

(a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP aging schedule

a) Ageing Schedule

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2022					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

As at 31st March, 2021					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

Due to closure declared by cabinet the entire CWIP has been considered suspended and 100% provision made in the books.

- vi) The Company does not have any Intangible Assets under development.
- vii) The company has no Benami Property and no proceedings has been initiated or pending against the company for holding any Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- viii) The Company has no borrowing from banks or any other Financial Institutions on the basis of security of Current Assets.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

ix) The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

x) Relationship with Struck off Companies

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed	Balance outstanding as on 31.03.2022	Balance outstanding as on 31.03.2021
Duncans Agro Industries Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Lawrence Investment & Property Co. Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
NA	Receivables	NA	0	0
NA	Payables	NA	0	0
NA	Shares held by struck off company	NA	0	0
NA	Other outstanding balances (to be specified)	NA	0	0



NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- xi) NJMC Ltd does not have any secured loan as on 31st March 2022 and 31st March 2021 as per its record. However, the satisfaction of charge in respect of Secured Loans already repaid in earlier years.

A brief description of the charges or satisfaction	The location of the Registrar	The period (in days or months) by which such charge had to be registered as on March 31, 2022	The period (in days or months) by which such charge had to be registered as on March 31, 2021	Reason for delay in registration
<p>A brief description of the charges, which status showing open in index of charge of the Company at MCA Portal:</p> <p>1. Charges were created on 10.12.1981 and 16.08.1981 with UCO Bank, amount to Rs. 36 lakhs and 50 lakhs. The Particulars of property on which the said charge has been created is as mentioned <i>“the whole of borrower’s stock-in-raw jute, work-in-progress and finished goods and all other articles, goods stocks and movable properties of whatever kind which now or hereafter from time to time during this security shall be brought into stored or be in or about the Borrower’s premises godowns plinths open spaces factories or whatever else they may be including in particular such stocks stored or to be stored in the Borrower’s premises or warehouses/godowns situated at Titagarh 24 Parganas, West Bengal. All the Borrower’s present and future bookdebts, Bill Money receivables choses in action and claims”</i></p> <p>2. The Charge was created on 21/07/1981 and it was modified on 11/09/1986. The amount secured by Charge amounting to Rs. 540 lakhs and the particulars of property on which the said charge has been created is as mentioned <i>“all types of raw materials consisting raw Jute, Jute products, coal etc. work-in-progress and finished goods and goods under export, consisting of Jute goods, Jute carpets, Stores, spares, packing materials etc. stored at the factory premises at Khardah, West Bengal, Unit: Khardah”</i>.</p>	<p>Nizam Palace, 2nd MSO Building, 2nd Floor, 234/4, A.J.C.B. Road, Kolkata- 700020, West Bengal.</p>	<p>Could not be ascertained as the matter is very old.</p>	<p>Could not be ascertained as the matter is very old.</p>	<p>All Charges created in the name of NJMC Ltd. are registered with RoC, since status of two charges, created with UCO Bank (Charges Id 90249588 & 90249595) and Central Bank (Charge Id 90249585) is still showing open at MCA Portal. Therefore, the letter has been sent to both the banks vide ref. NJMC/COO/2022-23/4951 and NJMC/COO/2022-23/4952 to share the status of the Charges as mentioned as per their records. Management is following up the matter with the banks. After receiving the status, appropriate action will be taken.</p>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- xii) The company has not made any investment beyond the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.
- xiii) Financial Ratios : Refer Annexure A to Note -26
- xiv) The Company has not entered into any scheme of arrangement under approved by competent authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.
- xv) (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (B) The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- xvi) The Company doesnot have any undisclosed Income which is not recorded in the books of Account that has been surrendered or disclosed as income during the year (Previous year- Nil) in the Tax assessments under Income Tax Act 1961 (such as , search, survey or any other relevant provisions of Income Tax Act 1961.
- xvii) The Provisions of section 135 of the Companies Act, with regard to CSR activities do not apply to the Company.
- xviii) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during this financial year.

For and on behalf of the Board

(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144AUHQEV5356

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405

Place : Kolkata
Dated: 23.09.2022



NOTE :ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (ANNEXURE- A)

Ratio

Ratio	Formulas	Items included in Numerator	Items included in Denominator	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021	% Variance(s)	Explanation for change in ratio by more than 25%, if any
1. Current Ratio	Current Assets / Current Liabilities	Inventories, Trade Receivables, Cash And Bank Balances, Short-Term Loans and advances, Other Current Assets	Trade Payables, Other Current Liabilities, Short-Term Provisions	0.59	0.83	-28.62	Due to Non Current Fixed Deposits made with bank
2. Debt Equity Ratio	Total Debts / Shareholders Fund	Short Term Borrowing +Long term Borrowing	Share Capital,Reserves & Surplus	-	-	-	Not applicable as shareholders fund is negative for both the years.
3. Debt Service Coverage Ratio	Earning Available for Debt Service / (Interest +Principal Repayments)	Profit before Interest & Tax + Non Cash Expenses & amortisations	Principal + Interest & Lease Payments	-	-	-	Not applicable as earnings available for Debt Service is negative for both the years.
4. Return On Equity Ratio(%)	Net Income / Shareholders' Equity	Net profit after Tax - Preference Dividend	Average Shareholders Equity	-	-	-	Not applicable as shareholder's equity is negative in both the years.
5. Inventory Turnover Ratio	COGS / Average Inventory	COGS or Sales	Average Inventory	-	-	-	Not applicable as there is no sale of goods in both the years.
6. Trade Receivables Turnover Ratio	Net Credit Sales / Average Accounts Receivables.	Net Credit Sales	Average Accounts Receivable	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
7. Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases / Average Accounts Payables.	Net Credit Purchases	Average Accounts Payable	-	-	-	Not applicable as there is no purchase of materials in both the years.
8. Net Capital Turnover Ratio (%)	Sales / Average Working Capital	Net Sales	Average Working Capital	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
9. Net Profit Ratio (%)	Net Profit / Net Sales*100	Net Profit After Tax	Total Income	-	-	-	Not applicable as there is no revenue from operations in both the years.
10. Return on Capital Employed.(%)	EBIT / Gross Capital Employed *100	Profit Before Interest & Tax (%)	Tangible Networth+Total Long Term Debt+Deferred Tax Liability	-	-	-	Not applicable as capital employed is negative in both the years.
11. Return On Investment (%)	Income from Investments/ Average Investments * 100	Income from Investments	Average investments	8.58	0.41	1981.67	Dividends Income was insignificant in the last year as compared to the current year.

BLANK



Consolidated Financial Statements



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(B) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES
ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL
JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED
31 MARCH 2022**

The preparation of consolidated financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with Section (129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 143 read with Section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 06 December 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) read with Section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited and its subsidiary company Birds Jute & Exports Limited (BJEL) for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 143(6)(b) of the act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 30.12.2022

(Suparna Deb)
Director General Audit (Mines)
Kolkata



Independent Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

TO THE MEMBERS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Qualified Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED (hereinafter referred to as the 'Holding Company') and its subsidiary (Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2022, of consolidated Loss, and its consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

- **Going Concern Assumption:**

The accounts of the Holding Company and the Subsidiary have been drawn up on going concern basis which is not appropriate under the circumstances because of the following reasons:

- The Union Cabinet has approved the closure of National Jute Manufactures Corporation Limited (NJMC) and its subsidiary Birds Jute Exports Limited (BJEL) at its meeting held on 10th October, 2018. Disposal of all assets will be in accordance with the guidelines of DPE dated 14.06.2018 and the proceeds from the sale of assets, after meeting the liabilities will be deposited in Consolidated Fund of India. The Board of Directors of NJMC Limited at its 177th meeting nominated M/s. MSTC Ltd. as Auctioning Agency for disposal of all movable assets and Building but no specific development in that regard has been achieved yet. Further M/s. NBCC(India) Ltd has been appointed as Pre-Land Management Agency (LMA) for verification, assessment and valuation of assets before undertaking disposal in accordance with the DPE guidelines which has been extended by six months without imposition of LD but the report is still awaited.
- In terms with the closure notification, the holding company has during the year 2018-19 refunded Interest Free Loan to the extent of ₹200 crores to the Government of India. The income of the holding company for the last several years is primarily from Interest on Fixed Deposits which has reduced significantly after the said refund.
- The auditors of the subsidiary company in their report on the Standalone Financial Statements have also expressed opinion that there exists material uncertainty which is casting significant doubt on the ability of the subsidiary to continue as a going concern.
- The subsidiary company has made a provision of ₹32.35 Lakhs (Previous Year ₹13.34) towards unpaid municipal taxes and interest thereon. The auditors of the subsidiary company has expressed inability to comment on the adequacy or otherwise of such provision in view of uncertainty over the amount of further interest and penalty, if any, payable on this account.



- The auditors of subsidiary company have also stated that the balances in Trade Receivables, Creditors, Suppliers and Advances are subject to confirmation/reconciliation and subsequent adjustments, if any.
- In the opinion of the auditors of the subsidiary company, it in all material respects, does not have adequate internal control system over financial reporting and such internal controls over financial reporting were not operating effectively as on 31st March, 2022.
- The Financial Statements indicate that the group's current and non-current liabilities exceed its total assets by ₹32,557.61 Lakhs (Previous Year ₹31,744.40 Lakhs) and the manufacturing units of the group are also not in operation for the last several years.

These factors confirm the inability of the group to continue as a going concern and to discharge its liabilities in the normal course of business.

B) Non Compliance with Accounting Standards:

B.1 Accounting Standard-2 - Valuation of Inventories

As stated in accounting Policy 1.3, Inventories are valued at lower of cost and net realizable value/market price. Most of the inventories are being carried forward since long and there is no movement in inventory for a number of years. The relevant cost details and the basis of determination of net realizable value were not made available to us and, hence, it is not possible to ascertain whether AS-2 has been complied with. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete and non-marketable inventories has not been ascertained. Hence, it is not possible to determine whether the carrying value of inventories represents its proper valuation.

B.2 Accounting Standard-21 - Consolidated Financial Statements :

The group has not prepared and presented any consolidated financial statements in the earlier years, as required by (AS)21, 'Consolidated Financial Statements' till the date of our reporting.

B.3 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

Ascertainment of Deferred Tax Asset & Liability in accordance with AS-22 on Accounting for Taxes on Income has not been done.

B.4 Accounting Standard-29 – 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets':

According to the information and explanations given to us, both the companies in the group are in litigation with various parties on diverse matters, a number of which are pending for several years. However, against many cases, these companies have not estimated and disclosed the amount of possible financial implication of the dispute, as required under AS 29 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'.

C) Under/Over statement of Income/Expenses and Assets/Liabilities

C.1 Property, Plant & Equipment & Depreciation:

- a) As stated in Note 11, Property, Plant & Equipment include certain machines of the holding company having WDV of ₹637/- lying with a third party since Nationalization. But the holding company has not ascertained the actual existence of those machineries as on Balance Sheet date.
- b) As disclosed in Note 11, 'Land & Building' includes property at 5, Alipore Road, Kolkata, which is not in the possession of the holding Company though vested in it under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The property is under litigation and the legal experts are having divergent views regarding the ownership right over the property. Though the ownership is disputed, the holding company is providing liability in respect of municipal taxes payable to Kolkata Municipal



Corporation, which amounted to ₹4.45 Lakhs for the financial year 2021-22 (Previous Year: ₹4.45 Lakhs). The cumulative liability so provided by the holding company upto 31.03.2022 is ₹112.02 Lakhs (upto 31.03.2021: ₹107.57 Lakhs).

- c) Certain items of Plant & Machinery lying at the National Mill Unit of the holding company, having aggregate book value of ₹2.12 Lakhs as on 31-03-2022, as determined by the management, were stated to have been theft in the earlier year (₹0.28 Lakhs) as well as during the financial year 2021-22 (₹1.84 Lakhs), for which FIRs have been lodged by the holding company. No provision has been made towards loss on these account as the management of the holding company intends to recover the same from the Insurance Company and/or the concerned Security Service provider at the said Mill. We have been informed that necessary adjustment in this regard will be made on settlement of the matter with the concerned parties. In absence of updated fixed assets register we could not verify the correctness of the aforesaid value calculated by the management.
- d) The Title Deeds of the land at various location in case of the holding company were made available for our verification but could not be properly verified and linked with the records of fixed assets. However, according to information and explanation given to us, the landed property of its three mills viz. Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra are still continuing in the name of the erstwhile companies. We have been further informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer – North 24 Paraganas, Barasat as well as Secretary Land and Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal for updating the land records in respect of the said properties but, the matter is still pending as on 31st March, 2022.

The auditors of the subsidiary company in their report have stated the title deeds of the immovable properties (other than properties where the subsidiary is the Lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) are partly held in the name of the company in digitized form and partly in the name of erstwhile company M/s Lansdowne Jute Company Limited. Further, the auditors of the subsidiary company in their report have stated that no physical verification of Fixed Assets have been carried out in any manner whatsoever and they are unable to comment on the quantitative details, situation of Fixed Assets, any material discrepancies and accounting impact thereof.

C.2 Investments:

The holding company is not maintaining proper Register of its Investments. Further, no documents could be made available in respect of Investments in Govt. securities aggregating to ₹0.74 Lakhs and Share scrips in respect of investments held in Britannia Engineering Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. could not be made available for our verification and were informed to be not traceable. These investments are very old and it was explained to us that the original certificates might have been provided as security to the various Govt. authorities/ departments. It was also noticed that investments include ₹0.02 Lakhs in the shares of companies, the names of which have already been struck off. However, full provision has been made against all these investments. Furthermore, investments include shares in Cheviot Company Limited and Birla Corporation Limited against which full provision has been made though dividends have been received against these shares.

C3 Inventories:

The valuation of inventories at the year-end, which are very old, has been done by the management of the holding company without considering damage/obsolesce on account of lapse of time and non-operations of the mills. The write-down in the value of inventories of raw-materials and work-in process



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

has been done by the management without any technical evaluation of the actual diminution in the value of different types of inventories held by the holding company.

C4 Cash and Bank Balances:

Bank balances of holding company include ₹91,303.04 on account of Kinnison unit lying with UCO Bank, Titagarh Branch, which is a dormant account as on Balance Sheet date.

For the following old bank accounts of Birds Jute and Exports Ltd wherein no transactions have been made and are inoperative, no confirmation has been obtained from the banks:

Bankers Name	Book Balance as at 31.03.2022 (in ₹)	Book Balance as at 31.03.2021 (in ₹)
Vysya Bank, N.S. Road, Kolkata	804.15	804.15
Syndicate Bank, Madras	963.00	963.00
Syndicate Bank, Calcutta (PCL)	683.00	683.00

C.5 Short Term Loans & Advances:

- a) Against the aggregate provision of Holding Company of ₹408.77 Lakhs for Income-tax, as appearing in the Balance Sheet, tax payments made by the holding company in the form of income tax deducted at source amounts to ₹1172.65 Lakhs. The Income-tax refunds determined for earlier years, together with interest allowed thereon, are being adjusted by the Income Tax department against the arrear demand for the assessment year 1990-91. The outstanding demand summary of the holding company appearing in the Intimation u/s 143(1) for the assessment year 2020-21 is still showing a sum of ₹243.15 Lakhs payable by the company towards interest. We have been informed that the holding company is trying to obtain necessary information and documents in respect of the demand raised for the assessment year 1990-91 and necessary adjustment /further provision will be made after receiving necessary documents/information.
- b) There are many unreconciled differences in various accounts, as appearing in the respective books of account of the holding company and subsidiary, the details of which is as follows:

Account	Balance as per NJMC (₹ in Lakhs)	Balance as per Subsidiary (₹ in Lakhs)	Remarks
Interest Accrued on loans granted to Subsidiary	3814.96	3804.77	Differences need reconciliation and necessary adjustment after obtaining required details and information.
Advances given	605.64	631.05	
Creditor for Goods	Nil	94.91	
Creditor for Rent	Nil	0.15	
Creditor for other services	0.10	Nil	
Creditor for Brokerage	0.28	Nil	
Trade Receivables A/c Goods	23.56	258.21	
Trade Receivables A/c Expenses	Nil	7.40	
Advances given for Services	3.33	Nil	



The net difference between the holding company and subsidiary company amounted to ₹159.24 Lakhs, which has been shown in the consolidated balance sheet as “Net Difference between Holding & Subsidiary subject to reconciliation”.

C.6 Other Current Assets:

Since party wise details and relevant documents could not be made available to us in respect of holding company’s Security Deposits aggregating to ₹56.31 Lakhs, out of which ₹11.47 Lakhs considered doubtful and provided for, it is not possible to determine how much of deposits considered good are actually realizable.

C.7 Long Term Borrowings:

- a) The holding company has taken loans of ₹281.48 from the Govt of West Bengal in earlier years. The Loan agreement or any other document showing the terms and conditions of such loan could not be made available to us for our verification. In absence of any document showing the rate of interest and other terms, we could not verify the correctness of interest aggregating to ₹1308.61 Lakhs provided by the company upto 31-03-2022, which includes ₹36.36 Lakhs provided for the year under review. As stated in Note 5 to accounts, the holding company has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹1590.09 Lakhs as on 31st March, 2022 (as on 31st March, 2021 ₹1553.73 Lakhs).

The subsidiary company has taken Non-Plan Loan from Government of India of ₹2159.36 (₹46.96 Lakhs in 2021-22) and has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹9237.49 Lakhs as on 31st March, 2022 (as on 31st March, 2021 ₹8801.39 Lakhs).

- b) No balance confirmations have been obtained by the holding company and subsidiary company from the Central/ State Governments for the outstanding balance of loans as on 31-03-2022.

C.8 Trade Payables:

Trade Payables of holding company aggregating to ₹2058.94 Lakhs (as at 31.03.2021 ₹2096.91 Lakhs) include old outstanding balances carried over for more than three years aggregating to ₹1977.09 Lakhs (as at 31.03.2021 ₹1974.07 Lakhs) as per age-wise analysis of trade payables prepared by the holding company. In absence of party wise and invoice wise details or statement of account received from parties, it is not possible to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable. In absence of necessary information, the status of parties under MSMED Act and dues to Micro and Small Enterprises could not be ascertained. Further, no liability on account of interest payable under the MSMED Act is being provided in the accounts for the last several years. Consequently, the interest payable under the said Act may be different from the amount of interest liability shown under the head Trade Payables. Furthermore, in case of Kinnison Unit, the amount of Sundry Creditors for Services and Sundry Creditors for Stores are being included in Trade Payables at net of debit balances aggregating to ₹22 Lakhs lying in some of these creditor accounts. Consequently, the liability on account of Trade payables is understated to that extent in the balance sheet. Furthermore, the provision made by the holding company towards doubtful advances given is also short to that extent, which has the impact of understatement of consolidated loss to the extent of ₹22 Lakhs on this account.

C.9 Other Current Liabilities:

- a) During the year under review, the holding company has made payment of ₹152.99 lakhs towards arrear ESI Contributions and a further sum of ₹50 Lakhs on adhoc basis on account of interest on



ESI Dues against the demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court, Kolkata. These payments have been adjusted by the holding company against the unpaid liability of ₹3727.18 Lakhs lying in the books of account as on 01-04-2021 as Provision for ESI Damages without any basis and nothing has been charged to the Statement of Profit & Loss on this account. Further, no separate provision has been made for the balance payment of ₹284.36 Lakhs made by the holding company in the subsequent year on the basis of the said order of Hon'ble High Court, Kolkata towards past dues of ESI Contributions and interest thereon.

In our opinion, such non-charging of the aforesaid payments to the Statement of Profit & Loss and not making provision for the balance payment made in the subsequent year has the effect of understatement of consolidated loss for the year and statutory liabilities payable at the year-end to the extent of these payments.

- b) Statutory dues of holding company also include liability for Fringe Benefit Tax amounting to ₹8.93 Lakhs, Interest on Professional Tax amounting to ₹68.69 Lakhs, Damages due on PF and interest thereon ₹903.05 Lakhs which are being brought forward since long back. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.
- c) In the absence of party-wise details and other necessary information in respect of undisbursed claim of Commissioner of Payment: ₹40.29 Lakhs; Performance Guarantee: ₹57.47 Lakhs, Advance from parties: ₹98.83 Lakhs and old outstanding balances included in Security Deposits/EMD Received: Amount of which could not be ascertained for want of details, appearing in the books of account of the holding company, it is not possible for us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided for. Most of these items were stated to be very old.
- d) Creditors for unpaid wages of holding company ₹320.60 Lakhs include old outstanding liability aggregating to ₹226.55 Lakhs on account of VRS payable, Gratuity payable and Arrear Salary Payable. The holding company is maintaining the old balances as liability towards staff related payments. According to the information given to us, the total financial contingent liability of holding company in Labour matters, so far the management could ascertain in a number of cases comes to ₹6866.00 Lakhs.
- e) Unpaid Rates & Taxes of holding company include Cess, Duty etc ₹0.99 Lakhs, Professional Tax ₹0.12 Lakhs, Service Tax ₹1.69 Lakhs, TDS ₹0.99 lakhs, Other Rates & Taxes ₹109.97 Lakhs, which are being carried forward for long. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

C.10 Ageing Schedules:

Break-up and ageing Schedules of Trade Payables and Trade Receivables have been given in respect of Trade Payables and Trade Receivables of Holding Company only. We have been informed that the Trade Payables and Trade Receivables of the Subsidiary could not be included in these schedules as the required information could not be obtained from the subsidiary company.

In view of the aforesaid observations, we are unable to determine the impact of these matters on the statement of affairs of the group and the corresponding impact on the Consolidated Statement of Profit & Loss.



KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in term of the requirements of the Companies Act, 2013 (the Act) that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.



AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to event or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

OTHER MATTERS

We did not audit the financial statements and other financial information of the subsidiary, whose financial statements have been considered in the consolidated financial statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditor whose report have been furnished to us by the



Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, and our report in terms of subsection (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the reports of the other auditor.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (CARO 2020), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in paragraph 3(xxi) of the Order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of the subsidiary, as noted in the 'other matter' paragraph and except for the possible effects of the matter described in "Basis for qualified opinion" paragraph above, we report, to the extent applicable, that:
 - (a) We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept so far as appears from our examination of the books as it appears from our examination of those books and the report of the other auditors.
 - (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
 - (d) Except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Consolidated Financial Statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) The matters described in the basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Companies comprised in the group.
 - (f) We have been informed that the provisions of section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the holding company, being a Government Company in terms of notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015 and as reported by auditors of the subsidiary, on the basis of written representation received from the directors and taken on record by the Board of Directors, none of the directors of the subsidiary is disqualified as on 31st March, 2022, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
 - (g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above.
 - (h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure B.
 - (i) Since the companies comprised in the group are not paying any managerial remuneration to the directors, the provision of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable.
 - (j) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us:
 - i. In the absence of complete details, we are not in position to comment whether the Consolidated



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Financial Statements has disclosed the full impact of pending litigations in respect of Holding Company, as shown against point no 9 and 10 in Note-28 of other explanatory information, on its financial position in its financial statements. In respect of Subsidiary Company, the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements, as per the report of the other Auditor, are disclosed in Annexure C.

- ii. The Holding Company and its subsidiary company did not have any such long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company and its subsidiary company incorporated in India.
 - iv. (a) The respective Managements of Holding Company and its subsidiary companies have represented to us and the other auditors of standalone financial statements of subsidiary company that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company and its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company and its subsidiary company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(b) The respective Managements of Holding Company and its subsidiary company have represented to us and the other auditors of standalone financial statements of subsidiary company that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company and its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company and its subsidiary company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. As the holding company and its subsidiary have not declared or paid any dividend during the year, the provisions contained in section 123 of the Companies Act, 2013 are not applicable to it.
3. In response to the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we report that:
- (i) The holding company does not have an ERP Accounting System or fully integrated IT system among its units and corporate office. The accounts of each unit and corporate office are maintained on accounting software. Consolidation of accounts of the corporate office and the various divisions are done through a separate data entry mode.

The present system adopted by the company leaves a scope of absence of data integrity and increases audit risk.



As reported by the auditors of subsidiary company, the subsidiary company is maintaining its accounts through Tally software but the process of accounting is kind of Hybrid system involve manual and computerized process. The auditors of subsidiary have not found any issue on the integrity of the accounts with any financial implication.

- (ii) According to the information and explanations given to us and the records of the Holding Company examined by us, there have been no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the holding company due to company's inability to repay the loan.

The auditors of the subsidiary company have reported that the directions related to cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the subsidiary company due to company's inability to repay the loan is not applicable to the subsidiary company.

- (iii) (a) The Holding Company is carrying Interest Free loan, sanctioned by the Government of India as additional budgetary support for restructuring/revival of the Company as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and BIFR, as Long Term Borrowings.

(b) The Holding Company has obtained a Loan of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years, repayment of Loan and Interest on which have been defaulted in since 31st March 1994. The accumulated balance of Loan and Unpaid Interest is ₹1590.09 Lakhs as on 31.03.2022. In absence of loan documents, terms & conditions, adequacy of the interest provision made cannot be commented upon.

(c) As disclosed in Note 3 of the Financial Statements, the Holding Company had received grants from Bihar Government and IJIRA in 1988-89 and subsidy from West Bengal Industrial Development Corporation in 1982-83. The detailed papers of such grant/subsidy as well as the assets acquired out of such grant were not made available to us.

(d) The auditors of the subsidiary company have not pointed out any deviation in respect of Grant received by the Subsidiary in earlier years for the implementation scheme of R & D Programme and product Diversification from Government of India Jute Special Development Fund.

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place: Kolkata
Date: 06.12.2022



Annexure– A to Independent Auditors’ Report

The Annexure referred to in Independent Auditors’ Report to the members of National Jute Manufactures Corporation Limited (the company) on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 March 2022.

As required by paragraph 3(xxi) of the CARO 2020, we report that the auditors of the following companies have given qualification or adverse remarks in their CARO report on the standalone financial statements of the respective companies included in the Consolidated Financial Statements of the Holding Company:

Sl. No	Name of the Company	CIN	Relationship with Holding Company	Date of the respective auditor’s report	Paragraph no in the respective CARO Report
1.	National Jute Manufactures Corporation Limited	U17232WB1980GOI032768	Holding Company	23.09.2022	(i)(a)(A), (i)(b), (i)(c), (ii)(a), (iii)(d), (iii)(e), (vii)(a), (vii)(b), (ix)(a), (ix)(c), (xiv)(a), (xvii) and (xix)
2.	Birds Jute and Exports Limited	U17232WB1904GOI001579	Subsidiary Company	03.08.2022	(i) b), (i) c), (vii) (a), (vii) (b), (xvii) and (xix)

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 06.12.2022

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358



ANNEXURE – B

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 (“THE ACT”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** (“the Company”) as on 31st March, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding Company and its Subsidiary Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company and its Subsidiary Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection



of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the holding company as well as the subsidiary have not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by ICAI, e.g. control environment, risk assessment, control activities, information system and communication and monitoring. The Board's report of Holding Company also does not include any risk management policy for the company including identification therein of elements of risk.

In view of above observations, Internal Financial Controls in the Holding Company as on 31.03.2022 is inadequate based on the internal control over financial reporting criteria as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

As opined by the auditors of the subsidiary company, the subsidiary company in all material respects, does not have an adequate internal financial controls over the financial reporting and as such internal financial controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the subsidiary company considering the essential components of internal controls as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

Other Matters

Our report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting with reference to these consolidated financial statements of the Holding Company, in so far as it relates to separate financial statements of the subsidiary, which is a company incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such subsidiary incorporated in India.

We have considered the qualified opinion reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our opinion on the consolidated financial statements of the company.

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 06.12.2022

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358



ANNEXURE – C

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Pending Court Cases & Litigations of Subsidiary Company:

<p>1.</p>	<p>Before the 5th, Court, Fast Track & Addl. District Judge at Barasat Title Appeal no. 29 of 1996 Anokhi Manufacturing Products Pvt. Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Limited</p>	<p>Last date- 08.04.2022 Next date- 28.06.2022 A suit being Title Suit No. 46 of 1989 was filed by BJEL for eviction of the defendant from the suit property and it was decreed by a Decree and order dated 19.9.2015 on the ground of reasonable requirement by BJEL. The present appeal was filed by the appellant challenging the Decree and order dated 19.9.2015. Title Execution No. 01 of 1996 was filed for execution of the Decree and order dated 19.9.2015, which has been stayed by an order dated 01.03.1996 until disposal of the appeal. The appellant claims to have been depositing rent month by month before the Ld. Court but it has failed to give inspection of original challans in terms of an order passed by Appeal Court. An application has been filed on behalf of BJEL to bring on record the Rehabilitation Scheme of BJEL to prove that the suit property is required for rehabilitation of BJEL. Appeal was being heard by the Appeal Court but original box wherein all original Exhibits were kept in, are not available. The department and the Registry were directed to trace out the same and produce before Appeal Court.</p>
<p>2.</p>	<p>In the Court of the Second Civil Judge (Sr. Division) at Barasat Title Suit no. 42 of 2013 New No. Title Suit No. 8191 of 2014 Birds Jute & Exports Ltd. -vs- Rototron Containers Pvt. Ltd.</p>	<p>Last date-28.03.2022 Next date:- 26.08.2022 The present suit has been filed by BJEL for decrees for declaration and injunctions in respect of Dag No. 104, including decree for recovery of possession of the Land. The defendant no. 1 has filed its written statement and written objection in the suit and copies thereof have been sent to BJEL. Other defendants have not entered appearance. A paper publication was made on behalf of BJEL. An injunction application was filed praying for temporary injunction against the defendants which was refused. An appeal was preferred against the order of refusal being FMAT No. 583 of 2013 with CAN No. 4828 of 2013.</p>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

		<p>The said appeal was heard by the Hon'ble Justice Subhro Kamal Mukherjee and the Hon'ble Justice Asim Kumar Mondal on 15th May, 2013 when after hearing Counsel appearing on behalf of BJEL. Their Lordships were pleased to direct that during pendency of the said stay petition the respondents are restrained by an order of injunction from transferring, alienating, encumbering the property-in-suit being Dag No. 104. Other directions have also been given. The said appeal and application are pending and notices have been issued.</p>
3.	<p>In the Court of the 3rd Civil Judge (Jr. Division), Mayuk Bhavan Title Suit no. 185 of 2004 Birds Jute & Exports Limited. -vs- Sovanath Singh</p>	<p>Next date - 07.05.2022</p> <p>The present Suit has been filed by Bird Jute for decree for injunctions against the defendants (heirs of Late Kashi Nath @ Kashi Prasad Singh) in respect of Dag No. 104.</p> <p>An ad-interim order of status quo was passed by the Learned Court on 14th July, 2004 and from time to time the interim order has been extended and it is still subsisting. Due to non-appearance of the defendants, summons of the suit have been sent to the defendants on number of occasions. Thereafter, an application has been filed on behalf of BJEL for hearing the suit exparte which was allowed by the Learned Court and the matter is fixed for exparte hearing. Examination in Chief has been completed. Fixed for hearing on the next date.</p>
4.	<p>Before the LD. District Judge at Barasat Misc Appeal No. 155 of 2016 T. K. Ware Housing Enterprise Pvt. Ltd -vs- Birds Jute & Exports Limited</p>	<p>Last date.: 17.03.2022 Next date- 06.06.2022</p> <p>This is an appeal from the order dated 20th September, 2016 passed by the Ld. Estate Officer directing the appellant to pay an amount of ₹4,47,20,439/- .</p> <p>The appellant was a tenant under the respondent. The respondent has initiated proceeding under section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupation) Act, 1971.</p> <p>Written objection has been filed on behalf of BJEL. An application has also been filed for recovery and dismissal of the suit.</p> <p>An order has been passed by the Ld. Court on 27th March, 2018 granting liberty to the Estate Officer to start his recovery proceeding.</p> <p>The Learned Court on 28th June, 2018 after hearing both the parties has called for all the lower court records from the court below.</p>



5.	<p>Before the 2nd Civil Judge (Sr. Div), Barasat T.S. No. 85 of 2012 New No. Title Suit 2651 of 2014 Rototron Containers (P) Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Limited</p>	<p>Next dt.-30.05.2022 The plaintiff had filed the suit for obtaining injunction against the defendant restraining them from interfering, obstructing the plaintiff in the development of the said premises in question. Written statement has been filed on behalf of BJEL. The plaintiff has filed a supplementary affidavit to which written objection has been filed on behalf of BJEL. Fixed for hearing on the next date.</p>
6.	<p>Before the 2nd Court, Barasat Title Suit No.97 of 2014 New No. Title Suit 13252 of 2014 B.P. Poddar Foundation for Education -vs- Birds Jute & Exports Limited</p>	<p>Next dt.- 20.04.2022 Suit file by the plaintiff for decree declaring that the notice dated 21/2/2014 issued by the BL& LRO, Barrackpore under Section 57 of the Estate Acquisition Act, 1953 as illegal, ultra vires and without jurisdiction. Injunction Application filed by the plaintiff for temporary injunction against BJEL from restraining them from disturbing the plaintiff peaceful possession regarding the suit property. Written statement filed on behalf of BJEL. By an order dated 29th April, 2014 the Ld. Court refused to grant the plaintiff an order of injunction. The Plaintiff has filed an appeal being Misc Appeal no. 99 of 2014 challenging the order dated 29th April, 2014 which has been dismissed.</p>
7.	<p>Before the District Land & Land Reforms Officer LR Appeal No. 204 of 2019</p>	<p>Last date- 06.04.2022 Next date- 27.04.2022 The petitioner has challenged the order of B.L & LRO dated 4th February, 2022 wherein the B.L. & L.R.O Barrackpore has directed for change of the record of right in the name of Landsdown Jute Company Limited.</p>
8.	<p>Before the Learned 2nd Civil Judge (Senior Division) at Barasat T. S. No. 736 of 2021 Birds Jute & Exports Ltd. -vs- South Dum Dum Municipality & Ors</p>	<p>Next dt.-29.04.2022 The suit has been filed for permanent injunction against South Dum Dum Municipality for encroachment of the land of BJEL. Injunction has been granted which is till 29th April, 2022. The matter is fixed for appearance of the defendants on the next date.</p>
9.	<p>W.P. No.11297w/2012 Bird Jute & Export Limited-vs- South Dum Dum Municipality</p>	<p>Pending The write petition has been filed against encroachment of the land of BJEL and for illegal construction of reservoir on the land of BJEL.</p>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

10.	CAN No. of 2019 CAN No. of 2019 MAT No. of 2019 Arising out of WP No. 9962(w) of 2019 T.K. Warehousing Enterprises Pvt. Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Ltd. & Ors.	Pending. Not Appearing. The petitioner has filed an appeal against the trial court order where the trial court has dismissed the writ petition of the petitioner directing the petitioner to pay the amount due to the respondent.
11.	Before the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal, Salt Lake O.A. No. 434 of 2022 Birds Jute & Exports Limited -vs- Rototron Containers Pvt. Ltd. & Ors	Next dt. 27.09.2022 This appeal is filed against the order of the ADM & DI & LRO challenging the jurisdiction of the ADM & DL & LRO.
12.	In the High Court at Calcutta WPA No. 21128 of 2021 Birds Jute & Exports Ltd. & Anr. -vs- South Dum Dum Municipality and Ors.	Pending. To be listed before Justice Shampa Sarkar

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 06.12.2022

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	Note No.	As at (Audited) 31st March, 2022		As at (Audited) 31st March, 2021	
(A) EQUITY AND LIABILITIES					
1 Shareholders' Funds:					
(a) Share Capital	2	5,579.74		5,579.74	
(b) Reserves and Surplus	3	(38,137.45)	(32,557.71)	(37,324.15)	(31,744.41)
2 Minority Interest	4		-		-
3 Non-Current Liabilities					
(a) Long-Term Borrowings	5	24,012.25		23,965.29	
(b) Other Long Term Liabilities	6	6.77		6.77	
(c) Long-Term Provisions	7	10.08		11.52	
(d) Net Difference between Holding & Subsidiary subject to reconciliation		159.24	24,188.34	159.24	24,142.82
4 Current Liabilities					
(a) Trade Payables:	8				
i) Dues to micro and small enterprises		112.58		112.58	
ii) Dues to Other than micro and small enterprises		2,137.77		2,134.67	
(b) Other Current Liabilities	9	14,451.07		14,175.07	
(c) Short-Term Provisions	10	189.08	16,890.49	189.08	16,611.40
TOTAL			8,521.12		9,009.81
(B) ASSETS					
1 Non-Current Assets					
(a) (i) Property, Plant and Equipment	11	894.24		926.79	
(ii) Capital Work-in-Progress	11	-		-	
(iii) Goodwill on Consolidation		131.73		131.73	
(b) Non-Current Investments	12	-		-	
(c) Long Term Loans and Advances	13	-		-	
(d) Other Non -Current Assets	14	1,788.92	2,814.89	7.31	1,065.83
2 Current Assets					
(a) Inventories	15	585.32		627.31	
(b) Trade Receivables	16	48.17		56.06	
(c) Cash And Bank Balance	17	2,834.39		4,996.69	
(d) Short-Term Loans and advances	18	2,117.85		2,006.18	
(e) Other Current Assets	19	120.50	5,706.23	257.74	7,943.98
TOTAL			8,521.12		9,009.81

Summary of significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 28
 Additional Regulatory Information 29
 Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E
Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place : Kolkata
 Dated : 06.12.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakraborty)
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN: 08641793

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	Note No.	For the period ended 31st March 2022	For the period ended 31st March 2021
INCOME			
1 Revenue from Operations	20	-	-
2 Other Income	21	399.19	399.49
3 Total Income (1 + 2)		399.19	399.49
4 EXPENSES			
(a) Cost of Raw Materials Consumed	22	-	-
(b) Change in Inventories of Finished Goods and Work-in-Process	23	-	-
(c) Employee Benefits Expenses	24	101.87	82.00
(d) Finance Costs	25	425.50	419.57
(e) Depreciation and Amortisation Expenses	11	34.65	40.51
(f) Other Expenses	26	606.26	559.97
Total Expenses (a+b+c+d+e+f)		1,168.28	1,102.05
5 Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)		(769.09)	(702.56)
6 Exceptional Items: Write down of the value of inventory		41.99	-
7 Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (5+6)		(811.08)	(702.56)
8 Extraordinary Items		-	-
9 Profit/ (Loss) before tax (7-8)		(811.08)	(702.56)
10 Tax Expense			
(a) Current Tax			-
(b) Deferred Tax			
(c) For Earlier Years		2.13	
11 Profit (Loss) for the year (9+10)		(813.21)	(702.56)
Less: Minority Interest		-	-
		(813.21)	(702.56)
12 Earnings per Equity Share	27		
(In ₹ For an equity Share of ₹ 1,000/- each)			
Basic		(145.74)	(125.91)
Diluted		(145.74)	(125.91)

Summary of significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 28
 Additional Regulatory Information 29
 Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E
Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place : Kolkata
 Dated : 06.12.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakrabortty)
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN: 08641793

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
A. Cash Flow from Operating Activities				
Net Profit / (Loss) before extraordinary item and Tax		(811.08)		(702.56)
Adjustments for:				
Interest on Borrowings	425.50		419.57	
Depreciation	34.65		40.51	
Prior Period Depreciation	0.39		-	
Dividend Income	(0.11)		(0.01)	
Interest Income on Bank Deposits	(249.39)		(281.36)	
Adjustments for Govt. Grant (Reserve)	(0.10)	210.94	(0.10)	178.61
Operating Profit before Working Capital Change		(600.14)		(523.95)
Increase in Short-term Loans & Advances	(72.00)		(163.50)	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	132.59		52.79	
Increase/(Decrease) in Trade Payables	3.10		21.31	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(149.50)		112.20	
Increase/(Decrease) in Long term Provisions	(1.44)		-	
Decrease/(Increase) in Trade Receivables	7.89		(29.76)	
Decrease/(Increase in Inventories)	41.99	(37.37)	0.00	(6.95)
		(637.51)		(530.90)
Less: Income-tax (Net)		46.8		36.95
Net Cash from Operating Activities (A)		(684.31)		(567.85)
B. Cash Flow from Investing Activities				
(Increase)/ Decrease in Fixed Deposits	505.92		(820.51)	
Purchase of Property, Plant & Equipment	(2.49)		(0.09)	
Dividend Income	0.11		0.01	
(Increase)/ Decrease in Loans Granted	5.00		(4.71)	
Interest on Fixed Deposits	254.04	762.57	319.34	(505.96)
Net Cash from Investing Activities (B)		762.57		(505.96)
C. Cash Flow from Financing Activities				
Borrowings from GOI		46.96		-
Interest on Borrowings		-		4.61
Net cash from Financing Activities (C)		46.96		4.61
Net Inc. / (Dec.) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)		125.22		(1,069.20)
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		136.28		1,205.48
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		261.50		136.28



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022
(Contd.)

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
a)	Component of Cash and Cash Equivalents				
	(i) Balance in bank accounts		82.77		135.80
	(ii) Cash in hand		0.12		0.48
	(iii) Short Term Fixed Deposits		178.61		-
			261.50		136.28

Summary of significant Accounting Policies 1
Other Explanatory Information 28
Additional Regulatory Information 29
Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place : Kolkata
Dated : 06.12.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022.

NOTE - 1 FORMING PART TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

1.1 PRINCIPLES OF CONSOLIDATION

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to National Jute Manufactures Corporation Ltd. (the Company) and its subsidiary Bird Jute & Exports Limited (the Holding Company and its subsidiary together referred to as “the Group”). The CFS has been prepared in accordance with the Accounting Standard-21 on “Consolidated Financial Statements” (AS-21).

1.2 FINANCIAL STATEMENTS ARE PREPARED ON THE FOLLOWING BASIS:

(a) The financial statements of the Company and its Subsidiary are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating inter-group balances and inter-group transactions including unrealized profits/losses in the period-end assets, such as inventories, property, plant & equipment, etc. The difference between the Company’s cost of investments in the Subsidiary, over its portion of equity at the time of acquisition of shares, is recognized in the consolidated financial statements as Goodwill or Capital Reserve on consolidation, as the case may be. Minority Interest’s share in net profit/loss of consolidated subsidiary for the year is adjusted against the income of the Group in order to arrive at the net income attributable to equity shareholders of the Company. Minority Interest’s share in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the Consolidated Balance Sheet separate from liabilities and the equity of the Company’s shareholders. Minority Interest in the consolidated financial statements is identified and recognized after taking into consideration:

- (i) The amount of equity attributable to minorities at the date on which investments in a subsidiary is made.
- (ii) The minorities’ share of movement in equity since the date parent-subsidiary relationship came into existence.
- (iii) The losses attributable to the minorities are adjusted against the minority interest in the equity of the subsidiary.
- (iv) The excess of loss attributable to the minority over the minority interest in the equity of the subsidiary is adjusted against the majority interest.

1.3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a) BASIS OF ACCOUNTING

The Consolidated financial statements have been prepared in accordance with the historical cost convention on accrual basis and comply with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(b) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- (i) Properties, Plant & Equipments are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises the purchase price and other costs attributable to bringing the assets to their working condition for their intended use but excludes duties & taxes recoverable from the taxing authorities.
- (ii) Depreciation on Property, Plant & Equipment is provided on the basis of the useful life of the fixed assets prescribed in Schedule - II of the Companies Act, 2013.



NOTE - 1 (Contd.)

(c) INVESTMENTS

Long term investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of long term investment is made when the same is considered to be permanent in nature. Current investments, if any, are carried at the lower of cost and fair value.

(d) INVENTORIES

- (i) Raw Jute is valued at cost, determined on FIFO basis, or net realisable value whichever is lower.
- (ii) Finished Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower. Cost includes all direct cost and applicable manufacturing overheads.
- (iii) Trading Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower.
- (iv) Work-in-process is valued at estimated cost based on percentage of specific stage of processing or net realisable value whichever is lower.
- (v) Stores and spares are valued at cost.

(e) REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Sale of goods, if any, is recognized when the significant risks and rewards of the ownership in goods are transferred to the buyer as per terms of the contract. Revenue from sale of services, if any, is recognized upon rendering of services to the customer.

(f) RETIREMENT AND OTHER EMPLOYEE BENEFITS

The company has no permanent employee on its payroll. All the employees during the year were working on contractual/deputation basis. Hence no provision is being made on account of any retirement benefit.

Short term employee benefits are recognised in the period in which the employees rendered the related service.

Gratuity: Liability for gratuity is provided on the basis of actual liability in respect of employees on roll as on the Balance Sheet date.

Leave Encashment: Liability for Leave Encashment is provided for on the basis of actual liability as on the Balance Sheet Date.

(g) ACCOUNTING FOR TAXATION

Current Tax is determined as the amount of tax payable on taxable Income for the year. The Deferred Tax for timing differences between the book and taxable profit, for the year is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from the timing difference are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that the assets will be realized in future.

(h) PROVISION

A provision is recognized when the company has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation, in respect of which a reliable estimate can be made.

(i) CONTINGENT LIABILITIES/ASSETS

Contingencies which are material and future outcome of which cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as Contingent Liabilities and are disclosed by way of Note in the other explanatory information.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.



NOTE - 1 (Contd.)

(j) CASH & CASH EQUIVALENTS

For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash and bank balances in current and short term fixed deposit accounts, if any.

(k) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency, if any, are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are re-measured at the rate of exchange prevailing on the date of balance sheet and resultant gain or loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(l) IMPAIRMENT OF ASSETS

If the carrying amount of property, plant or equipment exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of estimated future cash flow.

(m) BORROWING COSTS

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss.

(n) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP which requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions, uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes requiring a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities in future periods.

(o) LEASES

The Accounting Standard 19 on leases is not applicable as the company does not have any financial lease agreement in force.

(p) INTANGIBLE ASSETS

The Company does not own any intangible assets except Goodwill arising on Consolidation.

(q) GOVERNMENT GRANTS

Government Grant is recognized when there is a reasonable assurance that condition attached to such grant shall be complied with and grant shall be received. Government grant related to property, plant and equipment is deducted from the cost of the concerned asset.

The Accounting policies not specifically discussed above are consistent and in accordance with generally accepted accounting principles in India.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 1 (Contd.)

1.4 Particulars in respect of subsidiary which has been included in the CFS of the Group and the Group's effective ownership interest therein are as under:

Name of the Company	Relationship	Country of Incorporation	Group's Proportion of Ownership Interest	
			31-03-2022	31-03-2021
Birds Jute & Exports Limited	Subsidiary	India	58.93%	58.93%

NOTE - 2 SHARE CAPITAL

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
AUTHORISED		
600000 Equity Shares of ₹1,000/- each (As at 31.03.2021: 600000 Equity Shares)	6000.00	6000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP		
557974 Equity Shares of ₹1,000/- each (As at 31.03.2021: 557974 Equity Shares)	5579.74	5579.74
TOTAL	5579.74	5579.74

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Out of total 557974 shares, 366000 Equity Shares of ₹1,000/- each were allotted as fully paid up shares against Nationalization Adjustment Account, without payment having been received in cash.
- b) There has been no change / movement in number of shares outstanding as at the beginning and as at the end of the year.
- c) The Company has only one class of Equity Shares having face value of is ₹1,000/- per shares. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share and equal right for dividend.
- d) For the period of five years immediately preceding the date as at which the Balance Sheet is prepared:
 - i) The company has not allotted any shares as fully paid up pursuant to any contract without payment being received in cash.
 - ii) The company has not allotted any shares as fully paid up by way of bonus shares.
 - iii) The company has not bought back any shares.
- e) Shareholders holding more than 5 percent shares in the Company :

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98



NOTE - 2 SHARE CAPITAL (Contd.)

f) Shareholding of promoters

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98
Additional Secretary & Financial Advisor	1	0.01	1	0.01
Economic Advisor	1	0.01	1	0.01
Percentage of Changes during the year	Nil		Nil	

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
Capital Reserve				
Against Government Grants				
Opening Balance	73.37		73.47	
Add :- Addition / Transferred during the year	-		-	
Less :- Utilised / Transferred during the year	0.10	73.27	0.10	73.37
Revaluation Reserve				
Opening Balance	441.81		441.81	
Add :- Addition during the year	-		-	
Less :- Utilised / Transferred during the year	-	441.81	-	441.81
(Deficit) in Statement of Profit and Loss				
Opening Balance	(37,839.32)		(37,136.76)	
Add: Profit/(Loss) for the year	(813.21)	(38,652.53)	(702.56)	(37,839.32)
TOTAL		(38,137.45)		(37,324.14)

ADDITIONAL INFORMATION

Capital Reserve

- | | | |
|---|------|------|
| a) Against balance of grant received from Bihar Government, amounting to ₹ 150 Lakhs, in 1988-89 for acquiring Fixed Assets after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of RBHM and against balance of grant received from IJIRA, amounting to ₹ 5.44 Lakhs, in 1988-89 for installation of Ring Spinning Frame under UND Project after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of Unit Kinnison. | 0.67 | 0.77 |
| b) Subsidy of ₹ 0.01 Lakh being the balance of grant received from WB Industrial Development Corporation Limited in 1982-83 amounting to ₹ 6.97 Lakh for installation of captive diesel power generating set in respect of Unit Kinnison after adjustment of depreciation from the date acquisition (P.Y. 0.01 Lakh.) | 0.01 | 0.01 |



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS (Contd.)

c) The difference between market value and book value of Investments in respect of Unit RBHM as on the date of nationalisation.	0.11	0.11
d) Grant received by Subsidiary from Jute Special Development Fund from Government of India in earlier years for the implementation scheme of R & D Programme and product Diversification.	72.48	72.48
	<u>73.27</u>	<u>73.37</u>

Revaluation Reserve

The difference between the revalued amount (as per valuation report in 1997-98) and book value as on 31.03.1993 in respect of Land situated at Katihar and Land and Building situated at Kalimpong and Forbesgunj in respect of Unit RBHM (Reference : Additional Information No. 7 and 8 in Note 11 on Property, Plant & Equipment)

441.81	441.81
<u>441.81</u>	<u>441.81</u>

NOTE - 4 MINORITY INTEREST

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Opening Balance	-	-
Add: Share of current year's profit/(loss)	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTE - 5 LONG TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A) Other loans and advances (Unsecured)		
i) From Government of India	23,730.77	23,683.81
ii) From Government of West Bengal	281.48	281.48
TOTAL	<u>24,012.25</u>	<u>23,965.29</u>

ADDITIONAL INFORMATION

- Loan received from Government of India as additional budgetary support is interest free as per the restructuring/revival scheme of NJMC approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and BIFR. The Company has repaid ₹20000 Lakh in terms with closure notification during 2018-19.
- The Company has not provided any security or any guarantee in respect of the above Loans from Government of India and Government of West Bengal.
- The Company has defaulted in repayment of loans and interest in respect of the following :



NOTE - 5 LONG TERM BORROWINGS (Contd.)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Period of default	Amount (₹ In Lakh)	Period of default	Amount (₹ In Lakh)
Loan from Government of West Bengal :				
i) Principal	Since 31.03.1994	281.48	Since 31.03.1994	281.48
ii) Interest	Since 31.03.1994	1,308.61	Since 31.03.1994	1,272.25
TOTAL		1,590.09		1,553.73
Non-Plan Loan from Government of India:				
i) Principal		2,159.36		2,112.40
ii) Interest				
Upto last year		6,688.99		6,304.95
Add: For current year		389.14		384.04
TOTAL		9,237.49		8,801.39

- d) The company is yet to receive the formal consent from Government of West Bengal in respect of :
Adjustment of Principal Amount of ₹281.48 Lakhs above against compensation receivable for acquisition of Land by them as referred to in Additional Information 4 in Note 11 on Property, Plant & Equipment and Intangible Assets and Conversion of accrued interest of ₹922 Lakhs included in the above Interest amount of ₹1308.61 Lakhs (As at 31-03-2021: ₹1272.25 Lakhs) into a Soft Loan in accordance with BIFR Approved Scheme.
- e) An amount of ₹389.14 Lacs (previous year ₹384.04 Lacs) has been provided by Birds Jute and Exports Limited towards interest accrued and due for the year on the Non-Plan Loans received from Government of India, for which loan confirmation could not be obtained from the Ministry of Textiles.

NOTE - 6 OTHER LONG TERM LIABILITIES

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Trade Deposits*	6.77	6.77
TOTAL	6.77	6.77

*Deposits received by BJEL from different parties / tenants lying in the books since long and are subject to adjustment & reconciliation.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 7 LONG TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for Employee Benefits		
i) Provision for Leave encashment	-	-
ii) Provision for Gratuity	10.08	11.52
TOTAL	10.08	11.52

ADDITIONAL INFORMATION

1. Gratuity : No provision for gratuity has been made during the current financial year since all the employees are on contract/ deputation basis.
2. Leave Encashment : No provision for Leave Encashment has been made on the same ground as mentioned above. However, actual payment is charged to revenue accounts as and when payment is made.

NOTE - 8 TRADE PAYABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i) Creditors for Goods, Expenses & Services*	2,123.74	2,120.64
ii) Interest provided on Trade Payables	126.61	126.61
TOTAL	2,250.35	2,247.25

*Creditors for Goods, Expenses & Services of Birds Jute and Exports Ltd aggregating to ₹ 191.41 lakhs (As at 31.3.2021: ₹ 150.34 lakhs) include liability on account of purchase of raw materials and other expenses, which are lying in the books of account for long time and are subject to adjustment.

As on 31.03.2022							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	27.83	-	48.77	5.08	0.16	1,864.51	1,946.36
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.83	-	48.77	5.08	0.16	1,977.09	2,058.94



NOTE - 8 TRADE PAYABLES (Contd.)

As on 31.03.2021							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	51.17	-	64.48	0.16	7.03	1,861.49	1,984.33
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	51.17	-	64.48	0.16	7.03	1,974.07	2,096.91

**Break-up and ageing Schedule of Trade Payables has ben given in respect of Holding Company only. Trade Payables of Subsidiary could not be included in the above schedule as necessary information in this regard was not made available by the subsidiary.

iii) Break-up of MSME Dues shown above:

- a) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year
- b) Interest due and payable upto the end of Last Year
- TOTAL**

	As on 31st March, 2022	As on 31st March, 2021
a)	55.06	55.06
b)	57.52	57.52
TOTAL	112.58	112.58

NOTE - 9 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i) Statutory Dues (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, Interest/Damages on PF & ESI Contributions, etc.)	5129.88	5300.75
ii) Interest Accrued & Due	8,386.74	7,961.24
iii) Undisbursed claim of Commissioner of Payments	40.29	40.29
iv) Performance Guarantee	57.47	57.47
v) Security Deposits/EMD	92.68	85.07
vi) Interest on ISDS Fund	19.02	19.02
vii) Advance from Parties	142.11	142.11
viii) Unpaid Rates & Taxes including Property Tax/ Municipal Tax	242.79	227.97
ix) Liabilities for Employee Benefits	338.15	339.40
x) Audit Fees Payable	1.92	1.73
TOTAL	14,451.07	14,175.07

ADDITIONAL INFORMATION

- a) The waivers sought by the company from the competent authorities in accordance with BIFR Approved



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 9 OTHER CURRENT LIABILITIES (Contd.)

Scheme in respect of damages amounting to ₹3550.11 Lakhs (Previous Year ₹3550.11 Lakhs) and ₹592.24 Lakhs (Previous Year ₹592.24 Lakhs) claimed by ESI Corporation and PF Commissioner respectively are still pending.

- b) During the year NJMC Ltd has made payment of ₹152.99 lacs towards contribution towards Union & National Mill and a further sum of ₹50 Lacs on adhoc basis on account of interest on ESI dues against the demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court of Kolkata. This payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3727.18 Lacs lying in the books of accounts as on 01.04.2021 as provision for ESI Damages.
- b) Unpaid Property Tax includes liability provided in respect of premises at 5, Alipore Road, Kolkata, which is under litigation. The breakup of the liability so provided is as under:

	(Rs. In Lakh)	(Rs. In Lakh)
Principal	66.23	61.78
Penalty	7.21	7.21
Interest	38.58	38.58
Total	112.02	107.57

Though neither NJMC is making any payment nor the KMC has raised any demand upon the company, the above provision is being made as a precautionary measure as the ownership of the said property is under dispute.

- c) Liabilities for Employee Benefits include old outstanding dues aggregating to ₹243.61 Lakhs (As at 31.03.2021: ₹243.61 Lakhs) payable on account of VRS , gratuity, LTA, arrear salary etc.

NOTE - 10 SHORT TERM PROVISIONS

	(₹ In Lakh)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for Contingency (On account of Gratuity payable to workmen after reconciliation)	189.08	189.08
TOTAL	189.08	189.08



NOTE - 11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS

(₹ In Lakh)

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 31st March, 2021	Addition (+)	Deduction (-)	As at 31st March, 2022	Upto 31st March, 2021	For the Year	Arrear Depn	Upto 31st March, 2022	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A) Property, Plant & Equipment										
(a) Land -Freehold	608.09	-	-	608.09	-	-	-	-	608.09	608.09
(b) Buildings & Roads	1,088.61	-	-	1,088.61	929.00	13.21	-	942.21	146.40	159.61
(c) Plant and Equipment	3,906.11	-	-	3,906.11	3,755.49	19.59	-	3,775.08	131.03	150.62
(d) Furniture and Fixtures	69.87	-	-	69.87	66.90	0.18	-	67.08	2.79	2.97
(e) Vehicles	47.43	-	-	47.43	45.16	0.35	-	45.51	1.92	2.27
(f) Computer	70.12	0.71	-	70.83	68.45	0.33	-	68.78	2.05	1.67
(g) Railway Siding	2.43	-	-	2.43	2.39	-	0.39	2.39	0.04	0.04
(h) Office Equipments	20.50	1.78	-	22.28	18.97	1.00	0.39	20.36	1.92	1.53
Total (A)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	4,921.41	894.24	926.79
Previous Year Total (A)	5,813.07	0.09	-	5,813.16	4,845.86	40.51	-	4,886.36	926.79	967.21
B) Capital Work in Progress	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Less: Provision	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Total (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous year Total (B)	-	-	-	-	-	-	0.39	-	-	-
Current Year Total (A+B)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	4,921.41	894.24	926.79
Previous year Total (A+B)	5,813.07	0.09	-	5,813.16	4,845.86	40.51	-	4,886.35	926.79	967.21



NOTE- 11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- 1) a) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. and its subsidiary on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No.DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.
b) NBCC(India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency(LMA) and M/s. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auction agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC (India) Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which is under process.
- 2) Plant and Equipments include 8 Nos. Herackle Machines pertaining to Unit Alexandra which is lying with a third party on the date of Nationalisation.
- 3) Land includes Leasehold Land, pertaining to Unit Khardah, the value of which could not be ascertained.
- 4) Land includes 4.48 acres of land of Unit Khardah acquired by Govt. of West Bengal, for setting up Titagarh Thermal Power Plant of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Necessary adjustment will be made on receipt of compensation amount.
- 5) The company has not maintained proper records of its Property, Plant & Equipment. In an earlier year certain records were prepared by the company in respect of Property, Plant & Equipment, which are incomplete and lack various relevant information and proper description of assets in many cases. Further, these records are not being updated for the last several years.
- 6) Property, Plant & Equipment vested under the provision of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 on 20th December, 1980 with National Jute Manufactures Corporation Ltd., include land and building at 5, Alipore Road, Kolkata, in respect of unit-Alexandra but not in possession of the Company. This property was mortgaged prior to the date of take-over of the Management of the Alexandra Jute Mills Ltd under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951 [I (D&R) Act,1951] and was under an "Agreement to Sale" on the date of such take over. The Sale Agreement was, however, not concluded & was challenged by the Management under the provision of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 at Alipore Court, Calcutta. An Interim order of injunction was ultimately issued by the High Court on 8th September, 1981 directing that all further proceedings at Alipore Court be stayed. Subsequently the mortgagee had filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the applicability of the provisions of I (D&R) Act, 1951. Thereafter, Alexandra Jute Mills Ltd was nationalised under Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 with effect from 20.12.1980 and the Assets were vested to this Corporation free from all encumbrances. The mortgagee thereafter another writ petition in the Calcutta High Court.

Challenging the provisions of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and their validity. The Writ Petition filed by the mortgagee challenging the applicability of provisions of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 has since been dismissed by the Hon`ble High Court, Calcutta and thereafter an interim order of status quo is passed by the Hon`ble High Court, Calcutta.

The opinion of standing counsel M/s. Fox & Mondal that premises No.5, Alipore, Kolkata vested in Central Govt. which has again vested in NJMC under Section 6 of the Jute Companies (Nationalisation) Act. 1980 and NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC has sought for opinion at the instruction of MOT vide their letter F. No. 17/16/2006



NOTE- 11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- JE dated 24/12/2007 wherein MOT asked NJMC to examine the issue from Legal point of view. Accordingly, NJMC has referred the matter of Ministry of Law Justice & Company affairs vide letter No. ... received from Ministry of Law & Justice and Barrister Sri Anindya Kumar Mitra were forwarded to MOT vide letter No. NJMC/CMD/8 dated 28/01/2008 and also to Barrister Sri Anindya Kumar Mitra on the aforesaid matter. The opinions NJMC/CMD/08/239 dated 3rd April, 2008 along with opinion of our dealing Counsel M/s. Fox & Mondal. The MOT vide their letter No. 17/1/2006 - JE dated 30th April, 2008 stated that the opinion of Sri Anindya Kumar Mitra, Barister and Sr. Advocate as well as of Ministry of Law and Justice Bench Secretariat, Kolkata is that the ownership of the premises No. 5, Alipore Road, cannot be deemed as vesting in Central Govt./NJMC under the Nationalisation Act. On the other hand the standing counsel on behalf of NJMC has opined otherwise. MOT further directed that the affidavits in reply on behalf of NJMC and Union of India (MOT) may be amended in the Hon'ble High Court, Calcutta based on the above majority legal opinion which included legal opinion from Ministry of Law & Justice Bench Secretariat Kolkata, that the Nationalisation Act, should not be applicable on the said property as the property was no longer a property of Alexandra during the time of Nationalisation. However, the affidavits were filed on June 2019. In 2019 writ petition 5292 of 1981 was restored, exchange of affidavits completed and will come up for hearing. No further development has taken place during the financial year 2020-21. Since the matter is subjudice no adjustment has been made in the accounts.

- 7) Value of land pertaining to Unit RBHM, measuring 96 Bighas 15 Kattahs, 5 Dhurs has been capitalised for ₹373.02 Lakhs in 1999-2000 with the approval of Board of Directors on 21.06.2000 as per valuation report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI.
- 8) Value of Land includes 4.03 acres of land valued at ₹41.55 Lakh and Value of Building includes building valued at ₹27.24 Lakh situated at Kalimpong & Forbesgunj of Unit R.B.H.M as per valuation Report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI duly approved by the Board of Directors on 24th December, 1997 and the same have been capitalised during the year 1997-98.
- 9) The Title deeds of land which were mortgaged to IIBI, has been received by the Company during the year 2006-07. Deeds are torn and in precarious condition. Hence it is not possible to physically verify the same.
- 10) Plant & Machinery declared as discarded and / or obsolete are shown as current assets at their book value amounting to ₹8.14 lakhs (Previous Year ₹10.01 lakhs) which is fully provided for.

11) During the Financial Year 2016-17 the Company has disposed off a substantial portion some of the fixed assets of Alexandra and National, which are all closed units.		Gross Block as on 31.03.2017 (₹)	WDV as on 31.03.2017 (₹)
Name of Mills	Name of the Fixed Assets		
Alexandra	Plant & Machineries	1,48,276.00	1,483.75
National	Plant & Machineries	37,45,379.30	61,424.22
Total		38,93,655.30	62,907.97



NOTE- 11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- 12) Certain Items of movable fixed assets lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book value of ₹ 28422.16 as on 31.03.2020, were not found at the time of physical verification conducted by the management during the year 2020-21 for which FIR has been lodged by the company. Necessary adjustments in this regard will be made on final settlement of the matter with the respected security services provider.

During the financial year 2021-22 also, further incidents of theft took place at the factory premises of National Mill unit and various items of Plant & Machinery having aggregate book value of ₹ 33171 as on 31.03.2021 were reported as stolen by the security service provide. The company has lodged necessary FIR in respect of the said thefts during the year with the local police station and hopes to recover the loss from the insurance company. Necessary adjustment on this account will be made on settlement of insurance claims lodged by the company which are yet to be admitted by the insurance company.

- 13) Union Cabinet declared closure on 10.10.2018. As part of the closure process Pre-LMA work (verification, assessment & valuation of all movable & immovable assets) is going on through NBCC (I) Ltd., a Central Govt PSU. This report is in advance stage of finalisation. After receiving the final report and duly accepted by appropriate authority, the effect of revaluation will be given in the Books of Account.
- 14) Pursuant to an application filed by the proprietor of Rajat Engineering Works before the Hon'ble High Court in order to secure the Awarded amount of ₹ 1106.76 Lakhs u/s 36(2) in their favour with a prayer for specific direction to be given to NJMC Ltd to deposit the Awarded amount with the Register of High Court and also for appointment of Receiver to take custody of the property of NJMC Ltd with a prayer for injunction upon NJMC for disposal of its immovable properties. The Hon'ble Calcutta High Court vide its order dated 28.02.2022 has allowed the said application in favour of the aforesaid party. The company has made an application u/s 34 of The Arbitration Act by challenging the legality of the award passed against the company by the Ld. Arbitration Tribunal.
- 15) Freehold Land includes plot of Land measuring 15 acres (approx) in respect of RBHM Katihar Unit, the ownership title of which is under litigation before the Hon'ble Patna High Court.
- 16) Birds Jute and Exports Ltd has filed a writ petition before the Hon'ble High Court, Calcutta for the eviction of illegal occupation of 94.37 Kathas of land by the South Dum-Dum Municipality. Since the matter is under litigation, necessary adjustment if necessary will be made in the accounts as and when the matter is settled.
- 17) Birds Jute and Exports Ltd has filed a title suit before the Sealdah Court for the eviction of illegal occupation of 0.5412 Acre of land by Shobhnath Singh & Others. Since the matter is under litigation, necessary adjustment if necessary will be made in the accounts as and when the matter is settled.



NOTE - 12 NON CURRENT INVESTMENT

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Trade Investments				
Number	Number			
EQUITY SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES-UNQUOTED				
250	250	Union North Jute Mills Employees' Co-Operative Stores Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			<hr/>	<hr/>
EQUITY SHARES IN ASSOCIATED COMPANIES-UNQUOTED				
5	5	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			<hr/>	<hr/>
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-QUOTED				
180	180	Duncans Agro Industries Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
111	111	Birla Corporation Limited (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
63	63	Cheviot Company Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			<hr/>	<hr/>
			0.02	0.02
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-UNQUOTED				
180	180	Hathikhira Tea Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
1200	1200	Jaipur Udyog Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.02	0.02
95	95	Budge Budge Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
95	95	Delta Jute & Industries Ltd. (Face value ₹ 4/- each)*	-	-
20	20	The Ganges Manufacturing Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2	2	Anglo India Jute Mills Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
26	26	The Empire Jute Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
600	600	Willard India Ltd. 600 Nos. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
3	3	Lawrence Investment & Property Co. Ltd. 3 Nos. (Face value ₹ 100/- each)	0.01	0.01
100	100	Waverly Jute Co. Ltd.,(Face value ₹ 50/- each)	0.01	0.01
36972	36972	Britannia Engineering Co. Ltd. (in liquidation) (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2700	2700	2700 Stock of 1 Pound each in Titagarh Jute Factory PLC (Face value Pund ₹ 1/- each)*	0.11	0.11
47710	47710	Bisra Stone Lime Co. Ltd.	4.50	4.50
500	500	Sonakunda Bailing Co. Ltd.	0.45	0.45
716	716	Becker Gray & Co.(1930) (P) Ltd.	1.46	1.46
			<hr/>	<hr/>
			6.59	6.59



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 12 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

(₹ In Lakh)

**Number of Share / Security /
Bonds / Units**

		(B) INVESTMENT IN PREFERENCE SHARES		
700	700	J. F. Low & Co. Ltd. (Face value ₹100/- each)*	-	-
305	305	5% 2nd Preference Sh.of Sonakunda Bailing Co. Ltd.	0.24	0.24
			<u>0.24</u>	<u>0.24</u>
		(C) INVESTMENT IN GOVERNMENT SECURITIES & OTHER INVESTMENTS		
		3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹700/- Matured)	0.01	0.01
		3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹5,300/-)	0.04	0.04
		7 Years National Savings Certificate :-		
		Old Series	0.05	0.05
		New Series	0.15	0.15
		The West Bengal Estate Acquisition Compensation Bonds	0.01	0.01
		12 Years National Plan Savings Certificate	0.01	0.01
		Government of India 5.5% Loan 1999 (Face value ₹42,500/-)	0.42	0.42
		12 Years National Defence Certificate	0.01	0.01
		12 Years National Savings Certificate	0.04	0.04
		National Defence Certificate	0.16	0.16
			<u>0.90</u>	<u>0.90</u>
		(D) INVESTMENT IN DEBENTURES- UNQUOTED		
		East Indian Clinic Ltd., 5% Non redeemable Debentures	0.36	0.36
10000		5% Registered Non- Redeemable Debenture Stock 1957 of The East India Clinic Ltd.	0.10	0.10
			<u>0.46</u>	<u>0.46</u>
		TOTAL	8.21	8.21
		Less Provision	8.21	8.21
		TOTAL	-	-
		* Denotes the Book Value of which is below ₹1,000/-.		
		Aggregate Book value of Quoted Non-Current Investment	-	-
		Aggregate Book value of Unquoted Non-Current Investment		
		less Provision	-	-
		Total Quoted and Non-quoted Non-current investment	<u>-</u>	<u>-</u>
		Aggregate Market value of quoted Non Current Investment	NA	NA

ADDITIONAL INFORMATION

- (1) Unit : National - Investment of 5 Equity Shares of ₹100/- each with Kinnison Jute Mills Co. Ltd. (unquoted) book value ₹1/- stand in the name of National Co. Ltd., awaiting transfer in the name of the Corporation.
- (2) Unit : Union - Certain Investment (Book Value ₹8981/-) continued to be registered in the name of the erstwhile Union Jute Company Ltd.
 - (i) Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Govt. authorities, Britannia Engineering Co. Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since nationalisation. This



NOTE - 12 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

matter has been taken up with Board and it has been advised to include the same in the forensic audit which is under process. However full provision has been made in the Books of Accounts.

- (ii) Total Investments in shares include investment in two (2) Struck off Companies namely Duncans Agro Industries Ltd. & Lawrence Investment & Property Co. Ltd. having aggregate Book Value of 0.02 lakhs against which full provision has been made.
- (iii) Investment made by Birds Jute and Exports Ltd in 500 No. of Ordinary Shares and 305 No. of 5% 2nd Preference Shares of Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh were held in the name of Lansdowne Jute Co. Ltd. , which was the erstwhile name of the Company. The Company had lodged claims (including share certificate) with the Custodian of Enemy Property, Government of India (GOI) in the year 1978. No document in support of claim lodged with GOI is available with the company. In the absence of any information from Bangladesh full provision have been made.
- (iv) In respect of investment made by Birds Jute and Exports Ltd in M/s Bisra Stone Lime Co. Ltd., and M/s Becker Gray & Co.(1930) (P) Ltd, full provision was made in earlier years.
- (v) Interest on 5% Registered Non-Redeemable Debenture Stock (1957) from East India Clinic Ltd. has not been received for last several years. Also interest has not been accounted for in the books of account. Full provision has been made in the accounts by Birds Jute and Exports Ltd.
- (vi) National Defence Certificate amounting to ₹0.16 Lakhs matured long back but these certificates have not been released by the Central Excise Department and no income has been accounted for on such certificates. Document in support of lodging of certificate with Central Excise Department is not shown. Full provision has been made in the accounts by Birds Jute and Exports Ltd.

NOTE - 13 LONG TERM LOANS & ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
(unsecured considered good)		
(i) Capital Advances	3.59	3.59
Less: Provision for Machinery Advance	3.59	3.59
TOTAL	-	-

Capital Advances given by Birds Jute and Exports Limited for purchase of machinery are lying in the books for long time for which no confirmation from the parties has been received/ obtained. Full provision has been made in earlier year.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 14 OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
(i) Non-Current Fixed Deposits with Bank		
Term Deposits with Bank maturing after 31.03.2023	1781.61	-
(ii) Security Deposit	8.67	8.67
	1790.28	8.67
Less: Provision for Security Deposits	1.36	1.36
	1788.92	7.31

(i) Details of Non-Current Fixed Deposits with Bank

(₹ In Lakh)

FD NO	Maturity Date	Amount as on 31/03/22
F.D.301603030131379	02.06.2023	126.89
F.D.301603030131380	03.06.2023	206.95
F.D.301603030131381	04.06.2023	206.92
F.D.301603030131383	05.06.2023	206.90
F.D.301603030131384	07.06.2023	206.84
F.D.301603030131386	08.06.2023	206.82
F.D.301603030131387	09.06.2023	206.79
F.D.301603030131388	10.06.2023	206.76
F.D.301603030131392	11.06.2023	206.74
Grand Total		1781.61

- (ii) Security Deposits of Birds Jute and Exports Limited with different statutory bodies are lying in the books for a long time for which no confirmation from the parties has been received/ obtained except for deposit of ₹7.31 lakhs lying with Calcutta Electric Supply Co. Provision for rest of the amount has been made in the earlier year.



NOTE - 15 INVENTORIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
a) Raw Materials (At the Lower of Cost and net realisable value)	133.62		138.61	
Less - Provision for diminution in value	0.04	133.58	0.04	138.57
b) Work in Process (At Lower of estimated cost and net realisable value)		63.38		63.38
c) Finished Goods (At the Lower of Cost and net realisable value)	167.51		204.51	
Less - Provision for diminution in value	5.03	162.48	5.03	199.48
d) Stores & Spares (At Cost)	382.42		382.42	
Less - Provision for diminution in value	156.54	225.88	156.54	225.88
e) Stock in Trade	15.45		15.45	
Less - Provision for diminution in value	15.45	-	15.45	-
TOTAL		585.32		627.31

ADDITIONAL INFORMATION

The Holding Company has stopped its operations from 2015-16. No Production/ Sale of Inventories have taken place since that year. Though the inventories are lying in the safe custody of the company, there may be change of value due to deterioration of stock. Based on the stock audit report the value of inventory has been accordingly adjusted and the resultant reduction in value has been written down during the year and charged to the Statement of Profit & Loss as Exceptional item.

Provision for obsolete stores and stock made in different previous accounting years are being continued to be shown in the year under review by the subsidiary Birds Jute and Exports Limited.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 16 TRADE RECEIVABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
Outstanding for a period exceeding six months				
a) Unsecured - Considered Good	288.56		267.39	
- Considered Doubtful	259.80		259.80	
	548.36		527.19	
Less : Provision for Doubtful Trade Receivables*	500.19	48.17	471.13	56.06
b) Other Receivables-Considered Good		-		-
TOTAL		48.17		56.06

*Provision during the year amounting to ₹29.06 lakh for doubtful Trade Receivables has been made by Birds Jute and Exports Ltd.

Break-up and ageing Schedule of Trade Receivables:**

(₹ In Lakh)

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2022								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed+Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2021								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed+Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

**Break-up and ageing Schedule of Trade Receivables has ben given in respect of Holding Company only. Trade Receivables of Subsidiary could not be included in the above schedule as necessary information in this regard was not made available by the subsidiary.



NOTE - 17 CASH AND BANK BALANCE

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
a) Cash & Cash Equivalents		
Balance in:		
(i) Bank Accounts	82.77	135.80
(ii) Sweep A/C	149.35	109.78
(iii) Cash on hand	0.12	0.48
(iv) Short Term Fixed Deposits	178.61	-
	410.85	246.06
b) Other Bank Balances		
(i) In Fixed Deposit Accounts with Banks:		
(a) Having original maturity period of more than 12 months	2,309.06	223.90
(b) Other Fixed Deposits	114.48	4,526.73
(ii) Margin Money	3.10	3.10
	2,426.64	4,753.73
Less :- Provision against Margin Money	3.10	3.10
TOTAL	2,834.39	4,996.69

ADDITIONAL INFORMATION

- Balances in Bank accounts include ₹ 18.10 Lakhs lying in current account with Bank of India, which has been attached by Certificate Officer, ESIC in connection with its dues. (Previous Year ₹ 18.10 Lakhs).
- Margin Money of ₹ 3.10 lakhs is a very old balance being carried forward without any details. Accordingly full provision has been made.
- The following old bank accounts of Birds Jute and Export Ltd wherein no transactions have been made and are inoperative.

Bankers Name	Unconfirmed	Book Balance (In ₹) As on 31.03.2022	Book Balance (In ₹) As on 31.03.2021
Vysya Bank, N.S. Road, Kolkata	Unconfirmed	804.15	804.15
Syndicate Bank, Madras	Unconfirmed	963.00	963.00
Syndicate Bank, Calcutta (PCL)	Unconfirmed	683.00	683.00

Steps have been taken for confirmation from respective banks. On receipt of confirmation appropriate adjustments will be made by the subsidiary.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 18 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
a) Loans and advances				
Unsecured - considered good (othar than related party)	1,083.65		1,088.65	
Less:- Provision	5.44	1,078.21	5.44	1,083.21
b) TDS & other Income-tax				
- Considered good	780.53		734.43	
- Considered doubtful	443.52		444.95	
	1,224.05		1,179.38	
Less:- Provision	424.08	799.97	424.08	755.30
c) Balances with Government Authorities				
Unsecured - Considered good	-		-	
- Considered doubtful	12.10		12.10	
	12.10		12.10	
Less: Provision	12.10		12.10	-
d) GST Input Credit	279.14		205.26	
Less: Provision	40.70	238.44	40.70	164.56
e) GST TDS Excess Paid		-		0.11
f) TDS Excess Paid		-		0.13
g) Others*				
Unsecured - Considered good	0.21		0.67	
- Considered doubtful	458.69		459.58	
	458.90		460.25	
Less: Provision	457.67	1.23	457.38	2.87
TOTAL	2,117.85		2,006.18	

ADDITIONAL INFORMATION

1. *Others Include

- i) An amount of ₹11.33 Lakh in respect of Unit Khardah (Previous Year ₹11.33 Lakhs) which represents money in course of misappropriation of deposit/payment of railway freight in 1982-83. The matter is subjudice. However, full provision has been made in the accounts.
- ii) An amount of ₹24.00 Lakhs in respect of Unit National (Previous Year ₹24.00 Lakhs) paid to the Trustees of National Company Limited Jute Mill works' Provident Fund as interest free loan to cover the loss of interest to the fund caused by non receipt of Securities from the Brokers on the condition that the proceeds from the said securities to be obtained from the Brokers would be appropriated towards refund of the said loan. Since the proceeds have not yet been realised no adjustment was carried out and full provision has been made in the accounts.
- iii) An amount of ₹32.76 lakhs (Previous Year ₹32.76 Lakhs) and an amount of ₹2.24 Lakhs (Previous Year ₹2.24 lakhs), being the balance of claim towards value of the stock of finished goods and



NOTE - 18 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

the balance of claim towards the value of the fixed assets destroyed by fire on 31st August, 1986 respectively pertaining to Unit National. The insurance claim was finally settled by the National Insurance Company after disallowing the above balances. The Company referred the matter to the concerned Ministry, New Delhi for further referring the matter to the arbitrator, as required under the guidelines for settlement of disputes between two Public Sector Undertakings. The matter has not yet been resolved and full provision against the same has been made in the accounts.

- iv) An amount of ₹ 10.39 lakhs represents advanced towards VRS Package to officers of the Company provision has been made for the entire amount of 10.39 lakhs in the Accounts.
2. GST Input credit of ₹ 238.45 lakhs (Previous Year ₹ 164.56 Lakhs) is considered good as the same is expected to be adjusted against future GST liabilities.
 3. During the financial year 2018-19 the Company has given an Interest free loan amounting to ₹ 1200.00 Lakhs to Hadricrafts & Handlooms Exports Corporation of India Ltd. This loan was given on the basis of directive from Ministry of Textiles, Government of India vide its letter no. F.No.21/2/2018/HHEC/PSU dated 03.07.2018. The outstanding balance as on 31.03.2022 was ₹ 1078.21 Lakhs. As per condition of MOU the loan will be repaid by sale of assets of the Company within 2 years from date of disbursement of loan.
 4. The total amount of Income Tax deducted at Source (TDS) of the holding company is ₹ 1172.65 Lakh. The assessment year wise break-up of which as under:

Financial Year	Assessment Year	TDS Amount.(In Lakh)
Old balance		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
Total		1172.65

The Income Tax Refund determined by the Income Tax department in respect of earlier assessment years together with interest allowable thereon are being adjusted by the department against arrear demands in respect of assessment years 1990-91. The details/documents in respect of such demand could not be traced by the company. Accordingly, the company took up the matter with the jurisdictional Income Tax Authority which expressed its inability to provide copies of relevant orders vide which the demand for the said assessment year was raised and advised the company to contact CPC Bangalore.

CPC-Bangalore was also contacted under RTI Act.2005 from whom clarification is yet to be received.

The company intends to deal with the matter in appropriate manner and necessary adjustment in this regard will be made after obtaining necessary information/details from the Income Tax department.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 19 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
a) Interest accrued on deposits	10.89		15.54	
Less :- Provision	1.80	9.09	1.80	13.74
b) Security deposits				
Unsecured - considered good	44.84		179.24	
- considered doubtful	11.47		11.47	
	56.31		190.71	
Less: Provision	11.47	44.84	11.47	179.24
c) Others	227.48		225.66	
Less :- Provision	160.91	66.57	160.91	64.75
TOTAL	120.50		257.74	

NOTE - 20 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Sale of Jute Products	-	-
Other Operating Revenue	-	-
TOTAL	-	-

NOTE - 21 OTHER INCOME

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
a) Interest Income				
Interest from Banks Deposit	248.11		281.36	
Rent Received	128.77	376.88	116.03	397.39
b) Other Non-operating Income		22.31		2.10
TOTAL		399.19		399.49

ADDITIONAL INFORMATION

- A) Govt of India has sanctioned interest free loan amounting to ₹48,362 lakhs for revival of NJMC Ltd. Out of that a sum of ₹41,571.41 lakhs has been released till 31.03.18. Unspent amount out of that has been invested in Term Deposits with bank for the time being . The interest earned on the same is being considered as Company's income consistently since 2011-12. ISDS fund of ₹144.00 lakhs, released on 31st March'2016, has also been invested in Fixed Deposit. This interest is also included in the Interest income from Bank Deposits shown above.



NOTE - 21 OTHER INCOME (Contd.)

B) Other Non-operating Income comprises of

	(₹ In Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
i) Depreciation Adjustment for assets acquired with Govt. Grant	0.10	0.10
ii) Interest from CESC	0.85	-
iii) Prov. Written back	2.15	1.20
iv) Interest on I Tax Refund	15.91	-
v) Others	1.81	0.80
vi) Dividends Received	0.11	- 2.10
vii) Insurance Claim	1.37	-
TOTAL	22.31	2.10

NOTE - 22 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

	(₹ In Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Opening Stock (Net of Provision made)	138.57	138.57
Less: Write down of value of inventory	4.99	-
Add :- Purchase	-	138.57
	133.58	138.57
Less :- Closing stock (Net of Provision made)	133.58	138.57
Cost of Raw Materials Consumed (Including Process Loss)	-	-
ADDITIONAL INFORMATION		
i) Raw Materials consumed comprises :- Raw Jute		
ii) Indegenous	-	100%

The three revival mills namely Kinnison, Khardah and RBHM (Katihar) remained inoperative since mid of 2016. In line with the erstwhile BIFR GOI has taken a decision to close National, Union and Alexandra mills. So there is no consumption of Raw materials.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 23 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, STOCK IN TRADE AND WORK-IN-PROCESS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
Inventories at the beginning of the year				
Finished Goods	204.51		204.51	
Stock in Trade	15.45		15.45	
Work in Process	63.38		63.38	
	<u>283.34</u>		<u>283.34</u>	
Less: Write down of the value of inventory of finished goods	37.00		-	
Less: Provision against inventories of Finished and Trading Goods	20.48	225.86	20.48	262.86
Inventories at the end of the year				
Finished Goods	167.51		204.51	
Stock in Trade	15.45		15.45	
Work in Process	63.38		63.38	
	<u>246.34</u>		<u>283.34</u>	
Less: Provision against inventories of Finished and Trading Goods	20.48	225.86	20.48	262.86
Net increase / (decrease)				
TOTAL		<u>-</u>		<u>-</u>

NOTE - 24 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
Salaries	98.66		80.66	
Contribution to Provident Fund & Other Fund	2.46		1.32	
Gratuity	-		-	
Staff Welfare Expenses	0.75		0.02	
TOTAL	<u>101.87</u>		<u>82.00</u>	

NOTE - 25 FINANCE COSTS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
Interest on Borrowings from Govt	425.50		419.57	
Interest on other Borrowings	-		-	
TOTAL	<u>425.50</u>		<u>419.57</u>	



NOTE - 26 OTHER EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Rent	19.73	16.78
Rates and taxes	23.28	18.08
Professional Charges	48.17	3.19
Hire Charges (Machine and Car)	12.69	8.35
Travelling and Conveyance	7.43	3.40
Communication	0.45	0.53
Printing and stationery	2.20	1.21
Computer Expenses	0.60	0.25
Insurance - Corporate & Branch	21.88	8.89
Municipal & Property Tax - Branch	27.43	22.00
Repairs and Maintenance - Others	13.95	2.14
Repairs & Office Maintenance - Branch	1.70	3.79
Security Expenses - Corporate	42.06	38.09
Security Expenses - Branch	270.09	251.81
Electricity Charges - Corporate	7.27	7.10
Electricity Charges - Branch	12.25	13.04
General Expenses - Branch	2.71	1.07
Excise Duty, Sales Tax etc. Paid on demand - Branch	4.92	4.12
Other General Expenses - Branch	1.14	0.90
PF Administrative Expenses - Branch	0.54	-
Misc. Legal Expenses - Branch	-	0.46
Legal Charges	10.38	8.13
Bank Charges	0.17	0.17
Provision for doubtful trade and other receivables	29.06	4.90
Prior period Items (Net)	16.53	121.27
Miscellaneous expenses	5.82	12.37
Interests & penalties on delayed payments	20.81	4.22
Advertisement	0.32	1.68
	603.58	557.94



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 26 OTHER EXPENSES (Contd.)

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Auditors Remuneration :		
a) Statutory Auditors:		
i) Statutory Audit Fees	1.67	1.67
b) Other Auditors		
i) Tax Audit Fees	0.51	0.36
ii) Others Audit Fees	0.49	-
	<u>2.67</u>	<u>2.03</u>
TOTAL	<u>606.26</u>	<u>559.97</u>

ADDITIONAL INFORMATION

i) Prior Period items include:

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Prior Period Expenses	16.14	121.27
Depreciation	0.39	-
	<u>16.53</u>	<u>121.27</u>

NOTE - 27 EARNING PER SHARE

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
Profit / (Loss) after tax as per Statement of Profit and Loss (₹ In Lakh)	(813.21)	(702.56)
Weighted average Number of equity share	557974	557974
Earnings per share (₹) - Basic	(145.74)	(125.91)
Earnings per share (₹) - Diluted	(145.74)	(125.91)



NOTE-28 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. & Its subsidiary Birds Jute & Exports Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.

In line with the directive, ₹20,000 Lakhs has been refunded to Government of India towards the repayment of Interest free loan and NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency(LMA) and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auctional agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which is under process. NBCC India has started the assignment and submitted their first draft report on 21st September, 2020. A committee was constituted for verification of report. The committee has observed some discrepancies which were conveyed to NBCC India. Reverification of the assets is under process.

2) Related Party Transactions

i) Details of Parties :

Description of Relationship	Name of related Parties
Controlling Party	Honourable President of India
Key Management Personnel	Sri Moley Chandan Chakraborty (CMD)
Key Management Personnel	Sri Hemant Nanda (Director)
Key Management Personnel	Sri Iman Ali Mandal (Director)
Key Management Personnel	Ms. Mohini Verma (CS)

ii) Details of related party transaction during the year ended 31st March 2022 and balances outstanding as at 31st March 2022 :

With Key Managerial Personnel :		
Remuneration paid as Company Secretary	3.10	4.39

3) Employee Benefits expenses include Director's Remuneration as below :-

Particulars	Current Year	Previous Year
Remuneration	Nil	Nil
Contribution to P.F. Fund	Nil	Nil
Gratuity	Nil	Nil

4) Earnings per share (EPS)

Particulars	2021-22	2020-21
(a) Weighted Average No. of Shares	5,57,974	5,57,974
(b) Profit /(Loss) after tax (₹)	-813.21	-702.56
(c) Basic & Diluted Earnings per Share (b/a) (₹)	(145.74)	(125.91)
(d) Face value per Share (₹)	1,000	1,000



NOTE-28 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

5) Earnings, expenditure, remittances in foreign currency:

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
a) Expenditure/Remittance in Foreign Currency	Nil	Nil
b) Earnings in Foreign Exchange	Nil	Nil

- 6) The Company's operations pertain to manufacture and selling of single Jute Product for sale in the Domestic Market only. As such reporting under Accounting Standard 17 (Segment reporting under Section 133 of Companies Act 2013) is not applicable.
- 7) The company has net deferred tax asset at the year end. However, in view of the substantial losses incurred in a number of past years and suspension of manufacturing activities by the Company, the Deferred Tax Assets have not been recognized as a matter of prudence as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such Deferred Tax Assets can be adjusted. In view of continuous losses incurred by the Subsidiary Company since its inception, deferred tax assets have not been recognised, as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be realized.
- 8) The Company has not assessed the Impairment loss on its property, plant & equipment as per Accounting Standard 28. However, most of the assets comprised in property, plant & equipment are very old and their WDV has already become insignificant.



NOTE-28 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

9) Disputed liabilities and commitments not provided for by the Holding Company:-

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
A)	i) Claims against the Company not acknowledged as debt towards Central Excise for Unit Kinnison	16.43	21.35
	ii) Claim against the Company by the West Bengal Commercial Tax Authority And Bihar Commercial Tax Authority as regards non-submission of "C" forms, not acknowledged by the Company as debt and preferred appeal accordingly. (Financial Year 2010-11 ₹0.003 Financial Year 2011-12 Kinnison ₹0.002 Lakh, Khardah- ₹2.88 Lakh, Financial Year 2012-13 Kinnison - ₹43.96 Lacs , Khardah - ₹38.04 lakh, Financial Year 2013-14 Kinnison - ₹67.02 Lakh, Khardah - ₹40.18 Lakh & Financial Year 2014-15 Kinnison - ₹27.47 Lakh, Financial Year 2015-16 Kinnison - ₹3.18 Lakh & 0.01 Lakhs, Financial Year 2017-18 Khardah ₹0.11 Lakh and Kinnison ₹0.22 Lakh)	223.09	223.09
	iii) Service Tax demand	0.10	0.10
	iv) Demands of Interest appearing on the Income-tax Portal in respect of Assessment Years 1990-91, 2007-08 and 2009-10, which according to the company is not correct and for which the company has taken up the matter with Jurisdictional Income Tax Authority who informed that they do not have any knowledge regarding the demand and advised it to take up the matter with CPC-Bangalore. Accordingly NJMC Ltd. sought the clarification under RTI Act. 2005. NJMC Ltd. is yet to receive any reply.	676.17	676.17
	v) Demands raised on account of of TDS defaults and interest thereon appearing on the Income Tax Portal.	1.59	3.21
B)	Commitments	-	-
	Total	917.38	920.71



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-28 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

10) (i) Contingent liabilities and commitments not provided for by the Holding Company:

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
i)	Guarantees extended by the Corporation to SBI Home Finance Ltd for granting House Building Advance to the employees of this Corporation	0.97	0.97
ii)	Guarantee issued to Sales tax Authority by the banks on behalf of the Company	0.50	0.50
iii)	Claims made by ex-employees/ officers of the company	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained
iv)	Claims for interest demanded by the creditors of the company pending before various legal forums	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained

(ii) Contingent liabilities and commitments not provided for by the Subsidiary Company:

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Arrears Dividend on 7% Cumulative Preference Shares of the company for the year ended 31st March 1967 to 31st March 2022.	57.75	56.7
Total	57.75	56.7

The Subsidiary Company in its Annual General Meeting held on 28.09.93 has approved the redemption of old 7% Cumulative Preference Shares and to make fresh Issue of 15000 14% Cumulative Preference Shares in lieu thereof including liability for dividend due. The Subsidiary Company took the matter with the Registrar of Companies but since the Subsidiary Company has been referred to BIFR, the matter has been kept pending by the R.O.C.



NOTE-28 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

11) Break-up of consolidated Net Assets and Profit or Loss:

Name of Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in Profit or Loss	
	As % of Consolidated Net assets	Amount	As % of Consolidated Profit or Loss	Amount
A. Parent: NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.	70.19%	(22851.59)	58.93%	(361.97)
B. Subsidiary: BIRDS JUTE & EXPORTS LIMITED	29.81%	(9706.22)	41.07%	(451.25)
	100.00%	(32,557.71)	100.00%	(813.21)

12) Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current year figures.

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place : Kolkata
Dated : 06.12.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

(i) Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company

The management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). The details in respect of immovable properties not held in the name of NJMC Ltd. are as follows:-



NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	included in ₹134752/- mentioned in FAR not separately ascertainable	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21 st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending.
	Land - Unit Alexandra	₹4,86,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit National	₹3,183.01	Mayarani Devi	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit National	included in ₹240384.99/- mentioned in FAR not separately ascertainable	National Jute Co Ltd	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Milss Co Ltd	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹515136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit RBHM	₹2700000.00	British India Corporation (Lease)	NA	21 st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹200000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	
	Land - BJEL	Included in ₹2,50,142/-	Lansdowne Jute Co Limited	NA	30 th June 1904	Applied for transfer of the name, pending with the BLRO

* The title over Property at Alipore Road, Kolkata is under litigation.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- ii) The Company has not revalued its property, plant & equipment during the year 2021-22.
- iii) The company has no intangible assets except Goodwill on Consolidation.
- iv) Details of Loans & Advances granted to related parties without specifying any terms or period of repayment:

Type of Borrower	Loans/Advances granted Individually or Jointly with other. (Individually / Jointly)*	Repayable on demand	Terms/ Period of repayment is specified	31 March 2022		31 March 2021	
				Amount outstanding as at the balance sheet date (including Interest)	% of Total	Amount outstanding (including interest)	% of Total
Promoter							
Directors							
KMPs							
Related Parties	to subsidiary	Yes	No	4898.10	81.96%	4818.59	81.72%

v) Capital-Work-in Progress (CWIP)

(a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP ageing schedule

a) Ageing Schedule

(₹ In Lakh)

CWIP	As at 31st March, 2022				Total
	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

CWIP	As at 31st March, 2021				Total
	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

Due to closure declared by cabinet the entire CWIP has been considered suspended and 100% provision made in the books.

- vi) The Company does not have any Intangible Assets under development.
- vii) The company has no Benami Property and no proceedings has been initiated or pending against the company for holding any Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- viii) The Company has no borrowing from banks or any other Financial Institutions on the basis of security of Current Assets.



NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

ix) The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

x) Relationship with Struck off Companies

(₹ In Lakh)

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed	Balance outstanding as on 31.03.2022	Balance outstanding as on 31.03.2021
Duncans Agro Industries Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Lawrence Investment & Property Co. Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh.	Investments in Equity Shares (held in the name of Lansdowne Jute Co.Ltd., which was the earstwhile name of the Subsidiary.	Investee Company	0.45	0.45
Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh.	Investments in Preference Shares (held in the name of Lansdowne Jute Co.Ltd., which was the earstwhile name of the Subsidiary.	Investee Company	0.24	0.24
Baker Grey & co	Investments in Equity Shares	Investee Company	1.46	1.46



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

xi) NJMC Ltd & its Subsidiary does not have any secured loan as on 31st March 2022 and 31st March 2021 as per its record. However, the satisfaction of charge in respect of Secured Loans already repaid in earlier years.

A brief description of the charges or satisfaction	The location of the Registrar	The period (in days or months) by which such charge had to be registered as on March 31, 2022	The period (in days or months) by which such charge had to be registered as on March 31, 2021	Reason for delay in registration
<p>A brief description of the charges, which status showing open in index of charge of the Company at MCA Portal:</p> <p>1. Charges were created on 10.12.1981 and 16.08.1981 with UCO Bank, amount to Rs. 36 lakhs and 50 lakhs. The Particulars of property on which the said charge has been created is as mentioned <i>“the whole of borrower’s stock-in-raw jute, work-in-progress and finished goods and all other articles, goods stocks and movable properties of whatever kind which now or hereafter from time to time during this security shall be brought into stored or be in or about the Borrower’s premises godowns plinths open spaces factories or whatever else they may be including in particular such stocks stored or to be stored in the Borrower’s premises or warehouses/godowns situated at Titagarh 24 Parganas, West Bengal. All the Borrower’s present and future bookdebts, Bill Money receivables choses in action and claims”</i></p> <p>2. The Charge was created on 21/07/1981 and it was modified on 11/09/1986. The amount secured by Charge amounting to Rs. 540 lakhs and the particulars of property on which the said charge has been created is as mentioned <i>“all types of raw materials consisting raw Jute, Jute products, coal etc. work-in-progress and finished goods and goods under export, consisting of Jute goods, Jute carpets, Stores, spares, packing materials etc. stored at the factory premises at Khardah, West Bengal, Unit: Khardah.”</i></p>	<p>Nizam Palace, 2nd MSO Building, 2nd Floor, 234/4, A.J.C.B. Road, Kolkata- 700020, West Bengal.</p>	<p>Could not be ascertained as the matter is very old.</p>	<p>Could not be ascertained as the matter is very old.</p>	<p>All Charges created in the name of NJMC Ltd. are registered with RoC, since status of two charges, created with UCO Bank (Charges Id 90249588 & 90249595) and Central Bank (Charge Id 90249585) is still showing open at MCA Portal. Therefore, the letter has been sent to both the banks vide ref. NJMC/COO/2022-23/4951 and NJMC/COO/2022-23/4952 to share the status of the Charges as mentioned as per their records. Management is following up the matter with the banks. After receiving the status, appropriate action will be taken.</p>



NOTE : 29 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (CONTD.)

- xii) The company has not made any investment beyond the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.
- xiii) Financial Ratios : Refer Annexure A to Note -29.
- xiv) The Company has not entered into any scheme of arrangement under approved by competent authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.
- xv) (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (B) The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- xvi) The Company does not have any undisclosed Income which is not recorded in the books of Account that has been surrendered or disclosed as income during the year (Previous year- Nil) in the Tax assessments under Income Tax Act 1961 (such as , search, survey or any other relevant provisions of Income Tax Act 1961.
- xvii) The Provisions of section 135 of the Companies Act, with regard to CSR activities do not apply to the Company.
- xviii) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during this financial year.

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 22059144BEXGPR8358

Place : Kolkata
Dated : 06.12.2022

For and on behalf of the Board
(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE :ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (ANNEXURE- A)

Ratio


Ratio	Formulas	Items included in Numerator	Items included in Denominator	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021	% Variance(s)	Explanation for change in ratio by more than 25%, if any
1. Current Ratio	Current Assets / Current Liabilities	Inventories, Trade Receivables, Cash And Bank Balances, Short-Term Loans and advances, Other Current Assets	Trade Payables, Other Current Liabilities, Short-Term Provisions	0.34	0.48	-29.36	Due to Non Current Fixed Deposits made with bank
2. Debt Equity Ratio	Total Debts / Shareholders Fund	Short Term Borrowing +Long term Borrowing	Share Capital,Reserves & Surplus	-	-	-	Not applicable as shareholders fund is negative for both the years.
3. Debt Service Coverage Ratio	Earning Available for Debt Service / (Interest +Principal Repayments)	Profit before Interest & Tax + Non Cash Expenses & amortisations	Principal + Interest & Lease Payments	-	-	-	Not applicable as earnings available for Debt Service is negative for both the years.
4. Return On Equity Ratio(%)	Net Income / Shareholders' Equity	Net profit after Tax - Preference Dividend	Average Shareholders Equity	-	-	-	Not applicable as shareholder's equity is negative in both the years.
5. Inventory Turnover Ratio	COGS / Average Inventory	COGS or Sales	Average Inventory	-	-	-	Not applicable as there is no sale of goods in both the years.
6. Trade Receivables Turnover Ratio	Net Credit Sales / Average Accounts Receivables.	Net Credit Sales	Average Accounts Receivable	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
7. Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases / Average Accounts Payables.	Net Credit Purchases	Average Accounts Payable	-	-	-	Not applicable as there is no purchase of materials in both the years.
8. Net Capital Turnover Ratio (%)	Sales / Average Working Capital	Net Sales	Average Working Capital	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
9. Net Profit Ratio (%)	Net Profit / Net Sales*100	Net Profit After Tax	Total Income	-	-	-	Not applicable as there is no revenue from operations in both the years.
10. Return on Capital Employed.(%)	EBIT / Gross Capital Employed *100	Profit Before Interest & Tax (%)	Tangible Networth+Total Long Term Debt+Deferred Tax Liability	-	-	-	Not applicable as capital employed is negative in both the years.
11. Return On Investment (%)	Income from Investments/ Average Investments *100	Income from Investments	Average Investments	1.37	0.07	1981.67	Dividends Income was insignificant in the last year as compared to the current year.

N.J.M.C. Ltd.

Chartered Bank Buildings, 2nd Floor 4,
Netaji Subhas Road, Kolkata, West
Bengal 700001

4.6 ★★★★★ 5 reviews

[View larger map](#)





Registered Office:
Chartered Bank Buildings, 2nd Floor
4, N. S. Road, Kolkata - 700 001
Phone: 033-22306434
Email: njmc ltd@gmail.com
Web: www.njmc.org.in